अष्टम माला, खण्ड 33, अंक 14

बुधवार, 25 नवम्बर, 1987
4 अग्रहायण, 1909 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

नौवां सत्र

(आठवीं लोक सभा)

(खण्ड 33 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।]

विषय सूची

अष्टम माला, खण्ड 33, नौवां सत्र, 1987/1909 (शक)

अंक 14, बुधवार, 25 नवम्बर, 1987/4 अग्रहायण, 1909 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	**1—20**
*तारांकित प्रश्न संख्या : 270 से 272 और 274	
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	**20—169**
तारांकित प्रश्न संख्या : 269, 273, 275 से 288	20—28
अतारांकित प्रश्न संख्या : 2736 से 2742, 2744 से 2764, 2766 से 2798, 2800, 2802 से 2880, 2882 से 2887 और 2889 से 2910	28—169
सभा पटल पर रखे गए पत्र	**175—180और 236—237**
राज्य-सभा से संदेश	**180**
समान पारिश्रमिक संशोधन विधेयक	**180**
राज्य सभा द्वारा यथापारित	
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति	**181**
44वां प्रतिवेदन	
नियम 377 के अधीन मामले :	**181—185**
(एक) विभिन्न उद्योगों में, विशेषकर शीशे और बीड़ी उद्योग में, श्रमिकों के रूप में नियुक्त बच्चों के सामने आने वाली समस्याओं के बारे में रचनात्मक और व्यावहारिक सुझाव देने के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन करने की मांग	
श्री गंगा राम	181

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित † चिह्न इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी ने पूछा था।

विषय पृष्ठ

(दो) अमीनोफिलीन और थिओफिलीन औषधियों के मूल्य सरकार द्वारा निर्धारित किए जाने और औषध कम्पनियों द्वारा उन औषधियों को मनमानी दरों पर बेचने से प्राप्त अतिरिक्त आय को उन कम्पनियों से वसूल करने और उसे डी० ई० ए० खाते में जमा कराने की मांग

डा० चन्द्रशेखर त्रिपाठी 181—182

(तीन) पारादीप पत्तन के तलकर्षण का पूरा खर्च केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन किए जाने की मांग

श्री लक्ष्मण मलिक 182

(चार) भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भोपाल, में केन्द्रीय विद्यालय खोलने की मांग

श्री के० एन० प्रधान 183

(पांच) "रखरखाव" शीर्षक के अन्तर्गत सिंचाई बांधों के लिए आबंटित धनराशि कार्य-प्रभारित कर्मचारियों के वेतन आदि पर खर्च न की जाए और उसका बांधों के वास्तविक रखरखाव पर उपयोग किया जाए, यह सुनिश्चित करने के लिए मानदण्ड निर्धारित करने की मांग

श्री जुझार सिंह 183

(छः) कोचीन तेल शोधक कारखाने के समीप, उस क्षेत्र में विद्युत सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, 100 मेगावाट का एक ताप बिजलीघर स्थापित करने की मांग

श्री तम्पन थामस 184

(सात) काली मिर्च के पोत-पर्यन्त-निःशुल्क मूल्य पर 3.5 प्रतिशत उपकर लगाने के मामले पर पुनर्विचार करने की मांग

श्री के० मोहनदास 184

(आठ) जो लोडर-पैकर पहले एयर फ्रेट (प्रा०) लिमिटेड में कार्य कर रहे थे, उन्हें भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण में खपाने की मांग

श्रीमती वैजयन्तीमाला बाली 184—185

प्रादेशिक ग्रामीण बैंक (संशोधन) विधेयक 184—236

विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्री सी० माधव रेड्डी 184—192

श्री पी० नामग्याल 193—196

विषय	पृष्ठ
श्री के० एस० राव	196—199
श्री बसुदेव आचार्य	199—202
श्री राम नगीना मिश्र	202—204
श्री धर्मपाल सिंह मलिक	204—207
श्री तम्पन थामस	207—209
श्रीमती बसवराजेश्वरी	209—212
प्रो० नारायण चन्द पराशर	212—216
श्री विजय कुमार यादव	216—217
श्री विजय एन० पाटिल	218—220
श्री उमाकान्त मिश्र	220—222
श्री भद्रेश्वर तांती	222—223
श्री वी० कृष्ण राव	223—225
श्री चिन्तामणि जेना	225—227
श्री राम नारायण सिंह	227—229
श्री वृद्धि चन्द्र जैन	229—230
श्री जी० एम० बनातवाला	230—232
श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही	232—234
श्री पीयूष तिरकी	234—236
आधे घण्टे की चर्चा	**237—252**
वरिष्ठ अधिकारियों का विदेशों में प्रशिक्षण	
डा० गौरी शंकर राजहंस	237—240
श्री पी० चिदम्बरम	240—244 और 248—252
श्री बसुदेव आचार्य	244
डा० चिन्ता मोहन	245—246
श्री शांताराम नायक	246
श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव	246—248

लोक सभा

बुधवार, 25 नवम्बर, 1987/4 अग्रहायण, 1909 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

राष्ट्रीय जल नीति

*270. **श्री भद्रेश्वर तांती** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में स्वीकार की गई राष्ट्रीय जल नीति के अन्तर्गत सतह जल और भूजल की दरों को युक्तिसंगत बनाने का सुझाव दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त नीति में छोटे और सीमान्त किसानों के हितों का उचित ध्यान रखा गया है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी नीति की मुख्य बातें क्या हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग). राष्ट्रीय जल नीति में यह सिफारिश की गई है कि छोटे तथा सीमांत किसानों के हितों का पूरा ध्यान रखते हुए सतही जल और भूजल की जल दरों को युक्तिसंगत बनाया जाना चाहिए।

श्री भद्रेश्वर तांती : महोदय, मैं मंत्री महोदय से एक सुस्पष्ट जवाब चाहता था, लेकिन दिये गये उत्तर सदैव लापरवाही वाले उत्तर होते हैं। मैं कुछ निश्चित बातें जानना चाहता था, लेकिन एक वाक्य में उत्तर दे दिया गया है। सरकार की यह कार्य प्रणाली है। क्या मैं माननीय मंत्री जी से जान सकता हूं कि देश में जल संसाधनों और वास्तविकताओं के विषय में एक सुस्पष्ट उत्तर देने किस बात ने उन्हें रोका है ? देश एक हिस्से मेंसूखा और दूसरे हिस्से में बाढ़ का सामना कर रहा है। ब्रह्मपुत्र नदी की बाढ़ की विभीषिका के शिकार हो गये हैं। उस भाग में प्रतिवर्ष विनाशकारी बाढ़ आती है और लोग मुसीबत उठा रहे हैं। अब मैं प्रश्न पूछ रहा हूं। कृपया धैर्य रखें।

अध्यक्ष महोदय : क्या हमें मंत्री महोदय से भी धैर्य रखने को कहना चाहिए ?

(व्यवधान)

श्री भद्रेश्वर तांती : ऐसा लगता है जैसे लगातार टिप्पणियां की जा रही हों।

श्री भागवत झा आज़ाद : महोदय, अभी तो प्रश्न पूछने की भूमिका बांध रहे हैं।

श्री भद्रेश्वर तांती : महोदय, कुछ महीने पूर्व, देश में हमने जिस असाधारण परिस्थिति का सामना किया था जब देश के एक हिस्से में पानी का बाहुल्य एवं बाढ़ था तथा शेष भाग में सूखा था, इसको ध्यान में रखते हुए क्या मैं सरकार से जान सकता हूं कि देश के समस्त जल संसाधनों को उचित एवं संतुलित उपयोग के लिए वे किस प्रकार मास्टर प्लान बनायेंगे ? दूसरे, सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय कर रही है कि ब्रह्मपुत्र नदी के बहुमूल्य संसाधन बर्बाद न हो तथा सिंचाई और विद्युत के लिए उनका उपयोग हो।

श्री राम निवास मिर्धा : महोदय, माननीय सदस्य द्वारा उठाया गया प्रश्न बहुत छोटा एवं विशिष्ट है 'क्या हाल ही में स्वीकार की गयी राष्ट्रीय जल नीति के अन्तर्गत सतह जल और भूजल की दरों को युक्तिसंगत बनाने का सुझाव दिया गया है।' इसमें बाढ़ का कोई उल्लेख नहीं है, इसमें सामान्य जल-नीति का कोई उल्लेख नहीं है, इसमें ब्रह्मपुत्र का कोई उल्लेख नहीं है। यदि माननीय सदस्य ने वह पूछा होता जो वह अब पूछ रहे हैं तो मैंने उन्हें एक विस्तृत जवाब दिया होता। अत: यह मेरी गलती नहीं है कि मेरा जवाब बहुत ही विशिष्ट है क्योंकि एक बहुत विशिष्ट प्रश्न किया गया था तथा जो नीति कहती वह मैंने बता दिया है।

अध्यक्ष महोदय : आपका अनुमान दूर संवेदी (टेलीपैथिक) होना चाहिए था।

श्री राम निवास मिर्धा : राष्ट्रीय जल नीति के दस्तावेज को हमने सभा पटल पर रख दिया है तथा इस पर चर्चा का मैं स्वागत करूंगा। इस पर चर्चा के लिए मैं स्वयं एक संकल्प लाने की सोच रहा हूं जिसमें जलनीति से सम्बन्धित सभी मामले तथा उस सम्बन्ध में राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के सामने लाया जा सके। लेकिन चूंकि कुछ मुद्दों को अभी उठाया गया है, इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि सूखे और बाढ़ की समस्या—एक भाग में बाढ़ तथा दूसरे भाग में सूखा···

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : क्या आप प्रश्न समझ गये ?

अध्यक्ष महोदय : आपको पता है, वह मौखिक प्रश्न पर बोल रहे हैं।

श्री राम निवास मिर्धा : बहुत लम्बे समय से यह प्रश्न हमारे समक्ष है। मुद्दा यह है कि कुछ क्षेत्रों और कुछ नदियों में बाढ़ के स्तर का जल जल अभाव वाले क्षेत्रों में ले जाया जा सकता है। हमारा एक राष्ट्रीय संगठन है जो कि सब बातों का सर्वेक्षण कर रहा है तथा सर्वेक्षण कार्य को हमने दो विभिन्न पहलुओं में विभक्त किया है—एक को हिमालयीय नदियां कहते हैं तथा दूसरे को प्रायद्वीपीय नदियां कहते हैं। अध्ययन के प्रथम भाग के लिए यह प्रायद्वीय नदियों पर ध्यान केन्द्रित कर रहे हैं हम सभी प्रमुख नदियों के थालों और उप-थालों में वहां के पानी की उपलब्धता जानने के लिए तथा दक्षिण के प्रायद्वीपीय क्षेत्र जहां पानी की कमी रहती है, में शीघ्र सम्पर्क द्वारा पानी को ले जाने के लिए, सर्वेक्षण कर रहे हैं। अध्ययन हो रहा है और केवल उसके बाद ही हम यह जानने की स्थिति में होंगे कि किस तरह से इसे किया जा सकता है।

श्री भद्रेश्वर तांती : महोदय, राष्ट्रीय जलनीति ने सुझाव दिया है कि छोटे और सीमान्त किसानों के हितों का उचित ध्यान रखकर सतह जल और भूतल की दरों को युक्तिसंगत बनाया जाये।

लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। हमें इस बात की बहुत चिंता है कि देश में, विशेषकर सौराष्ट्र में, पिछले लगातार तीन वर्षों से पीने तक के लिए पानी नहीं है तथा हमारे राज्य आसाम में जब आपको पानी की आवश्यकता नहीं होती है तब आपको प्रकृति से पर्याप्त जल मिलता है तथा कृषि के लिए किसानों को जब जल चाहिए, तब हमें यह मिलता नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : आप उनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश कीजिए।

श्री मद्रेश्वर तांती : अतः महोदय, हमें पानी नहीं मिलता है और यहां तक कि किसानों को पानी नहीं मिलता है। लेकिन ब्रह्मपुत्र नदी के जल का सिंचाई और विद्युत के लिए उपयोग करने के पर्याप्त अवसर हैं और इस तथ्य के बावजूद कि लोगों को हम नैतिक समर्थन दे सकते हैं, लोगों की समस्याओं को देखने लिए वहां कोई नहीं है। ब्रह्मपुत्र बोर्ड का गठन किया गया है और वह बोर्ड बेकार है। यह बिना अध्यक्ष के हैं। बोर्ड की अध्यक्षता करने के लिए कोई अध्यक्ष नहीं है। इन परिस्थितियों में इन सभी परियोजनाओं को सरकार कैसे लागू करे, मुझे नहीं पता है। यह एक बिना अध्यक्ष का बोर्ड है।

श्री राम निवास मिर्धा : देश में शायद किसी दूसरी नदी की अपेक्षा ब्रह्मपुत्र पर हमने सर्वाधिक ध्यान दिया है और ब्रह्मपुत्र बोर्ड, जिसका कि माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है का एक अध्यक्ष है। पूर्वोत्तर परिषद का सचिव ब्रह्मपुत्र बोर्ड का अध्यक्ष है। अतः यह बात नहीं है कि कोई अध्यक्ष नहीं है।

श्री मद्रेश्वर तांती : इस समय वहां अध्यक्ष कौन है?

श्री राम निवास मिर्धा : पूर्वोत्तर परिषद का सचिव ब्रह्मपुत्र बोर्ड का अध्यक्ष है और यह बोर्ड यह मास्टर प्लान तैयार कर रहा है कि बाढ़ से उत्पन्न हुई कठिनाइयों को कैसे कम किया जाए तथा पानी के बहाव को किस प्रकार सहायक नदियों की ओर किया जाए।

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव : महोदय, राष्ट्रीय जल नीति ने सतह जल और भूजल की दरों की सिफारिश की है जिनको कि युक्तिसंगत बनाया जाना चाहिए। जहां तक आपूर्ति किये जाने वाले सतह जल का सम्बन्ध है, स्वयं सरकार जलाशयों के निर्माण में बहुत धन खर्च कर रही है, जिसके पश्चात् वे किसानों को जल आपूर्ति करते हैं भूजल के उपयोग के सम्बन्ध में, स्वयं किसान छोटे और सीमान्त किसानों के अतिरिक्त-ट्यूबवेल और छिद्रकुओं में सम्पूर्ण धन लगा रहे हैं। अतः इस सम्बन्ध में, मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या सरकार भूजल क्षमता के अधिकतम सीमा तक उपयोग को प्रोत्साहित करने पर विचार करेगी। किसानों को छिद्रकुओं या ट्यूबवेल पर जो खर्च करना पड़ता है उसमें क्या आप कुछ सहायता देंगे तथा छोटे और सीमान्त किसानों, विशेषकर रायलसीमा और महबूब नगर जिलों जैसे सूखा प्रवण क्षेत्रों, जो कि सूखे से लगातार प्रभावित होते हैं, को वर्तमान सहायता को मात्रा में वृद्धि भी करेंगे? सहायता की मात्रा को क्या आप 25—33% से बढ़ा कर 35—50% करेंगे?

श्री राम निवास मिर्धा : महोदय, किसी व्यक्तिगत किसान को, जो कुआं खोदता है, उपलब्ध सहायता भिन्न-भिन्न राज्यों में भिन्न-भिन्न होती है और यह सही है कि कुछ क्षेत्रों, विशेषकर सूखा-प्रवण क्षेत्रों में कुछ सहायता दी जानी चाहिए। लेकिन फिर यह राज्य सरकारों को निर्णय करना है कि अपनी योजना प्रक्रियाओं में उनकी क्या प्राथमिकतायें हैं। उदाहरण के लिए राजस्थान सरकार ने कहा है कि किसान को कुआं खोदने के लिए सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम के रूप में यह पहले ही 10,000

रु० दे रही है और यदि आन्ध्र प्रदेश सरकार प्रबुद्ध राजस्थान सरकार का अनुसरण करती है, तो वे ऐसा कर सकते हैं।

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव : अन्य किसानों के लिए। (व्यवधान)

श्री शांताराम नायक : महोदय, जब कभी एक दिये हुए विषय पर हम एक राष्ट्रीय नीति बनाते हैं और यदि वह विषय केन्द्र सरकार के पूर्ण नियंत्रण में नहीं होता है, तब सामान्यतया यह होता है कि राज्य सरकार के तन्त्र, जिनको कि उस राष्ट्रीय नीति को लागू करना होता है, अनुकूल रूख या आवश्यक रूख नहीं अपनाते हैं और परिणामस्वरूप नीति को क्रियान्वित न करने का दोष केन्द्र सरकार पर आता है। इसलिए, इस सन्दर्भ में मैं पूछना चाहूंगा कि जल संसाधन विषय को पूर्णरूप से केन्द्र के हाथों में रखने के लिए, क्या आपने जल संसाधनों का राष्ट्रीयकरण करने पर कोई विचार किया है या विकल्प में जल संसाधन के विषय को संघ सूची में लाने पर कोई विचार किया है ? क्या इनमें से किसी बात पर विचार किया गया है ?

प्रो० मधु दण्डवते : राज्य का अधिग्रहण क्यों नहीं कर लेते ?

(व्यवधान)

श्री राम निवास मिर्धा : महोदय, सरकार अभी ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है। वस्तुतः राष्ट्रीय जल नीति इन शब्दों के साथ शुरू होती है :

> "जल प्रमुख राष्ट्रीय संसाधन है, एक मूलभूत मानवीय आवश्यकता है और मूल्यवान राष्ट्रीय परिसंपत्ति है। जल-संसाधनों सम्बन्धी आयोजना और उनका विकास राष्ट्रीय संदर्भ में किये जाने की आवश्यकता है।"

अतः ऐसे अनेक क्षेत्र हैं जिनके लिए नीतियां निर्धारित की जाती हैं और यह नीति राष्ट्रीय जल-संसाधन परिषद द्वारा अनुमोदित है। प्रधान मंत्री उसके अध्यक्ष हैं तथा सभी मुख्यमंत्री इसके सदस्य हैं और उन्होंने एक मत से इसका अनुमोदन किया है। अतः हम यह मान लेते हैं कि वे इसी का अनुपालन करना बेहतर समझेंगे।

श्रीमती वैजयन्ती माला बाली : महोदय, यह बताया गया है कि बड़ी और मध्यम स्तर की सिंचाई परियोजनाओं का कार्यान्वयन अब और अधिक व्यावहारिक नहीं है। महोदय, इस समय उपलब्ध जानकारी के अनुसार 1961 से शुरू की गई 246 बड़ी सतही जल सिंचाई परियोजनाओं में से 65 परियोजनायें पूरी कर ली गई हैं। उनमें से शेष अभी तक निर्माणाधीन हैं। हमने इन परियोजनाओं पर बहुत ज्यादा धनराशि पानी की तरह बहाई है किन्तु अभी तक उससे कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ है। महोदय, पिछले एक वर्ष से तमिलनाडु में पेय जल की अत्यधिक कमी के कारण लाखों लोगों को भूजल पूर्ति के लिए अत्यधिक धनराशि अदा करनी पड़ रही है। यहां तक कि मद्रास शहर में और उसके आस-पास के क्षेत्र में भूजल का स्रोत ही समाप्त हो गया है।

इन परिस्थितियों में, मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहती हूं कि क्या सरकार ने राष्ट्रीय जल नीति के अधीन ऐसी कोई योजना तैयार की है जिनके अन्तर्गत भूमिगत जल का बड़ी सावधानी और उचित ढंग से उपयोग किया जा सके तथा उसका नाममात्र की समरूप दर पर सिंचाई परियोजनाओं के लिए ही नहीं अपितु पेयजल के रूप में भी पूर्ति करना संभव हो सके। (व्यवधान)

श्री राम निवास मिर्धा : महोदय, वस्तुतः कुछ क्षेत्रों में पेय जल को प्राथमिकता मिलनी ही

चाहिए और वर्तमान राष्ट्रीय जल नीति में अन्य बातों के साथ-साथ इसका भी उल्लेख किया गया है कि पेय जल की आवश्यकताओं को ध्यान में रखना होगा।

जहां तक कुंओं तथा अन्य लघु सिंचाई निर्माण कार्यों से भूजल संसाधन के प्रयोग का सम्बन्ध है, वे बहुत महत्वपूर्ण हैं और हमारी नीति है कि उसे यथासंभव अधिक से अधिक प्रोत्साहन दिया जाये। महोदय, इस समय भी लघु सिंचाई तथा कुंओं से बहुत अधिक सिंचाई होती है और हमारी नीति है कि भूजल संसाधनों का विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग किया जाये। महोदय, मैं चाहता हूं कि इस संदर्भ में उत्पन्न कुछ समस्याओं का उल्लेख करूं और वे ये हैं कि कुछ क्षेत्रों में कुंओं से बहुत ज्यादा पानी निकाल लिया गया हैं, परिणामस्वरूप अनेक समस्याएं खड़ी हो गई हैं। वहां पानी में खारापन आ गया है और आस-पास के कुछ कुएं सूख भी गये हैं। भारत सरकार ने कई वर्ष पहले भूजल के उपयोग को विनियमित करने के लिए राज्य सरकारों को एक नमूना विधेयक जारी किया था किन्तु महोदय, किसी भी राज्य सरकार ने इसके बारे में कोई कानून नहीं बनाया है। कुछ राज्यों ने यदि कानून पास किये भी हैं तो उन्हें लागू नहीं किया है। अतः कभी न कभी तो यह किया ही जाना था कि पानी निकाले जाने तथा भू-जल के उपयोग तक को भी वैज्ञानिक ढंग से विनियमित किया जाए।

श्री पीयूष तिरकी : महोदय, क्या ऐसी कोई योजना है जिसके द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी को तीस्ता नदी से जोड़ा जाये तथा कलकत्ता पत्तन को फरक्का से और अधिक जल दिया जा सके?

श्रीमती वैजयन्ती माला बाली : कृष्णा नदी के बारे में आपकी क्या राय है?

श्री राम निवास मिर्धा : महोदय, इसके लिए मुझे पहले से सूचना दी जानी चाहिए।

श्री जी० जी० स्वैल : महोदय, प्रश्न तो सतही-जल तथा भू-जल के युक्तिसंगत वितरण के बारे में है। मुझे नहीं मालूम कि आप सतही और भू-जल को किस तरह युक्तिसंगत बनाते हैं। मैं केवल जल के उपयोग को युक्तिसंगत बनाने की बात समझ पाता हूं।

मुझे नहीं मालूम कि आप भू-जल के बारे में क्या कर सकते हैं जो कि सदुपयोग या दुरूपयोग किसी के लिए भी है। किन्तु मैं यह जानना चाहता हूं कि आप उस पानी के बारे में क्या कर रहे हैं, जो वर्षा ऋतु में भारी मात्रा में बिना किसी उपयोग के नदियों से बह जाता है। क्या आप इस प्रकार के जल पर नियंत्रण के लिए उसका भंडारण में करने या उसका उपयोग करने के बारे में विचार कर रहे हैं या आप चाहते हैं कि उसे यूं ही समुद्र की ओर बहने दिया जाए?

श्री राम निवास मिर्धा : महोदय, प्रश्न सतही और भू-जल के उपयोग को युक्तिसंगत बनाने सम्बन्धी नहीं है। यदि प्रोफेसर साहब ने इसे ध्यान से पढ़ा होता तो उन्हें मालूम होता कि पानी की दर को युक्तिसंगत बनाने पर विचार किया जा रहा है।

श्री जी० जी० स्वैल : तो जो पानी यूं ही बहा जा रहा है, उसके बारे में आप क्या कर रहे हैं?

श्री राम निवास मिर्धा : महोदय, अगला प्रश्न इस तरह के पानी के बारे में ही है। समस्त सिंचाई कार्यक्रम उसी प्रयोजन से हैं, जिसकी प्रोफेसर साहब ने चर्चा की है, अर्थात् बिना किसी उपयोग के समुद्र की ओर बहने वाले पानी के सदुपयोग के लिए ही उक्त सिंचाई कार्यक्रम है। प्रत्येक बांध इसी प्रयोजन से बनाया गया है और इस प्रकार की जल-भंडारण के परिणामस्वरूप उस पानी का भंडारण होता है जो समुद्र की ओर बह जाता है। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : डा० भोई बोलिए, आप तो बहुत दिनों के बाद सवाल कर रहे हैं...

[अनुवाद]

क्या अब आप स्वस्थ हैं ?

डा० कृपासिन्धु भोई : जी हां, मैं बिल्कुल ठीक हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य प्रश्न आधुनिक जल नीति और आधुनिक सीमान्त किसानों के बारे में है। भू-जल के बारे में इस मंत्रालय द्वारा भौगोलिक दृष्टि से प्राचीन अन्तर्भौमिक संरचनाओं का पता लगाने लिए 'नेशनल सैंसिंग सेटेलाइट एजेंसी, हैदराबाद' को शक्तियां प्रदान की गई हैं और दूसरी बात यह है कि क्या 'स्ट्रोमा टाइटिक लाइन जोन' की रूपरेखा तैयार कर ली गई है ताकि देश के विभिन्न भागों में भूमिगत जल क्षेत्रों का रेखांकन किया जा सके जिससे यह मंत्रालय आवश्यक कार्यवाही कर सके। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय को यह अवगत है कि सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत पिछले वर्ष तक समस्त सूखा प्रवण क्षेत्र में उठाऊ सिंचाई के माध्यम से सिंचाई करने के लिए जो अनुमति प्रदान की गई थी, क्या सरकार ने इस वर्ष उन क्षेत्रों में वह अनुमति देनी बन्द कर दी है जिसके कारण छोटे और सीमान्त किसान उठाऊ सिंचाई के माध्यम से सिंचाई की सुविधा से वंचित रह जायेंगे।

श्री राम निवास मिर्धा : महोदय, हम भू-जल का पता लगाने के लिए दूरस्थ संवेदी तकनीक का उपयोग कर रहे हैं और इस लिए केन्द्रीय जल आयोग में तथा केन्द्रीय भू-जल बोर्ड में भी एक-एक निदेशालय स्थापित हैं जो आकाश से और सेटेलाइट (उपग्रह) से ली गई धरती के छविचित्रों का विश्लेषण करते हैं। और इसके बारे में हम राज्य सरकारों को सलाह देते रहे हैं और हम उन चित्रों का अपने सर्वेक्षण के लिए तथा यह पता लगाने के लिए भी उपयोग करते हैं कि भू-जल कहां-कहां उपलब्ध है। किन्तु इससे पूरी परिस्थिति का बाहरी स्वरूप ही स्पष्ट होता है जबकि इसके लिए उन स्थानों पर जाकर बहुत तरह की जांच करनी होती है और अन्य क्षेत्र के वैज्ञानिकों जैसे भू-वैज्ञानिक आदि को भी इसमें शामिल किया जाता है। महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सभा को आश्वस्त करना चाहता हूं कि भू-जल के निरीक्षण के लिए दूरस्थ संवेदी तकनीक का उपयोग हमारे सर्वेक्षण का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। (व्यवधान)

श्री सोमनाथ रथ : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या पूरे देश में विभिन्न प्रकार की नदी घाटियों का किसी प्रकार का सर्वेक्षण किया गया है जिससे इनको सम्बद्ध किया जा सके और बाढ़ के दौरान नुकसान पहुंचाने वाले पानी का सिंचाई के लिए उपयोग किया जा सके।

श्री राम निवास मिर्धा : महोदय, जैसा कि मैंने पहले बताया हमारे पास पूरे देश में जल की उपलब्धता के सर्वेक्षण हेतु सुसंगठित और बृहत् कार्यक्रम है। जैसा कि मैंने पहले बताया हमने इस सर्वेक्षण को दो भागों में बांट दिया है एक हिमालय से निकलने वाली नदियों के लिए है और दूसरा प्रायद्वीपीय नदियों के लिए है। जब ये सर्वेक्षण समाप्त हो जायेंगे तभी हम यह बता पाएंगे कि इन नदी घाटियों में कितना अतिरिक्त पानी उपलब्ध है और उसे किस तरह रेगिस्तानी क्षेत्रों में भेजा जा सकता है।

[हिन्दी]

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : मैं मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि नई जल नीति के अनुसार जो गंगा का पानी है उसे आप सिंचाई के रूप में लेना चाहते हैं, क्या ऐसी कोई योजना है जिससे आप गंगा जल को सिंचाई के काम में ला सकें, दूसरा प्रश्न यह है कि जो पानी बाढ़ से नदियों में आता है उसको कंट्रोल करने के लिए कोई योजना बना रहे हैं ?

श्री राम निवास मिर्धा : गंगा के पानी का ठीक तरह से उपयोग हो इसके लिए कई पुरानी व नई योजनायें है । बाढ़ का प्रकोप किस प्रकार कम किया जाये इसके बारे में भी कई योजनायें हम कार्यान्वित कर रहे हैं और विभिन्न राज्य सरकारें भी इसमें सहयोग कर रही हैं, इस क्षेत्र में काफी काम किया जा रहा है ।

[अनुवाद]

स्वतन्त्रता सैनानियों को सुविधायें

*271. **श्री श्री० भूपति**

श्री सी० सम्बु :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने स्वतन्त्रता सैनानियों को पेंशन मिल रही है ;

(ख) स्वतन्त्रता सैनानियों को इस समय पेंशन के अतिरिक्त अन्य क्या सुविधायें उपलब्ध कराई जा रही है ;

(ग) क्या स्वतन्त्रता सैनानियों को कोई अतिरिक्त सुविधायें उपलब्ध कराने का विचार है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिंतामणि पाणिग्रही) : (क) से (घ). एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) से (घ). स्वतन्त्रता सैनानी पेन्शन योजना, 1972 जिसका नाम बदलकर स्वतन्त्रता सैनिक सम्मान पेन्शन योजना रखा गया था, के अन्तर्गत अक्तूबर, 1987 के अन्त तक 1,44,310 व्यक्तियों को उनके आश्रितों समेत पेन्शन प्रदान की गई है ।

सम्मान पेन्शन के अतिरिक्त केन्द्रीय पेन्शन लेने वाले स्वतन्त्रता सैनानियों को अपने पति/पत्नी अथवा एक परिचालक के साथ प्रथम श्रेणी की निशुल्क रेलवे कार्ड की सुविधा 19-11-1986 से एक वर्ष की अवधि के लिए दी जा रही है । पेन्शन लेने वाले स्वतन्त्रता सेनानी केन्द्र सरकार के श्रेणी "क" के अधिकारियों के समान केन्द्र सरकार के सभी अस्पतालों और सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के नियन्त्राधीन सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम द्वारा संचालित अस्पताल में निशुल्क चिकित्सा प्राप्त कर सकते हैं । पात्र मामलों में, अखिल भारतीय स्तर के प्रख्यात स्वतन्त्रता सेनानियों को सम्पदा निदेशालय द्वारा तैयार

किए गए नियमों के अनुसार चिकित्सा के लिए दो वर्ष की अवधि तक दिल्ली/नई दिल्ली में सामान्य पूल से आवास आवन्टित किए जाते है। सरकार ने अण्डमान और निकोबार की यात्रा करने के लिए निःशुल्क जलमार्ग यात्रा सुविधा देने का हाल में निर्णय किया है। आवश्यक रूप रेखाएं तैयार की जा रही हैं।

• इसके आलावा, राज्य सरकारों ने अपनी पेन्शन योजना तैयार की हैं जिनमें पेन्शन के अतिरिक्त नि:शुल्क चिकित्सा सहायता, नि:शुल्क भूमि/भूखण्ड और स्वतन्त्रता सेनानियों के बच्चों के लिए नि:शुल्क शिक्षा इत्यादि जैसी सुविधाओं का प्रावधान है।

सरकार स्वतन्त्रता सेनानियों को अतिरिक्त सुविधाएं देने के बारे में सम्बन्धित निकायों से सम्पर्क बनाए रखती है।

[हिन्दी]

श्री जी० भूपति : अध्यक्ष महोदय, मैंने मन्त्री जी के वक्तव्य को पढ़ा है, मैं उन्हें मुबारकबाद देना चाहता हूं कि उन्होंने स्वतन्त्रता सेनानियों को बहुत अच्छी पेन्शन देने की है। लेकिन इसमें एक समस्या है जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। स्वतन्त्रता सेनानियों पेन्शन देने की प्रक्रिया या तरीका जो है वह अभी तक ठीक नहीं है। इसमें बहुत से ब्रोकर्स भी काम करते हैं और वह बोगस सर्टिफिकेट्स भरकर सरकार को देते हैं। वह एक-एक केस का पांच हजार से दस हजार रुपया तक लेते हैं और पचास-साठ केस देखते हैं। यह ब्रोकर्स दिल्ली में अक्सर पांच सितारा होटल्स में ठहरते हैं और नकली प्रमाण-पत्र लोगों को बनवाकर देते हैं। इससे जो असली स्वतन्त्रता सेनानी हैं उनको पेन्शन नहीं मिल पाती है।

मेरा निवेदन है कि आप इसकी जांच करके नकली स्वतन्त्रता सेनानी जो बने हुए हैं उनको निकाल दें और जो ब्रोकर्स हैं उन्हें भी निकाल दें। पेन्शन मन्जूर करने की प्रक्रिया को बनाए रखने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

[अनुवाद]

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : हमने विवरण में विस्तृत जानकारी दी है। मैं श्री भूपति का अभारी हूं कि उन्होंने कुछ जाली प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने के बारे में उल्लेख किया है। उन्होंने कहा है कि दलालों द्वारा 5,000 रुपये से 10,000 रुपए तक लिए जा रहे हैं। पिछली बार भी मैंने सदन में सभी माननीय सदस्यों से बार-बार कहा था कि जब कभी भी कोई शिकायत आई है हमने पेन्शन के उन मामलों को तुरन्त अस्वीकृत कर दिया है। सम्भवत: गत सात-आठ महीनों में जब भी हमें सूचना मिली है तो हमने अनेक मामलों को अस्वीकृत किया है। यदि श्री भूपति के ध्यान में कोई विशेष मामला है और यदि वे हमें उसके बारे में बता दें तो हम ऐसे सभी मामलों की जांच करेंगे और यदि यह पाया गया कि वे प्राथमिक मामले नहीं हैं तो उन्हें अस्वीकृत कर दिया जाएगा। इसलिए, इस बारे में हमारे विचार स्पष्ट हैं। हम किसी दलाल को महत्व नहीं देते। केवल हमारी भिन्न-भिन्न समितियां इस बारे में जांच करती हैं ताकि स्वतन्त्रता सेनानियों के पेन्शन के मामले शीघ्र निपटाए जा सकें। परन्तु यदि किसी व्यक्ति को यह पता चलता है कि कोई दलाल यह कार्य कर रहा है, तो आप उनका नाम हमें बताएं और हम यह प्रयास करेंगे कि इस प्रकार के मामलों में किसी प्रकार की दलाली न चले। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप हमें उनके नाम बताएं ताकि उससे हमें अपना जांच कार्य करने में मदद मिल सके।

[हिन्दी]

श्री जी० भूपति : मेरा निवेदन है कि इनमें से बोगस फ्रिडम फाइटर्स को निकाल बहार करने के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक कमेटी का गठन किया जाना चाहिए। मैं मन्त्री महोदय से यह भी जानना चाहता हूं कि अब तक आपके पास कितनी एप्लीकेशन्स पैन्डिंग हैं और आप उन्हें कब तक, किस तिथि तक, सैंक्शन प्रदान कर देंगे।

[अनुवाद]

श्री चिंतामणि पाणिग्रही : यह केवल उन सुविधाओं के बारे में था जो हम प्रदान कर रहे हैं। परन्तु जहां तक मुझे याद है, हम पहले ही 1,44,310 सम्मान पैंशन मन्जूर कर चुके हैं। यदि माननीय सदस्य हमें योजना-वार पृथक नोटिस देते हैं, तो हम लम्बित पड़े आवेदन-पत्र के बारे में बता सकते हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : सत्र के पहले दिन ही गृह राज्य मन्त्री, श्री चिन्तामणि पाणिग्रही ने सम्मान पेन्शन के लिए कुछ स्वतन्त्रता सेनानियों के नामों की घोषणा कर दी थी।

क्या मैं मन्त्री महोदय से स्वतन्त्रता सेनानियों के चयन के मानदण्ड के बारे में पूछ सकता हूं क्योंकि चटगांव शास्त्रागार छापे की जिन्दा मिसाल, श्री गणेश घोष जैसे सभी जाने-माने स्वतन्त्रता सेनानियों को छोड़ दिया गया है। स्वतन्त्रता सेनानियों को चयन करने का क्या मानदण्ड था ?

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : यह प्रश्न कि 'जाने-माने स्वतन्त्रता सेनानियों को क्यों छोड़ दिया गया ?' राज्य सभा में भी उठाया गया था और मैंने उन्हें बताया है कि सम्पूर्ण सूची नहीं है। स्वतन्त्रता सेनानियों के बारे में हम जो कुछ भी जानकारी एकत्र कर सकते थे, हमने उसी के आधार पर नामों की घोषणा की है। श्री गणेश घोष का नाम हमें पहले ही दे दिया गया था और मेरे विचार से हम उनकी पेन्शन मन्जूर कर रहे हैं। (व्यवधान) हम विभिन्न सन्दर्भ सामग्री, पुस्तकों और स्वतन्त्रता सेनानी संगठनों से जानकारी प्राप्त करते हैं और यदि इसमें कोई कठिनाई हो तो हम छूट गए नामों को जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार को भी लिखते हैं। (व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : क्या वे नाम राज्य सरकारों द्वारा दिए जाते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : उस पर कोई चर्चा न करें।

श्री मधुसूदन वैराले : मुझे बहुत खुशी है कि सरकार ने स्वतन्त्रता सेनानियों के प्रति सदा सहानुभूतिपूर्ण रुख अपनाया है। इस सन्दर्भ में मैं कहना चाहूंगा कि स्वतन्त्रता सेनानियों की संख्या कम होती जा रही है। इस समुदाय के लोगों की संख्या अब कम होती जा रही है। यह अच्छी बात है कि सरकार उन्हें रियायतें दे रही हैं। रेल पास की रियायत केवल एक वर्ष के लिए दी गई थी। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या भविष्य में यह सुविधा जारी रहेगी अथवा क्या यह सच है कि सरकार का यह विचार है कि एक वर्ष की रियायत स्वतन्त्रता सेनानियों के पूरे जीवन के लिए पर्याप्त है। मैं बल्कि यह सुझाव दूंगा कि यह सुविधा बढ़ाई जानी चाहिए। दूसरे, बढ़ती हुई कीमतों को ध्यान में रखते हुए स्वतन्त्रता सेनानियों की पेन्शन में वृद्धि करने का प्रस्ताव था। मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि उसका क्या हुआ।

तीसरी बात है···

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं

श्री मधुसूदन वैराले : क्या ये सभी रियायतें उन स्वतन्त्रता सेनानियों को दी गई हैं जिन्होंने गोवा मुक्ति संघर्ष में भाग लिया था ?

गृह मन्त्री (सरदार बूटा सिंह) : माननीय सदस्य का सुझाव हमने भली-भांति सुन लिया है और हम उचित समय पर इन सुझावों की निश्चित रूप से जांच करेंगे।

श्री सुदर्शन दास : क्या यह सच है कि असम सरकार ने 24 दिसम्बर, 1984 को असम के करीमगंज और कछार जिलों के केन्द्रीय राजस्व पेंशन के काफी समय से निलम्बित पड़े 61 मामलों की सिफारिश की थी ?

क्या यह भी सच है कि 61 की सूची में से 23 स्वतन्त्रता सेनानियों की पेन्शन पुनः शुरू करने के बाद गृह मन्त्रालय शेष 38 मामलों को अभी रोके हुए है ? ऐसा क्यों ?

श्री चिंतामणि पाणिग्रही : महोदय, जैसाकि मैंने पहले बताया, यह केवल स्वतन्त्रता-सेनानियों को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं से सम्बन्धित है। व्यक्तिगत मामलों के बारे में मैंने सुन लिया है। मैं माननीय सदस्य को पुनः लिखकर यह बताऊंगा कि शेष 38 मामलों का क्या हुआ। हम इस पर विचार कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री डूमर लाल बैठा : अध्यक्ष महोदय, अभी यह बताया गया कि स्वतन्त्रता सेनानियों को पेंशन मंजूर की गई है। उसमें जहां तक मैं समझता हूं माननीय मन्त्री महोदय को या सरकार को जितनी जानकारी मिली उनके नाम ही दिए गए होंगे। क्या माननीय मन्त्री महोदय इस बात पर विचार करेंगे कि जो जानकारी सदस्यों को है, उससे वह जानकारी लेकर, उसकी वैरीफिकेशन करवाकर, क्या उन नामों को भी इस लिस्ट में शामिल करने की कोशिश करेंगे ?

[अनुवाद]

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : वास्तव में हमने उन्हें यह सूची प्रस्तुत की थी। माननीय सदस्यों को हमें यह अनौपचारिक रूप से बताने का विशेषाधिकार और सुविधाएं भी प्राप्त हैं। मैंने सभी माननीय सदस्यों से पूछा है कि यदि उन्हें ऐसे प्रसिद्ध स्वतन्त्रता सेनानी की जान कारी हो, जो छूट गए हैं, तो उसके बारे में हमें बताएं। हमें उनसे नाम प्राप्त हो रहे हैं।

श्री एस० बी० सिबनाल : महोदय, मैं मन्त्री महोदय को स्वतन्त्रता-सेनानियों को मान्यता देने के लिए बधाई देता हूं। परन्तु मुझे यह कहते हुए खेद है कि अनेक सही मामले भारत के पास मन्जूरी के लिए इस आधार पर लम्बित पड़े हुए हैं कि उनकी सिफारिश किन्हीं ऐसे दो जाने माने स्वतन्त्रता सेनानियों द्वारा नहीं की गई है, जिन्होंने एक अथवा दो वर्ष से अधिक यातना झेली है। दूसरी बात यह है कि उनके बारे में राज्य सरकार द्वारा सिफारिश की जानी चाहिए। परन्तु उनका अनुमोदन कर दिए जाने और दो स्वतन्त्रता सेनानियों द्वारा दिए गए प्रमाण-पत्र संलग्न कर दिए जाने के बाद भी उनके मामले अभी तक लम्बित पड़े हैं। तीसरी, बात यह है कि जब कभी प्रमाण-पत्रों के साथ अनुमोदन प्राप्त हो गए हैं फिर भी केन्द्रीय सरकार ने उन्हें पुनः प्रमाणीकरण के लिए भेजा है जिससे उस स्तर पर भ्रष्टाचार की गुंजाइश हो गई है। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि सरकार को इस बारे में क्या कहना है।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : इसके लिए दिशा निर्देश हैं···(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : कृपया दिशा निर्देश पढ़कर बताएं। (व्यवधान)

श्री के० एस० राव : महोदय, आप इस विषय पर आधे घंटे की चर्चा की अनुमति दें।

कुमारी ममता बनर्जी : इस पर पूर्ण चर्चा होनी चाहिए, आधे घंटे की चर्चा नहीं। (व्यवधान)

श्री आशुतोष लाहा : महोदय, हमें इस विषय पर आधे घण्टे की चर्चा करनी चाहिए। कृपया इस विषय पर आधे घण्टे की चर्चा की अनुमति दें। (व्यवधान) अनेक मामले अभी लम्बित पड़े हैं। अनेक स्वतन्त्रता सेनानियों को अपनी पेंशन नहीं मिली है। वे कष्ट उठा रहे हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : देखिए। हम एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं और मैं कुछ प्रश्न पूछने की अनुमति दे रहा हूं। मैं जानता हूं कि इस पर कुछ ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब आप प्रश्न पूछिए।

(व्यवधान)

श्री के० एस० राव : महोदय, इस पर विस्तार से चर्चा की जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : देखते हैं, यदि समय मिला तो।

(व्यवधान)

श्री एस० बी० सिदनाल : महोदय, उन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : जी हां, उन्होंने मुझसे एक प्रश्न पूछा है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : देखिए, आप शोर मत करिए। धीरे-धीरे सबकी बारी आएगी। एक बार में ही सबकी बारी आ सकती है।

[अनुवाद]

कृपया बैठ जाएं।

श्री नवल किशोर शर्मा : आप इस विषय पर आधे घण्टे की चर्चा की अनुमति दें क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। अनेक सदस्य प्रश्न पूछना चाहेंगे।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप ऐसा नहीं सोचते कि मैं इसे महत्व दे रहा हूं? मैं पहले ही इसे तरजीह दे रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री नवल किशोर शर्मा : उससे काम नहीं चलेगा। पूरी जानकारी प्राप्त नहीं हो रही हैं। हमें सभी जानकारी प्राप्त होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : देखते हैं।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : *महोदय, हमारे मन में हमारे देश के सभी स्वतन्त्रता सेनानियों के लिए श्रद्धा तथा सम्मान की भावना है···*

प्रो० सैफुद्दीन सोज : *इसी विषय पर मेरे नाम से एक प्रश्न है—प्रश्न संख्या 282। इसके साथ उसे भी ले लीजिए।*

अध्यक्ष महोदय : यदि आपने पहले कहा होता तो मैं उसको भी इसी के साथ ले लेता। परन्तु अब मैं ऐसा नहीं कर सकता। मुझे आपके साथ सहानुभूति है। मैं आपकी बात को भली-भांति समझता हूं। परन्तु अब मैं ऐसा करने में असमर्थ हूं। यदि आपने पहले कहा होता तो मैं इसे ले लेता। अब यह सम्भव नहीं है।

(व्यवधान)

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : महोदय, मैं एक बात में एक बात निवेदन करता हूं। हमारे मन में हमारे देश के सभी स्वतन्त्रता सेनानियों के लिए श्रद्धा और सम्मान है तथा कोई भी वास्तविक स्वतन्त्रता सेनानी नहीं, छूटेगा, हम भरसक प्रयास करेंगे।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

सरदार बूटा सिंह : अध्यक्ष महोदय, असल में स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मान पेंशन देने का प्रश्न, स्वर्गीय श्रीमती इन्दिरा गांधी जी ने स्वयं अपने लेवल पर लेकर शुरू किया था, यह बहुत गौरव की बात है। स्वतन्त्रता सेनानियों के लिए यह कोई कम्पेंसेशन नहीं कहा जा सकता, यह तो सम्मान की बात थी कि राष्ट्र उनके प्रति कृतज्ञ है।

अध्यक्ष महोदय : कम्पेंसेशन तो कहा ही नहीं जा सकता।

[अनुवाद]

उसकी पूर्ति आप नहीं कर सकते।

[हिन्दी]

श्री भगवत झा आजाद : कम्पेंसेशन हो ही नहीं सकता।

सरदार बूटा सिंह : राष्ट्र का उनके प्रति आभार था, उनके प्रति कृतज्ञ था। तो सम्मान करके, एक टोकर रैस्पैक्ट करके यह शुरू किया था। पूरे देश भर में यह स्कीम लागू हुई थी। उससे पहले चन्द एक स्टेट्स में पैंशन का थोड़ा-थोड़ा चल रहा था, मगर उसको व्यापक तौर पर, राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने शुरू किया।

दिक्कत यह हुई, जब रूल्स बने, स्कीम बनी गवर्नमेंट आफ इण्डिया की, तो उस समय स्टेट्स को चाहिए था कि हर जिले के, जो कोई भी स्वतन्त्रता सेनानी थे, उसकी पूरी सूचना वह सरकार को देते और वहां की सरकार उस सूचना को केन्द्रीय सरकार को भेजती। नतीजा यह हुआ कि बहुत से इण्डीविजुअल्स ने, कुछ एसोसियेशन्ज ने मिलकर रिप्रैजेन्टेशन शुरू किया। उसमें नेचुरली वैरीफिकेशन

की जरूरत पड़ी। अगर वह शुरू से जिला स्तर पर शुरू होकर आ जाते जो वैरीफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए वैरीफिकेशन की जरूरत पड़ी।

पहले तो केन्द्रीय सरकार की तरफ से जो कुछ राज्य सरकारों को लिखा गया, उस पत्र-व्यवहार में भी बहुत लम्बा समय लग गया। यह सही है कि जो माननीय सदस्य ने कहा कि कई-कई जगह 5, 5 और 3, 3 साल से रिप्रेजेन्टेशन्ज चली जा रही हैं। जब राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी बात चले तो कुछ ऐसी एप्लीकेशन्ज भी आई, जिनके फैक्ट्स नहीं मिले और जिन को कहा गया कि यह सच्ची एप्लीकेसन नहीं हैं। हम अपनी तरफ से ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि जिन्होंने एप्लीकेशन्ज दी हैं, उनके पास कोई न कोई रिकार्ड होगा। बहुत से रिकार्डज उपलब्ध नहीं हैं, फिर उसमें संशोधन किया गया कि यदि उनके पास उस वक्त के डाक्युमैंट्स नहीं हैं, जेल से डाक्युमैंट्स नहीं मिलते हैं, क्योंकि बहुत सी जेलें पाकिस्तान में रह गईं, जिसमें बहुत से स्वतन्त्रता सेनानियों ने बड़े लम्बे-लम्बे समय तक जेल काटी, तो उसको सामने रखते हुए फिर यह प्रावधान किया गया कि यदि उनके सहयोगी, उनके साथ वाले स्वतन्त्रता सेनानी जिनके पास डाक्युमैंट्स हैं या जिनको पैंशन मिल चुकी है, यदि दो स्वतन्त्रता सेनानी मिलकर उसको वैरीफाई कर दें तो उनका भी डाक्युमैंट सही माना जा सकता है। इस तरह की लाखों एप्लीकेशन्ज पैंडिंग पड़ी हुई हैं।

फिर मुझे याद है, हमारे प्रधान मन्त्री श्री राजीव गांधी जी ने पिछले वर्ष हमें यह आदेश दिया कि इतने बड़े बैकलाग को तुरन्त क्लीयर कर देना चाहिए। हमने होम मिनिस्ट्री में स्पेशल सैल बनाकर हजारों एप्लीकेशन्ज, को मेरे पास उनका नम्बर है, आन दी स्पाट हमने 15 अगस्त, 1986 तक को क्लीयर किया। सबसे ज्यादा एक टाइम में हुआ है तो हमारे प्रधान मन्त्री जी के आदेश से उनको हमने क्लीयर किया है।

उसके साथ ही जो बाकी एप्लीकेशन्ज रह गई हैं, बहुत सारी ऐसी ही हैं, जिनके बारे में सम्बन्धित राज्य सरकारों को रिपोर्ट भेजने के लिए कहा गया है।

मगर बात तो यह है कि आज जो परिस्थिति है, बहुत से माननीय सदस्य जो बैठे हुए हैं जो फ्रीडम फाइटरों के लिए बड़ी लम्बी-चौड़ी बात कर रहे हैं, मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन उनके वक्त में लार्ज स्केल पर पोलिटिकल रीजन्स पर पैंशन बन्द कर दी गई थीं और उनकी फैसिलिटीज खत्म कर दी गई थीं, उनको दोबारा रिवाइव किया गया है। (व्यवधान) आज जो बहुत से अपोजिशन के सदस्य समर्थन कर रहे हैं, उस वक्त उन्ही फ्रीडम-फाइटर्स का मुकाबला कर रहे थे, दूसरी ओर लड़ रहे थे। फिर भी हम तो यह सोच रहे हैं कि जिनकी एप्लीकेशन्ज पैंडिंग हैं, जैसा हमने प्रयास भी किया है, मैंने मन्त्रालय में आदेश दे रखे हैं कि हमारे आफिसर्स स्वयं राज्य सरकार के कैपिटल्स में जाकर वहां बाकायदा मीटिंग करें और आन दी स्पाट फैसला करें ताकि किसी भी फ्रीडम फाइटर के मन में यह न हो। यह बहुत खुशी है कि आज सारा सदन इसमें दिलचस्पी दिखा रहा है, हम नहीं चाहते हैं कि किसी भी फ्रीडम फाइटर की पैंशन न मिले।

जो गोआ, अंडेमान और असम की बात कही गई है, इन सारे केसेज को हम बड़ी सीरियसली देख रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री ए० चार्ल्स : स्वतन्त्रता सेनानियों की विधवाओं के बारे में आप क्या कर रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मेरी अनुमति के बिना मत बोलिए।

सरदार बूटा सिंह : हमने यह निर्णय किया है कि विधवाओं का ध्यान रखा जाएगा।

प्रो० मधु दण्डवते : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री जी से मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या उनका ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया गया है कि उन 97 प्रसिद्ध स्वतन्त्रता सेनानियों, जिन्होंने पेंशन के लिए वास्तव में आवेदन भी नहीं किया था, को सम्मान पेंशन देने के बारे में एक वक्तव्य के माध्यम से इस सभा में की गई घोषणा के बाद क्या यह सच नहीं है कि पूर्व राष्ट्रपति नीलम संजीवा रेड्डी ने भारी चिन्ता व्यक्त करते हुए एक सार्वजनिक वक्तव्य जारी किया था कि इन 97 व्यक्तियों के नामों की घोषणा करने से पूर्व उनके जैसे व्यक्तियों, जिनके नाम शामिल किए गए हैं से कम से कम पूछने तक की शालीनता तक नहीं दिखाई गई? तथा क्या यह भी सच है कि 97 व्यक्तियों की उस सूची में बहुत से ऐसे प्रसिद्ध स्वतन्त्रता सेनानी हैं जिन्हें आजतक यह सूचित नहीं किया गया कि हमने उन्हें पेंशन देना मन्जूर किया है। साथ-साथ आपको मैं एक बात बताऊंगा जो आज सुबह मुझे प्रसिद्ध स्वतन्त्रता सेनानी, श्री एन० जी० गोरे से पता चली है—जिन्होंने कहा कि "मुझे समाचार पत्रों से ही पता चला है कि मेरा नाम शामिल किया गया है। परन्तु आज तक भी मुझे कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।"

इस बारे में मैं यह बताना चाहूंगा कि इन्दिरा जी इतनी कृपालु थीं कि इस सभा में मेरे प्रश्न का उत्तर देते हुए उन्होंने यह कहा था कि 1949 के रायल इण्डियन नेवी विद्रोह की स्वतन्त्रता सेनानी भी पेंशन प्राप्त कर्ताओं मे शामिल होंगे। क्या यह सच नहीं है कि श्री बी. सी. दत्त जिन्होंने 1946 के विद्रोह के स्वतन्त्रता-सेनानियों का नेतृत्व किया था तथा जिन्होंने एक बहुत अच्छी पुस्तक "म्यूटनी आफ दी इन्नोसेंट्स" लिखी है, क्या पेंशन के लिए उनके आवेदन पर भी विचार नहीं किया गया है? मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा।

[हिन्दी]

सरदार बूटा सिंह : अध्यक्ष जी, मान्यवर सदस्य ने इस बारे में जो कुछ कहा है, हमें उस पर बड़ा गर्व है। इसमें आपको शर्म होगी। हम तो स्वतन्त्रता सेनानियों की बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं। जो शेम-शेम कह रहे हैं उनको इसमें शर्म होगी क्योंकि वे न तो उस समय स्वतन्त्रता सेनानी थे और न ही स्वतन्त्रता सेनानियों के साथ थे। खैर ऐनी वे, जो प्रोफेसर साहब ने कहा है कि हमारे भूतपूर्व प्रेजीडेंट श्री संजीव रेड्डी जी ने कुछ वक्तव्य दिया है। इस बारे में मैं उनसे यह कहना चाहता हूं कि यह तो एक ऑफर सरकार की तरफ से थी। जब कोई ऑफर करता है या किसी महान पुरुष के सामने प्रसाद लेकर जाता है तो यह पूछ कर वह प्रसाद नहीं देता है कि हम आपको यह प्रसाद दे रहे हैं। हमने तो ऑफर किया था। अगर उनको अच्छा नहीं लगा तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। कुछ ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जिन के अपने विचार रहते हैं। हम तो सभी स्वतन्त्रता सेनानियों का इसी भावना के साथ सत्कार करेंगे। मैं ऐसा समझता हूं कि इसमें कोई बुरा नहीं है। यदि हमने महान विभूतियों का सम्मान करने के लिए तुच्छ सी चीज भेंट की है तो

[अनुवाद]

हम अपने अधिकारों का सदुपयोग करते हैं तथा कर्तव्यों का पालन करते हैं।

[हिन्दी]

जिन दो केसिज के बारे में प्रोफेसर साहब ने कहा है, उनके बारे में मैं उनसे यह कहना चाहता

हूं कि श्रीमती इन्दिरा गांधी जी ने जो कुछ भी स्वतन्त्रता सेनानियों के लिए कहा है, उसका एक-एक इम्पलीमेंट किया जाएगा। (व्यवधान)

प्रो० सैफुद्दीन सोज : यह बहुत ही संगत प्रश्न है। मुझे अनुपूरक प्रश्न उठाने का अवसर मिलना चाहिए।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : पहले कहते तो करवा देता, अब तो हो गया है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो० सैफुद्दीन सोज : हम पहले ही सरकार को 97 स्वतन्त्रता सेनानियों को अपने आप पेंशन देने के लिए बधाई दे चुके हैं। यह एक बहुत ही अच्छी योजना है। यह जारी रहनी चाहिए। मैं अपने प्रश्न के माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि—पता नहीं यह बनती भी है या नहीं जहां तक जम्मू तथा कश्मीर का सम्बन्ध है मैं नहीं जानता कि वहां समिति गठित करने के क्या मानदण्ड थे ? दूसरे, क्या मन्त्री जी को यह पता है कि कुछ ऐसे असल स्वतन्त्रता सेनानी हैं जिन्हें पेंशन नहीं मिली है तथा कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके बारे में मुझे पहले ही पता है कि उन्हें यह अनुचित रूप से मिली है ? क्या मन्त्री जी को इस सचाई का पता है कि कुछ ऐसे असल स्वतन्त्रता सेनानी हैं जिन्हें यह नहीं मिली ?

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : इसका उत्तर पहले बता दिया गया है।

[अनुवाद]

इस प्रश्न का उत्तर कई बार दिया जा चुका है। इसका उत्तर दिया जा सकता है तथा इस पर उचित विचार किया जा सकता है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि वे इस पर विचार करेंगे।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : मैं इसका उत्तर दे सकता हूं। जहां तक जम्मू तथा कश्मीर का सम्बन्ध है 3,143 आवेदन प्राप्त हुए थे। (व्यवधान)

प्रो० सैफुद्दीन सोज : यह बात नहीं है, मैंने अनुपूरक प्रश्न पूछा है। वह प्रश्न अलग है। मैं यह जानना चाहता हूं कि समिति गठित करने के क्या मानदण्ड थे। और क्या आप यह जानते हैं कि उन लोगों को पेंशन नहीं मिली जो पात्र थे बल्कि उन लोगों को मिली जो पात्र नहीं थे।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : जम्मू तथा कश्मीर के स्वतन्त्रता सेनानियों के आवेदनों की जांच के लिए हमने एक विशेष समिति गठित की थी तथा जो भी एकमत से की गईं सिफारिशें थी वह हमने मान ली थी।

विदेशी धन का दुरुपयोग

*272. **श्री जगन्नाथ पटनायक :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले दो वर्षों में हुई घटनाओं ने स्पष्ट रूप से यह सिद्ध कर दिया है कि प्रत्यक्षतः स्वयंसेवी एजेंसियों के धार्मिक, सामाजिक और ऐसे अन्य कार्यक्रमों को प्रोत्साहन देने के लिए देश में आ

रहे विदेशी धन से आतंकवादियों और अन्य राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों की सहायता की जा रही है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का भारत में ऐसे विदेशी धन के आने पर प्रभावी नियन्त्रण लगाने और उसका विनियमन करने के लिए कौन से कदम उठाने का विचार है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) और (ख). ऐसी कोई निश्चित सूचना नहीं है कि स्वयंसेवी ऐजेंसियों द्वारा प्राप्त किए गए विदेशी अभिदाय को ऐसे प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है । फिर भी, विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 को अधिक कारगर बनाने के उद्देश्य से इसमें कुछ संशोधन करने पर विचार किया जा रहा है ।

श्री जगन्नाथ पटनायक : सरकारी सूत्रों के अनुसार हमारे देश के विभिन्न संगठनों को माननीय धार्मिक क्रियाकलापों के नाम पर विदेशों से प्रतिवर्ष 230 करोड़ रुपये प्राप्त होते हैं । उन सभी को विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत पंजीकरण कराना आवश्यक है। मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि उनकी गतिविधियों पर निगरानी रखने, तथा उनके खर्च की जांच करने के लिए करने वाले क्रियाकलापों पर धन न खर्च हो पाए, यह सुनिश्चित करने के लिए तथा निषिद्ध क्रियाकलापों अथवा इस देश को अस्थिरकौन सी विधियां अपनाई गई हैं और कौन-कौन सी संस्थाएं कार्यरत हैं ।

श्री पी० चिदम्बरम् : आज हमारे रिकार्ड में 1,1000 संगठन हैं जो विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत हैं । इन संगठनों को गत छह महीनों के दौरान उनके द्वारा प्राप्त किए गए विदेशी अभिदाय का ब्यौरा दिखाना पड़ता है । उन्हें सनदी लेखपाल द्वारा लेखा परीक्षित वार्षिक लेखों का विवरण भी दिखाना पड़ता है ।

इन विवरणियों को जांच करने के लिए गृह मन्त्रालय के विदेशी अभिदाय प्रभाग में योग्य कार्मिक हैं । हसे अपने अभिकरणों से भी विवरणियां प्राप्त होती हैं तथा यदि हमें छमाही लेखों या वार्षिक लेखों में कोई कमी या अधिनियम के किसी उपबन्ध का उल्लंघन दिखाई देता है या अनुपालन नहीं किया जाना लक्षित होता है, तो अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार कार्यवाही की जाती रही है।

श्री जगन्नाथ पटनायक : क्या यह सच नहीं है कि गृह मन्त्रालय ने कुछ प्रतिबन्ध लगाए हैं तथा कुछ संगठनों को विदेशों से पैसा प्राप्त करने की अनुमति नहीं दी है हालांकि उन्होंने कोई पूरा प्रतिबन्ध नहीं लगाया है ? कम से कम, उन्होंने कुछ संगठनों को विदेशों से पैसा प्राप्त करने की तो अनुमति नहीं दी क्योंकि वे संस्थाएं धर्म के नाम पर विदेशों से पैसा इकट्ठा करती हैं तथा इसे राष्ट्र विरोधी गतिविधियों पर खर्च करती हैं। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या इस बारे में कोई जांच की गई है और यदि की गई है तो उसका ब्यौरा क्या है ।

श्री पी० चिदम्बरम् : मेरे विचार से माननीय सदस्य का संकेत उस श्रेणी की ओर है जिसे निषिद्ध संगठनों तथा व्यक्तियों की संज्ञा दी गई है। यह सच है कि कुछ व्यक्तियों तथा संगठनों को इस अधिनियम की धारा 10(क) के अन्तर्गत निषिद्ध श्रेणी में रखा गया है तथा उनके द्वारा किसी प्रकार के अभिदाय लेने पर रोक लगी हुई है ।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : क्या मन्त्री महोदय, को यह पता है कि कोई निगरानी तन्त्र नहीं है ?

अधिनियम के अन्तर्गत जो अपेक्षित है वह यह है कि इन संगठनों को जो ये अभिदाय प्राप्त करती हैं, विवरणी देनी पड़ती है—इस समय जो व्यवस्था है वह अत्यन्त दोषपूर्ण है। किंतु आपके पास कोई ऐसा तन्त्र नहीं है जिसके माध्यम से आप खर्च की जांच कर सकें।

मन्त्री जी से मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उन्हें इस धनराशि के दुरुपयोग के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं, और यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है।

श्री पी० चिदम्बरम् : यह कहना ठीक नहीं है कि हमारे पास निगरानी करने वाला कोई तन्त्र नहीं है। निगरानी तन्त्र होने के कारण हम कुछ लोगों और संगठनों को निषिद्ध श्रेणी में रखने में समर्थ हुए हैं। निगरानी तंत्र होने के कारण ही हम कुछ अन्य लोगों को पूर्व अनुमति प्राप्त श्रेणी में रखने में समर्थ हुए हैं। शायद माननीय सदस्य के मन में कोई विशेष संगठन है। उन्होंने मुझसे इसके बारे में पूछा था और मैंने उन्हें बताया था कि मैं उन्हें इसका उत्तर दूंगा।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : आप एक वर्ष से अधिक समय से यही बात कह रहे हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : वह वही बात दोहराते रहे हैं।

श्री पी० चिदम्बरम् : जिस संगठन की बात उनके मन में है उसे पूर्व अनुमति प्राप्त श्रेणी में रखा गया है। जहां भी हमें पता लगता है कि वहां कानून का उल्लंघन हुआ है; हमने कार्यवाही की है। मैं सलाहकार समिति को इस बारे में बता चुका हूं।

श्री एम० रघुमा रेड्डी : क्या मैं उस संगठन का नाम जान सकता हूं? (व्यवधान)

श्री पी० चिदम्बरम् : हमने कुछ मामलों में आरोप-पत्र दाखिल किए हैं। कुछ मामलों में प्रथम सूचना-रिपोर्ट भी दर्ज हो चुकी है और कुछ मामले जांच पड़ताल के बाद अभियोग चलाने के लिए राज्य सरकारों के पास भेजे गए हैं। निगरानी तंत्र मौजूद है। निस्संदेह इसे बेहतर बनाया जा सकता और हम अपने निगरानी तंत्र में सुधार लाने के प्रयास करते रहते हैं।

श्री जी० एम० बनातवाला : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न कानून का उल्लंघन करने सम्बन्धी तकनीकी कमियों से ही सम्बन्धित नहीं है। इस बात के निरन्तर आरोप लगाये जाते रहे हैं कि स्वैच्छिक ऐजेंसियां राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के लिए विदेशी धन का दुरुपयोग करके साम्प्रदायिक एकता के विरुद्ध अत्यन्त दूषित वातावरण उत्पन्न कर रही है। अतः सरकार का यह सरसरी उत्तर कि इस सम्बन्ध में कोई निश्चित जानकारी नहीं है, मेरे विचार से बहुत ही कष्टदायक है।

यदि आप मुझे अनुमति दें तो मैं उर्दू का एक शेर सुना दूं और तत्पश्चात एक प्रश्न पूछूं। इस प्रकार का सरसरी उत्तर कि इस सम्बन्ध में कोई निश्चित जानकारी प्राप्त नहीं हुई है, बहुत ही कष्ट-दायक है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : वह शेर क्या है?

श्री जी० एम० बनातवाला : शेर है :

जालिम यह खामोशी बेजा है, एकरार नहीं इनकार तो हो,
एक आह तो निकले तोड़ के दिल, नगमा न सही झनकार तो हो।

[ظالم یہ خاموشی بیجا ہے اقرار نہیں انکار تو ہو -
ایک آہ تو نکلے توڑ کے دل نغمہ نہ سہی جھنکار تو ہو -]

अध्यक्ष महोदय : होम मिनिस्टर तो समझेंगे ।

[अनुवाद]

श्री जी० एम० बनातवाला : मेरा प्रश्न यह है कि इस विषय की गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए अधिनियम के उपबन्धों को भी सुदृढ़ बनाया जाए। क्या सरकार इस बात का भी उपबन्ध करेगी कि जो व्यक्ति इस प्रकार के आरोप लगाए वह इन आरोपों को सिद्ध भी करे अन्यथा उसके विरुद्ध इस महत्वपूर्ण विषय पर सोच-विचार के लगाए गए आरोपों के लिए कार्रवाई की जाएगी ?

विधि और न्याय मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : महोदय इसका उत्तर यह है :

मशवरे होते हैं शेख व बरहमन के जिगर,
रिन्द जान लेते हैं बैठे हुए मयखाने में।

प्रो० मधु दण्डवते : क्या यही उनका उत्तर हैं ? मेरा अनुरोध है कि आप भी उर्दू के शेर में अपना विनिर्णय दीजिए । **(व्यवधान)**

गृह मन्त्री (सरदार बूटा सिंह) : महोदय, माननीय सदस्य ने सर्वप्रथम उपबन्धों में अनेक कानूनी त्रुटियों के बारे में अपने विचार व्यक्त किए है जिन्हें मेरे माननीय सहयोगी श्री चिदम्बरम् ने अभी-अभी पढ़ा है। हम अधिनियम के उन कुछ उपबन्धों में संशोधन करने के लिए पहले ही विचार कर चुके हैं जिनका दुरुपयोग किया जा रहा हैं। सरकार शीघ्र ही इन संशोधनों को सभा में पेश करेगी। हम इन संशोधनों का समर्थन चाहेंगे।

दूसरे, उन्होंने यह भी सुझाव दिया है कि उन लोगों पर भी कुछ जिम्मेदारी डाली जाए जो शिकायत करते हैं यह एक सुझाव है। संशोधन लाते समय हम इस बात को ध्यान में रखेंगे ।

[हिन्दी]

श्री बालकवि बैरागी : अध्यक्ष जी, बनातवाला साहब ने एक शेर पढ़ा था ।

अध्यक्ष महोदय : बनातवाला साहब ने बढ़िया शेर पढ़ा ।

श्री बालकवि बैरागी : जी हां, बहुत बढ़िया शेर था । **(व्यवधान)**

मुझे तो बनातवाला साहब से अर्ज करना है कि :

झनकार वहां से क्या होगी, पायल की जिन्हें पहचान नहीं । **(व्यवधान)**

बूटासिंह जी का पायल से रिश्ता क्या है, मैं समझ नहीं सका । **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : बैरागी जी, आप यह बात मत कहिए । हमारे पंजाबी में एक कहावत है : "औना दी मुछ्छां ते तोता पेया बोलदा है ।"

···(व्यवधान)···

श्री बालकवि बैरागी : मुझे अपना कपलैट पूरा कर लेने दीजिए :

"झंकार वहां से क्या होगी, पायल की जिन्हें पहचान नहीं,
खामोश इनको रहने दो, जिनमें अब तक कोई जान नहीं।"

···(व्यवधान)···

अध्यक्ष महोदय : बोलिए, राम स्वरूप राम जी आप करेंगे कुछ दो हाथ। डबल राम है, इसलिए कुछ भी कर सकते हैं।

···(व्यवधान)···

[अनुवाद]

श्री वक्कम पुरुषोत्तमन : आपको हमारे लिए इस शेर का अनुवाद करने की कुछ व्यवस्था करनी चाहिए।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : करवा देते हैं।

श्री राम स्वरूप राम : अध्यक्ष महोदय, कुछ ऐसी एजेंसियां हैं, जिनका काम सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक कार्य करना है। इनको विदेशों से डायरेक्ट पैसे मिलते हैं। इसी परिवेश में मैं माननीय मन्त्री का ध्यान अपने क्षेत्र में बौद्धगया समन्वय आश्रम के सम्बन्ध में आकर्षित करना चाहता हूं, जिसकी स्थापना स्व० जयप्रकाश जी द्वारा की गई थी। वहां लाखों रुपए डायरेक्ट समन्वय आश्रम को दिए जाते हैं। इस सम्बन्ध में माननीय मन्त्री जी को चिट्ठी भी लिखी कि वहां पैसे का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग हो रहा है। राजनीतिक पार्टियों को चन्दा दिया जाता है, जबकि उसका मुख्य उद्देश्य गरीब और अपाहिज बच्चों को पढ़ा लिखाकर सही रास्ते पर लाना है। लेकिन वहां पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। मैं माननीय मन्त्री से जानना चाहता हूं, पिछले दो वर्षों में बौद्धगया समन्वय आश्रम को, जो कि बिहार में है, कितनी राशि मिली और सही तरीके से लोगों में इसका कितना इस्तेमाल हुआ है ? मैं यह भी जानना चाहता हूं, समन्वय आश्रम के प्रबन्धक, श्री द्वारको सुन्दरानी, जिसने बड़े पैमाने पर पैसे का दुरुपयोग किया है, उनके खिलाफ क्या केस करना चाहते हैं या नहीं ?

[अनुवाद]

श्री पी० चिदम्बरम् : क्षमा कीजिए महोदय। मैं चाहता हूं कि आप इस विशेष संगठन के बारे में अलग से सूचना दें। सूचना मिलने पर ही मैं उत्तर दे दूंगा।

शिशु बलि

*274. **श्री एच० एम० पटेल† :**

श्री मानिक रेड्डी :

क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के कई भागों में शिशुओं की बलि दी जा रही है;

(ख) दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल में पिछले दो वर्षों के दौरान ऐसी कितनी घटनाएं होने के समाचार मिले हैं ;

(ग) क्या हाल ही में दिल्ली में ऐसी कोई घटना होने का समाचार मिला है ; और

(घ) यदि हां, तो शिशुओं के अपहरण और उनकी बलि दिए जाने को रोकने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेन्शन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) से (घ). शिशु बलि देने के बारे में सूचना केन्द्रीय एजेंसियों द्वारा एकत्र और सारणबद्ध नहीं की जाती। फिर भी, राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों से सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने के बाद सभा पटल पर रख दी जाएगी।

श्री एच० एम० पटेल : अध्यक्ष महोदय, अनेक शिशुओं की बलि के संबंध में सरकार क्या कदम अथवा व्यावहारिक उपाय करने जा रही है ? आप इस बात से परिचित हैं कि शिशु बलि की घटनाएं घट रही हैं। इस सम्बन्ध में मेरे पास अनेक घटनाओं की जानकारी हैं। हो सकता है कि सभी घटनाओं की जानकारी मेरे पास न हो लेकिन यह सच है कि समय-समय पर ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं और इनके समाचार भी अखबारों में छपते रहते हैं। क्या सरकार ने कभी इस पर विचार किया है ? यदि हां तो सरकार इस सम्बन्ध में कौन से ठोस कदम उठाने जा रही हैं ?

श्री पी० चिदम्बरम् : हम राज्य सरकारों से जानकारी एकत्र कर रहे हैं और हम इसे सभा पटल पर रख देंगे। एकत्रित की गई जानकारी के आधार पर हम निश्चित रूप से इस बात पर विचार करेंगे कि इस बुराई को समाप्त करने के लिए कौन-कौन से कदम उठाए जाने चाहिए।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

नई दिल्ली नगर पालिका में मस्टर रोल पर रखे गए श्रेणी तीन के कर्मचारी

*269. **श्री विलास मुत्तेमवार :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली नगर पालिका में मस्टर रोल पर रखे गए श्रेणी तीन कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने की कोई नीति है ;

(ख) यदि हां, तो नई दिल्ली नगर पालिका में मस्टर रोल पर श्रेणी तीन के कितने कर्मचारी हैं और इनमें में कितने कर्मचारियों ने तीन वर्ष की सेवावधि और कितने कर्मचारियों ने दो वर्ष की सेवावधि पूरी कर ली है ; और

(ग) इनकी सेवाओं को नियमित न किए जाने के क्या कारण हैं और इनकी सेवाएं कब तक नियमित कर दी जाएंगी ?

गृह मन्त्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

नई दिल्ली नगर पालिका में मस्टर रोल पर कार्यरत श्रेणी तीन के कर्मचारियों की संख्या 109 है। उनमें से 26 ने 3 वर्ष की और 30 ने 2 वर्ष से अधिक की सेवा पूरी कर ली है। उनकी सेवाओं को सेवानिवृत्ति त्यागपत्र अथवा मृत्यु के कारण हुई नियमित रिक्तियों अथवा सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले अतिरिक्त पदों के सृजन से नियमित किया जाता है। निश्चित रूप से यह बताना सम्भव नहीं है कि इनकी सेवाओं को कब तक नियमित कर दिया जाएगा।

[अनुवाद]

विषय परक परीक्षा प्रणाली

*273. श्री प्रताप राव बी० भोसले : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ लोक सेवा आयोग का विषय परक परीक्षा प्रणाली शुरू करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो इस योजाना का ब्यौरा क्या है और यह प्रणाली किन-किन परीक्षाओं में शुरू की जाएगी ; और

(ग) इस नई परीक्षा प्रणाली के उद्देश्य क्या हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेन्शन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) से (ग). संघ लोक सेवा आयोग ने 1976 में एक प्रयोगात्मक आधार पर तथा 1979 से बड़े पैमाने पर वस्तुपरक परीक्षा प्रणाली लागू की थी। सिविल सेवा (मुख्य) रक्षा तथा अवर सचिवों की समिति विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा छोड़कर आयोग द्वारा ली जाने वाली लगभग सभी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र या तो आंशिक रूप में या पूर्णतया वस्तुपरक स्वरूप के होते हैं। इस प्रकार की परीक्षा से वस्तु निष्ठता बनाए रखते हुए उस स्थिति में जहां उम्मीदवार भारी संख्या में परीक्षा में बैठते हैं वहां तत्काल मूल्यांकन सुनिश्चित हो जाता है। इससे जिस विषय की परीक्षा ली जा रही होती है उसकी विषय वस्तु भी व्यापक रूप में शामिल हो जाती है।

जोधपुर जेल में नजरबन्द लोगों के मामलों की समीक्षा

*275. श्री इन्द्रजीत गुप्त :

श्री विजय कुमार यादव :

क्या गृह मन्त्री जोधपुर जेल में नजर बन्द लोगों के मामलों की समीक्षा करने के बारे में 7 अगस्त, 1987 के आन्तरिक प्रश्न संख्या 1834 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मामले पर विचार कर लिया गया है और कोई निर्णय ले लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो लिए गए निर्णय का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) और (ख). मामला विचाराधीन है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

नर्मदा घाटी विकास परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता

*276. **श्री दिलीप सिंह भूरिया : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) केन्द्रीय सरकार ने नर्मदा घाटी विकास परियोजनाओं के लिए चालू वित्तीय वर्ष में मध्य प्रदेश सरकार को कितनी धनराशि दी है ;

(ख) क्या सरकार का अगामी वर्षों में इन परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराने का विचार है ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री तथा जल संसाधन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख). वर्तमान नीति के अनुसार सिंचाई क्षेत्र में परियोजनाओं का वित्त पोषण राज्य योजनागत संसाधनों में से किया जाता है।

(ग) और (घ). प्रश्न ही नहीं उठते।

सिंचाई क्षमता का उपयोग

*277. **श्री कुमार सिंह : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या उपलब्ध सिंचाई क्षमता और उसके वास्तविक उपयोग के बीच अन्तर रहने से सम्बन्धित समस्याओं को पता लगाने तथा इस अन्तर को समाप्त करने हेतु उपयुक्त उपचारात्मक उपायों के बारे में सुझाव देने के लिए गठित किए गए सलाहकार दल ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इस दल ने क्या क्या सुझाव दिए हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ; और

(ग) यदि नहीं, तो प्रतिवेदन के कब तक दिए जाने की सम्भावना है ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री तथा जल संसाधन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग). योजना आयोग द्वारा गठित इस सलाहकार दल का मुख्य कार्य सृजित सिंचाई क्षमता तथा इसके उपयोग के बीच अन्तर की समस्या के सम्बन्ध में परामर्श देना तथा सूक्ष्म-स्तर पर नैदानिक अध्ययनों का संचालन करना है। अब तक, मार्गदर्शी आधार पर एक सूक्ष्म-स्तरीय अध्ययन आरम्भ किया गया है।

[अनुवाद]

भूमिगत जल स्रोतों का पता लगाने के लिए अन्तरिक्ष पर आधारित प्रौद्योगिकी

*278. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या कुछ सूखाग्रस्त क्षेत्रों में उपग्रह से प्राप्त सुदूर संवेदन आंकड़ों के आधार पर भूमिगत जल का पता लगाने के लिए कोई प्रयोग किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उसके क्या परिणाम निकले हैं ;

(ग) क्या सरकार का अन्तरिक्ष पर आधारित इस प्रौद्योगिकी का कुछ और सूखाग्रस्त क्षेत्रों में जल स्रोतों का पता लगाने के लिए प्रयोग करने का विचार है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मन्त्री तथा जल संसाधन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख). उपग्रह आधारित सुदूर संवेदन आंकड़ों का आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान तथा तमिलनाडु राज्यों में बहुत से सूखा प्रवण और सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में भूजल उपस्थिति, आगे और अन्वेषण हेतु उपयुक्त क्षेत्रों का पता लगाने तथा भेदन-छिद्रन स्थलों के निरूपण के परिचायक चित्रण लक्षणों के लिए सफलतापूर्वक उपयोग किया गया है ।

(ग) और (घ). आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान तथा गुजरात में भूजल सर्वेक्षणों तथा सूखा प्रभावित क्षेत्रों में भेदन-छिद्रनों के स्थलों के लिए इस प्रौद्योगिकी का त्वरित प्रयोग करने का प्रस्ताव है ।

दक्षता रोध के समय वेतनवृद्धि दी जाना

*279. **श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीक** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में मूल नियम 54 के अन्तर्गत निलम्बन की अवधि माफ कर दिए जाने के बाद दक्षता रोध के समय सरकारी कर्मचारियों को वेतन वृद्धि दिए जाने के बारे में निर्णय दिया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) न्यायालय के आदेशों को लागू करने के लिए जारी किए गए अनुदेशों का ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) से (ग). ऐसे किसी मामले में, जहां किसी सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी के सम्बन्ध में उसके सेवानिवृत्त हो जाने पर भूतलक्षी प्रभाव से दक्षतारोध पार किए जाने पर विचार किया था, उच्चतम न्यायालय ने 3-9-1987 को दिए गए अपने निर्णय में यह अभिमत व्यक्त किया है कि जब किसी सरकारी कर्मचारी को किसी पूर्वाग्रह युक्त आदेश द्वारा उसकी सेवानिवृत्ति के बाद दक्षता रोध स्तर के बाद भूतलक्षी प्रभाव से उसकी वेतनवृद्धियों से वंचित कर दिया गया था तो ऐसा आदेश जारी करने से पहले उसे अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए एक अवसर दिया जाना चाहिए था । उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धान्त नैसर्गिक न्याय के नियमों पर आधारित एक सुस्थापित सिद्धान्त है और प्रत्येक प्रशासनिक प्राधिकारी को इसका पालन करना चाहिए । इस निर्णय के अनुसरण में कोई निदेश जारी किए जाने की आवश्यकता नहीं है ।

समान नागरिक संहिता

*280. श्री शांता राम नायक : क्या विधि और न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का जिस समान नागरिक संहिता को अधिनियमित करने का विचार है उसके प्रारूप विधेयक को अन्तिम रूप दे दिया गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो प्रारूप को अन्तिम रूप देने में सरकार के समक्ष ऐसी कौनसी विशेष समस्याएं हैं, जिनके कारण इसमें विलम्ब हो रहा है ; और

(ग) क्या सरकार ने इस प्रस्ताव को अस्थायी तौर पर अथवा अनिश्चित काल के लिए स्थगित रखने का निर्णय लिया है ?

योजना मन्त्री, कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्री तथा विधि और न्याय मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) से (ग). सरकार एक समान सिविल संहिता बनाए जाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। सरकार की राय है कि ऐसा विधान लाए जाने के लिए आवश्यक वातावरण पूर्वापेक्षित है।

बैंक अपराधों को रोकने के लिए कदम

*281. डा० वी० वेंकटेश

श्री बालासाहिब विखे पाटिल :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय अपराध विज्ञान प्रयोगशाला ने बैंक अपराधों को रोकने के लिए विशिष्ट कदम उठाने का सुझाव दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और इस सम्बन्ध में कौन सी कार्यवाही की गई है ?

गृह मन्त्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

जम्मू और कश्मीर से प्राप्त हुए स्वतन्त्रता सेनानियों के पेंशन सम्बन्धी मामले

*282. प्रो० सैफुद्दीन सोज : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू और कश्मीर राज्य से स्वतन्त्रता सैनानियों को पेंशन की मंजूरी के लिए बड़ी संख्या में आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे ;

(ख) क्या इन आवेदन पत्रों की जांच करने के लिए एक समिति गठित की गई थी ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले और इन मामलों को कब तक निपटा दिया जाएगा ?

गृह मन्त्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) आवेदनों की प्राप्ति के लिए निर्धारित अन्तिम तारीख

तक स्वतन्त्रता सैनिक सम्मान योजना के अधीन पेंशन प्रदान करने के लिए जम्मू तथा कश्मीर से 3143 आवेदन प्राप्त हुए थे।

(ख) जी हां, श्रीमान्।

(ग) उस समय लम्बित 1398 आवेदनों को 11-10-83 को गठित की गई समिति को भेजा गया था। इनमें से समिति द्वारा आयोजित अपनी कुल 4 बैठकों में 733 मामलों की सिफारिश की थी। इनमें से 583 मामलों में पेंशन स्वीकृत की गई थी और शेष 150 मामलों को अस्वीकृत कर दिया गया था क्योंकि या तो समिति की सिफारिश सर्वसम्मति से नहीं की गई थी अथवा किसी विशिष्ट मामले में प्रमाणकर्ता पात्र नहीं था क्योंकि उसके द्वारा साबित की गई अपनी जेल यातना एक वर्ष से कम थी। शेष मामले जिनकी समिति द्वारा सिफारिश नहीं की अस्वीकृत कर दिए गए हैं।

भारत और पाकिस्तान के बीच सम्बन्धों को सुधारने के लिए बातचीत

*283. **श्री एच० एन० नन्जे गौडा**

श्री एस० बी० सिदनाल

क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और पाकिस्तान ने दोनों देशों के बीच सम्बन्धों में और सुधार करने के लिए अधिकारी स्तर पर बातचीत करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो किन-किन विषयों पर चर्चा किए जाने की सम्भावना है ;

(ग) सरकार दोनों देशों के बीच सम्बन्ध सुधारने के लिए क्या कदम उठाने पर विचार कर रही है ; और

(घ) दोनों देशों के बीच किन मुद्दों पर अब भी मतभेद है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) से (ग). दोनों देशों के बीच सम्बन्ध सुधारने के लिए भारत पाकिस्तान के साथ बराबर बातचीत करता रहा है। इस सन्दर्भ में उम्मीद है कि द्विपक्षीय और आपसी हित के अन्य मसलों के बारे में विचार-विमर्श करने के लिए भारत और पाकिस्तान के विदेश सचिव निकट भविष्य में मिलेंगे।

(घ) पाकिस्तान की ओर से कई नकारात्मक कार्रवाइयों से मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों में बाधा आई है, जैसे अस्त्रोन्मुख नाभिकीय कार्यक्रम का आक्रामक और चोरी-छिपे अनुसरण; अत्याधुनिक अस्त्रों के लिए इसकी बेतहाशा कोशिश ; भारत विरोधी उग्रवादी गतिविधियों में इसकी भागीदारी और दोनों देशों के लोगों के बीच सम्पर्कों के बढ़ाने की अनुमति देने के लिए इसकी अनिच्छा।

भुवनेश्वर में साफ्टवेयर निर्माण सुविधाएं

*284. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार भुवनेश्वर में साफ्टवेयर निर्माण की सुविधाएं प्रदान किए जाने के बारे में पिछले तीन वर्षों से केन्द्रीय सरकार से अनुरोध कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार ने क्या निर्णय किया है और इस बारे में कौन से कदम उठाये गए हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) जी, हां। भुवनेश्वर में साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी के कार्य-कलापों की सुविधाएं स्थापित करने के लिए, उड़ीसा सरकार मई, 1985 से भारत सरकार से अनुरोध कर रही है।

(ख) इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निम्नलिखित प्रारम्भिक कदम उठाए गए हैं :

(i) इलेक्ट्रॉनिकी विभाग के अन्तर्गत आने वाले राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र ने भुवनेश्वर में एक बहुत बड़े मेन फ्रेमकम्प्यूटर की प्रतिष्ठापना की है।

(ii) चार भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों में से एक संस्थान भुवनेश्वर में स्थापित करने की एक योजना उड़ीसा सरकार के प्रतिनिधियों के पूर्ण सहयोग से तैयार कर ली गई है। संस्थान के लिए भूमि का चयन कर लिया गया है।

(ii!) संयुक्य राज्य अमेरिका के छः शहरों में साफ्टवेयर निर्यात अभियान के लिए इलेक्क्ट्रॉनिकी विभाग के नेतृत्व में एक शिष्टमण्डल के साथ उड़ीसा कम्प्यूटर अनुप्रयोग केन्द्र नामक उड़ीसा सरकार के एक उद्यम के निदेशक संयुक्त अमेरिका गए थे। उक्त अधिकारी ने भुवनेश्वर के साफ्टवेयर निर्यात के लिए अनेकों भावी सहयोगकर्ताओं के साथ चर्चा की।

उपर्युक्त के अलावा, उड़ीसा सरकार ने उड़ीसा कम्प्यूटर अनुप्रयोग केन्द्र (उड़ीसा सरकार का उद्यम) की स्थापना भी की है।

[हिन्दी]

सरकारिया आयोग की सिफारिशों का कार्यान्वयन

*285. श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया :

डा० चिन्ता मोहन :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केन्द्र-राज्य सम्बन्धों के बारे में सरकारिया आयोग द्वारा की गई सिफारिशों से राज्य सरकारों को अवगत कराने का है ; यदि हां, तो कब ;

(ख) क्या इस आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को लागू करने के लिए कोई कार्यवाही योजना तैयार करने का भी विचार है ; और

(ग) क्या उक्त आयोग की रिपोर्ट सभा पटल पर रखने का भी विचार है ; यदि हां, तो कब ?

गृह मन्त्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) से (ग). सरकारिया आयोग ने हाल में ही सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इसमें केन्द्र-राज्यों के सम्बन्धों के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से विचार किया गया है। रिपोर्ट की प्रारम्भिक जांच की जा रही है तथा इसकी सिफारिशों पर अभी कोई दृष्टिकोण नहीं अपनाया जा सकता। रिपोर्ट को यथा-समय सभा पटल पर रखने के बारे में विचार किया जाएगा।

लहरियादार पैंकिंग उद्योग को सहायता

*286. श्री हरीश रावत : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने देश के पर्वतीय क्षेत्रों में लहरियादार पैंकिंग उद्योग को प्रोत्साहित करने हेतु कुछ विशेष वित्तीय सहायता देने के लिए कोई प्रावधान किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में ब्यौरा क्या है और उस पर्वतीय राज्य और क्षेत्र का क्या नाम है जहां यह सुविधा अब तक प्रदान की जा चुकी है ;

(ग) क्या उनके मन्त्रालय का उपर्युक्त सुविधाओं को उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र में प्रदान करने का विचार है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुख राम) : (क) कोई अलग प्रावधान नहीं किया गया है। हिमाचल प्रदेश को केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई है ताकि वह फलों की पैंकिंग के लिए लहरीदार (कारूगेटेड) फाइबर-बोर्ड डिब्बा परियोजना की स्थापना के वास्ते परियोजना के लिए सामान्य पंजी (इक्विटी) की व्यवस्था कर सकें।

(ख) हिमाचल प्रदेश ने सूचित किया है कि इस कारखाने में आयातित क्राफ्ट लाइनर से प्रतिवर्ष 20,000 मीट्रिक टन लहरीदार सीटों के उत्पादन की क्षमता होगी। प्रतिवर्ष 5 मिलियन डिब्बों के निर्माण के लिए एक केस मेकर की स्थापना भी की जाएगी। परियोजना पर 13.70 करोड़ रुपए की लागत आएगी।

(ग) तथा (घ). योजना आयोग अन्य राज्यों से परियोजना रिपोर्टों के प्राप्त होने पर उनकी जांच करेगा। जम्मू व कश्मीर से हाल ही में प्राप्त एक परियोजना रिपोर्ट की जांच की जा रही है। उत्तर प्रदेश से ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

कच्छ विकास बोर्ड

*287. श्रीमती उषा ठक्कर : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कच्छ विकास बोर्ड स्थापित करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) और (ख). कच्छ के लिए विकास बोर्ड की स्थापना करना सामान्यतः गुजरात सरकार के क्षेत्राधिकार में है। फिर भी यदि विकास बोर्ड का सन्दर्भ संविधान के अनुच्छेद 371(2) से है तो गुजरात सरकार से कोई विशिष्ट प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण इस समय भारत सरकार के विचाराधीन ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

पुलिस से न्यायिक शक्तियां वापस लेने की मांग

*288. प्रो० मधु दण्डवते : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली बार एसोसिएशन द्वारा पुलिस से समस्त न्यायिक अधिकार वापस लिए जाने सम्बन्धी हाल ही में की गई मांग पर विचार किया है और यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ख) क्या दिल्ली में पुलिस आयुक्त प्रणाली की पुनरीक्षा की जा रही है ?

गृह मन्त्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) दिल्ली प्रशासन को हाल में की गई किसी ऐसी मांग के बारे में कोई सूचना नहीं है।

(ख) दिल्ली में इस समय पुलिस आयुक्त प्रणाली में परिवर्तन करने का कोई विचार नहीं है।

समुद्र में जलमग्न द्वारिका नगर की खोज

2736. **डा० बी० एल० शैलेश** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में गुजरात में द्वारिका की प्राचीन बन्दरगाह में समुद्र में भगवान श्रीकृष्ण के पौराणिक नगर द्वारिका का पता चला है ;

(ख) यदि हां, तो क्या कुछ विशेषज्ञों ने इस प्राचीन नगर के भग्नावशेषों और यहां के समुद्र तल की स्थलाकृतिक विशेषताओं का अध्ययन किया है और यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं ;

(ग) क्या पोतों के कुछ शिल्पकलापूर्ण अवशेष भी पाये गए हैं और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ;

(घ) इन्हें तथा खुदाई के दौरान पाई गई अन्य वस्तुओं को किस प्रकार असुरक्षित रखने का विचार है ; और

(ङ) क्या राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान द्वारा इस क्षेत्र का "सोनार" सर्वेक्षण कराने का विचार है और यदि हां, तो कब ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां, महत्वपूर्ण उपलब्धियां इस प्रकार हैं—पथरीले शिलाखण्डों के जलमग्न भग्नावशेष जो 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के हैं, 8 मीटर की गहराई में मिले हैं और बाद के समय के 2 अन्य 4 5 मीटर गहरे पानी में मिले हैं। छिद्रित पथरीले लंगर, एक प्राचीन इण्डस प्रकार की मुद्रा और एक अभिलेखित जार तथा मिट्टी के बर्तन जो 14वीं 15वीं शताब्दी के हैं, मिले हैं।

(ग) जी, हां, काठ की नाव के कुछ हिस्से जो द्वारका के अन्तिम भाग में ध्वस्त हुए थे, दो लोहे के लंगर, धातु की एक प्लेट और मिट्टी के बर्तनों सहित पाए गए हैं।

(घ) वहनीय पुरावशेष गुजरात सरकार को सौंप दिए जायेंगे जब उक्त सरकार द्वारा प्रस्तावित समुद्री पुरातत्वीय संग्रहालय द्वारका में बना दिया जाएगा।

(ङ) अपेक्षित सुविधाएं प्राप्त होने पर इस क्षेत्र का सोनार सर्वेक्षण करने का प्रस्ताव है।

महानगरों की जनसंख्या

2737. श्री सैयद मसूदल हुसैन : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1981 की जनगणना के अनुसार देश के प्रत्येक महानगर की जनसंख्या कितनी थी; और

(ख) वर्ष 1981 की जनगणना के अनुसार देश के अन्य प्रमुख शहरों की जनसंख्या कितनी थी ?

गृह मन्त्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण-I में दी गई हैं।

(ख) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण-II में दी गई हैं।

विवरण-I

(क) 1981 की जनगणना के अनुसार देश में महानगरों/नगर समूहों (जिनकी जनसंख्या 10 लाख और अधिक है) की जनसंख्या

क्र० सं०	यू० ए०/शहर का नाम	जनसंख्या (1981)
1	2	3
1.	कलकत्ता (यू० ए०)	9,194,018
2.	ग्रेटर बम्बई (एम० सी०)	8,243,405
3.	दिल्ली (यू० ए०)	5,729,283
4.	मद्रास (यू० ए०)	4,289,347
5.	बंगलौर (यू० ए०)	2,921,751
6	अहमदाबाद (यू० ए०)	2,548,057
7.	हैदराबाद (यू० ए०)	2,545,836
8.	पूणे (यू० ए०)	1,686,109
9.	कानपुर (यू० ए०)	1,639,064
10.	नागपुर (यू० ए०)	1,302,066
11.	जयपुर (यू० ए०)	1,015,160
12.	लखनऊ (यू० ए०)	1,007,604

यू० ए० नगर समूहों और एम० सी० नगर निगम के लिए है।

विवरण-II

1981 की जनगणना के अनुसार देश के अन्य शहरों (जिनकी जनसंख्या एक लाख तथा अधिक और 10 लाख से कम हैं) की जनसंख्या

क्र० सं०	यू० ए०/शहर का नाम	जनसंख्या (1981)
1	2	3
1.	कोयम्बटूर (यू० ए०)	920,355
2.	पटना (यू० ए०)	918,903
3.	सूरत (यू० ए०)	913,806
4.	मदुरै (यू० ए०)	907,732
5.	इन्दौर (एम० कोर०)	829,327
6.	वाराणसी (यू० ए०)	797,162
7.	जबलपुर (यू० ए०)	757,303
8.	आगरा (यू० ए०)	747,318
9.	बड़ौदरा (यू० ए०)	744,881
10.	कोचीन (यू० ए०)	685,836
11.	धनबाद (यू० ए०)	678,069
12.	भोपाल (एम० सी०)	671,018
13.	जमशेदपुर (यू० ए०)	669,580
14.	इलाहाबाद (यू० ए०)	650,070
15.	उल्लासनगर (यू० ए०)	648,671
16.	तिरिचूरपल्लई (यू० ए०)	609,548
17.	लुधियाना (एम० को०)	607,052
18.	श्रीनगर (यू० ए०)	606,002
19.	विशाखापत्तनम (यू० ए०)	603,630
20.	अमृतसर (एम० को०)	594,844

1	2	3
21.	ग्वालियर (यू० ए०)	555,862
22.	कालीकट (यू० ए०)	547,058
23.	विजयवाड़ा (यू० ए०)	543,008
24.	मेरठ (यू० ए०)	536,615
25.	हुबली-धारवाड़ (को०)	527,108
26.	त्रिवेन्द्रम (यू० ए०)	520,125
27.	सेलम (यू० ए०)	518,615
28.	सोलापुर (यू० ए०)	514,860
29.	जोधपुर (एम०)	506,345
30.	रांची (यू० ए०)	502,771
31.	दुर्ग-भिलाई नगर (यू० ए०)	490,214
32.	मैसूर (यू० ए०)	479,081
33.	बरेली (यू० ए०)	449,425
34.	राजकोट (एम० सी०)	445,076
35.	नासिक (यू० ए०)	429,034
36.	चण्डीगढ़ (यू० ए०)	422,841
37.	जालंधर (एम० कोर०)	408,196
38.	ठाणे (यू० ए०)	289,801
39.	अजमेर (एम०)	375,593
40.	गंटूर (एम०)	367,699
41.	आसनसोल (यू० ए०)	366,424
42.	कोटा (एम)	368,241
43.	कोल्हापुर (यू० ए०)	351,392
44.	मुरादाबाद (यू० ए०)	345,350
45.	रायपुर (एम० सी०)	338,245

2	2	3
46.	वारंगल (एम०)	335,150
47.	फरीदाबाद कम्प्लेक्स प्रशासन	330,884
48.	कटक (यू० ए०)	327,412
49.	तिरूनेलवल्ली (यू० ए०)	323,344
50.	रुरकेला (यू० ए०)	322,610
51.	अलीगढ़ (एम० बी०)	320,861
52.	जामनगर (यू० ए०)	317,362
53.	औरंगाबाद (यू० ए०)	316,421
54.	दुर्गापुर (एन० ए०)	311,798
55.	भावनगर (यू० ए०)	308,642
56.	गोरखपुर (यू० ए०)	307,501
57.	मंगलौर (यू० ए०)	306,078
58.	बेलगांव (यू० ए०)	300,372
59.	सहारनपुर (एम० बी०)	295,355
60.	देहरादून (यू० ए०)	293,010
61.	बीकानेर (यू० ए०)	287,712
62.	गाजियाबाद (यू० ए०)	287,170
63.	झांसी (यू० ए०)	284,141
64.	उज्जैन (यू० ए०)	282,203
65.	इरौद (यू० ए०)	275,991
66.	सांगली (यू० ए०)	268,988
67.	राजामुंदरी (यू० ए०)	268,370
68.	बोकारो स्टील सिटी (यू० ए०)	264,480
69.	अमरावती (एम०)	261,404
70.	पाण्डेचेरी (यू० ए०)	251,420

1	2	3
71.	टूटीकोरीन (यू० ए०)	250,677
72.	गया (एम०)	247,075
73.	वैल्लौर (यू० ए०)	247,041
74.	मालेगांव (एम०)	245,883
75.	नैल्लौर (एम०)	237,065
76.	उदैपुर (एम०)	232,588
77.	खड़गपुर (यू० ए०)	232,575
78.	काकिंदा (एम०)	226,409
79.	अकोला (एम०)	225,412
80.	भागलपुर (एम०)	225,062
81.	जम्मू (यू० ए०)	223,361
82.	गुलबर्ग (एम०)	221,325
83.	भुवनेश्वर (एम०)	219,121
84.	तिरुपुर (यू० ए०)	215,859
85.	वळल्ले (एम०)	210,759
86.	सागर (यू० ए०)	207,479
87.	कुरनूल (एम०)	206,362
88.	पटियाला (यू० ए०)	206,254
89.	शाहजहांपुर (यू० ए०)	205,095
90.	रामपुर (एम० बी०)	204,610
91.	फिरोजाबाद (एम० बी०)	202,338
92.	बेल्लरी (एम०)	201,579
93.	देवांगेरे (एम०)	196,621
94.	नांदेड़ (एम०)	191,269
95.	मुजफ्फरपुर (एम०)	190,416

1	2	3
96.	विलासपुर (यू० ए०)	187,104
97.	तंजावुर (एम०)	184,015
98.	निजामाबाद (एम०)	183,061
99.	अहमदनगर (यू० ए०)	181,210
100.	दरभंगा (एम०)	176,301
101.	शिलोंग (यू० ए०)	174,703
102.	मुजफ्फरनगर (एम० बी०)	171,816
103.	नगरकोईल (एम०)	171,648
104.	त्रिचुर (यू० ए०)	170,122
105.	आलेपाई (एम०)	169,940
106.	इल्लुरु (एम०)	168,154
107.	क्यूलोंग (यू० ए०)	167,598
108.	वर्धमान (एम०)	167,364
109.	रोहतक (एम० सी०)	166,767
110.	दिन्दिगल (एम०)	164,103
111.	ब्रह्मापुर (एम०)	162,550
112.	सम्मलपुर (यू० ए०)	162,214
113.	फरुखाबाद कम फतेहगढ़ (यू० ए०)	160,796
114.	यमुनानगर (यू० ए०)	160,424
115.	मथुरा (यू० ए०)	159,498
116.	कन्नानोर (यू० ए०)	157,797
117.	इम्फाल (एम०)	156,622
118.	रत्लाम (यू० ए०)	155,578
119.	सिलीगुडी (एम०)	154,378
120.	शिमोगा (एम०)	151,783

1	2	3
121.	बिहार (एम०)	151,343
122.	बीजापुर (एम०)	147,313
123.	हरिद्वार (यू० ए०)	145,946
124.	अलवर (एम०)	145,795
125.	जलगांव (एम०)	145,335
126.	कांचीपुरम (यू० ए०)	145,254
127.	कोलारगोल्ड फील्ड (यू० ए०)	144,385
128.	फैजाबाद (यू० ए०)	143,167
129.	नाडियाड (एम०)	142,689
130.	कुम्बाकोनम (यू० ए०)	141,794
131.	बुरहानपुर (एम०)	140,986
132.	मछलीपटनम (एम०)	138,530
133.	पानीपत (एम० सी०)	137,927
134.	हिसार (यू० ए०)	137,369
135.	एकहालकरनजी (एम०)	133,751
136.	पोरबन्दर (यू० ए०)	133,307
137.	अगरतल्ला (एम०)	132,186
138.	भुसावल (यू० ए०)	132,142
139.	करनाल (एम० सी०)	132,107
140.	भद्रावती (यू० ए०)	130,606
141.	वधावन (यू० ए०)	130,602
142.	नावाद्वीप (यू० ए०)	129,800
143.	हावड़ा (यू० ए०)	129,610
144.	नवसारी (यू० ए०)	129,266
145.	मुंगेर (एम०)	129,260

1	2	3
146.	मिर्जापुर कम विंध्याचल (ए० बी०)	127,787
147.	कुडलोर (एम०)	127,625
148.	भटिण्डा (यू० ए०)	127,363
149.	आराह (एम०)	125,111
150.	राईचूर (एम०)	124,762
151.	गंगानगर (एम०)	123,692
152.	मुरवारा (यू० ए०)	123,017
153.	भीलवाडा (एम०)	122,625
154.	जालना (एम०)	122,276
155.	कटिहार	122,005
156.	अम्बाला (यू० ए०)	121,203
157.	जूनागढ़ (यू० ए०)	120,416
158.	अनंतापुर (एम०)	119,531
159.	तेनाली (एम०)	119,257
160.	रानीगंज (यू० ए०)	119,101
161.	पालघट (यू० ए०)	117,986
162.	गंडग-बेतिगिरि (एम०)	117,368
163.	चंद्रापुर (एम०)	115,777
164.	वालपराई (टी० एस०)	115,452
165.	हसपत (यू० ए०)	115,351
166.	भिवांडी (एम०)	111,298
167.	तिरुपती (एम०)	115,292
168.	पोलाची (यू० ए०)	114,971
169.	विजीयानगरम (एम०)	114,805
170.	खण्डवा (एम०)	114,725

1	2	3
171.	अमरोहा (एम० बी०)	112,682
172.	बालूघाट (यू० ए०)	112,621
173.	बारुच (यू० ए०)	112,524
174.	इटावा (एम० बी०)	112,174
175.	लटूर (एम०)	112,986
176.	छपरा (एम०)	111,564
177.	पठानकोट (एम० सी०)	110,039
178.	पूर्णनिया (यू० ए०)	109,875
179.	सोनीपत (एम० सी०)	109,369
180.	परभानी (एम०)	109,364
181.	ओण्डल (यू० ए०)	109,209
182.	आदोनी (एम०)	108,939
183.	टुम्कुर (एम०)	108,670
184.	सम्भल (एम० बी०)	108,232
185.	प्रोदातूर (एम०)	107,070
186.	पाटन (यू० ए०)	105,307
187.	भरतपुर (एम०)	105,274
188.	जौनपुर (एम० बी०)	105,140
189.	अम्बाला (एम० सी०)	104,565
190.	बुलंदशहर (एम० बी०)	103,436
191.	कुड्डापाह (एम०)	103,125
192.	सीकर (एम०)	102,970
193.	हापुड़ (एम० बी०)	102,837
194.	बहरामपुर (यू० ए०)	102,311
195.	बटाला (यू० ए०)	101,966

1	2	3
196.	बेरमो (यू० ए०)	101,946
197.	भीमावाराम (एम०)	101,894
198.	राजापलैयाम (एम०)	101,640
199.	भिवानी (एम० सी०)	101,277
200.	सीतापुर (एम० बी०)	101,210
201.	पुरी (एम०)	100,942
202.	गुरगांव (यू० ए०)	100,877
203.	रीवां (एम०)	100,641
204.	गोंदिया (एम०)	100,423
205.	माण्डया (एम०)	100,285
206.	कारेक्कुडी (यू० ए०)	100,141

प्रयोग किये गये संक्षिप्त अक्षर

यू० ए०	—	नगरसमूह
एम० कोर०	—	नगर निगम
एम० सी०	—	नगर पालिका नगर निगम
को०	—	निगम
एम०	—	म्युनिसिपैलिटी
एम० बी०	—	म्युनिसिपलिटी बोर्ड
टी० एस०	—	टाऊप शिप
एन० ए०	—	नोटिफाईड एरिया कमेटी

टिप्पणी : *असम में 1981 की जनगणना के समय विक्षुब्ध परिस्थितियां होने के कारण जनगणना नहीं हो सकी इसलिए इसमें असम के शहर/यू० ए० शामिल नहीं हैं।

बैंकों से पेंशन निकालने की सुविधा

2738. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को दिल्ली में स्थित अनुसूचित बैंकों से अपनी पेंशन लेने की सुविधा दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो यह सुविधा किस तारीख से दी गई थी ;

(ग) क्या यह सुविधा अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में भूतपूर्व केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को भी दी जाएगी ; और

(घ) यदि हां, तो यह सुविधा कब तक दिये जाने की सम्भावना है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री बीरेन सिंह ऍंगती) : (क) जी हां, पेंशन के भुगतान की सुविधा भारतीय स्टेट बैंक, इसके सहायक बैंकों तथा चौदह राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से उपलब्ध है। जिन छह बैंकों का 1980 में राष्ट्रीयकरण किया गया था, उन्हें भी पेंशन का भुगतान आरम्भ करने के लिए सूची में रखा जा रहा है।

(ख) से (घ). यह सुविधा पहली जुलाई, 1976 से चरणों में लागू की गई थी और पूरे भारत में केन्द्रीय सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारियों (डाक व तार से सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को छोड़कर) को उपलब्ध है।

अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए सचिव/विशेष सचिव के पदों का सृजन

2739. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि संघ राज्य क्षेत्र अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह में प्रशासन के लिए अक्तूबर, 1987 तक सचिव और विशेष सचिव के कितने पदों का सृजन किया गया ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिन्तामणि पाणिग्रही) : संघ शासित क्षेत्र अण्डेमान तथा निकोबार द्वीप समूह प्रशासन में 31 अक्तूबर, 1987 को मुख्य-सचिव तथा विकास आयुक्त के पदों समेत सचिवों के पांच पद विद्यमान थे। विशेष सचिव का कोई पद नहीं था।

जांच आयोगों की नियुक्ति

2740. **श्री पूर्ण चन्द्र मलिक** : क्या गृह मंत्री जांच आयोगों की नियुक्ति के बारे में 7 अगस्त, 1987 के तारांकित प्रश्न संख्या 1750 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जानकारी एकत्र कर ली है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) अभी नहीं श्रीमान्।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

वक्फ संस्थाओं को ऋण

2741. **श्री जी० एम० बनातवाला** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य में वक्फ सम्पत्तियों के विकास के लिए वक्फ संस्थाओं द्वारा केन्द्रीय वक्फ परिषद् से कुल कितनी ऋण-राशि की मांग की गई ;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य में ऋण के रूप में कितनी धनराशि दी गई तथा कितनी योजनाएं स्वीकृत की गई; और

(ग) क्या केन्द्रीय वक्फ परिषद् ने उपर्युक्त कुल मांग को पूरा करने के लिए किन्हीं योजनाओं पर विचार किया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

कल्याण मंत्रालय की राज्य मंत्री (डॉ० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी) : (क) केन्द्रीय वक्फ परिषद् द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार स्थिति इस प्रकार है :—

(लाख रुपयों में)

राज्य का नाम	1984-85	1985-86	1986-87
आन्ध्र प्रदेश	13.00	7.50	10.00
बिहार	6.34	4.41	5.64
कर्णाटक	5.00	27.15	32.98
केरल	3.00	—	—
मध्य प्रदेश	—	0.94	4.00
राजस्थान	5.00	--	—
तमिलनाडु	19.15	22.56	42.04
जोड़	51.49	62.56	94.66

टिप्पणी : उपर्युक्त आंकड़े, अनुमोदित योजनाओं के अन्तर्गत वक्फ संस्थाओं द्वारा मांगे गए ऋणों को दर्शित करते हैं।

(ख) केन्द्रीय वक्फ परिषद् ने निम्नलिखित सूचना प्रस्तुत की है :—

(लाख रुपयों में)

राज्य का नाम	1984-85		1985-86		1986-87	
	1	2	1	2	1	2
1	2	3	4	5	6	7
आन्ध्र प्रदेश	3.00	—	7.20	—	9.30	3
बिहार	6.34	—	1.27	1	5.64	2

1	2	3	4	5	6	7
कर्णाटक	5.00	—	19.15	4	38.38	5
केरल	3.00	—	—	—	—	—
मध्य प्रदेश	—	—	0.94	4	4.00	—
राजस्थान	5.00	—	—	—	—	—
तमिलनाडु	16.54	—	14.16	3	13.62	4
जोड़	38.88	—	43.02	12	70.94	14

संकेत—1. नई/चालू स्कीमों हेतु स्वीकृत ऋण राशि

2. वर्ष में स्वीकृत योजनाओं की संख्या

(ग) जी, नहीं। परिषद् के वर्तमान संसाधनों को इसकी वर्तमान प्रतिबद्धताएं पूरी करने के लिए पर्याप्त समझा गया है।

केरल, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा के उम्मीदवारों के पूर्व-वृत्त की जांच

2742. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार की दोहरी जांच नीति, जिसमें केन्द्रीय सेवाओं में केरल, पश्चिमी बंगाल और त्रिपुरा से आये उम्मीदवारों के चरित्र और पूर्व-वृत्त की विशेष जांच अपेक्षित थी, पर प्रतिबन्ध लगाने से पूर्व कितने उम्मीदवारों को नौकरियां नहीं दी गईं ;

(ख) क्या इस नीति पर प्रतिबन्ध लगाये जाने के बाद भी उक्त दोहरी नीति के अन्तर्गत उम्मीदवारों को परेशान किये जाने की घटनाएं सरकार के ध्यान में लाई गई थीं ;

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में प्राप्त अभ्यावेदनों का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बीरेन सिंह ऐंगती) : (क) जिन उम्मीदवारों को अतिरिक्त सत्यापन रिपोर्टों सहित प्रतिकूल पुलिस रिपोर्टों के कारण नौकरियां नहीं दी गई हैं, उनके ब्यौरे केन्द्रीकृत रूप में समेकित नहीं किये जाते और इसलिए वे उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) एक उम्मीदवार को नियुक्ति के प्रस्ताव से कथित रूप से वंचित किए जाने का एक मामला मार्च, 1987 में इंडियन एक्सप्रेस में दिया गया था।

(ग) और (घ). कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है। फिर भी, अखबार में दी गई रिपोर्ट के आधार पर मामले को सम्बन्धित प्रशासनिक मन्त्रालय के साथ उठाया गया है।

छोटा नागपुर में 'लिफ्ट' सिंचाई सुविधाएं

2744. **श्रीमती सुमति उरांव :** क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चालू पंचवर्षीय योजना में बिहार में छोटा नागपुर क्षेत्र में 'लिफ्ट' सिंचाई परियोजना के द्वारा सिंचाई सुविधाओं में सुधार करने सम्बन्धी प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है तथा इसके लिए कितनी केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री तथा जल संसाधन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : लिफ्ट सिंचाई स्कीमों समेत लघु सिंचाई स्कीमों का वित्त पोषण तथा क्रियान्वयन राज्य सरकारें करती हैं। केन्द्र सरकार कार्यक्रम को तेज करने के लिए सहायता प्रदान करती है। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए छोटे तथा सीमान्त किसानों को सहायता, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम इत्यादि केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के अन्तर्गत सम्पूर्ण लघु सिंचाई घटक के लिए सहायता दी जाती है ना कि कार्यवार।

पाक-जासूसों की गतिविधियां

2745. **श्री पी० पेंचालैया :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान के जासूस सीमा क्षेत्रों पर औषधियों और चरस की तस्करी करने में संलग्न हैं ;

(ख) क्या देश में इन जासूसों और राष्ट्र-विरोधी तत्वों के बीच कोई सम्पर्क हैं ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) से (ग). पंजाब सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार एक जनवरी, 1987 से जासूसी के आरोपों पर गिरफ्तार किए गए 13 व्यक्तियों ने औषधों की तस्करी से अंतर्ग्रस्त होना स्वीकार किया है। लेकिन उनमें से किसी ने भी चरस की तस्करी में शामिल होना स्वीकार नहीं किया। जम्मू तथा कश्मीर, राजस्थान और गुजरात के सम्बन्ध में अभी सूचना की प्रतीक्षा है।

महिलाओं के प्रति अपराध

2746. **श्रीमती बिभा घोष गोस्वामी :**

श्रीमती ऊषा चौधरी :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1987 के दौरान महिलाओं के प्रति किए गए अपराधों का राज्यवार संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है ; और

(ख) सरकार ने इन अपराधों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) वर्ष 1987 के दौरान महिलाओं के प्रति किए गए अपराधों के राज्य/संघ शासित क्षेत्रवार ब्यौरों का विवरण संलग्न (पृष्ठ 44—45) है।

(ख) महिलाओं के प्रति अपराधों के बारे में कानून को कड़ा बनाने के लिए दहेज निषेध अधिनियम, 1961 को 1984 और 1986 में संशोधित किया गया है। भारतीय दण्ड संहिता, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 में भी दहेज के कारण हुई मौत के मामलों के लिए ही नहीं बल्कि विवाहित महिलाओं के प्रति क्रूरता के मामलों से भी कारगर ढंग से निपटने के लिए संशोधन किए गये हैं। महिलाओं के प्रति अन्य आपराधिक मामलों अर्थात देह-व्यापार के लिए लड़कियों की अवैध बिक्री से बेहतर ढंग से निपटने के लिए "महिलाओं तथा लड़कियों में अनैतिक देह-व्यापार दमन अधिनियम" में संशोधन किया गया है और संशोधित अधिनियम अनैतिक देह-व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1986 के नाम से ज्ञात है। 'सति' को रोकने के लिए भी केन्द्रीय विधायन शीघ्र ही सदन के समक्ष लाने का प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

अनुकम्पा के आधार पर सरकारी नौकरी देना

2747. **श्री जनक राज गुप्त :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के पश्चात् उसकी पत्नी को अनुकम्पा के आधार पर सरकारी नौकरी दी जाती है ;

(ख) क्या अनुकम्पा के आधार पर सरकारी नौकरी प्राप्त करने के पश्चात् कोई विधवा महिला पुनः शादी कर सकती है ;

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या नियम हैं और कितने समय के बाद वह शादी कर सकती है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बीरेन सिंह एंगती) : (क) जी हां, बशर्ते कि परिवार दीनहीन अवस्था में हो और वह (दिवंगत कर्मचारी की पत्नी) भर्ती नियमों के अनुसार अर्हता प्राप्त हो।

(ख) तथा (ग). इस विभाग के दिनांक 30 जून, 1987 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 14014/6/86-स्था० (घ) के पैरा 8 के अनुसार, करुणामूलक आधार पर नियुक्त विधवा पुनर्विवाह के बाद भी सेवा में बनी रह सकती है। ज्ञापन की प्रति सभा पटल पर रखी जाती है [ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०-5160/87] अनुदेशों में कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

वर्ष 1986-87 के दौरान महिलाओं के प्रति सूचित किए गए अपराधों के मामलों की संख्या का विवरण

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	बलात्कार	अभद्र व्यवहार	चेन छीनना	महिलाओं और लड़कियों का अपहरण	महिलाओं से छेड़छाड़	दहेज के कारण हुई मौतें	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आन्ध्र प्रदेश	125	486	364	75	379	64	मई, 1987 तक
2.	अरुणाचल प्रदेश	5	6	शून्य	8	शून्य	शून्य	अगस्त, 1987 तक
3.	असम	174	60	1	112	2	1	जून, 1987 तक
4.	बिहार	उ०न०	उ०न०	उ०न०	उ०न०	उ०न०	उ०न०	उ०न०
5.	गोवा	10	8	8	2	शून्य	शून्य	सितम्बर, 1987 तक
6.	गुजरात	105	386	67	322	68	12	जुलाई, 1987 तक
7.	हरियाणा	14	41	2	20	32	7	फरवरी, 1987 तक
8.	हिमाचल प्रदेश	30	99	शून्य	68	1	2	सितम्बर, 1987 तक
9.	जम्मू और कश्मीर	27	203	शून्य	134	68	2	अप्रैल, 1987 तक
10.	कर्नाटक	109	516	100	65	37	44	अगस्त, 1987 तक

11. केरल	123	321	147	63	शून्य	शून्य	अगस्त, 1987 तक
12. मध्य प्रदेश	389	1163	उ०न०	218	130	58	मार्च, 1987 तक
13. महाराष्ट्र	517	1737	1080	462	178	84	अगस्त, 1987 तक
14. मणिपुर	8	16	शून्य	101	शून्य	शून्य	सितम्बर, 1987 तक
15. मेघालय	11	9	शून्य	11	शून्य	शून्य	जून, 1987 तक
16. मिजोरम	42	17	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	अगस्त, 1987 तक
17. नागालैण्ड	8	शून्य	शून्य	1	शून्य	शून्य	अगस्त, 1987 तक
18. उड़ीसा	142	325	14	92	32	1	अगस्त, 1987 तक
19. पंजाब	22	12	6	54	3	55	जुलाई, 1987 तक
20. राजस्थान	388	556	10	882	9	52	जुलाई, 1987 तक
21. सिक्किम	4	11	शून्य	1	शून्य	शून्य	अगस्त, 1987 तक
22. तमिलनाडु	153	505	360	239	567	39	अगस्त, 1987 तक
23. त्रिपुरा	30	24	शून्य	11	शून्य	1	सितम्बर, 1987 तक
24. उत्तर प्रदेश	783	1003	34	1120	1040	318	जुलाई, 1987 तक
25. पश्चिम बंगाल	234	150	46	155	33	41	जून, 1987 तक
26. अ० और नि० द्वीप समूह	5	13	शून्य	5	3	शून्य	अगस्त, 1987 तक

1	2	3	4	5	6	7	8	9
27.	चण्डीगढ़	3	5	1	25	6	शून्य	सितम्बर, 1987 तक
28.	दादरा और नगर हवेली	शून्य	4	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	सितम्बर, 1987 तक
29.	दिल्ली	90	89	38	564	1558	68	सितम्बर, 1987 तक
30.	दमण और द्वीप	उ०न०	उ०न०	उ०न०	उ०न०	उ०न०	उ०न०	उ०न०
31.	लक्षद्वीप	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	अगस्त, 1987 तक
32.	पाण्डिचेरी	5	6	5	2	शून्य	शून्य	सितम्बर, 1987 तक

टिप्पणी : आंकड़ों को अस्थाई समझा जाए।

उ० न० का अर्थ है उपलब्ध नहीं।

[अनुवाद]

ड्यूटी करते हुए मारे गए दिल्ली पुलिस के अधिकारियों को मुआवजा

2748. **श्री के० एस० राव : क्या गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली में ड्यूटी करते हुए पुलिस के कितने सिपाही तथा अन्य अधिकारी मारे गए ;

(ख) ड्यूटी करते हुए मारे गए प्रत्येक पुलिस कर्मी के परिवार को कुल कितनी धनराशि का मुआवजा दिया गया ; और

(ग) क्या सरकार का ड्यूटी करते हुए मारे गए पुलिस कर्मियों के परिवारों को दी जाने वाली मुआवजे की राशि में वृद्धि करने का विचार है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) से (ग). एक विवरण संलग्न है।

विवरण

पिछले 3 वर्ष अर्थात् 1 नवम्बर, 1984 से 31 अक्तूबर, 1987 के दौरान ड्यूटी देते समय मारे गए दिल्ली पुलिस के कार्मिकों के मामलों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं। परिवारों को दिए गए मुआवजे की राशि भी प्रत्येक मामले के सामने दी गई है :

(1) 4 अप्रैल, 1985 को जब कान्स्टेबल जगमाल सिंह हवलदार चांद राम को पकड़ने के लिए चांदपुर गांव गए थे, तब मारे गए। चांद राम ने पहले नरेला पुलिस स्टेशन के एक-निरीक्षक पर आक्रमण किया था।

कान्स्टेबल जगमाल सिंह की विधवा को उनके द्वारा लिए गए अन्तिम वेतन के बराबर पेन्शन दी गई है। दिल्ली पुलिस पारस्परिक लाभ निधि शोक संतप्त परिवार को 15,000 रु० की राशि भी दी गई है।

(2) 4 सितम्बर, 1985 को कान्स्टेबल विजेन्द्र सिंह आतंकवादियों द्वारा मारे गए जब वे श्री अर्जुन दास, सदस्य महानगर परिषद के वैयक्तिक सुरक्षा अधिकारी के रूप में ड्यूटी दे रहे थे।

कान्स्टेबल विजेन्द्र सिंह की विधवा को उनके द्वारा लिए गए अन्तिम वेतन के बराबर पेंशन दी गई है। अनुग्रह के रूप में 50,000 रु० की राशि भी स्वीकृत की गई है। इसके अतिरिक्त दिल्ली पुलिस पारस्परिक लाभ निधि में से 15,000 रु० की राशि दी गई है।

(3) कान्स्टेबल राजेन्द्र सिंह पुलिस दल के साथ फौजदारी मामले में एक अभियुक्त को पकड़ने के लिए जिला बुलन्दशहर में गांव पूरणनगर गए थे जहां उन पर गोली चलायी गयी और घावों के कारण 2 दिसम्बर, 1986 को उनकी मृत्यु हो गयी।

उनके द्वारा लिए गए अन्तिम वेतन के बराबर पेंशन मंजूर की गयी है। शोक संतप्त

परिवार को दिल्ली पुलिस पारस्परिक लाभ निधि में से 15,000 रु० की राशि भी दी गयी है।

(4) 25 अक्तूबर, 1986 को उप-निरीक्षक मानसिंह और कान्स्टेबल देसराज एक फौजदारी मामले की जांच-पड़ताल करने के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश के गांव शिराज-पुर गए थे जहां उन पर हमला किया गया और परिणामस्वरूप उन दोनों की मृत्यु हो गयी।

शोक संतप्त परिवारों को उनके द्वारा लिए गए अन्तिम वेतन के समान पेंशन स्वीकृत की गयी है। प्रत्येक शोक संतप्त परिवार के लिए दिल्ली पुलिस पारस्परिक लाभ निधि में से 15,000 रु० की राशि भी मंजूर की गयी है।

(5) कान्स्टेबल महेन्द्र सिंह को झगड़ा कर रहे दो युवकों को पकड़ते हुए छुरा घौंपा गया और परिणामस्वरूप 28 दिसम्बर, 1986 को उनकी मृत्यु हो गयी।

उनके द्वारा लिए गए अन्तिम वेतन के समान पेंशन स्वीकृत की गई है। दिल्ली पुलिस पारस्परिक लाभ निधि में से 15,000 रु० की राशि भी दी गई है।

सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की है कि ड्यूटी देते समय मारे गए व्यक्तियों के परिवारों को कोई कठिनाई न हो। इसके अतिरिक्त, ड्यूटी देते हुए दुर्घटनाओं में दिल्ली पुलिस के 21 कार्मिकों की मृत्यु हुई।

[हिन्दी]

दिल्ली में हाऊस टैक्स की नई प्रणाली

2749. **श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली नगर निगम ने हाऊस टैक्स की एक नई प्रणाली शुरू की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यह प्रणाली किस तारीख से लागू की गई है और कितने मूल्य तक के मकानों को हाऊस टैक्स से छूट दी गई है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चिन्तामणि पाणिग्रही) : (क) से (ग). 100 रुपए के बजाय 1000 तक के कर योग्य मूल्य की सभी आवासीय सम्पत्तियों को 1-4-1985 से सम्पत्ति कर और शैक्षिक उप कर की अदायगी से मुक्त कर दिया गया है। ग्रामीण क्षेत्र में 1 अप्रैल, 1986 से निजी कब्जे की सभी आवासीय सम्पत्तियां को सम्पत्ति कर से मुक्त कर दिया गया है।

[अनुवाद]

उत्तर प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में अलग पर्वतीय राज्य

2750. **श्री सैयद शाहबुद्दीन :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में एक अलग पर्वतीय राज्य बनाने के लिए आरम्भ किए गए आन्दोलन की जानकारी है ;

(ख) इस आंदोलन को चलाने वाले संगठन का क्या नाम है और नए राज्य में कौन-कौन से जिले मिलाने की मांग की जा रही है ;

(ग) क्या इस मांग को मनवाने के लिए दबाव डालने हेतु इस क्षेत्र में हाल ही में एक सभा का आयोजन किया गया था ; और

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों ने इस अन्दोलन के नेताओं के साथ कोई बात-चीत की थी ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिन्तामणि पाणिग्रही) : (क) से (घ). उत्तराखण्ड क्रांति दल नाम के एक संगठन ने उत्तर प्रदेश के आठ पर्वतीय जिलों अर्थात नैनीताल, अलमोड़ा, पिथौरागढ़, चमोली, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी, उत्तरकाशी और देहरादून को मिलाकर एक पृथक पर्वतीय राज्य बनाने के लिए एक आंदोलन शुरू किया है। उत्तराखंड क्रांतिदल द्वारा अगस्त, 1987 में एक 'बन्द' आयोजित किया गया। पृथक राज्य जैसी मांगे आर्थिक असंतुलन के कारण उत्पन्न होती हैं। भारत सरकार का विचार है कि किसी राज्य अथवा क्षेत्र विशेष में ऐसे असन्तुलनों को योजनाबद्ध तरीके से दूर किया जाना चाहिए और पृथक राज्य की स्थापना समस्या का कोई हल नहीं है।

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की महिला बटालियनें

2751. **श्रीमती ऊषा चौधरी :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल तथा कानून और व्यवस्था लागू करने वाली अन्य केन्द्रीय एजेन्सियों की महिला-विंग में कर्मियों की संख्या कितनी है ; और

(ख) कानून और व्यवस्था की विभिन्न स्थितियों में महिला-विंग ने कितनी बार कार्य किया ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की 83 संचलनात्मक बटालियनों में से एक महिला बटालियन हैं जिसमें 6 कम्पनियां हैं। महिला बटालियन अप्रैल, 1987 में परिचालन में आई। प्रत्येक कम्पनी की स्वीकृत संख्या में एक राजपत्रित अधिकारी है तथा 123 अन्य रैंक के कर्मचारी हैं। असम राइफल्स, सीमा सुरक्षा बल तथा भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस में कोई महिला बटालियन नहीं है।

(ख) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

अप्रैल, 87 से नवम्बर, 1987 तक की अवधि के दौरान राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में कानून तथा व्यवस्था की ड्यूटी के लिए तैनात के० रि० पु० ब० की महिला बटालियन

	दिल्ली	उ० प्र०	बिहार	मेघालय
अप्रैल, 1987	1 कम्प०	—	—	—
मई, 1987	3 कम्प०	3 कम्प०	—	—

	दिल्ली	उ० प्र०	बिहार	मेघालय
जून, 1987	2 कम्प०	3 कम्प०	1 कम्प०	—
जुलाई, 1987	3 कम्प०	3 कम्प०	—	—
अगस्त, 1987	3 कम्प०	3 कम्प०	—	—
सितम्बर, 1987	4 कम्प०	2 कम्प०	—	—
अक्तूबर, 1987	4 कम्प०	—	—	1 कम्प०
नवम्बर, 1987	5 कम्प०	—	—	1 कम्प०

राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड पर केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की अधिकारिता

2752. **डा० जी० विजय रामाराव :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड के कर्मचारियों की शिकायतों को दूर करने के लिए राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड को केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की अधिकारिता के अन्तर्गत लाने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो ऐसा कब तक किए जाने की सम्भावना है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेन्शन मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री बीरेन सिंह ऐंगती) : (क) ऐसा कोई विशेष प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है जिसमें राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड के कर्मचारियों को प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985 की अधिकारिता के अन्तर्गत लाए जाने के प्रयोजन से एक अधिसूचना जारी करने के लिए अनुरोध किया गया हो।

(ख) और (ग). केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व वाले अथवा उसके नियन्त्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उपक्रमों (राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड सहित) निगमों (अथवा सोसाइटियों) को प्रशासनिक अधिकरण की अधिकारिता में लाए जाने के लिए, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985 की धारा 14 (2) के अन्तर्गत तब तक अधिसूचना जारी नहीं की जा सकती जब तक कि केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण की न्यायपीठें अतिरिक्त कार्यभार सम्भालने के लिए पूरी तरह तैयार नहीं हो जाती हैं।

मध्य प्रदेश की बीना नदी परियोजना की लागत में वृद्धि

2753. **श्री नन्द लाल चौधरी :** क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थापित की जाने वाली प्रस्तावित बीना नदी परियोजना की बढ़ी हुई लागत कितनी है ;

(ख) इस परियोजना के अन्तर्गत कितने एकड़ भूमि की सिंचाई का प्रस्ताव है ; और

(ग) इस परियोजना को स्वीकृति देने के लिए अभी जो कार्यवाही अथवा जांच की जानी है, उसका ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री तथा जल संसाधन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) मध्य प्रदेश सरकार ने बीना परियोजना की बढ़ी हुई लागत का कोई अनुमान प्रस्तुत नहीं किया है।

(ख) 66,500 हेक्टेयर।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

नगर पालिका कर्मचारियों की वरिष्ठता के लिए पिछली सेवा को मानना

2754. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या गृह मन्त्री नगरपालिका कर्मचारियों के मामले में वरिष्ठता के लिए पिछली सेवा को माने जाने के बारे में 14 अगस्त, 1985 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3552 के उत्तर में दिए गए आश्वासन को कार्यान्वित करने सम्बन्धी वक्तव्य के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वे प्रशासनिक तथा वैधानिक कारण क्या हैं जिनके कारण उन कुछ जूनियर इंजीनियरों की वरिष्ठता के मामलों पर पुन: विचार करना सम्भव नहीं है जिनकी वरिष्ठता उनकी पिछली उस संगठन की सेवावधि का लाभ देकर निर्धारित की गई है जहां से वे त्यागपत्र देकर आए हैं और उन्हें बड़ी संख्या में उनसे वरिष्ठ जूनियर इंजीनियरों की सेवावधि का अधिक्रमण करके पदोन्नति प्रदान की गई है ;

(ख) क्या इन कारणों की विधि संगत उपबन्धों और संगत प्रशासनिक अनुदेशों को जिनमें स्पष्ट रूप से ऐसे लाभ देने पर प्रतिबन्ध लगाया गया है ध्यान में रखते हुए जांच की गई है ;

(ग) क्या पिछली सेवावधि का लाभ दिए जाने का इस प्रकार भी एकतरफा कार्यवाही के परिणामस्वरूप इन लोगों से अन्यथा वरिष्ठ बड़ी संख्या में जूनियर इंजीनियरों की सेवावधि का अधिक्रमण हो रहा है ;

(घ) क्या इस सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चिन्तामणि पाणिग्रही) : (क) से (ङ). दिल्ली नगर निगम को यह पहले ही कहा जा चुका है कि दि० न० नि०में सेवा शुरू करने पर उनके कुछ कर्मचारियों को वरिष्ठता के प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकारी विभागों/राज्य सरकारों/स्थानीय निकायों के अधीन की गई पिछली सेवा का लाभ देने की प्रथा नियमों के अनुसार नहीं है। उन्हें भविष्य में नियमों का सख्ती से पालन करने के निदेश दिए गए हैं।

जहां तक 1963 में भर्ती किए गए 2 कनिष्ठ अभियन्ताओं का सम्बन्ध है. प्रशासनिक रूप से इतने समय के बाद उनके मामलों पर पुन: कारंवाई करना सम्भव नहीं है।

उद्यम स्थापित करने के इच्छुक अनिवासी भारतीयों के लिए विशेष कक्ष

2755. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में उद्यम स्थापित करने के इच्छुक अनिवासी भारतीयों की सहायता के लिए एक विशेष कक्ष स्थापित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस सुविधा के अब तक क्या प्रभाव रहे हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन्) : (क) वित्त मन्त्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) के अधीन भारतीय निवेश केन्द्र को अनिवासी भारतीयों को भारत में निवेश से सम्बन्धित सभी प्रकार की सूचना उपलब्ध कराने के लिए एक केन्द्रीय अभिकरण के रूप में नामित किया गया है।

(ख) और (ग). इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है तथा छः कार्यालय विदेश में हैं। अनिवासी भारतीय निवेश नीति, औद्योगिक लाइसेन्स नीति, आयात-निर्यात नीति आदि से सम्बन्धित सूचना पुस्तिकाओं, सेमिनारों और कार्यशालाओं के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है। इस सुविधा का प्रभाव काफी उत्साहपूर्ण रहा है।

उड़ीसा में निर्माणाधीन सिंचाई परियोजनाएं

2756. **श्री चिन्तामणि जैना** : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय उड़ीसा में निर्माणाधीन मध्यम और बड़ी सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या इन परियोजनाओं का निर्माण बहुत ही धीमी गति से चल रहा है ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(घ) इन परियोजनाओं के क्या नाम हैं जिनके सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक पूरा हो जाने की सम्भावना है ; और

(ङ) परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री तथा जल संसाधन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) उड़ीसा में 7 बृहद तथा 31 मध्यम स्कीमें क्रियान्वयनाधीन हैं।

(ख) और (ग). कुछ मामलों में सीमित संसाधनों का बहुत सी परियोजनाओं में बंट जाना, श्रम तथा सामग्री की लागत में वृद्धि, भूमि अधिग्रहण में कठिनाइयां, कई बार भवन निर्माण सामग्री की अनुपलब्धता, कार्यान्वयन चरण पर परियोजना के क्षेत्र में परिवर्तन आदि के कारण निर्माण की प्रगति धीमी है।

(घ) 2 बृहद परियोजनाओं नामशः आनन्दपुर बराज तथा पोट्टेरू परियोजना और 23 मध्यम परियोजनाओं के लिए 1985 स्तर पर आगे ले जाए जाने वाली सम्पूर्ण लागतों का प्रावधान सातवीं योजना परिव्यय में किया गया है।

(ङ) राज्य सरकार से कहा गया है कि उपलब्ध संसाधनों के अनुकूलतम आबंटन के लिए परियोजनाओं की प्राथमिकताएं निर्धारित की जाएं तथा निर्माणाधीन परियोजनाओं को पूरा करने पर बल दिया जाए।

चम्बल नदी पर जलाशय का निर्माण

2757. **श्री मोहन भाई पटेल** : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंचाई के लिए चम्बल नदी के पानी को एकत्र करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या जलाशयों का निर्माण करने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री तथा जल संसाधन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) पहले से निर्मित की जा चुकी परियोजनाओं के अलावा चम्बल नदी के जल के संरक्षण के लिए कोई नए प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

मुख्य सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण की धीमी गति

2758. **श्री अमरसिंह राठवा** : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में निर्माणाधीन मुख्य सिंचाई परियोजनाएं कौन-कौन सी हैं ;

(ख) क्या इन परियोजनाओं के निर्माण की गति धीमी है ;

(ग) यदि हां, तो इसका क्या कारण है ;

(घ) निर्माण की धीमी गति के कारण लागत में हुई वृद्धि का ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) इन परियोजनाओं को समय पर पूरा किया जाना सुनिश्चित करने के लिए कौन से कदम उठाए गए हैं ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री तथा जल संसाधन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण-I तथा विवरण-II में दी गई है।

(ख) और (ग). अधिकांश निर्माणाधीन परियोजनाएं समय-अनुसूची से पिछड़ रही हैं। इसके मुख्य कारण हैं ; निर्माणाधीन परियोजनाओं का प्रचुरोद्भवन, फलतः सीमित संसाधनों का थोड़ा-थोड़ा बंट जाना, श्रम तथा सामग्री लागत में वृद्धि, भूमि अधिग्रहण में कठिनाईयां, कई बार भवन निर्माण सामग्री की अनुपलब्धता, कार्यान्वयन चरण में परियोजनाओं के क्षेत्र में परिवर्तन आदि।

(घ) इस प्रकार के अलग अनुमान नहीं रखे जाते।

(ङ) राज्य सरकारों से कहा गया है कि उपलब्ध संसाधनों के अनुकूलतम आबंटन के लिए परियोजनाओं की प्राथमिकता निर्धारित की जाए तथा निर्माणाधीन परियोजनाओं को पूरा करने पर बल दिया जाए। जहां भी सम्भव होता है संसाधनों में वृद्धि करने के लिए बाह्य सहायता की व्यवस्था भी की जा रही है।

विवरण-I

सातवीं योजना की निर्माणाधीन बृहद परियोजनाएं

क्र० सं०	परियोजना का नाम
1	2
आन्ध्र प्रदेश	
1.	नागार्जुनसागर
2.	श्री रामसागर-चरण-एक (पोचमपाद) तुंगभद्रा उ० स्त० नहर चरण-दो (अन्तं०)
3.	वम्बधारा चरण-एक
4.	वम्बाधारा चरण-दो
5.	गोदावरी बराज
6.	सोमासिला चरण-एक तथा दो
7.	निजाम सागर चरण-एक का सुधार
8.	सिंगुर
9.	येलेरू जलाशय
10.	श्री सेलम दायां तट नहर
11.	श्री सेचम बांया तट नहर
12.	तेलुगुगंगा
13.	पोलावरम बराज
14.	जुराला
असम	
15.	धनसिरी
16.	चम्पामती
बिहार	
17.	पश्चिमी कोसी नहर

1	2
18.	बागमती
19.	सुबर्ण रेखा (अन्तं०)
20.	उत्तरी कोइल जलाशय
21.	दुर्गावती जलाशय
22.	बारनेर जलाशय
23.	अपर कोइल जलाशय
24.	कोनार कपवर्तन
25.	तिल्लैया व्यपवर्तन
26.	बतेश्वर-स्थान पम्प सोपान-एक बाण सागर (अन्तं०)
27.	अजय बराज सिकतियां
गुजरात	
28.	दमनगंगा (अन्तं०)
29.	पानम
30.	साबरमती माही बजाजसागर (अन्तं०)
31.	करजन
32.	सुखी
33.	हेरन
34.	सिपू
35.	वातरक
36.	नर्मदा (सरदार सरोवर) (अन्तं)
37.	जंखारी
38.	सिधुम्बर
हरियाणा	
39.	प० य० नहर का पुनंरूपेण
40.	गुड़गांव नहर (अन्तं०)

1	2
41.	लोहारू लिफ्ट
42.	ज० ला० ने० लिफ्ट
43.	नया ताजे वाला बराज (अन्तं०) नया ओखला बराज (अन्तं०)
44.	स० य० लिंक नहर (अन्तं०)
45.	कोटला भिडवास, ओटू तथा मसानी बराज पर जल भण्डारण
46.	मेवाड़ तथा पटौदी क्षेत्र को सिंचाई तथा गुड़गांव, फरीदाबाद तथा नया औद्योगिक काम्पलेक्स को जल आपूर्ति स्कीम प्रदान करना
47.	नहर प्रणाली, लिफ्ट तथा एफ. सी. प्रणाली पर 1500 नए छिड़काव सिंचाई सेट प्रतिष्ठापित करके संरक्षण उपाय
जम्मू व काश्मीर	
48.	रावी तवी लिफ्ट सिंचाई काम्पलेक्स (क) रावी नहर (ख) सबिसीडियरी लिफ्ट सिंचाई स्कीमें (ग) तवी लिफ्ट नहर पर खालों का निर्माण
कर्नाटक	
49.	तुंगभद्रा बांध बांया तट नहर तुंगभद्रा-दांया तट नहर (अन्तं०)
50.	भाद्रा
51.	मालप्रभा
52.	हेमावती (योजनेतर)
53.	तुंगभद्रा उ० स्त० नहर-चरण-दो (अन्तं०)
54.	अपर कृष्णा चरण-दो (अन्तं०)
55.	काबिनी (योजनेतर)
56.	हरंगी (योजनेतर)
57.	घटप्रभा चरण-तीन
58.	करंजा

1	2
59.	बेनीघोरा
60.	हिपारगी बराज
61.	वरूणा (योजनेतर) दूधगंगा (अन्तं०)
केरल	
62.	पेरियार घाटी
63.	पम्बा
64.	चितरपुझा
65.	कुटिट्याडी
66.	कनिहारपुझा
67.	पजासी
68.	कलाडा
69.	मुवतुपुझा
70.	चिमोनी
71.	इदमलियार
मध्य प्रदेश	
72.	महानदी जलाशय
73.	कोलार
74.	पैरी
75.	सिंध-सोमान-एक
76.	रंगवान उ० स्त० नहर
77.	जोंक राजघाट (अन्तं०) (क) यूनिट-एक (ख) यूनिट-दो

1	2
78.	*बाणसागर (अन्तं०)*
	(क) यूनिट-एक
	(ख) यूनिट-दो
79.	बारगी
	(क) यूनिट-एक
	(ख) यूनिट-दो
80.	अपर वेनगंगा
81.	कोदार
82.	बरिभारपुर बांया तट नहर
	उर्मिल (अन्तं०)
	कालिसरार (अन्तं०)
83.	हसदेव बंगो
84.	हलाली
85.	थनवार
86.	अर्पा
87.	माही
88.	मान
89.	जोबात
90.	नर्मदा सागर (इन्दिरा सरोवर)
91.	सिंध-सोपान-दो
	बावन थाड़ी (अन्तं०)
महाराष्ट्र	
92.	खडकवासला
93.	कृष्णा
94.	भीमा
95.	कुकदी

1	2
96.	अपर गोदावरी चरण-एक
97.	वर्णा
98.	अपर तरापी चरण-एक एवं दो
99.	पेंच (अन्तं०)
100.	अपर पैनगंगा
101.	अपर वर्धा
102.	मंजरा
103.	दूधगंगा (अन्तं०)
104.	वगूर
105.	जायकवाडी-चरण-एक
106.	जायकवाडीं-चरण-दो
107.	अपर प्रावरा
108.	कालीसरार (अन्तं०)
109.	चस्कमान
110.	नमदूर मधमेश्वर
111.	लोअर दूधना
112.	भत्स
113.	सूर्या
114.	बावनथाड़ी (अन्तं०)
115.	इस्थापुरी
116.	तिल्लारी (अन्तं०)
117.	नीरादेवघर
118.	लेंडी
119.	लोअर पैनगंगा
120.	लोअर घिरना

1	2
121.	घोसी खुर्द (स्वरगांव)
122.	लोअर वर्धा
123.	लोअर बुना
124.	वान
125.	अरुणावती
126.	तुलतुली
127.	करवा
128	कोदाशी पर वीयर गेट
129.	संगोला शाखा नहर
130.	तेलोम्बा
131.	पुनाद
132.	हुमन
133	कोयना-कृष्णा लिफ्ट स्कीम
मणिपुर	
134.	लोकतक लिफ्ट सिंचाई
135.	लिंगदा सिंचाई
136.	थौबल
137.	खुगा
उड़ीसा	
138.	अपर इन्द्रावती
	(क) बांध
	(ख) सिंचाई
139.	रेंगाली
	(क) बांध
	(ख) सिंचाई
140.	आनन्दपुर बराज

1	2
141.	महानदी बीरूपा बराज
142.	अपर कोलाब
	(क) बांध
	(ख) सिंचाई
	सुवर्ण रेखा (अन्तं०)
पंजाब	
143.	यू० बी० डी० सी० ट्रेक में क्षेत्र को गैर पेरिनियल सिंचाई का विस्तार
144.	थीन बांध
145.	रावी व्यास के अधिशेष जल का उपयोग
	एस वाई एल नहर (अन्तं०)
राजस्थान	
146.	राजस्थान नहर चरण-I
147.	राजस्थान नहर चरण-II
148.	जाखम
	गुड़गांव नहर (अन्तं०)
149.	माही बजाज सागर (अन्तं०)
	(क) यूनिट-I
	(ख) यूनिट-II मूल कमान
	(ग) यूनिट-II अतिरिक्त कमान
	नई ओखला बराज (अन्तं०)
150.	कोटा बराज को ऊपर उठाना
151.	चम्बल लिफ्ट
	सरदार सरोवर (अन्तं०)
तमिलनाडु	
152.	परम्बीकुलम अलियार
153.	पेरियार वेगई प्रणाली चरण-दो का आधुनिकीकरण
154.	परम्बीकुलम अलियार परियोजना अयाकर विस्तार

1	2
उत्तर प्रदेश	
155.	गंडक नहर सोपान एक (अन्तर्राज्य)
156.	शारदा सहायक
157.	कोसी सिंचाई
158.	टेहरी बांध
159.	लखवर व्यासी बांध
160.	मध्य गंगा नहर चरण-1
161.	सरजू नहर (बांया तट घाघरा नहर)
162.	नई ओखला बराज (अन्तं०)
163.	पूर्वी गंगा नहर
164.	सुहेली
165.	भीमगोडा शीर्ष कार्य का पुर्नरूपेण
166.	राजघाट (अन्तं०)
	(क) बांध
	(ख) नहर
167.	शाहजद बांध
168.	जामरानी बांध
169.	उर्मिल बांध (अन्तं०)
170.	नारायणपुर पम्प नहर
171.	सोन पम्प नहर
172.	कनहर सिंचाई
173.	बेवार फीडर
174.	माधो टांडा
175.	मोडादा बांध
176.	जमानिया पम्प नहर

1	2
177.	मेजा बांध को ऊंचा उठाना
	बाणसागर (अन्तं०)
	(क) बांध
	(ख) म० प्र० में फीडर की वाहक प्रणाली
	(ग) उ० प्र० में वाहक प्रणाली
पश्चिमी बंगाल	
178.	दामोदर घाटी निगम के बराज तथा सिंचाई प्रणाली (विस्तार तथा सुधार)
179.	कैंम्सबती
180.	तीस्ता बराज सोपान-1
	चरण-1
दादरा तथा नागर हवेली (संघ क्षेत्र)	
	दमन गंगा (अन्तं०)
	गोवा दमन तथा दीव (संघ क्षेत्र)
	दमन गंगा (अन्तं०)
181.	सलौली
	तील्लारी (अन्तं०)

टिप्पणी—अन्तं०-अन्तर्राज्यीय परियोजनाएं (ये केवल एक राज्य में हैं)

विवरण-II

सातवीं योजना की नई परियोजनाएं-वृहद परियोजनाएं

क्र० सं०	परियोजना का नाम
असम	
1.	पुथीमारी
बिहार	
2.	गंडक सोपान-II
3.	कोसी पूर्वी नहर सोपान-II

क्र० सं०	परियोजना का नाम
4.	मासन बांध
5.	ओरंगा जलाशय
6.	पुनासी जलाशय
हरियाणा	
7.	बदवा सिंचाई
8.	नलबी सिंचाई
हिमाचल प्रदेश	
9.	शाहनहर (अन्तं०)
कर्नाटक	
10.	वराही
केरल	
11.	कक्काडावू
12.	बेपोर पुझा
मध्य प्रदेश	
13.	ओमकारेश्वर
उड़ीसा	
14.	हीराकुंड बांध को अतिरिक्त स्पिलवे
पंजाब	
	शाहनहर (अन्तं०)
	(व्यास नदी के तलवारा दायी ओर के नीचे एच पी क्षेत्र को सिंचाई प्रदान करना)
उत्तर प्रदेश	
15.	किशऊ बांध (अन्तं०)
पश्चिम बंगाल	
16.	तीस्ता बराज
	सो०-1 चरण II
17.	सुवर्णरेखा बराज
18.	कंगसावती
	सुवर्णरेखा (अन्तं०)

टिप्पणी—अन्तं०-अन्तंराज्यीय परियोजनाएं (ये केवल एक राज्य में हैं)

पंजाब में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए सर्वदलीय समिति

2759. **श्री नारायण चौबे :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में आतंकवाद एवं विघटनकारी शक्तियों से मुकाबला करने के लिए सर्वदलीय समिति गठित की गई है ;

(ख) यदि हां, तो समिति के दल-वार सदस्यों की संख्या कितनी है ;

(ग) यह समिति कब गठित की गई ;

(घ) समिति के गठन के समय से इसके द्वारा क्या कार्यक्रम तैयार किए गए ; और

(ङ) इनके कार्यक्रम के प्रति पंजाब के लोगों की क्या प्रतिक्रिया रही है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) से (घ). राज्य में आतंकवाद का मुकाबला करने और शांति बहाल करने तथा विकास की गति बढ़ाने के अभियान में लोगों का सहयोग प्राप्त करने हेतु बनाई गई ग्राम शांति और विकास समितियों की स्थापना और कार्य-प्रणाली की समीक्षा करने के लिए पंजाब के राज्यपाल की अध्यक्षता में 14 सितम्बर, 1987 को एक राज्य स्तरीय प्रबोधन समिति गठित की गई है जिसमें सभी राजनैतिक दलों और पंजाब के सभी मतों के प्रतिनिधि हैं। समिति के 19 गैर-सरकारी सदस्य हैं। दल-वार ब्यौरा निम्नलिखित हैं :—

कांग्रेस (आई)	4
अकाली दल	4
यू० ए० डी०	2
सी० पी० आई०	2
सी० पी० आई० (एम)	2
बी० जे० पी०	2
जनता पार्टी	2
रिपब्लिकन पार्टी	1
	19

समिति ने ग्राम शांति और विकास समितियों के कार्य में गांवों से भारी संख्या में लोगों को शामिल करने को सुनिश्चित करने के लिए राज्य के विभिन्न जिलों में बैठकें आयोजित करने का निर्णय किया है।

(ङ) कार्यक्रम के परिणाम उत्साहजनक रहे हैं तथा अधिकाधिक लोग राज्य में आतंकवाद का मुकाबला करने के कार्य में प्रशासन को सहयोग देने हेतु आगे आ रहे हैं।

पूर्वोत्तर क्षेत्रीय राजनैतिक पार्टियों से ज्ञापन

2760. श्री सी० जंगा रेड्डी :

श्री जी० एस० बसवराजू :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पूर्वोत्तर क्षेत्रीय राजनैतिक पार्टियों द्वारा कोई ज्ञापन दिया गया है ;

(ख) उस ज्ञापन में क्या मांगें की गई हैं ;

(ग) इन राज्यों में सीमापार से घुसपैठ को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं तथा इसके क्या परिणाम निकले हैं ; और

(घ) इन राज्यों में भारतीय नागरिकों पर भीतरी सीमा-रेखा सम्बन्धी पाबन्दी की मांग पर सरकार की क्या प्रतिक्रियाएं हैं तथा तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चिन्तामणि पाणिग्रही) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) ज्ञापन में की गई मांगे निम्नलिखित हैं :

(i) अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पार से घुसपैठ को रोकना ;

(ii) सभी विदेशी घुसपैठियों को बाहर निकालना ;

(iii) बाहरी व्यक्तियों की घुसपैठ को रोकने और नियमित करने के लिए समस्त क्षेत्र के लिए आन्तरिक रेखा प्रतिबन्ध लागू करना ;

(iv) बाहरी व्यक्तियों द्वारा भूमि हस्तान्तरण और अधिग्रहण को रोकने के लिए उपयुक्त कानून बनाना ;

(v) बाहरी व्यक्तियों के लिए व्यवसाय तथा रोजगार के अवसरों को प्रतिबन्धित करना ;

(vi) अन्तर्राष्ट्रीय आप्रवासन का प्रतिबन्धित और नियमित करने के लिए ऐसे अन्य कानून बनाना जिनकी हमारे संविधान की केन्द्रीय सूची की प्रविष्टी 81 के तहू परिकल्पना की गई है ।

इसके अतिरिक्त पूर्वोत्तर क्षेत्रीय राजनैतिक दलों के मंच ने समस्त पूर्वोत्तर क्षेत्र पर अनुच्छेद 371-क लागू करने और सभी अवैध प्रवेशकों को वापिस बंगला देश भेजने के लिए कदम उठाने का अनुरोध किया है । ज्ञापन में कहा गया है कि परिषद् के कार्य को प्रजातन्त्रीय बनाने और परिषद के प्रबन्ध तथा संचालन में पूर्वोत्तर व्यक्तियों के चुने हुए प्रतिनिधियों की आवाज और अधिक बुलन्द करने के लिए उत्तरपूर्वी परिषद अधिनियम को संशोधित करने की तुरन्त आवश्यकता है । मंच ने मांग की है कि अरुणाचल प्रदेश राज्य में निर्वाचन क्षेत्रों का सीमांकन किया जाए और बिना किसी विलम्ब के चुनाव कराए जाएं । उन्होंने यह भी मांग की कि सशस्त्र बल, विशेष शक्तियां (असम तथा नागालैंड) अधिनियम, 1958 को मणिपुर राज्य से तुरन्त समाप्त किया जाए और मणिपुर के सेनापति जिले में

सेना द्वारा आम लोगों पर किए गए कथित अत्याचारों के सम्बन्ध में मणिपुर पीपल्स पार्टी द्वारा प्रस्तुत किए गए ज्ञापन पर विचार किया जाए ;

(ग) सीमा पार से घुसपैठ को रोकने के लिए भारत-बंगलादेश सीमा पर सीमा सुरक्षा बल को तैनात कर दिया गया है। भारत-बंगलादेश सीमा की बार-बार गश्त लगाकर तथा विशेष नाकों और पर्यवेक्षण बुर्जों से निगरानी रखकर सुरक्षा की जाती है। सीमा सुरक्षा बल तथा राज्य प्राधिकार द्वारा चालू वर्ष (जून, 1987 तक) में बंगलादेश के सीमावर्ती राज्यों में पकड़े गए तथा वापिस भेजे गए घुसपैठियों की संख्या और राज्य पुलिस को जांच-पड़ताल तथा अभियोजन के लिए सौंपे गए व्यक्तियों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) इस समय आन्तरिक रेखा विनियम अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम तथा नागालैंड (कुछ हिस्सों को छोड़कर) में लागू है। उत्तर पूर्वी राज्यों के अन्य हिस्सों में इन विनियमानों के लागू करने पर समग्र परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाना है।

विवरण

सीमावर्ती राज्य	सीमा-सुरक्षा बल द्वारा पकड़े गए अवैध प्रवेश-कर्ताओं की संख्या	राज्य पुलिस को सौंपे गए व्यक्तियों की संख्या (कालम 2 में से)	वापिस भेजे गए व्यक्तियों की संख्या (कालम 2 में से)	राज्य एजेंसियों द्वारा सीमा सुरक्षा बल को वापिस भेजने के लिए सौंपे गए व्यक्तियों की संख्या	वास्तव में वापिस भेजे गए व्यक्तियों की संख्या (कालम 5 में से)
असम	157	39	118	814	814
मेघालय	85	36	49	139	13
त्रिपुरा	2826	152	2674	572	572
पश्चिम बंगाल	15804	633	15171	9482	9482
मिजोरम	23	23	—	—	—

टेलीविजन सेटों के लिए लीक्विड क्रिस्टल डिसप्ले स्क्रीन का विकास

2761. **श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को टेलीविजन सेटों के लिए लीक्विड क्रिसटल डिसप्ले स्क्रीनों के सम्बन्ध में इलेक्ट्रानिक कम्पोनेण्ट इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन के दृष्टिकोण की जानकारी है ;

(ख) क्या लीक्विड क्रिस्टल डिसप्ले स्क्रीनों पर विश्व में कहीं भी अनुसन्धान और विकास कार्य नहीं किया जा रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा किया है और सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) जी हां।

(ख) यह पता चला है कि विश्व की कुछ बड़ी कम्पनियां दूरदर्शन के लिए तरल क्रिस्टल प्रदर्श पर्दों के क्षेत्र में अनुसन्धान तथा विकास कार्य में लगी हुई हैं।

(ग) सरकार इस समय कैथोड-किरण पिक्चर ट्यूब की प्रौद्योगिकी पर आधारित दूरदर्शन रिसीवरों का विनिर्माण करने की नीति पर अमल कर रही है। तरल क्रिस्टल प्रदर्श पर्दों पर अधारित जो दूरदर्शन रिसीवर विश्व बाजार में उपलब्ध हैं, उनके पर्दे का आकार 5 से 7 से०मी० (2 से 3 इंच) है। यह पता चलता है कि बहुत से विकसित देशों में बड़े आकार के तरल क्रिस्टल प्रदर्श पर्दों के दूरदर्शन रिसीवरों का विकास करने के प्रयास अभी अनुसन्धान तथा विकास के चरण तक ही सीमित हैं, लेकिन अभी कुछ वर्षों तक इन्हें वास्तविक रूप दिए जाने की सम्भावना नहीं हैं।

स्वतन्त्रता सेनानियों को नि:शुल्क चिकित्सा सुविधाएं

2762. **श्री राम बहादुर सिंह :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का स्वतन्त्रता सेनानियों को नि:शुल्क चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने का प्रस्ताव है ;

(ख क्या ये प्रस्तावित सुविधाएं केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय कर्मचारियों को दी जाने वाली सुविधाओं के समान होंगी ; और

(ग) यदि नहीं, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चिन्तामणि पाणिग्रही) : (क) से (ग). सरकार स्वतन्त्रता सेनानियों और उनके आश्रितों को स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालय के नियन्त्रणाधीन केन्द्रीय सरकारी अस्पतालों और सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो के प्रशासनिक नियन्त्रण के अधीन केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रम द्वारा चलाए जा रहे अस्पतालों और औषधालयों में समूह "क" अधिकारियों के समान बहिरंग अन्तरंग नि:शुल्क चिकित्सा सुविधाएं पहले ही उपलब्ध करा रही है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय ने स्वतन्त्रता सेनानियों और उनके आश्रितों को केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवाएं योजना की सुविधाएं उपलब्ध कराने में अपनी असमर्थता जाहिर की है।

सामान की उठाईगिरी के मामले

2763. **श्री कमला प्रसाद सिंह** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत 12 महीनों में दिल्ली, नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों और राज्यों की राजधानियों के रेलवे स्टेशनों से सामान की उठाईगिरी के मामलों की स्टेशनवार संख्या क्या है ;

(ख) इस प्रकार के मामलों में वृद्धि होने के क्या कारण हैं ;

(ग) इनमें से कितने मामले हल किए गए हैं तथा अभी हल किए जाने वाले मामलों की संख्या क्या है ; और

(घ) इन्हें हल करने एवं रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा प्रबन्ध को मजबूत करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेन्शन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) दिल्ली में तीन रेलवे स्टेशनों के बारे में 1-11-86 से 31-10-1987 तक की अवधि और इसके समकालीन 1-11-1985 से 31-10-1986 तक की अवधि की अपेक्षित सूचना नीचे दी गई है :—

	1-11-86 से 31-10-87 तक	1-11-85 से 31-10-86 तक
थाना दिल्ली मेन	48	31
थाना नई दिल्ली	101	136
थाना हजरत निजामुद्दीन	9	12
जोड़	158	179

राज्यों की राजधानियों के रेलवे स्टेशनों के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध नहीं है

(ख) इसमें कोई वृद्धि नहीं हुई है।

(ग) 1-11-1986 से 31-10-87 की अवधि के दौरान सूचित किए गए 36 मामले हल कर लिए गए हैं, तथा 119 लापता दर्ज किए गए हैं। 3 मामलों की जांच-पड़ताल अभी पूरी नही की गई है ।

(घ) प्लेटफार्मों और यात्री कक्षों में वर्दी धारी पुलिस कार्मिकों द्वारा और सादे कपड़ों में भी गश्त कड़ी कर दी गई है ।

स्वयंसेवी संस्थाओं को विदेशी धन का सरणिकरण

2764. **श्री उत्तम राठौड़ :**

श्री सी० जंगा रेड्डी :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का स्वयंसेवी संगठनों को मिलने वाले विदेशी धन का केवल सरकारी एजेंसियों के माध्यम से सरणिकरण करने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेन्शन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) और (ख). सरकारी एजेंसियों के माध्यम से विदेशी अभिदाय

(विनियमन) अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत आने वाली एसोसिएशनों को प्राप्त होने वाले विदेशी अभिदान को नियन्त्रित करने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि इसमें व्यवहारिक कठिनाईयां हैं।

बजट में की गई कटौती का 20-सूत्री कार्यक्रम पर प्रभाव

2766. **श्री एस० एम० गुरड्डी :**

श्री एच० एन० नन्जे गौडा :

क्या **कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूखे के कारण केन्द्रीय सरकार द्वारा हाल ही में बजट में कटौती करने और व्यय में कमी करने के सम्बन्ध में जारी किए गए निदेशों का, 20-सूत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए आरम्भ की गई कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ;

(ख) यदि हां, तो व्यय में कमी किए जाने के अभियान से कौन कौन-सी योजनाएं प्रभावित हुई हैं ; और

(ग) योजनाओं पर किस सीमा तक भारी प्रभाव पड़ा है और ये योजनाएं कब तक पुनः आरम्भ की जाएंगी ?

योजना मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुख राम) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

तुंगभद्रा बांध से जल निकालना

2767. **श्री ई० अय्यप्पू रेड्डी :** क्या **जल संसाधन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तुंगभद्रा बोर्ड को आंध्र प्रदेश सरकार से कर्नाटक द्वारा तथा-कथित अनधिकृत रूप से अधिक जल निकालने के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) किसी राज्य को निर्धारित मात्रा से अधिक जल उपयोग करने से रोकने के लिए बोर्ड की शक्तियां क्या हैं ;

(ग) क्या निर्धारित मात्रा से अधिक जल उपयोग करने के मामलों से निपटने के लिए सरकार का तुंगभद्रा बोर्ड को पर्याप्त शक्तियां प्रदान करने का विचार है ;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री तथा जल संसाधन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ). कृष्णा जल विवाद अधिकरण द्वारा किए गए आवंटनों के अनुसार तुंगभद्रा बोर्ड सम्बन्धित राज्यों को जल की आपूर्ति का नियमन करता है। बोर्ड के अधीन मुख्य नहर से जल आपूर्ति

को कम करके तथा समय-समय पर अधिक उपयोग के समायोजन द्वारा अधिक जल के उपयोग को रोकने के बोर्ड को अधिकार हैं।

लघु उद्योग क्षेत्र में पर्सनल कम्प्यूटर उद्योग

2768. **श्री कृष्ण सिंह :**

श्री सी० माधव रेड्डी :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के समक्ष यह सुझाव है कि पर्सनल कम्प्यूटर उद्योग को संगठित उद्योग क्षेत्र से लेकर लघु उद्योग क्षेत्र के लिए आरक्षित कर दिया जाए ;

(ख) यदि हां, तो इस औद्योगिक कार्य-क्षेत्र को किस आधार पर लघु उद्योग क्षेत्र के लिए आरक्षित करने का प्रस्ताव है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में यदि कोई निर्णय लिया गया है, तो वह क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). ये प्रश्न ही नहीं उठते।

सरकार द्वारा चुनाव खर्च वहन करना

2769. **श्री के० प्रधानी :**

श्री सी० सम्बु :

क्या विधि और न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा चुनाव खर्च वहन करने के बारे में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विधि और न्याय मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) और (ख). निर्वाचन आयोग ने निर्वाचन-सुधार के सम्बन्ध में अपने प्रस्तावों के भागरूप यह सिफारिश की है कि धन-शक्ति की समस्या से निपटने के लिए यह आवश्यक है कि एक ऐसी स्कीम विकसित की जाए जिसके अधीन विधि सम्मत सभी निर्वाचन व्यय-भार राज्य सरकारों पर डाल दिया जाए। आयोग ने इस सम्पूर्ण विषय का गहन अध्ययन किए जाने का भी सुझाव दिया है।

विभिन्न देशों की जेलों में सजा भोग रहे भारतीय राष्ट्रिक

2770. **डा० ए० के० पटेल : क्या विदेश मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न देशों की जेलों में देश-वार कितने भारतीय राष्ट्रिक इस समय सजा भोग रहे है और वे कब से सजा भोग रहे हैं ;

(ख) सरकार ने उनकी रिहाई के लिए सम्बन्धित देशों के साथ देश-वार कितने मामले उठाए हैं ; और

(ग) प्रत्येक देश ने पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष में अब तक कितने भारतीय राष्ट्रिक रिहा किये हैं ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० नटवर सिंह): (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और इसे यथाशीघ्र सभापटल पर रख दिया जायेगा।

लेह में भारत-तिब्बत सीमा पुलिस के भवन परिसरों में पौधा-घरों का निर्माण

2771. **श्री पी० नामग्याल** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-तिब्बत सीमा पुलिस के भवन-परिसरों में अनेक पौधा-घरों (ग्लास हाउस) का निर्माण किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो इन पौधा-घरों की संख्या, विशेष विवरण, पूरा होने की तारीख, पौधा-घर पर व्यय की गई कुल लागत सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा इन पौधा-घरों के निर्माण का क्या प्रयोजन है ; और

(ग) क्या इन पौधा-घरों से कोई आय हुई है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(क) $200' \times 20'$ आकार के तीन सौर पौधा-घर। इनमें से 180 कि०मी० प्रतिघन्टा की तेज वायु की गति और 2 फीट तक बर्फ के बोझ को सहने की क्षमता है। इसमें 25 डिग्री सेन्टीग्रेड $\pm$ 5 डिग्री का तापमान बना रहता है चाहे बाहर का तापक्रम लगभग—30 डिग्री सेन्टीग्रेड तक गिर जाये।

पूरा होने की तारीख—11/86

पौधा घरों पर किया गया कुल व्यय—6.5 लाख रुपये

पौधा घर का उद्देश्य— ऊंची ढलानों पर सब्जियां उगाना इन सौर पौधा घरों का निर्माण भारत सरकार के गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोतों के विभाग द्वारा, प्रयोगात्मक आधार पर किया ताकि दूर-दराज की सीमा बाह्य चौकियों में सुविधाएं देने के लिए सौर ऊर्जा का अधिकतम उपयोग किया जा सके। भा० ति० सी० पु० द्वारा कोई व्यय नहीं किया गया।

(ग) पौधा घरों के काम का निरीक्षण किया जा रहा है। अतिरिक्त सुविधाएं अभी दी जानी है। अभी तक कोई आय नहीं हुई है।

ब्रिटेन के साथ प्रत्यर्पण संबंधी करार

2772. **श्री कमल नाथ** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन के साथ प्रत्यर्पण सम्बन्धी करार को अन्तिम रूप दे दिया गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) जी, नहीं।

(ख) यूनाईटिड किंगडम में भारत विरोधी आतंकवादी और उग्रवादी कार्रवाईयों से निपटने के उद्देश्य से किसी ठोस कानूनी प्रबन्ध पर समझौते के लिए भारत और यूनाईटिड किंगडम के विशेषज्ञों की जनवरी, 1986 से चार बार बैठक हो चुकी है। इस सम्बन्ध में एक प्रत्यपर्ण सन्धि के मसौदे पर विचार-विमर्श चल रहा है।

इस प्रत्यपर्ण सन्धि के मसौदे पर दोनों सरकारों के बीच मतभेद यद्यपि कुछ कम हुए हैं लेकिन अभी तक कोई समझौता नहीं हुआ है।

आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तारियां

2773. **श्री अरुण कुमार नेहरू :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में विशेषकर जम्मू और कश्मीर, गुजरात और तमिलनाडु में आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियक के अन्तर्गत कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों को इस अधिनियम के दुरुपयोग किए जाने और इसके अन्तर्गत शिक्षाविदों, राजनैतिक कार्यकर्ताओं और मजदूर नेताओं को परेशान किये जाने तथा नजरबन्द किये जाने के बारे में उनसे शिकायतें प्राप्त की है ; और

(ग) केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों का जनता को अनुचित रूप से तंग किये जाने को रोकने के लिए क्या कदम उठाये हैं/उठाने का विचार है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग). भारत सरकार को गुजरात सरकार के बारे में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थी। यह सुनिश्चित करने के लिए मामले को सरकार के साथ उठाया गया है कि आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम के उपबन्धों का कोई दुरुपयोग न हो।

विवरण

क्रम सं०	राज्य का नाम	अब तक आ० और वि० क्रि० अ० के अधीन गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की सं०	
1	2	3	
1.	*आन्ध्र प्रदेश		
2.	असम	43	(जून, 1987)

1	2		3
3.	अरुणाचल प्रदेश	शून्य	
4.	गुजरात	2234	(अक्तूबर, 1987)
5.	गोवा	7	(अक्तूबर, 1987)
6.	*हरियाणा		
7.	हिमाचल प्रदेश	8	(अगस्त, 1987)
8.	जम्मू और कश्मीर	274	(अगस्त, 1987)
9.	कर्नाटक	शून्य	
10.	महाराष्ट्र	92	(जुलाई, 1987)
11.	मणिपुर	83	(सितम्बर, 1987)
12.	पंजाब	2837	(सितम्बर, 1987)
13.	राजस्थान	25	(अक्तूबर, 1987)
14.	तमिलनाडु	शून्य	(जून, 1987)
15.	उत्तर प्रदेश	49	(सितम्बर, 1987)

*आन्ध्र प्रदेश तथा हरियाणा के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सूखा प्रवण क्षेत्रों में जल संसाधनों का विकास

2774. **श्री प्रकाश वी० पाटिल :** क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सूखा प्रवण घोषित जिलों में जल स्रोतों के विकास और उत्पादनकारी प्रयोग के लिए तैयार की गई योजनाओं का ब्योरा क्या है ; और

(ख) इन योजनाओं को किन-किन क्षेत्रों में कार्यान्वित किया गया है और योजनाओं का समस्या पर पड़े प्रभाव का ब्योरा क्या है ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री तथा जल संसाधन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख). सूखा प्रवण जिलों सहित जल संसाधनों के विकास तथा उत्पादक प्रयोग की आयोजना, वित्त पोषण और क्रियान्वयन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। लगभग सभी सूखा प्रवण जिलों के भागों में सिंचाई स्कीमें काम में ली गई हैं तथा ऐसी स्कीमें उनके कमान क्षेत्रों के लिए लाभप्रद सिद्ध हुई हैं।

विधि आयोग की सिफारिशें

2775. श्री टी० बशीर : क्या विधि और न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विधि आयोग से हमारी न्यायिक व्यवस्था का अध्ययन करने तथा इसमें आवश्यक सुधारों का सुझाव देने के लिए कहा है ;

(ख) क्या सरकार को विधि आयोग से कोई सिफारिशें प्राप्त हुई हैं ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

विधि और न्याय मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ). विधि आयोग ने सरकार को अभी तक निम्नलिखित आठ रिपोर्टें प्रस्तुत की हैं :—

(1) "ग्राम न्यायालय" सम्बन्धी 114वीं रिपोर्ट।

(2) "कर न्यायालय" सम्बन्धी 115वीं रिपोर्ट।

(3) "अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का सृजन" सम्बन्धी 116वीं रिपोर्ट।

(4) "न्यायिक अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए एक अकादमी की स्थापना" सम्बन्धी 117वीं रिपोर्ट।

(5) "अधीनस्थ न्यायालयों/अधीनस्थ न्यायपालिका में नियुक्त की पद्धति" सम्बन्धी 118वीं रिपोर्ट।

(6) मोटर दुर्घटना के शिकार व्यक्तियों के लिए "मोटर यान अधिनियम, 1939 के अधीन अनन्य निकाय" सम्बन्धी 119वीं रिपोर्ट।

(7) "न्याय प्रणाली में जनशक्ति-आयोजन: एक रूपरेखा" सम्बन्धी 120वीं रिपोर्ट।

(8) "न्यायिक पदों पर नियुक्ति के लिए एक नया निकाय" सम्बन्धी 121वीं रिपोर्ट।

114वीं से लेकर 118वीं रिपोर्ट तक की प्रतियां सदन के पटल पर रखी जा चुकी है। कुछ रिपोर्टें राज्य सरकारों को निर्देशित की गई हैं और उन पर उनके विचार मांगे गए हैं।

भारत के महासर्वेक्षक के कार्यालय से आंकड़ा पुस्तिका का खो जाना

2776. श्रीमती बैजयंती माला बाली : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत के महासर्वेक्षक के कार्यालय से सामरिक महत्व की आंकड़ा पुस्तिका के कथित रूप से खो जाने की जांच की है ;

(ख) यदि हां, तो जांच का ब्योरा क्या है ;

(ग) इनके गुम हो जाने के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) और (ख). भारतीय सर्वेक्षण विभाग के पास विभिन्न श्रेणियों के स्थलाकृतिक मानचित्रों, हवाई चित्रों और आंकड़ा पत्रों का बहुत बड़ी संख्या (लाखों में) में स्टाक उपलब्ध है। समय-समय पर स्टॉक की पड़ताल की जाती है और यदि कोई विसंगतियां हों तो निर्धारित कार्याविधि के अनुसार ही उनको दूर किया जाता है। पिछली स्टॉक जांच के दौरान कुछ विसंगतियां पाई गई थीं और उनमें से अधिकांश को ठीक कर लिया गया है। बाकी विसंगतियों को दूर करने की कार्यवाही निर्धारित कार्यविधि के अनुसार की जा रही है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग के रिकार्ड के अनुसार 82 पैम्फलेट पिछले महासर्वेक्षक के नाम पर जारी किए गए, दिखाए गए हैं। इनमें से कोई भी पैम्फलेट गोपनीय, गुप्त अथवा अति गुप्त की श्रेणी का नहीं है। इस मामले पर उनसे बात की जा रही है।

(ग) और (घ). बाकी विसंगतियों को दूर करने के प्रयास अभी भी जारी हैं। सुरक्षा उपायों को और अधिक कड़ा किया गया है।

मतदाताओं के लिए वाहन

2777. **श्री एन० डेनिस** : क्या विधि और न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उम्मीदवारों द्वारा मतदाताओं को खुले रूप में मतदान केन्द्रों पर लाने के लिए वाहनों की व्यवस्था करने की प्रथा की जानकारी है ; और

(ख) क्या सरकार का इस प्रथा को रोकने के लिए कोई कदम उठाने का विचार है ?

विधि और न्याय मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) और (ख). किसी मतदान केन्द्र तक या वहां से (स्वयं अभ्यर्थी, उसके कुटुम्ब के सदस्य या उसके अभिकर्ता से भिन्न) किसी निर्वाचक के मुफ्त प्रवहण के लिए किसी यान को अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता द्वारा या अभ्यर्थी अथवा उसके निर्वाचन अभिकर्ता की सम्मति से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भाड़े पर लेना या उपाप्त करना अथवा उपयोग करना, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 12 : (5) के अधीन भ्रष्ट आचरण है। तथापि, राजनैतिक दलों, जनसाधारण और अभ्यर्थियों से लगातार प्राप्त हो रही इस शिकायत को देखते हुए कि विधि के पूर्वोक्त उपबन्धों का उल्लंघन बिना किसी भय के किया जा रहा है, निर्वाचन आयोग ने मतदान के दिन यान चलाने और उनके विनियमन के सम्बन्ध में मुख्य सचिवों और मुख्य निर्वाचन आफिसरों को विस्तृत स्थायी अनुदेश जारी किए हैं। राजनैतिक दलों को भी इसके सम्बन्ध में सूचित कर दिया गया है।

पश्चिम बंगाल में परमाणु ऊर्जा एकक की स्थापना

2778. **श्री सत्यगोपाल मिश्र** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में परमाणु ऊर्जा एकक की स्थापना करने के प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई निर्णय लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) से (घ). परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थल चयन समिति ने पूर्वी विद्युत क्षेत्र में, जिसमें पश्चिमी बंगाल का मिदनापुर जिला भी शामिल है, स्थलों का अध्ययन परमाणु बिजलीघर लगाने के लिए उनकी उपयोगिता का पता लगाने की दृष्टि से किया है। स्थल चयन समिति की रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है।

आन्ध्र प्रदेश को केन्द्रीय सहायता

2779. **श्रीमती एन० पी० झांसी लक्ष्मी** :

श्री गुरुदास कामत :

क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा आंध्र प्रदेश सरकार को आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है ;

(ख) आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा पिछले दो वर्षों के दौरान मांगी गई सहायता का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) आंध्र प्रदेश सरकार को इस समस्या से निपटने के लिए पर्याप्त सहायता न दिए जाने के क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेन्शन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) से (ग). उग्रवादियों के आतंक को रोकने के लिए के० रि० पु० बल को तैनात करने हेतु आंध्र प्रदेश सरकार से 1985 में अनेक बार और सितम्बर, 1987 में एक बार अनुरोध प्राप्त हुए थे लेकिन केन्द्रीय बल उपलब्ध न होने के कारण इनकी व्यवस्था नहीं की जा सकी। फिर भी, उग्रवादियों की गतिविधियों को रोकने के लिए राज्य पुलिस को बेहतर हथियारों से लैस किया गया है।

उच्च शक्ति वाले कम्प्यूटर की सुविधा से युक्त केन्द्रीय संसाधन एकक की स्थापना

2780. **श्री के० राममूर्ति** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एक उच्च शक्ति वाले कम्प्यूटर की सुविधा से युक्त केन्द्रीय संसाधन एकक की स्थापना में विलम्ब के क्या कारण हैं जिसकी स्थापना मे वैज्ञानिक पत्रिकाओं के फारमेट के मानिकीकरण और मशीन द्वारा पठनीय प्रपत्र में मुद्रित सूचना पर पूर्ण नियन्त्रण रखने में सहायता मिलेगी ; और

(ख) विज्ञान और प्रौद्योगिकी में द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय सहयोग से सम्बन्धित सभी प्रकार के आंकड़ों के लिए एक समेकित सूचना प्रणाली की स्थापना करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय में उच्च-शक्ति प्राप्त कम्प्यूटर वाली एक ऐसी केन्द्रीय संसाधन इकाई की स्थापना करने की कोई योजना नहीं है, जिससे वैज्ञानिक पत्र-पत्रिकाओं के फार्मेट के मानकीकरण में और मशीन पठनीय रूप में मुद्रित सूचना पर पूर्ण नियन्त्रण प्राप्त करने में सहायता मिल सके।

बहरहाल, भारत सरकार ने यूनेस्को से प्राप्त एक अनुरोध के प्रत्युत्तर में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अधीन भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक प्रलेखन केन्द्र को 1985 में अन्तर्राष्ट्रीय श्रृंखला आंकड़ा प्रणाली के लिए भारतीय राष्ट्रीय केन्द्र के रूप में पदनामित किया था। अन्तर्राष्ट्रीय श्रृंखला आंकडा प्रणाली, ज्ञान के सभी क्षेत्रों में विश्व श्रृंखला प्रकाशनों के मशीन-पठनीय आंकड़ा आधार के सृजन और अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है। भारतीय राष्ट्रीय केन्द्र, अन्तर्राष्ट्रीय श्रृंखला आंकड़ा प्रणाली द्वारा निर्धारित मानकों और मार्ग-निर्देशों के अनुसार श्रृंखलाओं के रिकार्ड रखता है और उन्हें श्रृंखला प्रकाशनों के विश्व रजिस्टर में समाहित करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय श्रृंखला आंकड़ा प्रणाली के अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र को आपूर्ति कराता है। भारतीय राष्ट्रीय केन्द्र विश्व रजिस्टर को अन्तर-राष्ट्रीय श्रृंखला आंकड़ा प्रणाली से चुम्बकीय टेप पर प्राप्त करेगा और सूचना पुनः प्राप्ति के लिए इनहाउस कम्प्यूटर प्रणाली का प्रयोग करेगा।

(ख) पी०सी० के रूप में हार्डवेयर की खरीद कर ली गई है ; साफ्टवेयर का विकास किया जा रहा है तथा आंकड़ों की कम्प्यूटर-पठनीय फार्मेट में जांच की जा रही है।

नरेला में पुलिस द्वारा गोली चलाना

2781. **श्री एम० रघुमा रेड्डी :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 28 अक्तूबर, 1987 को दिल्ली में नरेला में पुलिस द्वारा अकारण गोली चलाई गई थी ;

(ख) यदि हां, तो पुलिस द्वारा किस कारण गोली चलाई गई ;

(ग) पुलिस की गोलियों से कितने व्यक्ति घायल हुए और कितने मारे गए ;

(घ) क्या इस घटना की इस बीच कोई जांच आरम्भ कराई गई है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) और (ख). 28-10-1987 को प्रातः 6.15 बजे पुलिस स्टेशन नरेला को एक डकैती डाले जाने के बारे में टेलीफोन पर सूचना प्राप्त हुई। 2 उपनिरीक्षक घटनास्थल पर पहुंचे और घायलों को अस्पताल पहुंचाने का प्रबन्ध किया। जब थानेदार घटनास्थल पर पहुंचे तो उन्हें भीड़ ने घेर लिया तथा उनके साथ हाथापाई की। उन्होंने एक स्कूल में शरण ली जहां भीड़ ने उन्हें जिन्दा जलाने की धमकी दी। अपर पुलिस उपायुक्त (उत्तर) तथा सहायक पुलिस आयुक्त थाने-

दार को बचाने हेतु घटनास्थल पर पहुंचे। थानेदार को बचाने के लिए अपर पुलिस आयुक्त को गोली चलानी पड़ी।

भीड़ ने पुलिस की जीप, पुलिस एम्बुलेंस को आग लगा दी तथा दिल्ली परिवहन निगम की बसों को क्षतिग्रस्त कर दिया। पुलिस पर भीड़ द्वारा भारी पत्थरबाजी की गई और बड़ी संख्या में पुलिस कार्मिक घायल हुए। जब अश्रु गैस कारगर सिद्ध नहीं हुई तो भीड़ को तितर-बितर करने के लिए लाठी प्रहार और गोली बारी का सहारा लिया गया।

(ग) इस घटना में एक व्यक्ति मारा गया और 6 अन्य जख्मी हुए। 20 पुलिस कर्मचारी और 4 राजपत्रित पुलिस अधिकारी भी जख्मी हुए।

(घ) और (ङ). मजिस्ट्रेट द्वारा जांच किए जाने के आदेश दिए गए हैं।

[हिन्दी]

उच्च न्यायालय में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के न्यायाधीश

2782. श्री राम भगत पासवान : क्या विधि और न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक उच्च न्यायालय में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कितने न्यायाधीश हैं ; और

(ख) उच्च न्यायालयों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधिक न्यायाधीश नियुक्त किए जाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

विधि और न्याय मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) उच्च न्यायालयों की रजिस्ट्रियों से अपेक्षित जानकारी इकट्ठी की जा रही है और प्राप्त हो जाने के पश्चात् वह सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) सरकार ने राज्यों के मुख्य मन्त्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों को पत्र लिखा है जिसमें यह अनुरोध किया गया है कि वे विधि व्यवसाय में लगे अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यक समुदायों तथा महिला वर्ग ऐसे व्यक्तियों का चयन करें जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त हैं जिससे कि उन्हें उच्च न्यायालय में वर्तमान की तुलना में बेहतर प्रतिनिधित्व दिया जा सके।

[अनुवाद]

बिहार की लम्बित पड़ी सिंचाई योजनाएं

2783. डा० गौरी शंकर राजहंस : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार की उन बड़ी और मध्यम सिंचाई योजनाओं के नाम क्या हैं और उनकी संख्या कितनी है जो केन्द्रीय सरकार के पास मंजूरी के लिए लम्बित पड़ी हैं और इनके लिए कितनी धनराशि की आवश्यकता है और ये कब से लम्बित पड़ी हैं ;

(ख) बिहार में क्रियान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं के नाम क्या हैं ; और

(ग) प्रत्येक परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है और इनके कब तक पूरा होने की सम्भावना है ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री तथा जल संसाधन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग). 12 वृहद तथा 13 मध्यम सिंचाई परियोजनाएं 1974 में प्राप्त हुई हैं ; इनकी अनुमानित लागत लगभग 900 करोड़ रुपये है । कुल 58 क्रियान्वयनाधीन परियोजनाओं में से तीस से ऊपर परियोजनाओं के चालू वर्ष में पूरा हो जाने की सम्भावना है ।

केरल में अनाज और दूध की खपत

2784. **श्री के० मोहन दास :** क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में प्रति व्यक्ति अनाज और दूध की खपत कितनी है ;

(ख) अन्य राज्यों की तुलना में यह कितनी है ; और

(ग) उन राज्यों में जहां इनकी खपत राष्ट्रीय औसत से कम है, उनकी खपत बढ़ाने के लिए कौन से कदम उठाए गए हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुख राम) : (क) राष्ट्रीय पोषाहार प्रबोधन ब्यूरो (एन० एन० एम० बी०) की रिपोर्टों (1982) के अनुसार केरल में दूध तथा अनाज की प्रति व्यक्ति खपत क्रमशः 79 मिली लीटर और 369 ग्राम है ।

(ख) केरल सहित जिन 8 राज्यों में सर्वेक्षण किया गया था, वहां दूध और अनाज की प्रति व्यक्ति खपत की स्थिति नीचे दी गई है :

	राज्य	दूध (मि० ली०)	अनाज (ग्राम)
1.	केरल	79	369
2.	तमिलनाडु	34	479
3.	कर्नाटक	77	645
4.	आन्ध्र प्रदेश	75	479
5.	महाराष्ट्र	75	451
6.	गुजरात	252	454
7.	उड़ीसा	9	556
8.	पश्चिम बंगाल	22	548
	औसत	**78**	**498**

(ग) छठी और सातवीं योजनावधियों के दौरान और दूध की खपत में वृद्धि करने के वास्ते

कई कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। समूचा कृषक क्षेत्रक फसल उत्पादन के गुणात्मक और परिमाणात्मक पहलुओं में सुधार करने और फसल कटाई के बाद की प्रौद्योगिकी में सुधार करने की ओर ध्यान दे रहा है, ताकि हानि को न्यूनतम किया जा सके। इसके अलावा, कमजोर वर्गों को दालों से भिन्न अनाज देने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली का तेजी से विस्तार किया जा रहा है। इसके साथ-साथ, ग्रामीण विकास तथा अन्य क्षेत्रकों के अन्तर्गत आय और रोज़गार सृजन के विभिन्न कार्यक्रमों को शुरू करके ग्रामीण लोगों की क्रय शक्ति बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

पशु पालन के विभिन्न कार्यक्रमों के जरिये दूध के उत्पादन में वृद्धि करने का प्रस्ताव है। दूध उत्पादन में वृद्धि करने के लिए पशुओं की क्रास-ब्रीडिंग, संतुलित चारे की व्यवस्था, पशुओं के स्वास्थ्य की देखभाल सहित आधुनिक पशुधन प्रबंध को प्राथमिकता दी जा रही है। इसके, अलावा, दूध और दूध-उत्पादों के संग्रह, प्रोसेसिंग तथा वितरण के लिए दुग्ध उत्पाद प्रौद्योगिकी का आधुनिकीकरण किया जा रहा है और उसे कार्यान्वित किया जा रहा है। शिक्षा और प्रचार के जरिए, विशेषकर स्तनपान कराने वाली माताओं और बच्चों में दूध तथा अनाज की खपत में वृद्धि करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

मोबाइल सिविल इमरजेंसी फोर्स

2785. श्री स्वामी प्रसाद सिंह : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मोबाइल सिविल इमरजेंसी फोर्स को समाप्त करने का निर्णय लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) जी हां, श्रीमान। परन्तु कर्मचारियों को अन्य केन्द्रीय पुलिस संगठनों में खपा लिया जाएगा।

(ख) सरकार के मोबाइल सिविल इमरजेंसी फोर्स को समाप्त करने के निर्णय के कारण इस प्रकार हैं :

(i) कुछ समय से उसके द्वारा कोई सार्थक कार्य नहीं किया जा रहा था।

(ii) इसके द्वारा समय-समय पर जो भी कार्य किए गए वे होमगार्ड द्वारा किये जा सकते थे।

[हिन्दी]

टेलीविजन पिक्चर ट्यूब

2786. प्रो० चन्द्र भानु देवी : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985-1986 में और 30 सितम्बर, 1987 तक टेलीविजन की कितनी पिक्चर ट्यूबों का आयात किया गया ; और

(ख) उक्त अवधि में देश में कितनी टेलीविजन पिक्चर ट्यूबों का निर्माण किया गया ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) वर्ष 1985, 1986 तथा 1987 (सितम्बर तक) के दौरान उत्पादित दूरदर्शन सेटों में प्रयुक्त होने वाली आयातित पिक्चर ट्यूबों की अनुमानित मात्रा नीचे दिए अनुसार है :

	श्याम तथा श्वेत (सं० लाख में)	रंगीन
1985	5.0	7.0
1986	3.0	10.0
1987, सितम्बर तक	शून्य	9.0

(ख) वर्ष 1985, 1986 तथा 1987 (सितम्बर तक) पिक्चर ट्यूबों का उत्पादन नीचे दिए अनुसार है :

	श्याम तथा श्वेत (सं० लाख में)	रंगीन
1985	14.5	शून्य
1986	19.5	शून्य
1987 (सितम्बर तक अनुमानित)	21.0	शून्य

[अनुवाद]

स्कूलों में शिक्षा ग्रहण कर रहे जनजातीय बच्चे

2787. श्री श्रीकान्त दत्त नरसिंह राज वाडियर : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों में जनजातीय उप-योजना क्षेत्रों के अन्तर्गत आने वाले प्राथमिक स्कूलों में जनजातीय बच्चों के दाखिले में वृद्धि करने तथा उनके द्वारा बीच में ही शिक्षा छोड़कर चले जाने को रोकने के लिए कदम उठाए हैं ;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों में चालू शिक्षा सत्र से इनके दाखिले में वृद्धि करने और इनके द्वारा बीच में ही शिक्षा छोड़ कर चले जाने को रोकने के लिए किन-किन योजनाओं को कार्यान्वित किया गया है अथवा क्या उपाय किए गए हैं ; और

(ग) 30 अप्रैल, 1987 की स्थिति के अनुसार विभिन्न राज्यों में बीच में ही शिक्षा छोड़कर चले जाने वाले बच्चों की प्रतिशतता और संख्या कितनी थी ?

कल्याण मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख). जी, हां। प्राथमिक स्कूलों में जनजातीय बच्चों के दाखिले में वृद्धि करने और उनके द्वारा बीच में शिक्षा छोड़कर चले जाने को रोकने के लिए किए गए उपाय का ब्यौरा संलग्न विवरण-I से दिया गया है।

(ग) अद्यतन उपलब्ध जानकारी के अनुसार, राज्यवार स्थिति संलग्न विवरण-II में दी गई है।

विवरण-I

प्राथमिक स्कूलों में जनजातीय बच्चों के दाखिले में वृद्धि करने और उनके द्वारा बीच में शिक्षा छोड़कर चले जाने को रोकने के लिए किए गए उपाय

1. अनुसूचित जातियों की घनी आबादी वाले क्षेत्रों में प्राथमिक आधार पर प्राथमिक स्कूल खोलना।

2. एक अध्यापक वाले स्कूलों को दो अध्यापक वाले स्कूलों में बदलना।

3. आदिवासी क्षेत्रों में स्थित स्कूलों में शारीरिक सुविधाओं में सुधार।

4. अनौपचारिक/अंशकालीन शिक्षा का विस्तार पैमाने पर प्रावधान।

5. बड़े पैमाने पर महिला अध्यापकों की नियुक्ति और प्राथमिक स्कूलों के साथ शिशु गृहों/पूर्व प्राथमिक स्कूलों को सम्बद्ध करना।

6. सेवाकाल में प्रशिक्षण के माध्यम से अध्यापक की क्षमता में सुधार।

7. आश्रम प्रकार के अधिक स्कूल खोलना।

8. आदिवासियों की सामाजिक-आर्थिक आवश्यकताओं के अनुकूल विशेष पाठ्यक्रम को तैयार करना।

9. इन क्षेत्रों में होस्टल खोलना।

10. छात्रवृत्तियां, वर्दी, मध्य दिवस भोजन, पुस्तकें और लेखन सामग्री के रूप में प्रोत्साहन करने का प्रावधान।

विवरण-II

1981-82 में प्राथमिक स्तर पर (कक्षा-I-V)
आदिवासी छात्रों द्वारा स्कूल छोड़ना

राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	प्राथमिक स्तर पर स्कूल छोड़ने की दर (कक्षा-I-V)
1	2
आन्ध्र प्रदेश	68.10
असम	76.22
बिहार	80.58
गुजरात	72.94

1	2
हिमाचल प्रदेश	43.05
कर्नाटक	48.12
केरल	37.16
मध्य प्रदेश	70.66
महाराष्ट्र	74.22
मणिपुर	85.36
मेघालय	76.74
नागालैंड	75.75
उड़ीसा	77.99
राजस्थान	71.48
सिक्किम	उपलब्ध नहीं
तमिलनाडू	37.59
त्रिपुरा	69.76
उत्तर प्रदेश	उपलब्ध नहीं
पश्चिम बंगाल	69.27
अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	45.74
अरुणाचल प्रदेश	77.53
दादर और नगर हवेली	76.43
गोवा, दमन और द्वीव	66.38
लक्षद्वीप	8.01
मिजोरम	62.83

श्रीलंका के शरणार्थियों पर किया गया व्यय

2788. **श्री आर० जीवारथिनम :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार ने श्रीलंका के शरणार्थियों के कल्याण/पुनर्वास पर अब तक कुल कितनी धनराशि खर्च की है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चिन्तामणि पाणिग्रही) : जुलाई, 1983 और 30 सितम्बर, 1987 के मध्य केन्द्र सरकार द्वारा श्रीलंका के शरणार्थियों को राहत सहायता देने और शरणार्थियों के

रहने के लिए शिविरों का निर्माण/मरम्मत करने पर 12.39 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई है। श्रीलंका के शरणार्थियों को पुनर्वास सहायता देने पर कोई राशि खर्च नहीं की गई क्योंकि वे भारतीय नागरिक नहीं हैं और उनके श्रीलंका वापस लौट जाने की सम्भावना है।

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा विवाद

2789. **श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद :**

श्री बनवारी लाल पुरोहित :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महाजन आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर महाराष्ट्र सरकार और कर्नाटक सरकार के बीच चल रहे सीमा विवाद के समाधान के उपाय ढूंढने में उनकी सहायता करने के लिए कोई कदम उठाए हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चिन्तामणि पाणिग्रही) : (क) से (ग). भारत सरकार का सदैव यह विचार रहा है कि यह विवाद केवल सम्बन्धित राज्य सरकारों के ऐच्छिक सहयोग से हल किया जा सकता है। केन्द्रीय सरकार इस मुद्दे पर दोनों राज्यों के मुख्य मन्त्रियों के द्विपक्षीय परामर्श में हुई प्रगति और समस्या का परस्पर स्वीकार्य समाधान निकालने में अपेक्षित केन्द्रीय सहायता का स्वरूप मालूम करने के लिए दोनों राज्य सरकारों के साथ सम्पर्क बनाए रखती है।

अपर कृष्णा परियोजना से कर्नाटक के लिए जल

279?. **श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव :** क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में "अपर कृष्णा परियोजना" के पहले और दूसरे चरणों में उपयोग किए गए जल के सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ;

(ख) नदी जल न्यायाधिकरण पंचाट के अन्तर्गत कर्नाटक को कितना जल आबंटित किया गया है ;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार को जलाशय का निर्माण करने के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है, जिससे इस सम्बन्ध में अंतर्राज्यीय विवाद उठ खड़ा हुआ है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री तथा जल संसाधन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) अपर कृष्णा परियोजना चरण-एक और दो में परिकल्पित जल उपयोग क्रमश: 119 टी०.एम० सी० तथा 54 टी० एम० सी० है।

(ख) 700 टी० एम० सी०।

(ग) और (घ). आन्ध्र प्रदेश ने अभिप्रेत उपयोग की तुलना में विपुल असमानुपातिक जलाशय क्षमता प्रदान किए जाने के लिए आपत्ति की है। जल न्यायाधिकरण के पंचाट के प्रावधानों का कोई उल्लंघन देखने में नही आया है।

राष्ट्रीय जल नीति के कार्यान्वयन के लिए योजनाएं

2791. **श्री राम स्वरूप राम** : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय जल नीति के कार्यान्वयन के लिए तैयार की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री तथा जल संसाधन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद द्वारा स्वीकार की गई राष्ट्रीय जल नीति में जल संसाधन स्कीमों की आयोजना और विकास हेतु केवल मोटे तौर पर नीति दिशा-निर्देशों की व्यवस्था है तथा जल को प्राकृतिक स्रोत तथा राष्ट्रीय सम्पत्ति मानकर उसका कार्यान्वयन राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य द्वारा अभिशासित किया जाना चाहिए।

'सेमी नाक डाउन किट' का आयात

2792. **श्री सी० माधव रेड्डी** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग में काम आने वाले सेमी नॉक डाउन किट का आयात बन्द करने का कोई निर्णय लिया गया है ; और

(ख) क्या देश में उपलब्ध औजारों को सेमी नॉक डाउन निकट की सूची में शामिल नहीं किया जाएगा ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) और (ख) इस बात का सुनिश्चय करने के लिए कि केवल गहन एवं वास्तविक विनिर्माण को ही अनुमति दी जाए, चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रमों की गहरी छानबीन की जाती है। प्रशिक्षण के लिए आवश्यक एक बहुत सीमित मात्रा को छोड़कर, अर्धसंयोजित किटों के लिए अनुमति देने का प्रस्ताव नहीं है। इसके अलावा, किटों/उप संयोजनों के आयात से सम्बन्धित प्रविष्टि को परिशिष्ट-3 क से परिशिष्ट-2 ख अर्थात् प्रतिबन्धित सूची में अन्तरित करके आयात-निर्यात नीति में संशोधन किया गया है।

वर्षा के पानी को भूमि पर जमा करने के लिए कदम

2793. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रतिवर्ष कितनी मात्रा में वर्षा का पानी बेकार बह जाता है ;

(ख) क्या सरकार ने यह जानने के लिए कि वर्षा के पानी को भूमि पर किस प्रकार जमा रखा जा सकता है कोई अध्ययन कराया है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री तथा जल संसाधन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) इस प्रकार के अनुमान उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) और (ग). विभिन्न मृदा तथा जलवायु क्षेत्रों के लिए उपयुक्त बंध बनाने, उच्च समतलन, गाद निरोधक बांधों, जल शस्यता संरचनाओं, नाले बंद करने आदि जैसे मृदा तथा आर्द्रता उपायों को सतह और मृदा परिच्छेदिकाओं पर वर्षा के पानी को रोके रखने और उसके संरक्षण में सहायक पाया गया है। ये उपाय राज्य तथा केन्द्रीय सेक्टर के विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत क्रियान्वित किए जा रहे हैं।

बिहार में सन्थाल परगना के पहाड़िया आदिवासी

2794. **श्री मोहम्मद महफूज अली खां :** क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में सन्थाल परगना की पहाड़ियों पर रहने वाले अनेक पहाड़िया आदिवासियों की संख्या तेजी से कम होती जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने यह पता लगाने के लिए कोई अध्ययन किया है कि कई वर्षों से पहाड़िया आदिवासियों की संख्या में किस सीमा तक कमी हुई है और इसके क्या कारण हैं ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और देश के विभिन्न भागों में आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासियों की संख्या में आई कमी के प्रतिशत की तुलना में इनकी संख्या में हुई कमी का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) उन्हें समाप्त होने से बचाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

कल्याण मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ). प्रश्न ही नहीं उठते।

नेत्रहीनों और बहरों के लिए इलेक्ट्रोनिक उपकरण

2795. **श्री बी० तुलसी राम :** क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बहरों को सुनने में सहायता देने के लिए एक इलैक्ट्रानिक यंत्र बनाया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार दृष्टिहीनों को देखने में सहायता देने वाले ऐसे ही इलैक्ट्रानिक यंत्र को बनाने पर विचार कर रही है ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) ऐसे यंत्र कब तक उपलब्ध होंगे ?

कल्याण मन्त्रालय की राज्य मन्त्री (डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी) : (क) उन व्यक्तियों को श्रवण-सहायक यंत्र प्रदान किए जाते हैं जिनकी श्रवण शक्ति क्षीण हो जाती है तथा जो ऐसे यंत्रों की सहायता से विकलांगता पर विजय पा सकते हैं।

(ख) से (घ). जिन व्यक्तियों की दृष्टि कई प्रकार से क्षीण हो जाती है परन्तु उनमें देखने की कुछ शक्ति होती है उन्हें भी कई प्रकार के यंत्रों से सहायता प्रदान की जा सकती है। परन्तु अभी तक ऐसा कोई यन्त्र नहीं है जिससे पूर्णतः नेत्रहीन व्यक्ति को देखने में सहायता मिल सके।

आंध्र प्रदेश की परियोजनाओं को स्वीकृति

2796. **श्री के० रामचन्द्र रेड्डी :** क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने आंध्र प्रदेश की येलेरू, जुराला और पोलावरम सिंचाई परियोजनाओं को स्वीकृति नहीं दी है ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक मामले में इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार का इस मामले की पुनरीक्षा करने का विचार है ;

(घ) यदि हां, तो कब ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री तथा जल संसाधन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ङ). सभी परियोजनाओं पर टिप्पणियां उनकी अनुपालना हेतु भेज दी गई हैं। राज्य को पर्यावरणिक दृष्टि तथा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अधीन स्वीकृति भी प्राप्त करनी है।

प्रौद्योगिकी मिशन का कार्यकरण

2797. **श्री यशवन्तराव गडाख पाटिल :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न प्रौद्योगिकी मिशनों के कार्यकरण की समीक्षा की गई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) प्रौद्योगिकी मिशनों का उनके कार्य-क्षेत्रों पर क्या प्रभाव पड़ा है ; और

(घ) उनके कार्यकरण में सुधार लाने के लिए क्या उपाय करने का विचार है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) और (ख). जी हां।

पांच प्रौद्योगिकी मिशन जनवरी, 1986 में अभिनिर्धारित किए गए थे और अगले कुछ वर्षों में मिशन प्रलेख तैयार किए गए। मिशन को कार्यान्वित करने वाला प्रत्येक केन्द्रीय अभिकरण कार्य की प्रगति का समय-समय पर मानीटरन और मूल्यांकन करता है, ताकि जहां तक सम्भव हो त्रुटियों को दूर किया जा सके। यह एक अविरल प्रक्रिया है।

(ग) और (घ). पांच प्रौद्योगिकी मिशनों को राष्ट्रीय आधार पर उनके सामाजिक-आर्थिक प्रभाव की क्षमता के लिए चुना गया था। अब तक जो कार्य किया गया है वह उन उद्देश्यों और परिभाषित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किया गया है। मिशन की गतिविधियों को समन्वित करने तथा उनका कार्यान्वयन समय-बद्ध और कारगर तरीके से सुनिश्चित करने के लिए हाल ही में एक सलाहकार (प्रौद्योगिकी मिशन) की नियुक्ति की गई है।

संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों को जिलों में बदलना

2798. **श्री हुसैन दलवाई :** क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान निर्वाचन क्षेत्रों को जिलों के रूप में और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों को तहसीलों के रूप में बदलने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव योजना आयोग के विचाराधीन हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुख राम) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

गोरखा राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा की मांगें

2800. **श्रीमती डी० के० भण्डारी :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गृह मन्त्री और पश्चिम बंगाल के मुख्य मन्त्री की नवम्बर, 1987 में एक बैठक हुई है ;

(ख) यदि हां, तो इस बैठक में गोरखा राष्ट्रीय मुक्त मोर्चे की मांगों से सम्बन्धित जिन मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया, उनका विवरण क्या है ; और

(ग) विचार-विमर्श से क्या परिणाम निकला ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) से (ग). पश्चिम बंगाल के मुख्य मन्त्री श्री ज्योति बसु 16 नवम्बर, 1987 को गृह मन्त्री से मिले और पहाड़ी क्षेत्र के लिए प्रस्तावित विकास परिषद योजना के विशेष सन्दर्भ में दार्जिलिंग क्षेत्र की समस्या पर विचार विमर्श किया। विचार-विमर्श जारी रहेगा।

विभिन्न मन्त्रालयों द्वारा आदिवासी उप-योजना/विशेष संघटक योजना के लिए धनराशि का नियतन

2802. **श्री अरविन्द नेताम :** क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन विभिन्न मन्त्रालयों ने छठी पंचवर्षीय योजना के लिए आदिवासी उपयोजना और विशेष संघटक योजना तैयार की थी ;

(ख) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रत्येक मन्त्रालय द्वारा आदिवासी उप-योजना और विशेष संघटक योजना के लिए विभिन्न राज्यों की और विशेष रूप से मध्य प्रदेश की विभाग-वार, कितनी धनराशि का नियतन किया गया ;

(ग) उन मन्त्रालयों के नाम क्या हैं जो सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए आदिवासी उप-योजना और विशेष संघटक योजना तैयार कर रहे है और प्रत्येक राज्य को वार्षिक योजना 1985-86, 1986-87 और 1987-88 के दौरान कितनी धनराशि का नियतन किया गया ; और

(घ) मध्य प्रदेश को वर्ष 1988-89 के लिए आदिवासी उप-योजना और विशेष संघटक योजना के लिए कितनी धनराशि का प्रावधान करने का विचार है ?

कल्याण मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

बंगला देश से आए शरणार्थी

2803. **श्री बी० बी० रमैया :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में बंगला देश से आए चकमा और अन्य आदिवासी शरणार्थियों की संख्या क्या है ;

(ख) उनके इतना अधिक संख्या में भारत आने के क्या कारण हैं ; और

(ग) बंगलादेश से शरणार्थियों की घुसपैठ भारत में रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चिन्तामणि पाणिग्रही) : (क) और (ख). बंगलादेश में अशांति के हालातों के कारण 29 अप्रैल, 1986 से लगभग 49,000 बंगलादेशी जनजातीय शरणार्थी सीमापार करके त्रिपुरा आये। इस समय 46502 शरणार्थियों को राज्य में अस्थाई शिविरों में ठहराया गया है।

(ग) भारत-बंगलादेश सीमा पर सुरक्षा बल सतर्क हैं। सीमा पर सतर्कता सुदृढ़ करने के लिए उठाए गए उपायों में सीमा सुरक्षा बल को सुदृढ़ करना, निरीक्षण चौकी बुर्जों का निर्माण और सीमा गश्त को अधिक गतिशील बनाना शामिल हैं। शरणार्थियों का अधिक संख्या में आना रोकने और उनकी शीघ्र बंगलादेश वापसी हेतु अनुकूल वातावरण पैदा करने के लिए बंगलादेश प्राधिकारियों के साथ राजनायिक स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं।

प्रशिक्षण संस्थाओं के सम्बन्ध में "इल्चमैंन्स" की रिपोर्ट

2804. **श्री महेन्द्र सिंह :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को प्रशिक्षण संस्थाओं के सम्बन्ध में "इल्चमैंस" की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष क्या निकले और उन पर क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है परन्तु यह भारत में प्रशिक्षण संस्थानों से सम्बन्धित रिपोर्ट नहीं है। यह रिपोर्ट सरकार द्वारा किए गए प्रशिक्षण प्रयासों तथा सभी सेवाओं के प्रशिक्षण के लिए मानव संसाधनों में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता से सम्बन्धित है।

(ख) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

प्रो० इल्चमैन की रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष और उन पर की गई कार्रवाई

1.0 उनकी रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष इस प्रकार हैं :—

(i) भारतीय प्रशानिक सेवा के लिए प्रशिक्षण को अनिवार्य कार्यक्रमों और अन्य उपायों के रूप में विकसित करने सम्बन्धी सरकार की नीति ने अखिल भारतीय संस्थानों, राज्य प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थाओं, विषय से सम्बन्धित संस्थाओं तथा ऐसा प्रशिक्षण देने वाली अन्य संस्थाओं में प्रशिक्षण का स्तर ऊंचा उठा दिया है।

(ii) भारत के प्रशिक्षण संसाधन, प्रशिक्षक और प्रशिक्षण सामग्री दोनों ही पर अत्याधिक दबाव पड़ा है और जब तक उनमें उचित वृद्धि नहीं की जाती है वे बढ़ी हुई अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर सकेंगे।

(iii) इन कारणों से तथा भारतीय प्रशासनिक सेवाओं और अन्य सेवाओं के लिए मानव संसाधनों में वृद्धि किए जाने सम्बन्धी भारत सरकार की दीर्घकालीन आकांक्षाओं को पूरा किए जाने के लिए, पाठ्यक्रम और उपयुक्त प्रशिक्षण सामग्री को विकसित करने सम्बन्धी एक कार्यक्रम के साथ-साथ प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण देने सम्बन्धी ठोस प्रयास किए जाएं।

2.0 तदनुसार, कतिपय सुस्थापित संस्थानों/संगठनों में पाठ्यक्रमों की उपलब्धता और गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिए दो अन्वेषक दलों को फांस, यू० के० और यू० एस० ए० में भेजा गया था। उनकी रिपोर्ट अभी आनी हैं।

अनुसूचित जातियों के प्रति अपराधों के बारे में सर्वेक्षण

2805. **श्री रणजीत सिंह गायकवाड़** : क्या **कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का अनुसूचित जातियों के प्रति अपराधों के बारे में व्यापक सर्वेक्षण कराने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाने का विचार है ?

कल्याण मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख). राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा दिए गए आंकड़ों के आधार पर अपराधों के मामलों की प्रवृति का पता लगाने हेतु सभी राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में अनुसूचित जातियों पर हुए अत्याचारों की घटनाओं की गहराई से वार्षिक समीक्षा की जाती है। ऐसी समीक्षाओं के आधार पर, जहां अनुसूचित जातियों के विरुद्ध अपराधों की स्थिति खराब है वहां राज्य सरकारों को केन्द्रीय सरकार की चिन्ता से अवगत करा दिया जाता है। 1985 की समीक्षा के बाद, गुजरात, कर्नाटक, केरल, उड़ीसा और तमिलनाडु राज्यों के मुख्य मन्त्रियों को पत्र लिखा गया था और इसी प्रकार, वर्ष 1986 के लिए, आन्ध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू और काश्मीर, केरल और उड़ीसा राज्यों के मुख्य मन्त्रियों को लिखा था। इन राज्यों को समय-समय पर जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुरूप अत्याचारों की समस्या से कारगर ढंग से निपटने के लिए सभी प्रकार की कार्यवाही करने हेतु बल दिया गया था।

ग्रामीण विकास हेतु कार्यशाला

2806. **डा० टी० कल्पना देवी :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण विकास सम्बन्धी राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यशाला ने कुछ सिफारिशें की हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार के विभिन्न विभागों की वैज्ञानिक गतिविधियों में समन्वय करने हेतु एक नियंत्रक मन्त्रालय स्थापित करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) और (ख). जी, हां।

ग्रामीण विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन 2 से 4 नवम्बर, 1987 तक नई दिल्ली में किया गया था। निम्नलिखित मुख्य क्षेत्रों के लिए सिफारिशें की गयीं :

1. कृषि विज्ञान
2. पशु पालन
3. ग्रामीण उद्योग और शिल्प
4. अवसंरचना
5. प्रौद्योगिकी विकास का उपयोग
6. मृदा और जल प्रबन्ध
7. वनरोपण और सामाजिक वानिकी
8. ऊर्जा
9. अपशिष्ट का उपयोग
10. ग्रामीण श्रम
11. वातावरण प्रदूषण
12. संगठन
13. ग्रामीण आवास
14. सूक्ष्म स्तर आयोजना

(ग) सरकार ने ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया है।

दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन की सदस्यता के लिए अफगानिस्तान की पेशकश

2807. डा० बी० एल० शैलेश : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काठमाण्डू में हुए पिछले दक्षेस सम्मेलन में अफगानिस्तान ने दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन की सदस्यता की पेशकश की थी ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सम्मेलन की क्या प्रतिक्रिया रही ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) चूंकि इस एसोसिएशन में नए सदस्यों के प्रवेश के लिए 'सार्क' चार्टर में कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है, इसलिए यह फैसला किया गया कि विदेश सचिवों की स्थायी समिति सदस्यता के प्रश्न पर विचार करेगी और अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगी।

दक्षेस के कार्यकलापों के लिए सदस्य देशों का अंशदान

2808. डा० बी० एल० शैलेश : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षेस की हाल ही में काडमाण्डू में हुई बैठक में इसके कार्यकलापों के लिए धन की व्यवस्था के सम्बन्ध में कोई निर्णय किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय लिया गया था ; और

(ग) सदस्य देशों द्वारा आरम्भ में और प्रत्येक वर्ष में कितना-कितना अंशदान किया जाएगा ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) और (ख). 'सार्क' के कार्यकलापों के वित्तपोषण के बारे में पहले ही सहमति हो गई थी।

(ग) 'सार्क' कार्यक्रम से सम्बद्ध कार्यकलापों के लिए वार्षिक अंशदान की वचनबद्धता की अद्यतन स्थिति नीचे दिए गए अनुसार है :

बंगला देश : (1987-88)	बंगला देश टका 7.5 मिलियन	(=लगभग 3.36 मिलियन भारतीय रुपये)
भूटान : (1987-88)	भूटानी नू 2 मिलियन	(=लगभग 2 मिलियन भारतीय रुपये)
भारत :		
(1987-88)	भारतीय रुपये	15 मिलियन
(1988-89)	भारतीय रुपये	17.5 मिलियन
मालदीव :	मालदीव रुफिया	
(1987)	252,000	(=लगभग 420,000 भारतीय रु०)
(1988)	325,000	(=लगभग 541,670 भारतीय रु०)

नेपाल : (1987-88)	नेपाली रुपये 7 मिलियन	(=लगभग 4.12 मिलियन भारतीय रुपये)
पाकिस्तान : (1987-88)	12.5 मिलियन पाकिस्तानी रुपये छात्रवृत्तियों के लिए 500,000 रुपये	(=लगभग 9.33 मिलियन भारतीय रुपये+373,000 भारतीय रुपये)
श्रीलंका : (1987)	श्रीलंका 5 मिलियन रुपये	(=लगभग 2.22 मिलियन भारतीय रुपये)

दिल्ली में अपराध

2809. **श्री पी० पेंचालैया :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी में अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं ;

(ख) यदि हां, तो पिछले एक वर्ष के दौरान अपराध की कितनी घटनाएं दर्ज की गई ; और

(ग) सरकार ने राजधानी में अपराध की घटनाएं रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) और (ख). गत वर्ष अर्थात 1-11-85 से 31-10-86 तक के तत्समानी अवधि, जिसमें 30013 भारतीय दण्ड संहिता के मामले सूचित किए गए थे, की तुलना में 1-11-86 से 31-10-1987 तक की अवधि के दौरान सूचित मामलों की संख्या में कमी आई है जो 16624 है। इस प्रकार राजधानी में अपराध की घटनाओं में पर्याप्त कमी आई है।

(ग) दिल्ली पुलिस के लगभग 12000 और पद और लगभग 668 और वाहनों की खरीद की स्वीकृति दी गई है। 25 और पुलिस स्टेशनों, 12 पुलिस सब-डिवीजनों और 3 पुलिस जिलों को स्थापित करने का अनुमोदन किया गया है। स्वचालित हथियारों और वायरलैस सैटों से सुसज्जित कार्मिकों के साथ सामरिक महत्व के स्थानों पर 100 टुकड़ियां तैनात की गई हैं। आतंकवादियों और अन्य अपराधियों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए पड़ौसी राज्यों के अधिकारियों और आसूचना एजेन्सियों के साथ नियमित समन्वित बैठकें की जाती हैं।

अन्य योजनाओं के लिए निर्धारित राशि का सिंचाई और वनरोपण योजनाओं के लिए उपयोग

2810. **श्री जगन्नाथ पटनायक :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का अन्य योजनाओं के लिए निर्धारित राशि में से कुछ राशि का उपयोग सिंचाई और वनरोपण योजनाओं के लिए करने का विचार है ;

(ख) क्या सरकार का बीस सूत्री कार्यक्रम और अन्य गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के अन्तर्गत सिंचाई और सम्बद्ध योजनाओं पर जोर देने का प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार के प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) योजना आयोग ने पहले ही राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को लिख दिया है कि यदि राज्य

इस व्यापक सूखे के वर्ष में संसाधनों का विचलन अन्य स्कीमों से सिंचाई तथा जल प्रबन्ध के वास्ते करने के इच्छुक हैं, तो इस सम्बन्ध में उनके प्रस्तावों का स्वागत किया जाएगा।

(ख) और (ग). योजनाओं में सिंचाई को निरन्तर अन्य प्राथमिकता दी जाती रही है। फिर भी, सूखे के इस वर्ष में 236 करोड़ रु. के अतिरिक्त परिव्यय की व्यवस्था की गई है जिससे 14 राज्यों में निर्धारित निर्माणाधीन परियोजनाओं को दो वर्षों में पूरा किया जा सके। इसके अलावा, राज्यों को दो केन्द्र प्रायोजित स्कीमों अर्थात (i) राष्ट्रीय वाटरशेड विकास कार्यक्रम/बारानी कृषि तथा (ii) छोटे और सीमान्तिक किसानों को सहायता देने की स्कीम के लिए, जिनकी वित्त-व्यवस्था राज्यों और केन्द्रों के बीच 50 : 50 की हिस्सेदारी के आधार पर की जानी है, अतिरिक्त सहायता की पेशकश की गई है।

नशीली दवाओं के आदी व्यक्तियों के लिए पुनर्वास केन्द्र

2811. **श्री मानिक रेड्डी :** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नशीली दवाओं के आदी व्यक्तियों की लत छुड़ाने में उनकी सहायता हेतु भारत में कौन-कौन से कल्याण/पुनर्वास केन्द्र संलग्न हैं ;

(ख) उनमें से कितने केन्द्रों को केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार और स्वयंसेवी एजेन्सियों द्वारा अलग-अलग संचालित किया जाता है ; और

(ग) इन केन्द्रों को प्रतिवर्ष कितना धन आवंटित किया जाता है ?

कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से (ग). नशीली दवाओं के आदी व्यक्तियों की लत छुड़ाने में उनकी सहायता करने हेतु कल्याण मन्त्रालय द्वारा स्वयंसेवी संगठनों को, 21 परामर्श और मार्गदर्शी केन्द्र और 3 निर्व्यसन एवं पुनर्वास केन्द्र स्थापित करने के लिए सहायता दी गई है। उन स्वयंसेवी एजेन्सियों के सम्बन्ध में जानकारी नही रखी जाती है जो मन्त्रालय से वित्तीय सहायता प्राप्त किए बिना ऐसे केन्द्र चला रहे हैं। राज्य सरकारों द्वारा सहायता प्राप्त या स्थापित कल्याण/पुनर्वास केन्द्रों के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध नहीं है। कल्याण मन्त्रालय द्वारा आवंटित धनराशि को वर्षवार विवरण निम्न प्रकार है :—

वर्ष	स्वीकृत किए गए सहायक अनुदान की धनराशि (रुपये लाखों में)
1985-86	1.81
1986-87	8.86
1987-88	16.32

उन्नत प्रौद्योगिकी केन्द्र की स्थापना

2812. **श्रीमती जयन्ती पटनायक :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इन्दौर में उन्नत प्रौद्योगिकी केन्द्र की स्थापना करने की मंजूरी दी थी ;

(ख) यदि हां, तो उस अनुसन्धान केन्द्र के मुख्य कार्य क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार का देश में उन्नत प्रौद्योगिकी के कुछ और केन्द्र स्थापित करने का विचार है ;

(घ) यदि हां, तो देश के अन्य स्थानों पर कितने केन्द्र स्थापित करने का विचार है ; और

(ङ) तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) जी, हां।

(ख) यह केन्द्र त्वरकों और लेसरों सम्बन्धी टेक्नालाजी के आधुनिकतम क्षेत्रों में अनुसन्धान और विकास-कार्य करता है। चिकित्सा उद्योगों तथा संतयन जैसे क्षेत्रों में लेसरों को काम में लाने के लिए अनुसन्धान भी इस केन्द्र में किए जाते हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ). ये प्रश्न ही नहीं उठते।

हिन्दुस्तान कम्प्यूटर्स लिमिटेड द्वारा "माइक्रो कम्प्यूटर्स" का निर्माण

2813. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हिन्दुस्तान कम्प्यूटर्स लिमिटेड (एच० सी० एल०) को माइक्रो कम्प्यूटर बनाने का कार्य सौंपा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या "हिन्दुस्तान कम्प्यूटर्स लिमिटेड" कम्प्यूटरों का निर्माण स्वयं कर रहा है अथवा किसी विदेशी सहयोग से कर रहा है ; और

(ग) यदि किसी विदेशी सहयोग से कर रहा है तो उसका ब्योरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) हिन्दुस्तान कम्प्यूटर्स लिमिटेड (एच० सी० एल०) के पास मिनी कम्प्यूटर/माइक्रोप्रोसेसर पर आधारित प्रणालियों का विनिर्माण करने के लिए एक औद्योगिक लाइसेंस है, जिसके अन्तर्गत माइक्रो कम्प्यूटरों का विनिर्माण करने की अनुमति भी प्रदान की गई है।

(ख) और (ग). हिन्दुस्तान कम्प्यूटर्स लिमिटेड अभी तक स्वदेशी तकनीकी जानकारी पर आधारित माइक्रो कम्प्यूटरों का ही विनिर्माण कर रहा है। किन्तु तत्क्षण (आन लाइन) कार्य-सम्पादन संसाधन त्रुटि सहनशीलता प्रणाली (फाल्ट टॉलरेंट सिस्टम) पर आधारित माइक्रो कम्प्यूटर के विनिर्माण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की मैसर्स टॉलरेंट सिस्टम इंकारपोरेटेड के साथ हाल ही में विदेशी सहयोग करने की मन्जूरी दी गई है।

आदिवासी उप-योजना तथा विशेष संघटक योजना के अन्तर्गत उड़ीसा को अतिरिक्त धनराशि का आवंटन

2814. **श्री जयन्ती पटनायक** : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विशेष संघटक योजना तथा आदिवासी उप-योजना के अन्तर्गत कुछ

राज्यों को अतिरिक्त धनराशि का आबंटन करने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उड़ीसा को कितनी अतिरिक्त धनराशि का आबंटन करने का विचार है ?

कल्याण मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख). सातवीं योजना अवधि के लिए राज्यों को आदिवासी उप-योजना और विशेष कम्पोनेंट योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता का आबंटन अस्थाई है और इस स्तर पर यह नहीं बताया जा सकता कि किसी विशेष राज्य को कितनी अतिरिक्त विशेष केन्द्रीय सहायता का आवंटन किया जाएगा।

थुम्बा में भूमध्यरेखीय राकेट प्रक्षेपण केन्द्र के लिए धनराशि का नियतन

2815. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1986-87 और 1987-88 के दौरान थुम्बा में भूमध्यरेखीय राकेट प्रक्षेपण केन्द्र के लिए कितनी धनराशि नियत की गई ; और

(ख) इस केन्द्र में प्रमुख अन्तरिक्ष परियोजनाओं की प्रगति का ब्यौरा क्या है तथा कौन-सी आगामी परियोजना आरम्भ करने के लिए तैयार है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) वर्ष 1986-87 और 1987-88 के दौरान थुम्बा भूमध्यरेखीय राकेट प्रक्षेपण केन्द्र के लिए क्रमश: 29.62 लाख रुपए तथा 22.75 लाख रुपए की धनराशि नियत की गई है।

(ख) मौसम विज्ञान सम्बन्धी अध्ययनों के लिए सोवियत संघ द्वारा सप्लाई किए गए एम-108 राकेटों का थुम्बा से नियमित रूप में साप्ताहिक प्रमोचन किया जा रहा है। दिसम्बर, 1987 के लिए सोवियत संघ द्वारा सप्लाई किए गए 10 नीतभारों और भारत के 7 नीतभारों सहित एम-100 राकेटों का उपयोग करने के अभियान की योजना बनाई जा रही है। विविध वैज्ञानिक परीक्षणों जैसे आर० एच०-300 राकेट के उपयोग से ओजोन अध्ययनों तथा डी० क्षेत्र आयनन सम्बन्धी अध्ययनों, सेन्टौर राकेट के उपयोग से नाइट्रिक ऑक्साइड अध्ययनों, और आर० एच०-200 राकेट के उपयोग से भूमध्यरेखीय तरंग अध्ययनों, की योजना बनाई जा रही है।

फिलिपीन दंगों में भारतीयों को जान और माल की हानि

2816. **श्री पी० पेंचालैया** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फिलिपीन में हाल ही में हुए दंगों में भारतीयों को हुई जान और माल की हानि का आकलन क्या है ; और

(ख) उनके हितों के संरक्षण के लिए भारतीय दूतावास द्वारा क्या कदम उठाए गए ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) कोई नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठते।

[हिन्दी]

चण्डीगढ़ प्रशासन द्वारा चौथे वेतन आयोग की सिफारिशें कार्यान्वित न किया जाना

2817. **डा० चिन्ता मोहन :**

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया :

श्री हरीश रावत :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चण्डीगढ़ प्रशासन के अन्तर्गत कार्य करने वाले संघ राज्य क्षेत्र के कर्मचारियों को अपना वेतन चौथे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार नहीं मिल रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संघ राज्य क्षेत्र में इन सिफारिशों के कब तक पूर्ण रूप से कार्यान्वित किए जाने की सम्भावना है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चिन्तामणि पाणिग्रही) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) 1-11-1966 को संघ शासित क्षेत्र चण्डीगढ़ की स्थापना से ही चण्डीगढ़ प्रशासन पंजाब के वेतनमानों के पैटर्न का अनुसरण कर रहा है । चौथे वेतन आयोग ने संघ शासित क्षेत्र चण्डीगढ़ को अपने क्षेत्राधिकार से अलग रखा था । चण्डीगढ़ प्रशासन के कर्मचारियों की मांग पर, उनको केन्द्रीय वेतनमान देने का निर्णय किया गया है । इस मन्त्रालय में चण्डीगढ़ प्रशासन के कर्मचारियों के वेतनमान केन्द्रीय पैटर्न पर निर्धारित करने के लिए आवश्यक विस्तृत प्रक्रिया शुरू हो चुकी है । संघ शासित क्षेत्र चण्डीगढ़ के वेतन पैटर्न को पूरी तरह से पुनर्गठित करने की आवश्यकता है क्योंकि ये वेतनमान केन्द्र/अन्य संघ शासित क्षेत्रों के पूर्व संशोधित वेतनमानों से भिन्न है ।

[अनुवाद]

देश में विदेशों से धन-प्राप्ति में वृद्धि

2818. **श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 पारित किए जाने के बावजूद सांस्कृतिक, सामाजिक, शैक्षिक, धार्मिक और आर्थिक गतिविधियों में संलग्न संगठनों को विदेशों से धन प्राप्ति में हाल में वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में नवीनतम उपलब्ध ब्यौरा क्या है ; और

(ग) विदेशों से धन प्राप्त करने वाले प्रमुख संगठनों के नाम क्या हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत प्राप्त राशि में कुछ बढ़ोतरी का रुख दिखाई दिया है ।

(ख) सूचना संलग्न विवरण-I में दी गई है ।

(ग) सूचना संलग्न विवरण-II में दी गई है ।

विवरण-I

वर्ष 1986 के दौरान प्राप्त विदेशी अभिदाय का प्रयोजन-वार विवरण (20-11-1987 तक उपलब्ध)

1.	सांस्कृतिक	8820 रुपए (हजारों में)
2.	सामाजिक	6,47,425 रुपए (हजारों में)
3.	शैक्षिक	7,54,659 रुपए (हजारों में)
4.	धार्मिक	6,59,413 रुपए (हजारों में)
5.	आर्थिक	74,783 रुपए (हजारों में)

विवरण-II

रूरल डवलपमेंट ट्रस्ट, बंगलौर हाईवे अन्नतपुर, आन्ध्र प्रदेश।

धर्मावरम बोइज टाऊन सोसाइटी, धर्मावरम आर० एस० अन्नतपुर, आन्ध्र प्रदेश।

आर्थिक समता मंडल, नास्तिक केन्द्रम विजयवाड़ा, आन्ध्र प्रदेश।

जैवियरसं रांची सेन्ट जेवियर्स कालेज, म्यूलिया रोड रांची, बिहार।

सेन्ट थोमा गर्ल्स होस्टल श्रीरमपुर वाहरवासाहिब गंज, बिहार।

मिनसेनसन माईनर सिमनलरी, एग्लीकल्चरल कालेज पी 90 रेवा जिला, मध्य प्रदेश।

बिसोप चिलप्पामेमोरियल प्रोजेक्ट, वेपरो मद्रास, तमिलनाडु।

ईम्मानऊल मेथोडिस्ट चर्च, 48-50 जेरम्माह रोड मद्रास।

एपोस्टोलिक चर्च, 4 रिथंरडोन वेपरो, मद्रास, तमिलनाडु।

दलित कल्चरल फ्रन्ट, 32, पर्थ सेंन्ट, वेंकटरपुरम, न्यू कालोनी, मद्रास।

सेवा निलयाम, रजतथान्जअन्डोपट्टी मदुरई, तमिलनाडु।

कारमेल आश्रम, टाऊनएक्सटेंशन कुम्बकुनम, तमिलनाडु।

सेन्ट एन्टनोइस चर्च, कुलुक्हुजो तिरुचरापल्ली, तमिलनाडु।

ख्वाजमाहलै लेडिज एसोसियेशन, तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु।

यूनाईटेड चर्च बोर्ड फोर वर्ल्ड मिनिस्ट्री, एम० एल० बी० 0276 डा० डी० एन० रोड़, बम्बई।

द एस्मपट्टा सोसाइटी, 105 कोरेगांव पार्क पुणे।

बालद्वीव बोईस हाई स्कूल, हासूर रोड़, बंगलौर।

पाहड़ी ट्रस्ट, पो० वा० 5 सोमवारपेंट कोर्जे कर्नाटक ।

चर्च आफ सेन्ट जोसफ द वर्कर वामानजोर, डियोकेस आफ मगलोर एस केनरा, कर्नाटक ।

उड़ीसा अरबन रूरल सर्विस फैथ सेंटर, पेन्टोन साही कटक, उड़ीसा ।

मोबाईल क्राईसस, 5-बी टेलीग्राफ लेन, नई दिल्ली ।

सी० एन० आई० सेनोडिकल बोर्ड आफ सोशल सर्विस, 16 पंडित पंत मार्ग, नई दिल्ली ।

सेंट स्टेफिन्स होस्पीटल, तीस हजारी, दिल्ली ।

उड़ीसा सरकार द्वारा विस्थापित आदिवासियों का पुनर्वास

2819. **श्री जगन्नाथ पटनायक : क्या कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा ने बड़े उद्योगों की स्थापना एवं नदी-बांधों के निर्माण के कारण विस्थापित हुए आदिवासियों के पुनर्वास को सुव्यवस्थित करने के लिए एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति गठित की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उड़ीसा सरकार ने इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार से किसी वित्तीय सहायता की मांग की है ;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने आदिवासी छात्रों का वजीफा बढ़ाने तथा वन उत्पादों के व्यापार एवं आदिवासी क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुओं की बिक्री में अपना सहयोग भी दिया है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

हिमाचल प्रदेश में नलकूप लगाना

2820. **प्रो० नारायण चन्द पराशर : क्या जल संसाधन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का अनेक नलकूप लगाकर भूमिगत जल स्रोतों का उपयोग करने के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य को धनराशि प्रदान करने का विचार है ;

(ख) क्या ऊना जिले में 40 ड्रिलिंग स्थानों पर, जहां पर बोरिंग भी की जा चुकी थी, धनराशि उपलब्ध न होने के कारण विद्युत नलकूपों की व्यवस्था नहीं की जा सकी है ; और

(ग) यदि हां, तो राज्य सरकार को इस प्रयोजन के लिए सूखा राहत कार्यक्रम के अन्तर्गत कितनी धनराशि कब तक उपलब्ध कराए जाने की सम्भावना है; और किस सीमा तक ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री तथा जल संसाधन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) लघु सिंचाई कार्यक्रम की आयोजना तथा क्रियान्वयन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है । तथापि, कार्यक्रम को तेज करने के लिए, जिसमें नलकूप शामिल हैं, विभिन्न केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के माध्यम से केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है ।

(ख) हिमाचल प्रदेश में ऊना जिले में निर्मित 196 नलकूपों में से 188 सफल रहे। इनमें से 164 का पहले ही ऊर्जन किया जा चुका है। 18 नलकूपों के ऊर्जन का कार्य प्रगति पर है।

(ग) राज्य के लिए सूखा राहत के रूप में पेयजल हेतु 1.19 करोड़ रुपए तथा लघु सिंचाई के माध्यम से 500 हेक्टेयर की क्षमता सृजित करने के वास्ते 30.00 लाख रुपए की अग्रिम योजना सहायता मंजूर की गई है।

हिमाचल प्रदेश को शाह नहर परियोजना से पानी

2821. **प्रो० नारायण चन्द पराशर :** क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बीच आनन्दपुर हाइडल चेनल से 25 क्यूसेक पानी और शाहनूहर परियोजना से 228 क्यूसेक पानी हिमाचल प्रदेश को देने के बारे में हुए समझौते के कार्यान्वियन को सुनिश्चित करने के लिए कोई कार्यवाही की है ;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है और इस समझौते को क्रियान्वित करने में हुई प्रगति क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और हिमाचल प्रदेश को विशेष रूप से सूखे के संदर्भ में सिंचाई की सुविधायें देने के लिए पानी कब तक दे दिया जायेगा ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री तथा जल संसाधन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग). हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश में क्षेत्रों की सिंचाई करने के लिए शाह नहर परियोजना से 228 क्यूसेक जल का उपयोग करने के वास्ते 49.3 करोड़ रुपए की एक परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की है। तथापि, यह अनुमान 4-8-1983 का अन्तर्राज्यीय करार द्वारा यथा-पेक्षित पंजाब सरकार के परामर्श से तैयार नहीं किया गया है। परियोजना प्रस्तावों को अन्तिम रूप देने से पूर्व पंजाब सरकार की टिप्पणियां अपेक्षित हैं। भारत सरकार ने हाल ही में, अधिशेष रावी-व्यास जल में पंजाब सरकार के हिस्से में से हिमाचल प्रदेश में उपयोग हेतु 228 क्यूसेक जल को अलग को अलग रखने की तत्काल आवश्यकता पर पंजाब सरकार को लिखा है।

आनन्दपुर साहिब हाईडल चैनल से हिमाचल प्रदेश द्वारा 25 क्यूसेक जल के उपयोग हेतु कोई परियोजना प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद् की बैठक

2822. **श्री जी० भूपति :** क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद् की 9 सितम्बर, 1987 को एक बैठक हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो बैठक में जल के बेहतर उपयोग के लिए किए गये प्रस्तावों और लिए गये निर्णयों का ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री तथा जल संसाधन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी, हां।

(ख) परिषद् ने राष्ट्रीय जल नीति दस्तावेज का अनुमोदन किया जिसमें मोटे तौर पर निम्नलिखित पहलू शामिल हैं :

(1) आयोजन के लिए एक एकक के रूप में एक जल-निकाय बेसिन या उप-बेसिन को संगणना में लेना ;

(2) परियोजनाओं की आयोजना एवं तैयारी के लिए समेकित तथा बहु-प्रयोजनी दृष्टिकोण अपनाना ;

(3) सतही एवं भूजल का समेकित तथा समन्वित विकास ;

(4) समाज के प्रतिकूल परिस्थिति वाले समूहों के लाभ के लिए परियोजनाओं की आयोजना पर विशेष ध्यान देना ;

(5) राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के आधार पर आवश्यकता वाले क्षेत्रों को जल अन्तरण ;

(6) बहु-प्रयोजनी परियोजनाओं की आयोजना करते समय पेयजल की व्यवस्था करने को प्रथम ध्यान देना ;

(7) जल-प्रयोग तथा भूमि उपयोग नीतियों का गहनता से समेकन करना ;

(8) जल संसाधनों के क्रमबद्ध विकास में प्रौद्योगिकी निवेशों को अधिकतम करना ।

परीक्षा प्रणाली सुधार विंग

2823. **श्री प्रतापराव बी० भोसले : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या एक परीक्षा प्रणाली सुधार विंग स्थापित किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके कृत्यों का ब्यौरा क्या है और इसके द्वारा भर्ती एजेंसियों का उचित और निष्पक्ष कार्य निष्पादन किस प्रकार सुनिश्चित किया जायेगा ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बीरेन सिंह ऐंगती) : (क) संघ लोक सेवा आयोग में एक परीक्षा सुधार स्कन्ध स्थापित किया गया था ।

(ख) यह स्कन्ध जो कि पिछले एक दशक से अधिक समय से कार्य कर रहा है, आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं की, अपनायी गई पद्धतियों और क्रियाविधियों के संदर्भ में नियतकालिक आधार पर पुनरीक्षा करता है । यह प्रश्न पत्रों की गुणवत्ता को बढ़ाने तथा विभिन्न परीक्षाओं की योजनाओं में सुधार लाने के लिए आयोग द्वारा संचालित परीक्षाओं का भी अध्ययन करता है । किए गए सुधारों में से एक वस्तुपरक परीक्षाओं का लागू किया जाना है जिससे कि उत्तरों के मूल्यांकन में व्यक्तिपरकता का सर्वथा विलोपन सुनिश्चित हो जाता है ।

वैज्ञानिक/तकनीकी पदों के लिए विशेष भर्ती विंग

2824. **श्री प्रतापराव बी० भोसले : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या सरकार का वैज्ञानिक और तकनीकी पदों के लिए एक विशेष भर्ती विंग स्थापित करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है और इसे कब तक कार्यान्वित किया जायेगा ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बीरेन सिंह ऐंगती) : (क) और (ख). वैज्ञानिक विभागों की भर्ती सम्बन्धी आवश्यकताओं की देखभाल करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग में विशेष स्कन्ध स्थापित करने का निर्णय किया गया है ताकि आयोग के अधिकार क्षेत्र में आने वाले वैज्ञानिक पदों के सम्बन्ध में वैज्ञानिक कार्मिकों की भर्ती, पदोन्नति, स्थायीकरण इत्यादि के मामलों में विलम्ब कम से कम किया जा सके। यह स्कन्ध, वैज्ञानिक विभागों द्वारा आयोग को भेजे जाने वाले ऐसे सभी मामलों पर कार्रवाई करने के प्रयोजन से, आयोग की एक "सिंगल विंडो" के रूप में कार्य करेगा। यह विशेष स्कन्ध अपेक्षित पदों का सृजन होते ही अपना कार्य करना आरम्भ कर देगा।

[हिन्दी]

फीजी में भारतीय कम्पनियों और बैंकों की सुरक्षा

2825. **श्री दिलीप सिंह भूरिया** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फीजी में इस समय कितनी भारतीय कम्पनियां और बैंक काम कर रहे हैं ; और

(ख) भारत सरकार द्वारा उनकी सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) बैंक आफ बड़ौदा, न्यू इंडिया एश्योरेंस कम्पनी और जीवन बीमा निगम की फीजी में शाखाएं हैं। एयर इंडिया का भी वहां एक कार्यालय है। एशियन पेंट्स फीजी में अकेला भारतीय संयुक्त उद्यम है।

(ख) सरकार ने फीजी के प्राधिकारियों को यह बता दिया है कि फीजी में भारतीय संगठनों की सुरक्षा फीजी के प्राधिकारियों का उत्तरदायित्व है। सरकार ने भी भारतीय संगठनों के कुशल-क्षेम का निरन्तर ध्यान रखा है।

[अनुवाद]

पानी की सप्लाई बढ़ाने के लिए हाइड्रोफ्रेक्चरिंग तकनीक

2826. **श्री बक्कम पुरुषोत्तमन** : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूखे से प्रभावित कुछ क्षेत्रों में पानी की सप्लाई बढ़ाने के लिए हाइड्रो-फ्रैक्चरिंग तकनीक प्रयोग की गई है ;

(ख) यदि हां, तो उन स्थानों के नाम क्या हैं, जहां पानी की सप्लाई बढ़ाने के लिए यह तकनीक प्रयोग की गई है ; और

(ग) यह तकनीक पानी की कमी को पूरा करने में कहां तक सफल रही है ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री तथा जल संसाधन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख). छिद्रन कुओं से प्राप्त होने वाले जल की मात्रा में सुधार करने के उद्देश्य से हाइड्रो-फ्रैक्चरिंग तकनीक का इस्तेमाल मध्य प्रदेश में बेतुअल तथा इसके आस-पास किया जा रहा है।

(ग) यह तकनीक हाल ही में शुरू की गई है तथा इसके निष्पादन का मूल्यांकन अभी किया जाना है।

उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति

2827. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन :** क्या विधि और न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में पिछड़े समुदाय के लोगों को कोई प्राथमिकता दी है ;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान ऐसी कितनी नियुक्तियां की गई हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो उन्हें प्राथमिकता न दिये जाने के क्या कारण हैं ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) और (ग). उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 217 के उपबन्धों के अनुसार की जाती है, जो किसी वर्ग या जाति के व्यक्तियों के आरक्षण के लिए उपबन्ध नहीं करता है। फिर भी सरकार ने राज्यों के मुख्य मन्त्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों को पत्र लिखा है जिसमें यह अनुरोध किया गया है कि वे विधि व्यवसाय में लगे अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यक समुदायों तथा महिला वर्ग के ऐसे व्यक्तियों का चयन करें जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त हैं जिससे कि उन्हें उच्च न्यायालय में वर्तमान की तुलना में बेहतर प्रतिनिधित्व दिया जा सके।

(ख) उच्च न्यायालयों की रजिस्ट्रियों से अपेक्षित जानकारी इकट्ठी की जा रही है और प्राप्त होने के पश्चात् यह सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

तिल्लारी सिंचाई परियोजना के निर्माण कार्य की प्रगति

2828. **श्री शान्ताराम नायक :** क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोवा और महाराष्ट्र के लाभ के लिए महाराष्ट्र में बनाई जा रही तिल्लारी सिंचाई परियोजना के निर्माण कार्य में बहुत धीमी प्रगति हो रही है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या गोवा तथा महाराष्ट्र सरकार के बीच विवादग्रस्त मामलों का समाधान हो गया है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और परियोजना के निर्माण कार्य में कितनी प्रगति हुई है ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री तथा जल संसाधन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) मार्च 1987 तक लगभग 23 करोड़ रुपये खर्च किये गए हैं।

दमण और दीव परिषद् द्वारा आयोजित सत्र

2829. **श्री शान्ताराम नायक :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दमण और दीव संघ राज्य क्षेत्र की परिषद् की स्थापना के पश्चात परिषद् के कितने सत्र आयोजित हुए हैं ;

(ख) परिषद् ने अब तक क्या-क्या सिफारिशें की हैं ;

(ग) प्रशासन द्वारा उनमें से कितनी सिफारिशें स्वीकार की हैं ; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चिन्तामणि पाणिग्रही) : (क) दमण और दीव की प्रदेश परिषद् की बैठक केवल एक बार 15-6-1987 को हुई जो कि उद्घाटन सत्र था। इसमें सामान्य विचार-विमर्श किया गया और कोई सिफारिशें नहीं की गई।

(ख) से (घ). प्रश्न ही नहीं उठते।

दमण और दीव को वित्तीय सहायता

2830. **श्री शान्ताराम नायक :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने हाल ही में बनाये गये संघ राज्य क्षेत्र दमण और दीव की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु क्या प्रबन्ध किये हैं ;

(ख) क्या संघ राज्य क्षेत्र दमण और दीव तथा गोवा राज्य के बीच आस्तियों और दायित्वों का बंटवारा पूरा हो गया है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चिन्तामणि पाणिग्रही) : (क) दमण और दीव की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 1987-88 में 22.77 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की गई है।

(ख) और (ग). गोवा तथा संघ शासित क्षेत्र दमण और दीव के बीच आस्तियों और दायित्वों का अभी तक बंटवारा नहीं किया गया है।

गोवा में बीस सूत्री कार्यक्रम

2831. **श्री शान्ताराम नायक :** क्या कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोवा सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान बीस सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन में की गई प्रगति का मूल्यांकन किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुख राम) : (क) जी हां।

(ख) वर्ष 1984-85, 1985-86 और 1986-87 के दौरान, गोवा में (दमन और दीव भी शामिल है) 20-सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लक्ष्य और प्राप्ति दर्शाने वाला विवरण पत्र संलग्न (पृष्ठ 107—110) है।

भारतीय दूतावासों/उच्चायोगों द्वारा प्रकाशित पत्र-पत्रिकाएं

2832. **डा० ए० के० पटेल** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, सोवियत संघ, राष्ट्र मण्डल देशों, पश्चिम एशियाई, सुदूरवर्ती पूर्वी और पड़ोसी देशों में स्थित भारतीय दूतावासों और उच्चायोगों द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रकाशित पत्र पत्रिकाओं के भाषावार नाम क्या हैं ; और

(ख) इन वर्षों के दौरान प्रकाशित इन पत्र-पत्रिकाओं की वर्ष-वार परिचालन संख्या कितनी-कितनी है और इनमें से प्रत्येक के प्रकाशन पर वर्ष-वार कितनी धनराशि खर्च हुई ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) और (ख). सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

फीजी के बारे में ब्रिटेन के विदेश मन्त्री के साथ बातचीत

2833. **श्री एच० एन० नन्जे गौडा** :

श्री एस० एम० गुरड्डी :

क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फीजी की घटनाओं के बारे में 28 सितम्बर, 1987 को ब्रिटेन के विदेश राज्य मंत्री के साथ बातचीत की गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा इस सम्बन्ध में ब्रिटेन की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) और (ख). 28 सितम्बर 1987 को विदेश राज्य मंत्री श्री के० नटवर सिंह ने यू०के० के विदेश राज्य मन्त्री लार्ड ग्लेनार्थर के साथ बातचीत की। बैठक के दौरान यू० के० के मन्त्री को फीजी की स्थिति के बारे में भारत की गहरी चिन्ता से अवगत कराया गया और अक्तूबर, 1987 में वेंकूवर में कई राष्ट्र मण्डल देशों के शासनाध्यक्षों की बैठक के सन्दर्भ में इस विषय पर विचार-विमर्श किया गया।

विवरण

गोवा*(दमन और दीव भी शामिल है) में 20-सूत्री कार्यक्रम का कार्यान्वयन

सूत्र	मद	इकाई	1984-85		प्रतिशत	1985-86		प्रतिशत	1986-87		प्रतिशत
			लक्ष्य	प्राप्ति		लक्ष्य	प्राप्ति		लक्ष्य	प्राप्ति	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1क	सिंचाई सम्भावना	है०	2000	840	42	2850	1734	61	4300	2162	50
1ख	बारानी खेती	जल संभारणों की संख्या	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2क	दलहन उत्पादन	टन	13000	11750	90	15000	9453	63	12000	637	5
2ख	तिलहन उत्पादन	—वही—	900	1617	180	1500	1601	107	1600	232	15
3क	ए०ग्रा०रो०का०£	परिवारों की संख्या	6800	6810	100	5000	7052	141	9300	9050	97
3ख	रा०ग्रा०रो०का०$	लाख श्रम-दिवस	2.50	3.85	154	2.35	3.71	157	1.6	2.3	146
3ग	ग्रा०भू०रो० गा०का० ×	—वही—	2.51	2.51	100	2.07	2	97	1.7	2.08	122

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	फालतू जमीन का वितरण	लाख एकड़	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	कृषि मजदूरों के लिए न्यूनतम वेतन		लक्ष्य भिन्न मद								
6	बन्धुओं मजदूर पुनर्वास	"000 सं०	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7क	सहायता प्राप्त अनुसूचित जाति परिवार	सं०	1713	2123	124	1500	1412	94	1300	1607	124
7ख	सहायता प्राप्त अनुसूचित जन जाति परिवार	सं०	900	976	103	650	739	114	650	598	92
8	पेय जल आपूर्ति	गांवों की सं०	14	12	86	—	—	—	—	—	—
9क	आवास स्थल आबंटन	सं०	800	804	101	200	222	111	200	203	102
9ख	प्रदत्त निर्माण सहायता	सं०	400	403	101	200	238	119	—	—	—
10क	गंदी बस्तियों की आवृत आबादी	सं०	5000	5000	100	3200	3050	95	2500	2500	100

10ख	आ० पि० वर्ग को मकान	सं०	400	326	82	110	शून्य	0	100	60	60
11क	विद्युतिकृत गांव	सं०	1	1	100	1	1	100	शून्य	1	—
11ख	विद्युतिकृत पम्प सैट	सं०	150	252	168	200	291	146	140	241	172
12क	वृक्ष रोपण	लाख सं०	30	29.8	99	32	45.2	141	75	67.9	91
12ख	बायो गैस संयंत्र	सं०	200	200	100	100	101	101	100	114	114
13	नसबन्दी	सं०	7300	4507	62	5000	4784	96	4740	4571	96
14क	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	सं०	—	—	—	—	—	—	2	2	100
14ख	उप केन्द्र	सं०	19	21	111	2	2	100	2	2	100
15	ए०बा०वि०यो० खण्ड	सं०	—	—	—	2	2	100	1	शून्य	0
16क	प्रारम्भिक शिक्षा	लाख सं०	0.09	0.09	100	0.04	0.05	125	0.03	0.008	27
16ख	प्रौढ़ साक्षरता	सं०	10000	10518	105	10000	9225	92	11400	1248(पी)	64
17	खोली गई उचित दर दुकानों की संख्या	सं०	15	47	313	15	26	173	15	38	253

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18क	निवेश प्रक्रिया को उदार बनाना और औद्योगिक नीति को सरल बनाना		लक्ष्य भिन्न पद								
18ख	पंजीकृत लघु उद्योग इकाईयां	सं०	250	242	97	200	292	146	250	342	137
19	तस्करों, जमाखोरों और कर अपवंचकों के विरुद्ध कारंवाई			लक्ष्य भिन्न मद							
20	दक्षता, क्षमता उपयोग और आन्तरिक संसाधनों के उत्पादन को बढ़ाकर लोक उद्यम के कार्यंचालन को सुधारना			लक्ष्य भिन्न मद							

*30-5-1987 को गोवा राज्य बना।

£एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम

$राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम

× ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम

(पी) अनन्तिम

बड़े बांधों के सम्बन्ध में एशिया और प्रगति क्षेत्र के एन० जी० ओ० का सम्मेलन

2834. **श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया :**

डा० चिन्ता मोहन :

क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में हुए एशिया और प्रशान्त क्षेत्र के एन०.जी० ओ० के सम्मेलन में स्वीकार किए गए प्रस्तावों की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्मेलन में बड़े बांध की उपयोगिता के सम्बन्ध में चेतावनी दी गई है ;

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(घ) क्या सरकार का इस सम्बन्ध में अपनी नीति की समीक्षा करने का विचार है ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री तथा जल संसाधन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी, हां।

(ख) सम्मेलन के एक संकल्प के बड़े बांधों के कतिपय प्रतिकूल प्रभावों का हवाला दिया गया है तथा भारत में नर्मदा सागर और टेहरी बांधों का खास तौर पर उल्लेख करते हुए यह सिफारिश की गई है कि नए बड़े बांधों का निर्माण अधिस्थगित कर दिया जाए।

(ग) और (घ). किसी बांध का आकार परियोजना तथा विशिष्ट स्थल के अनुसार होता है और इस पर निर्णय सभी सम्बन्धित पहलुओं पर विचार करने के पश्चात किया जाता है। सभी बृहद परियोजनाओं की केन्द्र के सम्बन्धित संगठनों से पर्यावर्णिक दृष्टि से स्वीकृति प्राप्त की जानी अपेक्षित है। सम्भावित प्रतिकूल प्रभावों को परियोजना मूल्यांकन के दौरान निर्धारित किया जाता है तथा पर्यावर्णिक सुरक्षा के लिए उपायों की व्यवस्था की जाती है।

[हिन्दी]

मुंस्याड़ी और जौलीजीवी से आगे भ्रमण के लिए अनुमति

2835. **श्री हरीश रावत : क्या गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का पर्यटन के प्रयोजन से या व्यापार कार्य से उत्तर प्रदेश के पिथरौगढ़ जिले में मुंस्याड़ी और जौलीजीवी से आगे आने वाले लोगों के लिए अनुमति देने की व्यवस्था समाप्त करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कब तक लिए जाने की सम्भावना है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेन्शन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

संसद द्वारा पारित अधिनियमों के अन्तर्गत नियम बनाना

2836. प्रो० मधु दण्डवते : क्या विधि और न्याय मन्त्री संसद द्वारा पारित अधिनियमों के सम्बन्ध में नियम बनाने के बारे में 25 अगस्त, 1987 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4643 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न न्यायालयों में बड़ी संख्या में मामले आरोप पत्र जारी करने के लिए विभिन्न अधिनियमों के अन्तर्गत नियम उपलब्ध न होने के कारण लम्बित पड़े हैं ;

(ख) क्या संसद द्वारा अधिनियमित विभिन्न कानूनों के अन्तर्गत नियम बनाने सम्बन्धी जानकारी भारत सरकार के सभी मन्त्रालयों एवं विभागों से एकत्र कर ली गई है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच०आर० भारद्वाज) : (क) जैसा कि अतारांकित प्रश्न संख्या 4643, तारीख 25 अगस्त, 1987 के उत्तर में उल्लेख किया गया है, केन्द्रीय अधिनियमों के प्रशासन की जिम्मेदारी, कारबार आबंटन नियम के अधीन भारत सरकार के विभिन्न मन्त्रालयों की है। अतः आरोपों की विरचना के लिए, विभिन्न अधिनियमों के अधीन नियमों के उपलब्ध न होने के कारण विभिन्न न्यायालयों में विलम्बित मामलों की संख्या के बारे में इस मन्त्रालय को कोई जानकारी नहीं है।

(ख) और (ग). अभी तक नहीं। विभिन्न मन्त्रालयों/विभागों से अभी तक प्राप्त जानकारी की बाबत एक विवरण संलग्न है।

विवरण

क्रमसं०	अधिनियम का नाम	अभी तक एकत्रित जानकारी
1	2	3
1.	तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974	तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 के अधीन तेल उद्योग बोर्ड के कर्मचारियों के "आचरण और अनुशासन" से सम्बन्धित नियम भी अधिसूचित किए जाने हैं। यह विलम्ब इस तथ्य के कारण है कि बोर्ड के अधिकतर कर्मचारिवृन्द प्रतिनियुक्ति पर हैं और इसके अपने कर्मचारियों की संख्या नगण्य है। वर्तमान संकेतों के अनुसार यह आशा की जाती है कि ये नियम अगले दो महीनों में अधिसूचित कर दिए जाएंगे।
2.	विद्युत (प्रदाय) अधिनियम 1948 (8 अक्तूबर, 1976	1976 के संशोधन अधिनियम के द्वारा विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 में तथा स्थापित अन्तः धारा 4(ख) के

1	2	3
	से यथा संशोधित)	अनुसार केन्द्र सरकार इस अधिनियम के अध्याय-II के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी। अधिनियम की धारा 4 ख की उपधारा (2) यह उपबन्ध करती है कि विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित सब विषयों या उसमें से किसी एक विषय के लिए उपबन्ध हो सकेगा, अर्थात् :—

"(क) प्राधिकरण के कृत्य और कर्तव्य, तथा वह रीति जिसमें ऐसे कृत्यों और कर्तव्यों का धारा तीन की उपधारा (1) के अधीन निष्पादन और पालन किया जाएगा ;

(ख) धारा 3 की उपधारा (4क) और उपधारा (4ख) के अधीन अध्यक्ष और प्राधिकरण के अन्य सदस्यों की सेवा के निबन्धन और शर्तें (जिनके अन्तर्गत सदस्यों को देय भत्ते, फीस तो सम्मिलित हैं किन्तु प्राधिकरण के अध्यक्ष और अन्य पूर्णकालिक सदस्यों को देय वेतन और भत्ते नहीं हैं) ;

(ग) कोई अन्य विषय जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाना अपेक्षित है या विहित किया जाए।

इन शक्तियों के प्रयोग में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण नियम, 1977 अधिसूचित किए गए हैं और ये नियम मुख्यतः केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को समनुदेशित अतिरिक्त कृत्यों और कर्तव्यों के बारे में हैं। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण नियम, 1977 कुछ अन्य पहलुओं के बारे में भी जैसे कि प्राधिकरण की सदस्यता की समाप्ति और प्राधिकरण की सदस्यता से त्यागपत्र आदि, धारा 4ख(2)(ख) निबंधनों के अनुसार धारा 3 की उपधारा (4क), (4ख) के अधीन प्राधिकरण के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की सेवा के निबन्धनों और शर्तों को शासित करने वाले कोई पृथक नियम नहीं बनाए गए हैं। यह उल्लेख किया जा सकता है कि केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के अध्यक्ष तथा अन्य पूर्णकालिक सदस्यों को क्रमशः भारत सरकार के सचिव और अपर सचिव की पदेन हैसियत प्राप्त है और इस

1	2	3
		प्राधिकरण को भारत सरकार के शक्ति विभाग का एक संलग्न कार्यालय भी घोषित कर दिया गया है। इसलिए यह उपधारणा की गई थी कि प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा से सम्बन्धित सुसंगत निबन्धन और शर्तें सरकार के अधीन तदनुरूपी पदों के लिए सरकारी नियमों के अनुरूप ही होंगी। अत:, कोई अलग नियम नहीं बनाए गए थे। तथापि, इस विषय की विधि मन्त्रालय से परामर्श करके हाल ही में पुन: समीक्षा की गई है और विधि मन्त्रालय ने यह परामर्श दिया है कि ऊपर उल्लिखित स्थिति के बावजूद भी अधिनियम के सुसंगत उपबन्धों के अधीन इस सम्बन्ध में नियम बनाने ही पड़ेंगे। तदनुसार अधिनियम की धारा 4ख (2ख), सहपठित नियम 3 (4क) और 3 (4ख) के अधीन यथा अपेक्षित नियम बनाने के लिए कारंवाई की जा रही है। यह भी उल्लेख किया जा सकता है कि 10 जून, 1987 के मौखिक साक्ष्य के दौरान सचिव (शक्ति) ने राज्य सभा की अधीनस्थ विधान समिति को उपर्युक्त स्थिति से अवगत करा दिया था।
3.	तटरक्षक अधिनियम, 1978	इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी बनाने के प्रयोजन के लिए तट रक्षक (समारोह कार्य) नियम को छोड़कर सभी नियम तटरक्षक अधिनियम, 1978 की धारा 123 के अधीन बना लिए गए हैं और राजपत्र में अधिसूचित कर दिए गए हैं तटरक्षक (समारोह कार्य) नियमों का प्रारूप नौसेना मुख्यालय तथा सीमा सुरक्षा बल जैसे अन्य अर्द्ध सैन्य सेवा बलों के साथ परामर्श के पश्चात् तैयार किया जाना पग अपेक्षित था। यह आशा की जाती है कि तटरक्षक (समारोह कार्य) नियमों के पुन: प्रारूपण और उन्हें अन्तिम रूप दिए जाने का कार्य 30 नवम्बर, 1987 तक पूरा हो जाएगा।
4.	कलकत्ता भूमिगत रेल (प्रचालन और अनुरक्षण) अस्थायी उपबन्ध अधिनियम, 1985	कलकत्ता भूमिगत रेल (प्रचालन और अनुरक्षण) अस्थायी उपबन्ध अधिनियम, 1985 के अधीन ऐसे सामान के आकार और वजन से सम्बन्धित जो किसी व्यक्ति के द्वारा भूमिगत रेल में ले जाया जा सके और भूमिगत रेल में आपत्तिजनक माल ले जाने आदि से सम्बन्धित कतिपय नियम तब तक नहीं बनाए जा सकते जब तक कि कलकत्ता की भूमिगत रेल के वास्तविक वाणिज्यिक प्रचालन में और अधिक अनुभव प्राप्त नहीं कर

1	2	3
		लिया जाता। कलकत्ता की यह रेल देश में अपने किस्म की पहली रेल है। नियमों की समीक्षा की जा रही है और इन्हें शीघ्र ही प्रकाशित कर दिए जाने की आशा है।
5.	रेल सुरक्षा बल (संशोधन) अधिनियम, 1985	जहां तक रेल सुरक्षा बल (संशोधन) अधिनियम, 1985 के अधीन नियमों का सम्बन्ध है, इन नियमों को बनाने में हुए विलम्ब के कारण निम्नलिखित हैं : (I) रेल सुरक्षा बल से सम्बन्धित नियम अलग से अकेले ही नहीं बनाए जा सकते क्योंकि रेल सुरक्षा बल का रेल के अन्य विभागों अर्थात् परिवहन, वाणिज्य और प्रचालन विभागों आदि के साथ कृत्यकारी सम्बन्ध है। इस कार्य के लिए समंजक प्रयास अपेक्षित हैं और अन्य विभागों में प्रवृत्त पद्धतियों पर भी ध्यान दिया जाना है। (II) विधि मन्त्रालय की इस सलाह पर कि रेल सुरक्षा बल विनियम, 1966 की कोई कानूनी बाध्यता नहीं है, क्योंकि सम्बन्धित अधिनियम ने ऐसे विनियम बनाने की कोई शक्ति प्रदान नहीं की है, यह विनिश्चय किया गया कि रेल सुरक्षा बल के लिए नए नियमों में पुराने विनियमों के अन्तर्गत आने वाले अधिकार पहलुओं को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए। (III) चूंकि रेल सुरक्षा बल को भारत का सशस्त्र बल घोषित किया जा चुका है अतः सीमा सुरक्षा बल, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल आदि जैसे संघ के अन्य सशस्त्र बलों के नियमों को ध्यान में रखते हुए, नियम बनाने होंगे और इस कार्य में अन्य सशस्त्र बलों को लागू नियमों की विस्तृत संवीक्षा का कार्य अंतर्वलित है। (IV) इस कार्य के लिए क्षेत्रीय रेलों के द्वारा व्यापक समीक्षा भी आवश्यक है और केवल ऐसी समीक्षा के पश्चात् ही नियम बनाए जा सकते हैं ये प्रारूप नियम सरकार के विचाराधीन हैं। विधीक्षा के कार्य में गति लाने के और बिना किसी अतिरिक्त विलम्ब के इन्हें अधिसूचित करने के सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

1	2	3
6.	प्रेस परिषद् अधिनियम, 1978	भारत की प्रेस परिषद् के कर्मचारियों की सेवा शर्तों को शासित करने वाले विनियमों को, जिन्हें प्रेस परिषद् अधिनियम, 1978 (1978 का 37) के अधीन अधिसूचित किया जाना है, अभी अन्तिम रूप दिया जाना शेष है। प्रारूप विनियम 15 फरवरी, 1982 को अनुमोदन के लिए परिषद् द्वारा सरकार को भेजे गए थे। विभिन्न मन्त्रालयों/विभागों से व्यापक परामर्श के पश्चात् सम्यक्तः अनुमोदित विनियम परिषद् को राजपत्र में अधिसूचना के लिए तारीख 8 अक्तूबर 1984 को भेज दिए गए थे। ऐसा करने के बजाए, परिषद् ने अनेक प्रश्न उठाए हैं जिनकी समीक्षा विधि मन्त्रालय तथा अन्य सम्बद्ध मन्त्रालयों के साथ परामर्श करके की जा रही है और एक बार फिर तारीख 27 अप्रैल, 1986 को परिषद् को इन्हें अधिसूचित करने की सलाह दी गई थी। इसके पश्चात भी परिषद् ने इनके बारे में फिर से वापस निर्देश किया है। संक्षेप में, परिषद् अपने कार्यालय में पद सृजित करने और उन पदों के लिए वेतनमान विहित करने के बारे में अनियन्त्रित शक्तियों की मांग कर रही है जो कि अधिनियम की स्कीम के प्रतिकूल है। इससे पूर्व भी मन्त्रालय द्वारा परिषद को सुझाव दिए जाने पर भी कि सर्वप्रथम उसे सरकार द्वारा अनुमोदित विनियम अधिसूचित कर देने चाहिए और तत्पश्चात् विनियम विशेष में संशोधन की मांग करनी चाहिए, यह सुझाव परिषद को ठीक नहीं लगा है। इन विनियमों के बनाने की प्रक्रिया काफी आगे बढ़ चुकी है और विधि मन्त्रालय से इन प्रश्नों का शीघ्र हल निकालने के लिए सम्बन्धित मन्त्रालयों, विभागों का एक अधिवेशन आयोजित करने के लिए अनुरोध किया गया है।

अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में सरकारी निर्माण कार्य की मंजूरी के लिए परामर्शदाताओं की नियुक्ति

2837. **श्री मनोरंजन भक्त :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह की सरकार ने अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह संघ राज्य क्षेत्र में सभी सरकार निर्माण कार्यों के लिए परामर्शदाता नियुक्त करने का निर्णय किया है तथा उक्त परामर्शदाता से मंजूरी मिलने तक सभी सरकारी निर्माण कार्य रोक दिए गए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी शर्तों का ब्यौरा क्या है और परामर्शदाता को शुल्क के रूप में प्रतिवर्ष कितना धन देना पड़ेगा ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चिन्तामणि पाणिग्रही) : (क) और (ख). जी नहीं, श्रीमान। द्वीपसमूह विकास प्राधिकरण के निर्णय के अनुसार 30 लाख रुपए या उससे अधिक की लागत वाले भवनों के डिजाइन आदि के लिए और दो मंजिल से अधिक ऊंचे भवनों के लिए भी विशेषज्ञ दल से परामर्श करना होता है। ऐसी परियोजना जिसका निर्माण कार्य पहले ही शुरू किया जा चुका था, के किसी कार्य को रोका नहीं गया है। वित्तीय देयताएं परामर्श के लिए विशेषज्ञ दल को भेजे गए कार्य-भार पर निर्भर होंगी।

अवर श्रेणी लिपिक के पदों के लिए कर्मचारी चयन आयोग द्वारा वर्ष 1986 में आयोजित परीक्षा के आधार पर चुने गए तमिलनाडु के उम्मीदवारों की नियुक्ति

2838. **श्रीमती वैजयन्ती माला बाली** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित वर्ष, 1986 में अवर श्रेणी लिपिक की परीक्षा में श्रेणी "जेड" के लिए उत्तीर्ण हुए तमिलनाडु के सफल उम्मीदवारों को श्रेणी "एक्स" और "वाई" के अन्तर्गत आने वाले केन्द्रीय सरकार के विभिन्न कार्यालयों में रिक्त पदों पर नियुक्ति आदेश जारी किए गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बीरेन सिंह ऐंगती) : (क) से (ग). वर्ष 1986 में ली गई परीक्षा में तमिलनाडु से 300 उम्मीदवारों ने अवर श्रेणी लिपिकों के "जेड" श्रेणी के पदों पर नियुक्ति के लिए अर्हता प्राप्त की थी। इनमें से 55 उम्मीदवार विज्ञापन में निर्धारित पात्रता के मानदण्ड पूरा करते थे और इसलिए श्रेणी "जेड" पदों के लिए नामित कर दिए गए थे। शेष 245 उम्मीदवारों से कहा गया था कि वे पश्चिमी तथा उत्तरी क्षेत्रों के स्थानों के लिए जहां रिक्तियां विद्यमान थी अपनी वरीयता दें। उनके द्वारा निर्दिष्ट की गई वरीयताओं के अनुसार उन्हें नामित कर दिया गया है।

कलपाक्कम परमाणु अनुसंधान केन्द्र के निकट प्रदूषण

2839. **श्रीमती वैजयन्ती माला बाली** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कलपाक्कम स्थित इन्दिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केन्द्र के निकट हाल ही में कुछ लोगों पर रेडियो-धर्मिता निकलने अथवा समुद्री क्षेत्रों में विषैले रासायनिक अपशिष्टों के कारण प्रदूषण का असर हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या अनुसंधान केन्द्र ने अपशिष्ट पदार्थों को फेंकने और परिणामस्वरूप वायु तथा समुद्री जल के प्रदूषण प्रसार से पूर्व उनका उपचार करने के लिए कार्यवाही की है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) और (ख). इस केन्द्र के सभी ओर के पर्यावरण से लिए गए वायु, मिट्टी, जल तथा वनस्पतियों के नमूनों की जांच पर्यावरण

सर्वेक्षण प्रयोगशाला में 1975 से की जाती रही है। पर्यावरण में तथा केन्द्र से बाहर निकलने वाले पदार्थों में रेडियोधर्मिता की मात्रा में कोई भी मापने योग्य वृद्धि नहीं पाई गई है।

सिंचाई का विकास करने के लिए घाटियों को जोड़ना

2840. **श्री सोमनाथ रथ : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

(क) क्या सिंचाई का विकास करने के लिए देश के विभिन्न घाटियों को जोड़ने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है :

(ख) यदि हां, तो घाटियों को जोड़ने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में उड़ीसा में कोई सर्वेक्षण किया गया है ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री तथा जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख). राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य जिसमें नदियों को परस्पर जोड़ने तथा भण्डारणों के निर्माण से कमी वाले क्षेत्रों को अधिशेष जल के अन्तरण की परिकल्पना की गई है, तैयार किया गया है। परिप्रेक्ष्य के दो घटक हैं, अर्थात (i) हिमालय नदियों का विकास तथा (ii) प्रायद्वीपीय नदियों का विकास तथा इस प्रयोजन हेतु सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण ने दूसरे घटक के अध्ययन को हाथ में लिया है।

(ग) प्रायद्वीपीय नदी विकास घटक के किए जा रहे अध्ययन में उड़ीसा के सम्पर्क भी शामिल किए गए हैं।

पुलिस हिरासत में मृत्यु

2841. **श्री कमला प्रसाद सिंह : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) दिल्ली में गत 12 महीनों के दौरान पुलिस की हिरासत में कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई ;

(ख) क्या ऐसे सभी मामलों में विभागीय अथवा मजिस्ट्रेट द्वारा जांच के आदेश दिए गए थे ;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले ;

(घ) जांच में दोषी पाए गए पुलिस कर्मियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) कितने पुलिस कर्मियों के विरुद्ध जांच की कार्यवाही चल रही है और जांचों को शीघ्रता से पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) 1 (एक)

(ख) मजिस्ट्रेट द्वारा जांच के आदेश दिए गए हैं।

(ग) जांच पूरी होने के बाद निष्कर्ष निकलेंगे।

(घ) और (ङ). प्रारम्भिक जांच के आधार पर एक निरीक्षक, 2 उप-निरीक्षक तथा 4 कान्स्टेबलों को निलम्बित किया गया है।

तदर्थ नियुक्तियों के बारे में उच्चतम न्यायालय का निर्णय

2842. **श्री कमला प्रसाद सिंह :** क्या प्रधान मन्त्री तदर्थ नियुक्तियों के बारे में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बारे में 6 मई, 1987 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9281 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि इसे सभी सरकारी कार्यालयों में एक नीति के रूप में लागू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बीरेन सिंह ऐंगती) : श्री नरेन्द्र चड्ढा बनाम भारत संघ के मामले में, उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 11 फरवरी, 1986 के अपने निर्णय में यह सामान्य निदेश नहीं दिया है कि यह निर्णय तदर्थ नियुक्ति जो बाद में नियमित नियुक्ति हो जाती है, के सभी मामलों में लागू किया जाना चाहिए। अतः उक्त निर्णय में दिए गए लाभों को सभी सरकारी कार्यालयों में एक सामान्य नीति के रूप में मंजूर किए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

पंजाब से आए लोगों की मांगें

2843. **श्री श्रीहरि राव :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुलिस ने हाल ही में उनके निवास के बाहर पंजाब से आए कुछ लोगों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले फैंके थे ; और

(ख) यदि हां, तो इन लोगों की मुख्य मांगे क्या हैं और उन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चिन्तामणि पाणिग्रही) : (क) और (ख). आप्रवासियों के एक ग्रुप को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने केन्द्रीय गृह मन्त्री के निवास के बाहर 5-9-1987 को तब अश्रु-गैस का प्रयोग किया, जब वे दंगाई हो गए और उन्होंने अवरोधों को तोड़ दिया। अश्रु-गैस का प्रयोग तभी किया गया जब बार-बार चेतावनी देने का कोई असर नहीं हुआ।

उनकी मुख्य मांगों में पंजाब से आए आप्रवासियों को वास्तविक आप्रवासी घोषित करना, उनके शिविरों में मासिक भत्ते की नियमित अदायगी करना, बेहतर सफाई और अन्य नागरिक सुविधाएं इत्यादि की व्यवस्था करना सम्मिलित है।

दिल्ली प्रशासन के अनुसार पंजाब सरकार से प्राप्त सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर ही वे यह घोषित करते हैं कि क्या कोई अप्रवासी परिवास वास्तविक है अथवा नहीं। चूंकि विभिन्न शिविरों में बड़ी मात्रा में नकदी ले जाना सुरक्षित नहीं है अतः भुगतान तीस हजारी न्यायालय शाहदरा न्यायालय, पटियाला हाऊस न्यायालय और एस० डी० एम० (दक्षिण) के न्यायालय में किया जाता है। सरकारी शिविरों में रह रहे आप्रवासियों को पर्याप्त नागरिक सुविधाएं उपलब्ध करायी जा रही हैं।

विदेशों से धन प्राप्त करने वाले संगठन

2844. **श्री सी० जंगा रेड्डी :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1986 में गैर-सरकारी संगठनों को विदेशी अंशदान के रूप में लगभग 434 करोड़ रुपये की धनराशि प्राप्त हुई थी और इसमें से लगभग 40 करोड़ रुपए की धनराशि ऐसे शीर्षों के अन्तर्गत प्राप्त की गई थी, जो सरकार द्वारा स्वीकृत सूची के 27 शीर्षों में से किसी के भी अन्तर्गत नहीं आते हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में तथ्य क्या हैं ; और

(ग) सरकार द्वारा स्वीकृत सूची के शीर्ष कौन से हैं और उन संगठनों के नाम क्या हैं, जिन्होंने इन शीर्षों से भिन्न शीर्षों के अन्तर्गत विदेशों से धन प्राप्त किया है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) से (ग). 18-8-1987 को विभिन्न संगठनों द्वारा वर्ष 1986 के दौरान विदेशी अभिदाय के रूप में लगभग 434 करोड़ रुपए प्राप्त करने की सूचना दी गई थी। सरकार ने ऐसे 23 प्रकार के मुख्य प्रयोजनों का पता लगाया है जिनके लिए विभिन्न संगठनों द्वारा अधिकांश विदेशी अभिदाय प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार के उद्देश्यों की श्रेणी की सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

40 करोड़ रुपए की राशि (1986 में नहीं बल्कि 1984 के दौरान विभिन्न संगठनों द्वारा प्राप्त 253 करोड़ रुपए में से) संगठनों द्वारा ऐसे प्रयोजनों के लिए प्राप्त की गई थी जो "ऊपर वर्णित से भिन्न कोई अन्य प्रयोजन" की श्रेणी अर्थात् अन्तिम श्रेणी में आते हैं।

विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए विदेशी अभिदाय प्राप्त करने वाले संगठनों के नामों और उनकी राशियों की अत्यधिक संख्या होने के कारण इसको सभा पटल पर रखना सम्भव न होगा।

विवरण

प्रारूप वि०अ० 9

(नियम 8 देखिए)

चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा दिए जाने वाला प्रमाण पत्र

मैंने/हमने···(संगम का नाम और पूरा पता जिसके अन्तर्गत राज्य और पिन कोड भी है और यदि रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी है तो उसका रजिस्ट्रीकृत संख्यांक और रजिस्ट्रीकरण का राज्य भी है), के० 31-12-198 को समाप्त होने वाले कलैंडर वर्ष के लेखाओं की संपरीक्षा की है और यह प्रमाणित किया जाता है कि संपरीक्षित लेखाओं के अनुसार :—

(i) 198 वर्ष के आरम्भ में अग्रनीत विदेशी अभिदाय···रुपए···पैसे था।

(ii) कलैंडर वर्ष 198 के दौरान संगम ने···रुपए का/के समतुल्य विदेशी अभिदाय प्राप्त किया।

(iii) वर्ष 198 की समाप्ति पर संगम के पश्चात अनुपयोजित विदेशी अभिदाय का अवशेष···रुपए था।

(iv) वर्ष के दौरान निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए···रुपए की/के समतुल्य राशि के विदेशी अभिदाय का उपयोजन किया गया है :—

क्र० सं०	विदेशी अभिदाय का किस-प्रयोजन के लिए उपयोग किया गया	उपलभ्य कुल रकम		उपयोजित	अतिशेष
		पूर्व अतिशेष	चालू प्राप्तियां		
1	2	3	4	5	6
	(i) अनाथों की देखभाल				
	(ii) निम्नलिखित का रख-रखाव और मरम्मत : (क) चर्च, (ख) गुरु-द्वारा, (ग) अग्नि मंदिर (घ) मस्जिद, (ङ) मन्दिर, (च) बौद्ध संघ, (छ) अन्य (उपयुक्त मद पर निशान लगाएं)				
	(iii) धार्मिक पुस्तकों, पत्रों और अन्य धार्मिक साहित्य का प्रकाशन				
	(iv) धार्मिक से भिन्न पुस्तकों, पत्रों और अन्य साहित्य का प्रकाशन				
	(v) निम्नलिखित का निर्माण/विस्तार (क) चर्च, (ख) गुरु-द्वारा, (ग) अग्नि मन्दिर, (घ) मस्जिद (ङ) मन्दिर, (च) बौद्ध संघ, (छ) अन्य (उपयुक्त मद पर निशान लगाएं)				
	(vi) निर्धन, वृद्ध और निशक्तों के लिए सहायता				

1	2	3	4	5	6
	(vii) सेमीनार और अधिवेशन				
	(viii) उपदेशकों/पण्डितों की धार्मिक शिक्षा				
	(ix) धार्मिक समारोह				
	(x) धार्मिक से भिन्न समारोह				
	(xi) छात्रावासों का निर्माण और रख-रखाव				
	(xii) विद्यालयों/महाविद्यालयों का निर्माण और रख-रखाव				
	(xiii) कृषि सम्बन्धी कार्य				
	(xiv) पशुधन				
	(xv) ग्राम विकास				
	(xvi) तकनीकी शिक्षा				
	(xvii) अनुसंधान				
	(xviii) वृत्तियां और छात्रवृत्तियां				
	(xix) वृत्तिक प्रशिक्षण				
	(xx) स्वास्थ्य सेवा और परिवार नियोजन				
	(xxi) प्राकृतिक विपदाओं के लिए सहायता				
	(xxii) दंगा पीड़ितों की सहायता				
	(xxiii) ऊपर वर्णित से भिन्न कोई अन्य प्रयोजन				
	योग :				

(2) प्रमाणित किया जाता है कि संगम के विदेशी अभिदायों के लेखे और उससे सम्बन्धित अभिलेख विदेशी अभिदाय (विनियमन) नियम, 1986 के नियम 8(1) के साथ पठित विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 की धारा 13 में विनिर्दिष्ट रीति से रखे गए हैं।

(3) ऊपर दी गई जानकारी मेरी/हमारी जांच के अनुसार सही है।

चार्टर्ड एकाउंटेंट के हस्ताक्षर

आन्ध्र प्रदेश के मल्लीपल्ली बस डिपो से रेडियोधर्मी पेंसिल का खो जाना

2845. **श्री राम बहादुर सिंह : क्या प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश के नलगोण्डा जिले में मल्लीपल्ली बस डिपो से एक उच्च रेडियोधर्मी ईरेडियम पेंसिल खो गई है ;

(ख) क्या हैदराबाद में परमाणु ईंधन कम्पलेक्स से सम्बन्धित एक विशेषज्ञ दल ने पेंसिल के खोने के बारे में छानबीन की है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) एक कम शक्ति की रेडियोधर्मी इरेडियम पेंसिल, जो एक प्राइवेट कम्पनी की थी, के गुम होने की सूचना दिसम्बर, 1986 में मिली थी।

(ख) और (ग). न्यूक्लियर ईंधन सिम्मश्र के विशेषज्ञ विकिरण का पता लगाने वाले उपकरण लेकर सम्बन्धित स्थल तथा उसके आस-पास के क्षेत्रों में इस घटना की जांच के लिए पहुंच गये थे। जांच से पता लगा कि वह पेंसिल सीसे के पात्र में थी, तथा क्योंकि उसकी रेडियोधर्मिता पहले ही क्षीण हो चुकी थी और रेडियोमिता की मात्रा केवल 0.25 क्यूरी थी, अतः वह पेंसिल कोई हानि नहीं पहुंचा सकती थी।

केन्द्रीय जांच ब्यूरो के जाली पहचान-पत्र

2846. **श्री पी० एम० सईद :**

श्री विष्णु मोदी :

चौधरी राम प्रकाश :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में कुछ ऐसे तस्कर पकड़े गए हैं जो अपनी अपराधी गतिविधियों के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो के जाली पहचान-पत्रों का उपयोग करते थे ;

(ख) यदि हां, तो मामले का ब्योरा क्या है ;

(ग) तस्करों की कार्य-प्रणाली का ब्योरा क्या है ; और

(घ) इस सम्बन्ध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के जाली पहचान पत्र रखने वाले तस्करों से प्राप्त

सूत्रों के आधार पर बिहार के जिला गौंडा के एक सलामत उल्लाह अंसारी उर्फ कादरी के घर की तलाशी ली गई जिसमें खाली कार्ड, रबड़ की मुहरें आदि जैसे अभिशंसी दस्तावेज/वस्तुएं बरामद की गई। जांच से यह पता चला कि उक्त अभियुक्त निषिद्ध स्वापकों (नारकोटिक्स) सहित सऊदी अरब की यात्रा करने की योजना बना रहे थे और अपनी इन गतिविधियों को छिपाने के लिए केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के जाली पहचान पत्रों का इस्तेमाल कर रहे थे। तथापि ये जाली कार्ड आकार अथवा क्वालिटी-दोनों ही दृष्टियों से केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के पहचान पत्रों की हूबहू नकल नहीं थे।

(घ) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में हाल ही में परतदार (लैमीनेटेड) पहचान पत्र बनाए गए हैं जिनकी नकल तैयार करने या जालसाजी करने में कठिनाई होगी।

गत छः महीनों में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा मारे गए छापे

2847. **श्री पी० एम० सईद :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समस्त भारत में गत छः महीनों के दौरान गलत तरीकों से धन जमा करने वाले सरकारी अधिकारियों को पकड़ने के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा कितने छापे मारे गए ; और

(ख) इन छापों के दौरान बरामद सम्पत्ति और धन का ब्योरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) पिछले छह महीनों के दौरान अर्थात् 1-5-87 से 31-10-87 तक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने इस अवधि में चलाए गए चार विशेष अभियानों के अनुसरण में 13 सरकारी कर्मचारियों के रिहायशी/कार्यालय परिसरों की 31 तलाशियां ली थी।

(ख) निम्नलिखित चल/अचल परिसम्पत्तियों का पता चला है :

चल परिसम्पत्तियां 33.72 लाख रुपये

अचल परिसम्पत्तियां 72.65 लाख रुपये

'रोबोटिक्स' पर किए गए कार्य का परिणाम

2848. **श्री पी० एम० सईद :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के निदेशक ने 'रोबोटिक्स' पर किए गए कार्य के कुछ सकारात्मक परिणाम प्राप्त होने का संकेत दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उससे क्या लाभ मिलने की सम्भावना है ;

(ग) क्या 'ध्रुव' रिएक्टर अभी भी कार्य कर रहा है ; और

(घ) यदि हां, तो इसका भावी अनुमानित जीवन काल कितना है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) जी, हां।

(ख) ये मशीनें उच्च रेडियोधर्मिता वाले क्षेत्रों में काम में लाने के लिए उपयोगी हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) ध्रुव रिएक्टर का सामान्य कार्यकाल लगभग 25 वर्ष है। तथापि, प्रचालन तथा अनुरक्षण की अच्छी प्रक्रियाएं अपनाकर यह कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है।

दिल्ली में हुए दंगों के पीड़ितों को राहत

2849. **श्री पी० एम० सईद :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पुरानी दिल्ली में हाल ही में हुए दंगों से प्रभावित परिवारों को राहत देने की योजना को अन्तिम रूप दे दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चिन्तामणि पाणिग्रही) : (क) और (ख). जी नहीं, श्रीमान्। तथापि, दिल्ली प्रशासन के अनुसार प्रत्येक मृतक के निकट सम्बन्धी को 20,000 रुपए की दर से और गम्भीर रूप से घायल प्रत्येक व्यक्ति को 2,500 रुपए दिए गए।

संयुक्त राज्य अमरीका से अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण

2850. **श्री एस० एम० गुरड्डी :**
श्री जी० एस० बसवराजू :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संयुक्त राज्य अमरीका से अत्याधुनिक उपकरण सप्लाई करने का अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिकी और अन्तरिक्ष विभाग में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) और (ख). सूचना एकत्र की जाएगी तथा लोक सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

संयुक्त उद्यम के क्षेत्र में भारत-सोवियत सहयोग

2851. **श्री एस० एम० गुरड्डी :**
श्री जी० एस० बसवराजू :
श्री के० प्रधानी :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और सोवियत संघ ने विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में कोई संयुक्त उद्यम आरम्भ किए हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) इन परियोजनाओं को कब तक कार्यान्वित किया जाएगा ; और

(घ) इन उद्यमों से दोनों देशों को किस सीमा तक लाभ होगा ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) जी हां, प्रधानमन्त्री के सोवियत संघ के दौरे के दौरान 3 जुलाई, 1987 को मास्को में भारत गणराज्य और सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सहयोग के एक समेकित दीर्घावधि कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किए गए।

(ख) इस कार्यक्रम में दोनों देशों के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी में दीर्घावधि सहयोग (सन 2000 तक) का प्रावधान है। इस कार्यक्रम के तीन आधारभूत अवयव है : (i) विज्ञान और प्रौद्योगिकी के सीमान्त विषयों से सम्बन्धित ध्रस्ट क्षेत्रों में सहयोग, (ii) विज्ञान के चुनिन्दा क्षेत्रों में मूल अनुसंधान में सहयोग तथा (iii) विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भावी सहयोग के लिए अन्य क्षेत्रों का पता लगाना।

ध्रस्ट क्षेत्र हैं : (i) जैव-प्रौद्योगिकी तथा प्रतिरक्षा विज्ञान, (ii) सामग्री विज्ञान और प्रौद्योगिकी, (iii) लेजर विज्ञान और प्रौद्योगिकी, (iv) उत्प्रेरण, (v) अन्तरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी, (vi) सिंक्रोट्रॉन विकिरण स्रोत, (vii) जल पूर्वेक्षण तथा (viii) कम्प्यूटर और इलेक्ट्रानिकी।

दोनों पक्ष गणित विज्ञान, सैद्धान्तिक और अनुप्रयुक्त यांत्रिकी, भूमिविज्ञान, रेडियोभौतिकी और ताराभौतिकी ; पारिस्थितकी और पर्यावरण, रसायन विज्ञान और जैविकी में मूल अनुसंधान में अपने मौजूदा सहयोग को जारी रखने तथा और उसे बढ़ाने के लिए भी सहमत हो गए हैं।

इसके अलावा, दोनों पक्ष भावी सहयोग के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अन्य सम्भव क्षेत्रों, जैसे उच्च वोल्टता ट्रांसमिशन और यन्त्रीकरण, का पता लगाने के लिए सहमत हो गए।

यह कार्यक्रम वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों के एक-दूसरे के देशों के दौरों (लम्बी अवधि के दौरे पर परिवार सहित) ; संयुक्त कार्यक्रम के कार्यान्वियन के लिए सहयोगात्मक वैज्ञानिक केन्द्रों और दलों के सृजन ; द्विपक्षीय संगोष्ठियों के आयोजन ; वैज्ञानिक और तकनीकी सूचना के आदान-प्रदान तथा सामान्य अनुसंधान और विकास कार्यों के परिणामों के बंटवारे के जरिए कार्यान्वित किया जाएगा।

इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन और समन्वय के लिए दोनों पक्ष एक भारत-सोवियत संयुक्त परिषद स्थापित करने के लिए सहमत हो गए हैं। भारतीय पक्ष की ओर से एक अविरल राष्ट्रीय नीति तैयार करने तथा समग्र समन्वय के सुविधाजनक बनाने के लिए राष्ट्रीय समन्वय समिति का गठन किया गया है। भारतीय पक्ष की ओर से विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग तथा सोवियत पक्ष की ओर से यू० एस० एम० आर० विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य समिति इस कार्यक्रम का समन्वय कर रही है।

(ग) यह समग्र कार्यक्रम सन् 2000 तक चलेगा और पारस्परिक सहमति से इसे आगे बढ़ाया जा सकता है। अलग-अलग गतिविधियों की अवधि निर्धारित समय-सारणी और उनके निष्पादन समय पर आधारित होगी।

(घ) आशा है कि भारत और सोवियत संघ को अभिनिर्धारित क्षेत्रों में सहयोग के जरिये वैज्ञानिक ज्ञान में होने वाली वृद्धि तथा नई प्रौद्योगिकीय प्रगति से लाभ होगा।

स्वतन्त्रता सेनानियों के पेन्शन के मामले

2852. **प्रो० नारायण चन्द पराशर :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वतन्त्रता सेनानियों के पेन्शन स्वीकृति के 1979 तक के अनेक दावों को सरकार द्वारा इस आधार पर रद्द कर दिया गया था कि उनकी वार्षिक आय 5000 रुपये से अधिक है ;

(ख) क्या पेंशन स्वीकृत करने की योजना 1980 में उदार बना दी गई थी और आय की सीमा समाप्त कर दी गई थी ;

(ग) क्या पहले रद्द किए गए मामलों की पुनः जांच की गई थी और पेन्शन स्वीकृत कर दी गई थी ;

(घ) यदि हां तो 1979 तक आय की सीमा के आधार पर कितने मामले रद्द किए गए थे और योजना के उदार बनाए जाने के बाद इनमें से कितने मामलों में पेन्शन स्वीकृत की गई ;

(ङ) क्या हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर के कुछ दावेदार इस श्रेणी के हैं जिनके दावे निरन्तर प्रयास करने के बावजूद अभी तक स्वीकृत नहीं किए गए हैं ; और

(च) यदि हां, तो ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है, उनके मामलों में अभी तक पेन्शन स्वीकृत न किए जाने के क्या कारण हैं तथा इन मामलों को कब तक निपटाए जाने की सम्भावना है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चिन्तामणि पाणिग्रही) : (क) से (च). स्वतन्त्रता सेनानी पेन्शन योजना, 1972 के अधीन उन स्वतन्त्रता सेनानियों को पेन्शन दी गई थी जिन्होंने योजना के अन्तर्गत पात्रता शर्तें पूरी की थीं लेकिन जिनकी वार्षिक आय 5,000 रुपये से अधिक न थी। योजना को उदार बनाया गया और इसका नाम बदलकर स्वतन्त्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना 1980 रखा गया तथा 1-8-1980 से आय सीमा को समाप्त कर दिया गया। इस तथ्य का विस्तृत प्रचार किया गया और पात्र स्वतन्त्रता सेनानियों से नए आवेदन मांगे गए। नई योजना के अन्तर्गत आवेदन करने वाले व्यक्तियों को पेन्शन दी गई यदि उनकी यातनाएं योजना की पात्रता शर्तों के अनुरूप सिद्ध हुई। ऐसे व्यक्तियों का कोई अलग रिकार्ड नहीं रखा जाता जिनके मामले 1972 की योजना के तहत आय सीमा के कारण पहले अस्वीकृत कर दिए गए थे और जिनको 1980 की योजना के तहत बाद में पेंशन दे दी गई थी।

राम जन्मभूमि तथा बाबरी मस्जिद का मामला

2853. **प्रो० नारायण चन्द पराशर :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राम जन्म-भूमि और बाबरी मस्जिद के मामले का समाधान करने के बारे में कोई प्रयास किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) और (ख). मामले का हल निकालने के लिए इस मामले की जांच हेतु 27 अप्रैल, 1987 को मानव संसाधन-विकास, गृह, वित्त तथा सुरक्षा मन्त्रालयों के मन्त्रियों का एक दल गठित किया गया है। दल द्वारा विचार-विमर्श किया जा रहा है।

भू-जल के सम्बन्ध में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद् की सिफारिशें

2854. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल :** क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चाधिकार प्राप्त राष्ट्रीय जल संसाधन विकास परिषद ने सूखा प्रवण क्षेत्रों में भू-जल संसाधनों के उचित विकास की सिफारिश की है और सूखे के स्थायी हल निकालने और उससे सुरक्षा के लिए सूखा राहत कार्यों पर बल दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अन्य क्या सिफारिशें की गई हैं ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री तथा जल संसाधन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम विलास मिर्धा) : (क) और (ख). दल द्वारा तैयार की गई राष्ट्रीय जल नीति में, जिसको राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद ने कुछ संशोधनों के साथ स्वीकार किया है, कहा गया है :

> सूखा प्रवण क्षेत्रों को मृदा-आर्द्रता संरक्षण उपायों, जल शायता व्यवहारों, वाष्पीकरण हानियों को न्यूनतम करना, भूजल क्षमता विकास और जहां, व्यवहार्य तथा उपयुक्त हो अधिशेष क्षेत्रों से सतही जल के अन्तरण के माध्यम से सूखा-सम्बद्ध समस्याओं के प्रति सूखा प्रवण क्षेत्रों की असुरक्षा कम की जानी चाहिए। चारागाहों, वनरोपण तथा विकास के अन्य तरीके जिन्हें जल की कम जरूरत होती है, को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। जल संसाधन विकास परियोजनाओं की आयोजना में सूखा-प्रवण क्षेत्रों की आवश्यकताओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। सूखे से प्रभावित लोगों को रोजगार प्रदान करने के वास्ते शुरू किए गए राहत-कार्य विशेष रूप से सूखा सह्यकरण के लिए होने चाहिएं।

इलेक्ट्रानिक उपकरणों का निर्यात

2855. **श्री के० राममूर्ति :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अक्टूबर, 1986 में जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान और सिंगापुर का दौरा करने के करने "इलेक्ट्रॉनिक कम्पोनेन्ट इंडस्ट्रीज एसोसिएशन" द्वारा भेजे गए प्रतिनिधिमण्डल की रिपोर्ट में क्या सिफारिशें की गई हैं ; और

(ख) भारत से इन देशों को इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्यात की अच्छी सम्भावनाओं का लाभ उठाने के लिए सरकार ने उन सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) इलेक्ट्रॉनिक संघटक-पुर्जा उद्योग संघ (एलिसना) के जिस शिष्टमण्डल ने अक्टूबर, 1986 में सुदूर पूर्व देशों का दौरा किया था, उसकी सिफारिशें नीचे दिए अनुसार हैं :

1. यद्यपि इलेक्ट्रानिक संघटक-पुर्जा उद्योग को पहले ही लाइसेन्स मुक्त कर दिया गया है, तथापि परियोजनाओं को क्रियान्वित करने की कुछ कार्यविधियों कारगर बनाने की जरूरत है ताकि पंजीकरण की तारीख से 6 महीने के अन्दर उत्पादन शुरू हो सके।

2. वर्तमान इकाइयों को अपने-अपने संयंत्रों को आधुनिक बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना आवश्यक है। मशीनरी पर लगने वाला 55 प्रतिशत का वर्तमान आयात शुल्क एक बाधा सिद्ध हो रही है। इलेक्ट्रानिक संघटक—पुर्जा उद्योग के मामले में आधुनिकीकरण के लिए पूंजीगत वस्तुओं पर आयात शुल्क 25 प्रतिशत होना चाहिए। इलेक्ट्रानिक संघटक पुर्जा उद्योग को 25 प्रतिशत की दर से दी जाने वाली परियोजना विषयक आयातों की सुविधा दी जाती रहनी चाहिए।

3. "एल्सिना" ने अनेक नई वस्तुओं को खुले सामान्य लाइसेन्स में शामिल करने की पहले ही सिफारिश की है ताकि देश में जो पूंजीगत वस्तुएं नहीं बनाई जातीं उनके लिए आयात लाइसेन्स प्राप्त करने की औपचारिकताओं में कोई समय व्यर्थ न चला जाए।

4. कच्ची सामग्रियों तथा पुर्जों पर लगने वाले आयात शुल्क का एक ढांचा सरकार ने तैयार कर लिया है तथा दिनांक 16 जून, 1986 को इस आशय की एक अधिसूचना भी जारी कर दी गई है जिसमें कुछ कच्ची सामग्रियों को 30 प्रतिशत पर तथा छोटे-छोटे पुर्जों को 45 प्रतिशत पर आयात करने की अनुमति दी गई है। किन्तु इस सूची की समीक्षा की जानी चाहिए तथा इसमें और ऐसी कच्ची सामग्रियों और कलपुर्जों को शामिल किया जाना चाहिए जिन पर अभी भी 250 प्रतिशत की ऊंची दर पर शुल्क अदा करना पड़ता है। खुले सामान्य लाइसेन्स की सूची में शामिल करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा संघटक-पुर्जा उद्योग के लिए ऐसी कच्ची सामग्रियों का पता लगाने का प्रयास जारी रखा जाना चाहिए जिनका विनिर्माण स्वदेश में नहीं होता है ताकि उत्पादन में किसी प्रकार की रुकावट न आए।

निर्यात प्रोत्साहन: निर्यात के लिए किए जाने वाले उत्पादन को तेज करने के उद्देश्य से वर्तमान निर्यात-प्रोत्साहनों की समीक्षा करने की जरूरत है, जो आज की आवश्यकताओं की तुलना में काफी कम है।

5. सभी इलेक्ट्रॉनिक संघटक-पुर्जों के लिए सम्पूर्ण उद्योग की प्रति अदायगी की दर निर्धारित की जानी चाहिए।

6. स्वदेशी उद्योग को जिन बाधाओं का सामना करके कार्य करना पड़ता है उन्हें ध्यान में रखते हुए 15% की वर्तमान क्षतिपूर्ति सहायता बहुत कम है। हम 25% की उच्चतर दर पर नकद क्षतिपूर्ति सहायता का सुझाव देते हैं।

7. जहां तक हवाई माल-भाड़ा का सम्बन्ध है, स्वदेशी उद्योग को सुदूर पूर्व के देशों के अपने प्रतिस्पर्धियों की तुलना में काफी अलाभ परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। "एल्सिना" ने सरकार के समक्ष पहले ही इस आशय का आवेदन प्रस्तुत किया है कि निर्यात के लिए हवाई जहाज द्वारा जो सामान भेजे जाते हैं उन पर 20 रु० प्रति किलोग्राम से अधिक दर से प्रभार न लिया जाए।

(ख) इलेक्ट्रॉनिक के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा अनेक वित्तीय तथा अन्य संवर्धनात्मक उपाय किए गए हैं। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण उपाय नीचे दिए अनुसार हैं:

1. इलेक्ट्रानिक उद्योग के लिए 15% नकद क्षतिपूर्ति सहायता निर्धारित की गई है। उन्हें निर्यात के जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 20% की दर से संपूर्ति लाइसेन्स भी प्राप्त करने का हक है।

2. निम्नलिखित इलेक्ट्रॉनिक संघटक-पुर्जों के मामले में सम्पूर्ण उद्योग के लिए प्रति अदायगी शुल्क की दरें निर्धारित की गई हैं :

(i) दूरवीक्षण एरियल

(ii) टागल स्विचें

(iii) ढलवां मिश्रधातु के स्थायी चुम्बक

(iv) परिवर्तनशील पी. वी. सी. गैंग कंडेंसर

(v) मध्यवर्ती आवर्त्ति ट्रांसफार्मर

(vi) 20 इंची श्याम तथा श्वेत दूरदर्शन पिक्चर ट्यूब

(vii) 14 इंची श्याम तथा श्वेत दूरदर्शन पिक्चर ट्यूब

(viii) कार्बन फिल्म प्रतिरोधक (1/4 तथा 1/2 वाट)

(ix) एल्यूमीनियम विद्युत अपघटनी संधारित्र (केपेसिटर) (टेप किया हुआ)

(x) अल्यूमीनियम विद्युत अपघटनी संधारित्र (केपेसिटर) टेप न किया हुआ

(xi) रजत अभ्रक संधारित्र (केपेसिटर) प्लेटें।

सरकार महत्वपूर्ण उत्पादों का पता लगाने की नीति भी अपना रही है तथा निर्यात की क्षमता रखने वाली कम्पनियों के साथ निरन्तर रूप से बातचीत कर रही है ताकि उन्हें अधिक मात्रा में निर्यात करने में सहायता प्रदान की जा सके।

बेरोजगारों की संख्या में वृद्धि

2856. श्री पी॰ पेंचालैया : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय बेरोजगारों की संख्या में किस दर से वृद्धि हो रही है ;

(ख) क्या सरकार बेरोजगारों की बढ़ती हुई संख्या को कम करने के लिए कदम उठा रही है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुखराम) : (क) वर्ष 1983 के राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के अद्यतन पंचवर्षीय सर्वेक्षण के आंशिक और अनन्तिम परिणामों के आधार पर, मार्च, 1985 में अर्थात सातवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में बेरोजगारी (सामान्य अवस्थिति) का बैकलाग 5+ के आयु वर्ग के लिए 9.20 मिलियन

आंका गया था। सातवीं योजना की अवधि में, श्रमिक बल में होने वाली 39.38 मिलियन की निवल वृद्धि की तुलना में, 40.36 मिलियन मानक व्यक्ति वर्ष के बराबर अतिरिक्त रोजगार के सृजन की सम्भावना है। इसका अर्थ यह है कि लगभग श्रमिक बल में 2.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से होने वाली वृद्धि की तुलना रोजगार में 4 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से वृद्धि होने की सम्भावना है।

(ख) और (ग). सातवीं योजना की विकास सम्बन्धी कार्यनीति का केन्द्रीय तत्व उत्पादक रोजगार के अवसरों का सृजन करना है। क्षेत्रकीय निवेशों के अतिरिक्त, जिनसे रोजगार के अवसरों का विस्तार होगा, ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी और कम बेरोजगारी की समस्या से निपटने के लिए तीन प्रमुख गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम अर्थात राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम तथा एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम चल रहे हैं, जिनमें गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे लोगों के लिए विशेष जोर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, दो और स्कीमें हैं अर्थात् शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिए स्वतः रोजगार प्रदान कराने की स्कीम तथा शहरी गरीबों के लिए स्वतः रोजगार कार्यक्रम।

प्रधान मन्त्री द्वारा पाकिस्तान की सद्भावना यात्रा

2857. **श्री मानिक रेड्डी :** क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मन्त्री द्वारा निकट भविष्य में पाकिस्तान की सद्भावना यात्रा किये जाने की कोई योजना है ; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों के उत्थान के लिए खर्च की गई धनराशि

2858. **प्रो० चन्द्रभानु देवी :** क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुसूचिन जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के उत्थान पर कितनी धनराशि खर्च करने का विचार है ; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बच्चों को छात्रवृतियां देने पर कितनी धनराशि खर्च की गई ?

कल्याण मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कल्याण मन्त्रालय द्वारा संचालित केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के लिए 281.22 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। यह परिव्यय अनुसूचित जातियों के विशेष कम्पोनेंट प्लान की विशेष केन्द्रीय सहायता के लिए आबंटित 930.00 करोड़ रुपये तथा आदिवासी उपयोजना हेतु 756.00 करोड़ रुपये के अतिरिक्त है।

(ख) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है ।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की छात्रवृत्तियों के सम्बन्ध में स्वीकृत केन्द्रीय सहायता दर्शाने वाला विवरण

(लाख रुपयों में)

क्र०सं०	योजना का नाम	1984-85	1985-86	1986-87
1.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां	3988.00	1000.00	1155.00
2.	अस्वच्छ व्यवसायों में लगे व्यक्तियों के बच्चों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्तियां	38.36	25.28	13.12
	जोड़	4026.36	1025.28	1168.12

1. मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियों की स्कीम की वित्तपोषण भारत सरकार द्वारा, प्रत्येक योजना (जिसका वित्त पोषण राज्य सरकार अपने निजी कोष से करती है) के अन्त तक हुए खर्च की प्रतिबद्ध राशि के अतिरिक्त 100 प्रतिशत आधार पर किया जाता है । छठी योजना के अन्त तक प्रतिबद्ध व्यय 88.53 करोड़ रुपये था ।

2. अस्वच्छ व्यवसायों में लगे व्यक्तियों के बच्चों की मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्तियों की स्कीम अन्तर्गत प्रतिबद्ध मात्रा के अतिरिक्त व्यय का वित्तपोषण केन्द्र तथा राज्य सरकारों के बीच 50:50 आधार पर किया जाता है । छठी योजना के अन्त तक प्रतिबद्ध व्यय 114.10 लाख रुपये था ।

[अनुवाद]

आन्ध्र प्रदेश की योजनाओं को केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति

2859. **श्री बी० शोभनाद्रीश्वर राव** : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार श्री राम सागर चरण - दो, मोडीकुना बागु, पालम बागु और वरदराजस्वामी परियोजनाओं के प्रस्तावों की जांच कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो इन योजनाओं को स्वीकृति देने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ; और

(ग) इन योजनाओं को किस तारीख तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री तथा जल संसाधन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग). वरदा राजा स्वामी परियोजना को छोड़कर सभी परियोजनाओं पर टिप्पणियों उनकी अनुपालना हेतु आन्ध्र प्रदेश सरकार को भेज दी गई है ।

स्वयं-सेवी संगठनों द्वारा आय-व्यय सम्बन्धी विवरणियां भरा जाना

2860. **श्री बी० शोभनाद्रीश्वर राव :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 2705 स्वयं-सेवी संगठनों ने अपनी आय-व्यय सम्बन्धी विवरणियां नहीं भरी हैं ; और

(ख) यदि हां, तो स्वयं-सेवी संगठनों द्वारा धनराशि के उपयोग पर प्रभावी रूप से निगरानी रखने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) और (ख). 2705 संगठन ऐसे हैं जिन्होंने वर्ष 1985 के दौरान कोई भी आय-व्यय सम्बन्धी विवरण नहीं भरे थे । आय-व्यय विवरण भेजने के लिए उन्हें पत्रों द्वारा निर्देश भी जारी किए गए थे । उक्त पत्रों में यह भी कहा गया था कि यदि संगठन ने कोई भी विदेशी अभिदाय प्राप्त नहीं किया तो भी उसे शून्य रिपोर्ट भेजनी होगी । तथापि, संगठनों द्वारा प्राप्त विदेशी अभिदाय के उपयोग पर नजर रखने के लिए विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम के अनुसार प्राप्तकर्ता संगठनों को अर्द्ध वार्षिक आधार पर विदेशी अभिदाय की प्राप्ति की सूचना देना तथा वार्षिक लेखों को चार्टर्ड लेखाकार द्वारा विधिवत प्रमाणित करके इस मन्त्रालय को प्रस्तुत करना अनिवार्य है ।

दिल्ली में पुलिस प्रणाली का आधुनिकीकरण

2861. **श्री रामस्वरूप राम :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में समय-समय पर हो रहे आतंकवादी हमलों का मुकाबला करने में पुलिस को समर्थ बनाने हेतु पुलिस प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए कोई योजना तैयार की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके लिए कितनी धनराशि नियत की गई है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) और (ख). दिल्ली में आतंकवाद के बढ़ते हुए खतरे से निपटने के लिए दिल्ली पुलिस नियंत्रण के लिए 104 अतिरिक्त पुलिस नियंत्रण कक्ष जीपें और 310 मोटर साईकिलों की स्वीकृति दी गई है । हाल ही में 25 और पुलिस स्टेशन, 12 और पुलिस सब डिवीजन और 3 और पुलिस जिले स्थापित करने की स्वीकृति भी दी गई है । इन स्वीकृतियों में लगभग 12 हजार और पदों का सृजन करना और दिल्ली पुलिस के लिए लगभग 668 और वाहनों का खरीदना सम्मिलित हैं । चालू वित्तीय वर्ष के दौरान व्यय को 5 करोड़ रुपए तक प्रतिबन्धित किया गया है ।

दिल्ली पुलिस ने सामरिक महत्व के स्थानों पर मजबूत अवरोधकों और स्वचालित हथियारों तथा वायरलैस सैटों से सज्जित कार्मिकों की 100 टुकड़ियां तैनात की हैं । आतंकवादियों से निपटने के लिए एक संचानात्मक कक्ष पहले ही स्थापित कर दिया गया है । आतंकवादियों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए पड़ोसी राज्यों के प्राधिकारियों और आसूचना एजेंसियों के साथ नियमित समन्वय बैठकें की जाती हैं । दिल्ली पुलिस के कार्मिकों को आधुनिक हथियारों के प्रयोग में भी प्रशिक्षित किया गया है और गोलीबारी का नियमित अभ्यास किया जाता है ।

वर्ष 1988-89 के लिए संसाधनों में कटौती

2862. **डा० बी० एल० शैलेश : क्या योजना मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1988-89 की योजना के लिए संसाधनों में कटौती किए जाने की सम्भावना है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर कितनी कटौती किए जाने का अनुमान है ;

(ग) चालू योजना अवधि की समाप्ति के वर्ष के दौरान इसका चालू योजना पर क्या प्रभाव पड़ेगा ; और

(घ) इससे उत्पादन हुई स्थिति का किस प्रकार सामना करने का विचार है ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुख राम) : (क) चालू वर्ष के संसाधनों की पुनरीक्षा सहित, वार्षिक योजना, 1988-89 के संसाधनों के मूल्यांकन सम्बन्धी विचार-विमर्श अगले वर्ष के बजटीय अभ्यास के भाग के रूप में, इस समय किए जा रहे हैं, जिनके अगले 2-3 महीनों तक जारी रहने की संभावना है। जो अन्तिम स्थिति उभरेगी, वह वर्ष 1988-89 के केन्द्रीय तथा राज्य के बजटों में परिलक्षित होगी। वार्षिक योजना 1988-89 के लिए संसाधनों की कमी के बारे में कुछ कहना अभी समय-पूर्व है।

(ख) से (घ). ये प्रश्न ही नहीं उठते।

ईसाई धर्म को अपनाने वाले अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों से प्राप्त अभ्यावेदन

2863. **प्रो० पी० जे० कुरियन : क्या कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ईसाई धर्म को अपनाने वाले अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों के संगठनों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें अनुसूचित जातियों और जनजातियों को प्राप्त संवैधानिक संरक्षण उन्हें भी प्रदान करने की मांग की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी, हां। कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ख) संविधान अनुसूचित जातियां आदेश, 1950 के अनुसार, "हिन्दू अथवा सिख धर्म से भिन्न धर्म अपनाने वाला कोई भी व्यक्ति अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं माना जाएगा।" इसे देखते हुए, अनुसूचित जातियों से ईसाई बने व्यक्तियों को, अनुसूचित जातियों को स्वीकार्य संवैधानिक संरक्षण देना सम्भव नहीं है।

दिल्ली वक्फ बोर्ड का कार्यकरण

2864. **श्री मोहम्मद महफूज अली खां : क्या कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा वक्फ बोर्ड के कार्यकरण की कभी जांच की गई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कल्याण मंत्रालय की राज्य मंत्री (डा० राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी) : (क) जी नहीं। ऐसा नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) संविधान के अनुच्छेद 239 की धारा (1) के अन्तर्गत, वक्फ अधिनियम, 1954 के अधीन राज्य सरकार की शक्तियां, दिल्ली प्रशासन को प्रदत्त की गई है।

समान सिविल संहिता

2865. **श्री सैयद शहाबुद्दीन : क्या विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रस्तावित समान सिविल संहिता की व्यवस्था करने वाले विधेयक का प्रारूप तैयार कर लिया गया है ;

(ख) विधेयक का प्रारूप तैयार करने में जिन संगठनों तथा संस्थाओं से परामर्श लिया गया और जिनके विचारों को ध्यान में रखा गया, उनके नाम क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार द्वारा प्रारूप का अनुमोदन कर दिया गया है ; और

(घ) क्या इस विधेयक को चालू सत्र में पुनःस्थापित किए जाने की संभावना है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) से (घ). सरकार एक समान सिविल संहिता बनाए जाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। सरकार की राय है कि ऐसा विधान लाए जाने के लिए आवश्यक वातावरण पूर्वापेक्षित है। विधेयक के प्रारूपण के सम्बन्ध में अभी तक किसी संगठन या संस्था से विचार-विमर्श नहीं किया गया है। तथापि जब भी आवश्यकता होगी, सम्बन्धित संगठनों और संस्थाओं से विचार-विमर्श किया जाएगा।

अर्द्धसैनिक बलों में अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व

2866. **श्री सैयद शाहबुद्दीन : क्या गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बलों में अल्पसंख्यकों को अधिक प्रतिनिधित्व देने के प्रधान मन्त्री के निर्देश को क्रियान्वित करने के उद्देश्य से सम्बद्ध प्राधिकारियों को आवश्यक प्रशासनिक निर्देश जारी किए गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रधान मन्त्री के निर्देश जारी होने के बाद केन्द्रीय आरक्षी पुलिस बल, सीमा सुरक्षा बल और केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल और अन्य केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बलों में अल्पसंख्यकों के अनुपात में वृद्धि हुई है, और

(ग) यदि हां, तो वर्ष 1983 से 1987 की अवधि के दौरान जवानों के स्तर पर हुई प्रतिशत वृद्धि का बलवार ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) और (ग). इन बलों में भर्ती को व्यापक बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि इनके गठन में समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व हो । फिर भी इन अर्द्ध सैनिक बलों में की गई भर्ती के समुदायवार ब्यौरों के बारे में सूचना एकत्र करना विवेकपूर्ण नहीं समझा जाता है । क्योंकि ऐसा कदम उठाने से सम्बन्धित बलों में विघटनकारी भावनाएं उत्पन्न होने की सम्भावना है ।

विभिन्न एजेंसियों के कब्जे में वक्फ सम्पत्तियां

2867. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ वक्फ सम्पत्तियों सरकारी अथवा अर्द्ध सरकारी एजेंसियों या राज्य सरकारों के विभागों के कब्जे में पड़ी हुई हैं ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित किया था तथा उन्हें इन सम्पत्तियों को खाली करने अथवा वक्फ अधिकारियों को इनके उचित बाजार मूल्य का भुगतान करने की सलाह दी गई है ;

(ग) क्या अभी तक कब्जे में पड़ी इन सम्पत्तियों का हाल ही में कोई सर्वेक्षण किया गया है ;

(घ) यदि हां, तो इन सम्पतियों की सूची का राज्यवार-ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का राज्य सरकारों के साथ इस मामले पर कार्यवाही करने का विचार है ?

कल्याण मंत्रालय की राज्य मंत्री (डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां । राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे ऐसे मामलों का निपटान निम्न लिखित बातों को ध्यान में रखकर करें :—

(1) जहां सम्भव हो, वक्फ सम्पत्ति को खाली करके सम्बन्धित वक्फ बोर्ड को सौंप दी जाए ।

(2) जहां जमीनों पर बेशकीमती इमारतें बना ली गई हों, और उन्हें खाली करना व्यवहार्य नहीं हो, वहां राज्य सरकारों को प्रीमियम के तौर पर बाजार दर की एक मुश्तराशि अदा करके वक्फ बोर्डों के साथ स्थायी पट्टे तय करने चाहिएं, या

(3) इसके विकल्प में, यदि भूमि वक्फ बोर्डों के सीधे प्रबन्ध में हो तो राज्य सरकार जमीनों का उचित बाजार भाव उन्हें चुकाए, जिससे जमीन पर से वक्फ बोर्डों के हक समाप्त हो जाएंगे या वक्फ बोर्डों की रजामन्दी से सम्बन्धित मुतवल्लियों से आवश्यक त्याग प्रलेख प्राप्त करे ।

(ग) और (घ). जी, नहीं । ऐसे मामलों का पता लगाने के लिए कुछ राज्य सरकारों ने कारंवाई शुरू की है ।

(ग) जी, हां। सभी राज्य सरकारों के साथ इस मामले पर विचार विमर्श किया जा रहा है।

बहरों के सुनने में सहायता देने वाले यंत्र

2868. **श्री बी० तुलसी राम** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में हाल ही में कुछ व्यक्तियों के कानों में एक इलैक्ट्रोनिक यंत्र लगाया गया है ताकि वे सुन सकें।

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

(ग) ऐसे यंत्र की अनुमानित लागत कितनी है ; और

(घ) ऐसा यंत्र कब तक आम प्रयोग में आने लगेगा और आगामी वर्षों में इससे बहरों को किसी सीमा तक सहायता मिल सकेगी ?

कल्याण मंत्रालय की राज्य मंत्री (डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी) : (क) से (घ). किसी सरकारी अस्पताल या सरकारी संस्था में ऐसे यंत्र नहीं लगाये गए हैं। एक निजी संस्था में कुछ प्रयोग किए गए थे, परन्तु अभी तक कोई स्थाई परिणाम उपलब्ध नहीं हैं और न ही ऐसे यंत्रों का सार्वजनिक उपयोग के लिए निर्माण किया गया है।

झारखंड आंदोलन

2869. **डा० बी० एल० शैलेश** :

श्रीमती सुमति उरांव :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या झारखंड राज्य के लिए किए जा रहे आन्दोलन में तेजी आ रही है ;

(ख) क्या यह नई उत्तेजना झारखंड क्षेत्र में होने वाले संघर्ष की सूचक है जहां कुछ सरकारी क्षेत्र के सबसे बड़े उपक्रम स्थित हैं ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का स्थिति को किसी प्रकार शान्त करने का प्रस्ताव है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) से (ग). हाल की घटनाओं से झारखंड आन्दोलन के नेताओं की बढ़ी हुई गतिविधियों का संकेत मिलता है। राज्य सरकार से क्षेत्र की उचित शिकायतों को दूर करने के उपायों समेत उचित उपाय करने के लिए कहा गया है।

विदेशी वाणिज्यक ऋण प्राप्त करने की सम्भाव्यता

2870. **श्री यशवन्त राव गडाख पाटिल** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्युत परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए विदेशी वाणिज्यक ऋण प्राप्त करने की सम्भाव्यता का अध्ययन किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या निष्कर्ष प्राप्त हुए ; और

(घ) क्या चालू योजना में इस स्रोत से ऋण प्राप्त करने का विचार है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) विदेशी वाणिज्यक ऋणों को चालू योजना में समग्र आवश्यकताओं के वित्त पोषण के एक स्रोत के रूप में समझा गया है। सरकार विद्युत परियोजनाओं की वित्त व्यवस्था के सम्बन्ध में इस प्रकार के प्रस्तावों पर विचार कर सकती है, जोकि उस सीमा तक इस प्रकार के ऋण देश के क्रेडिट स्टेंडिंग से सामंजस्य रखने वाली शर्तों पर हों और एक संतोषजनक ढंग से परिपक्वता की लम्बी अवधि के साथ अविलम्ब किस्म के हों।

[हिन्दी]

केन बहु-प्रयोजनीय सिंचाई परियोजना के लिए सर्वेक्षण

2771. **श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी :** क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छत्तरपुर, मध्य प्रदेश में केन बहु-प्रयोजनीय सिंचाई परियोजना के लिए सर्वेक्षण कराया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना के कार्यान्वित किए जाने पर कितने क्षेत्र में सिंचाई की जा सकेगी और कितनी बिजली का उत्पादन किया जा सकेगा ;

(ग) क्या इस परियोजना के स्थापित करने की दिशा में कुछ प्रगति हुई है ;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री तथा जल संसाधन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ङ). मध्य प्रदेश सरकार द्वारा तैयार की गई परियोजना रिपोर्ट के अनुसार केन बहुप्रयोजनी परियोजना में लगभग 3·2 लाख हेक्टेयर की सिंचाई और 50 मेगावाट विद्युत उत्पादन की परिकल्पना है। यह परियोजना राज्य की सातवीं योजना में शामिल नहीं की गई है।

[अनुवाद]

उच्च न्यालालयों और उच्चतम न्यायालय में मामलों का कम्प्यूटरीकरण

2872. **डा० जी० विजय रामा राव :** क्या विधि और न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जयपुर में उच्च न्यायालय स्तर की एक लोक अदालत स्थापित करने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और कितने मामलों के निपटाये जाने की संभावना है ; और

(ग) क्या सरकार मामलों को शीघ्र निपटाने हेतु उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में मामलों का कम्प्यूटरीकरण सुनिश्चित करेगी ; यदि हां, तो कब तक ?

विधि और न्याय मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) उच्च न्यायालय स्तर पर एक लोक अदालत तारीख 7 नवम्बर, 1987 को जयपुर में आयोजित की गई थी।

(ख) उच्च न्यायालय के समक्ष लम्बित 27 मामले निपटाए गए जिनमें सत्रह लाख दो हजार तीन सौ छियालीस रुपये प्रतिकर के रूप में दिए गए हैं।

(ग) भारत के भूतपूर्व मुख्य न्यायमूर्ति श्री पी० एन० भगवती ने सन् 1985 में तत्कालीन विधि और न्याय मन्त्री को एक पत्र भेजा था जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए उच्चतम न्यायालय के मामलों के कम्प्यूटरीकरण का प्रस्ताव किया गया था। इस प्रस्ताव की समीक्षा की गई थी और उच्चतम न्यायालय की रजिस्ट्री को सूचित किया गया था कि उच्चतम न्यायालय में कम्प्यूटरों के लगाए जाने की बाबत वित्तीय दृष्टिकोण से सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। रजिस्ट्री से अनुरोध किया गया था कि उच्चतम न्यायालय में कम्प्यूटर तकनीक आरम्भ किए जाने की बाबत वह समुचित पद्धति का पता लगाए। उच्चतम न्यायालय की रजिस्ट्री कम्प्यूटर तकनीकी आरंभ किए जाने के लिए इलैक्ट्रानिक विभाग के परामर्श से इसकी पद्धति के बारे में कार्यवाही कर रही है और इस बारे में अभी तक कोई विनिश्चय नहीं किया गया है, कि किस प्रकार का हार्डवेयर प्रयोग किया जाए। उच्च न्यायालयों में कम्प्यूटरीकरण की बाबत विनिश्चय करना सम्बद्ध राज्य सरकारों का कार्य है। राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों से अनुरोध किया गया है कि वे उच्च न्यायालयों में कम्प्यूटर तकनीक आरम्भ किए जाने की बाबत कदम उठाएं।

[हिन्दी]

अनुच्छेद 275 (1) के अन्तर्गत मध्य प्रदेश को विशेष केन्द्रीय सहायता

2873. **श्री अरविन्द नेताम :** क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनजातीय उपयोजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता के अतिरिक्त अनुच्छेद 275 (1) के अन्तर्गत अन्य प्रयोजनों के लिए भी धनराशि मंजूर की जाती है ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1984-85 से अब तक प्रत्येक वर्ष मध्य प्रदेश को कितनी धनराशि दी गई है और किस प्रयोजना के लिए दी गई।

(ग) क्या यह धनराशि जनजातीय उपयोजना के अन्तर्गत राज्य सरकार को दी गई विशेष केन्द्रीय सहायता का एक भाग है ;

(घ) क्या अनुच्छेद 275 (1) के अन्तर्गत उपलब्ध कराई जाने वाली धनराशि के लिए राज्य सरकार द्वारा 25 प्रतिशत योगदान किया जाना अनिवार्य है और यदि हां, तो राज्य सरकार से 25 प्रतिशत के अंशदान की शर्त का औचित्य क्या है ; और

(ङ) क्या राज्य सरकार द्वारा अनिवार्य अंश दान करने की शर्त को समाप्त करने पर केन्द्रीय सरकार विचार करेगी ?

कल्याण मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख). जी, हां।

मंत्रालय द्वारा अनुमोदित की जाने वाली विशिष्ट योजनाओं के लिए अनुच्छेद 275 (1) के प्रथम परन्तुक के अन्तर्गत, सहायक अनुदान के रूप में राज्यों को 20 करोड़ रु० की राशि दी गई है। 1984-85 से मध्य प्रदेश को दी गई धनराशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ). वित्त मन्त्रालय से इस स्पष्टीकरण के बाद कि राज्यों को दिया गया ब्लाक अनुदान धनराशि का एक हिस्सा है, 25 प्रतिशत अंशदान की शर्त समाप्त कर दी गई है।

विवरण

1984-85 से 1987-88 तक संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अन्तर्गत मध्य प्रदेश सरकार को दी गई धनराशि

वर्ष	योजना	दी गई धनराशि (लाख रु० में)
1	2	3
1984-85	(1) वन ग्रामों का समेकित विकास	595.52
	(2) शिपिटंग कृषकों का पुनर्वास	51.26
1985-86	(1) वन ग्रामों का विकास	50.00
	(2) बस्तर जिले में तामारीन्ड का प्रबन्ध	50.00
	(3) बस्तर जिले में लकड़ी शिल्प व उत्पादन केन्द्र	0.50
	(4) पहले से ही अनुमोदित विशिष्ट योजनाओं अथवा कल्याण मन्त्रालय द्वारा दिए गए सुझाओं के अनुसार बनाई गई योजनाओं की लागत को पूरा करने के लिए यथा अनुपातिक आधार पर जारी की गई धनराशि	321.03
1986-87	(1) मुरैना जिले में स्टाप डैम का निर्माण	106.23
	(2) पहले से ही अनुमोदित विशिष्ट योजनाओं अथवा कल्याण मन्त्रालय द्वारा दिए गए सुझावों के अनुसार बनाई गई योजनाओं की लागत को पूरा करने के लिए यथा अनुपातिक आधार पर जारी की गई धनराशि	312.67

1	2	3
1987-88	पहले से ही अनुमोदित विशिष्ट योजनाओं अथवा कोई अन्य योजना जिसका सुझाव कल्याण मन्त्रालय द्वारा आदिम जातियों के विकास के लिए अधिमानतः दिया गया है।	446.59
	कुल	1,933.80

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देना

2874. **श्री अरविंद नेताम :** क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों को सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर मैट्रिक के उपरांत छात्रवृत्ति दी जाती है ;

(ख) यदि हां, तो क्या छात्रवासों में रहने वाले विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति की इस राशि से गुजारा करने में परेशानी होती है क्योंकि छात्रवृत्ति की राशि अपर्याप्त है ;

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार का मैट्रिक उपरांत छात्रवृत्ति की दरों को संशोधित करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो कब तक ;

(घ) क्या छात्रावास में रहने वाले छात्रों और छात्रावासों में रहने वाले छात्रों को दी जा रही छात्रवृत्ति की राशि की दरें समान हैं जबकि शैक्षणिक अवधि के दौरान छात्रावास में रहने वाले छात्रों को निवास और भोजन पर अधिक पैसा खर्च करना पड़ता है ; और

(ङ) क्या सरकार का छात्रावास में रहने वाले छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति की राशि की दरों को छात्रावास में न रहने वाले छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति की राशि की दरों से अधिक रखने का प्रस्ताव है ?

कल्याण मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से (ग). जी, हां। छात्रवृत्तियों की दरों में उपयुक्त संशोधन करने का प्रस्ताव लम्बित है परन्तु किसी समय का उल्लेख नहीं किया जा सकता।

(घ) और (ङ). अनुमोदित छात्रवासों में रहने वाले छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की दरें होस्टल में न रहने वाले छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति की दरों से अधिक है।

[अनुवाद]

विस्थापित व्यक्तियों के मामले निपटाने के लिए लोक अदालतों की स्थापना

2875. **श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही :** क्या विधि और न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंचाई परियोजनाओं के कार्यान्वयन और उद्योगों की स्थापना से विस्थापित हुए व्यक्तियों के मामले निपटाने के लिए लोक अदालतें स्थापित करने का सरकार का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि और न्याय मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) से (ग). लोक अदालतें कोई नियमित रूप से गठित न्यायालय न होकर केवल स्वैच्छिक अभिकरण हैं। देश के विभिन्न भागों में समय-समय पर इनका आयोजन और पर्यवेक्षण राज्य विधिक सहायता और सलाह बोर्डों द्वारा किया जाता है। साधारणतया लोक अदालतों के समक्ष लाए जाने वाले मामले सिविल, दांडिक, विवाह-विषयक और मोटर दुर्घटना दावों से सम्बन्धित होते हैं। आंध्र प्रदेश राज्य विधिक सहायता और सलाह बोर्ड का प्रस्ताव है कि विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि के लिए प्रतिकर का परिनिर्धारण करने के लिए, एक लोक अदालत विशाखापत्तनम में आयोजित की जाए।

सातवीं योजना में जनजातीय उपयोजना/विशेष संघटक योजना हेतु उड़ीसा को धनराशि का आवंटन

2876. **श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही :** क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना में विशेष संघटक योजना और विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत उड़ीसा के लिए कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई है ;

(ख) विशेष संघटक योजना के अन्तर्गत और विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत उड़ीसा को अब तक दी गई धनराशि का वर्षवार ब्योरा क्या है ; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

कल्याण मन्त्रालय की राज्य मन्त्री (डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी) : (क) सातवीं पंचवर्षीय योजना में विशेष संघटक योजना तथा विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत उड़ीसा के लिए क्रमशः 201.42 करोड़ रु० और 33.65 करोड़ रु० की धनराशि आवंटित की गई है।

(ख) और (ग). एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(करोड़ रु०)

वर्ष	विशेष संघटक योजना परिव्यय	जारी की गई विशेष केन्द्रीय सहायता
1	2	3
1980-81	15.09	3.59
1981-82	28.62	5.29

1	2	3
1982-83	11.57	4.80
1983-84	27.25	5.45
1984-85	31.81	5.76
1985-86	36.51	6.45
1986-87	47.07	6.61
1987-88	55.50	6.33 (अस्थायी)

अन्तरिक्ष में शस्त्रों की होड़

2877. **श्री श्रीकान्त दत्त नरसिंहराज वाडियर :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने अन्तरिक्ष में शस्त्रों की होड़ के सम्बन्ध में क्या रुख अपनाया है ;

(ख) भारत ने अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर क्या रुख अपनाया है ; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) से (ग). भारत ने बाह्य अन्तरिक्ष में हथियारों की होड़ के विस्तार का निरन्तर विरोध किया है और इसका यह दृष्टिकोण है कि अंतरिक्ष में हथियार छोड़ने से हथियारों की होड़ में नई और खतरनाक वृद्धि होगी। इस स्थिति को सभी संगत अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर और अन्यत्र दोहराया गया है।

कर्नाटक में समेकित जनजातीय विकास परियोजनाएं

2878. **श्री श्रीकान्त दत्त नरसिंह राज वाडियर :** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में समेकित जनजातीय विकास सम्बन्धी कितनी परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं ;

(ख) राज्य में ये परियोजनाएं किस वर्ष से कार्यान्वित की जा रही हैं ; और

(ग) राज्य में गत तीन वर्षों के दौरान इन परियोजनाओं से कितने जनजातीय परिवार लाभान्वित हुए हैं ?

कल्याण मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख). 1974-75 से कर्णाटक राज्य में 5 समेकित जनजातीय विकास परियोजनाएं काम कर रही हैं।

(ग) राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार वर्ष 1985-86, 1986-87 और 1987-88 के दौरान आर्थिक रूप से सहायता प्राप्त अनुसूचित जनजाति के परिवारों की संख्या निम्न प्रकार है :—

वर्ष	परिवारों की संख्या
1985-86	12145
1986-87	10954
1987-88 (सितम्बर, 1987 तक)	1994 (अनन्तिम)

कर्नाटक में अनुसूचित जातियों के परिवारों को दी गई सहायता

2879. **श्री श्रीकांत दत्त नरसिंह राज वाडियर :** क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में 20 सूत्री कार्यक्रम में सूत्र 7क के अन्तर्गत 30 जून, 1987 तक अनुसूचित जातियों के कितने परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान की गई ; और

(ख) उन्हें दी गई आर्थिक सहायता का ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) पहले 20 सूत्री कार्यक्रम के सूत्र 7(क) को 20 सूत्री कार्यक्रम 1986 के सूत्र 11क के अन्तर्गत लाया गया जिसे 1 अप्रैल, 1987 से लागू किया गया। 1 अप्रैल, से 30 जून, 1987 तक कर्नाटक सरकार से प्राप्त नवीनतम सूचना के अनुसार आर्थिक रूप से सहायता प्राप्त अनुसूचित जातियों के परिवारों की संख्या 7148 है।

(ख) राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार इन अनुसूचित जाति के परिवारों को दी गई आर्थिक सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

अनुसूचित जाति परिवारों को आर्थिक सहायता

(रु० लाखों में)

कार्यक्रम	समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम तथा गैर-समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम योजना 1987-88 के अन्तर्गत प्रथम तिमाही के दौरान व्यय
1	2
1. भूमि विकास, कृषि बागवानी तथा भूमि पर आधारित अन्य योजनाएं	72.43

1	2
2. लघु सिंचाई (कुएं खोदना, ट्यूब का कुंआ सिंचाई का टैंक इत्यादि)	8.90
3. ग्राम उद्योग, हस्तकलाएं रेशम उत्पादन, मधुमक्खी पालन, बुनाई, रस्सी बनाना इत्यादि	10.46
4. अन्य	414.96
कुल :	506.75

कर्नाटक में कन्या छात्रावास

2880. **श्री श्रीकान्त दत्त नरसिंह राज वाडियर :** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में इस समय कितने कन्या छात्रावास हैं और जनजातीय समुदायों में लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कर्नाटक में कितने कन्या छात्रावास खोलने का प्रस्ताव है ;

(ग) इस प्रयोजन के लिए कर्नाटक की कितनी धनराशि का आबंटन किया है ; और

(ग) उक्त राज्य में अनुसूचित जाति की लड़कियों के लिए कन्या छात्रावासों के निर्माण में क्या प्रगति हुई है ?

कल्याण मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) दो होस्टल कार्य कर रहे हैं और पांच होस्टल का निर्माण किया जा रहा है।

(ख) 1980-81 से 15.46 लाख रुपए आवंटित किए गए हैं।

(ग) मार्च, 1985 तक 199 होस्टलों का निर्माण किया जा चुका है। 1985-86 और 1986-87 के दौरान अन्य 59 होस्टल को स्वीकृति दी गई है।

त्रिपुरा से गैर-आदिवासी लोगों का पलायन

2882. **श्री मोहम्मद महफूज अली खां :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को त्रिपुरा विद्रोहियों द्वारा हाल में बड़ी संख्या में गैर-आदिवासी लोगों की हत्या कर अपनी अवैध गतिविधियों को तेज करने और भारी संख्या में गैर-आदिवासी लोगों को सुरक्षित क्षेत्रों में पलायन होने की जानकारी है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) और (ख). लगभग 3 महीने की कुछ शांति के बाद टी० एन० वी० ने अक्तूबर, 1987 में अपनी हिंसात्मक गतिविधियां बढ़ा दी। उन्होंने 4 हिंसात्मक घटनाएं की जिसमें 30 व्यक्ति मारे गए। टी० एन० वी० द्वारा हिंसा करने के कारण दूर-दराज क्षेत्रों में रह रहे गैर-आदिवासियों के सुरक्षित स्थानों पर चले जाने के कुछ मामले सूचित किए गए हैं।

(ग) राज्य प्राधिकारियों के साथ समय-समय पर उग्रवादी गतिविधियों की संवीक्षा की जाती है। राज्य सरकारों को अर्द्ध-सैनिक बल दिए गए हैं और उउग्रवादी गतिविधियों से निपटने के लिए उनके साथ आसूचना रिपोर्टों का आदान-प्रदान किया जाता है। राज्य सरकार से परामर्श करके सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 तथा गैर-कानूनी गतिविधियां (निवारण) अधिनियम, 1967 के उपबन्धों का उपयोग किया गया है। उन्हें यह भी सलाह दी गई है कि उग्रवादियों तथा उनके सहयोगियों से निपटने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, आतंकवादी तथा विघटनकारी गतिविधियां (निवारण) अधिनियम, 1967 जैसे अधिनियमों के अधीन कड़ी कार्रवाई करें।

सेमिनल-प्लाज्मा के लिए नान-सेल्यूलर कम्पोनेन्ट की खोज

2883. डा० टी० कल्पना देवी : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेन्टर फार सेल्यूलर एण्ड मोलेकुलर बायलोजी ने सेमिनल प्लाज्मा के लिए नान-सेल्यूलर कम्पोनेन्ट का आविष्कार किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस खोज का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या नान-सेल्यूलर कम्पोनेन्ट खोज निकालने के लिये कुछ देशों में तेजी से कार्य हो रहा है ;

(घ) यदि हां, तो वे कौन-कौन से देश हैं ;

(ङ) क्या इस खोज से विश्व में इस कम्पोनेन्ट के विपणन हेतु भारत में एक बड़ा उद्योग स्थापित करने का आधार बन सकता है ;

(च) क्या यह खोज भारत को विदेशी मुद्रा व्यय करने से बचा सकती है ; और

(छ) यदि हां, तो सरकार का विदेशी प्रयोगशालाओं द्वारा भारतीय आविष्कारों की चोरी पर नियंत्रण लगाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) जी, हां।

(ख) सीमेन में सेल्यूलर कम्पोनेन्ट, स्परमाटोजा और नान-सेल्यूलर कम्पोनेन्ट तथा सेमिनल प्लाज्मा होते हैं। सेमिनल प्लाज्मा से सेमिनल प्लाज्मिन नामक एक नई प्रोटीन विलगित की गई है। यह एक अद्वितीय प्रोटीन है, इसमें कई दिलचस्प जैविक क्रियाएं होती हैं। यह एक शक्तिशाली सूक्ष्म जैव विरोधी कारक है तथा मैमेलियन स्परमाटोजा की निषेचन क्षमता और गतिशीलता को रोकती है।

(ग) जी, हां।

(घ) जर्मनी, यू० एस० ए० और यू० के०

(ङ) और (च). मूलभूत अनुसंधान कार्य के वाणिज्यीकरण से पहले पर्याप्त अनुसंधान और विकास कार्य की आवश्यकता है।

(छ) सरकार प्रयोगशालाओं को उनके अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के अन्वेषणों की सुरक्षा के लिए अन्य देशों में पेटेन्ट फाइल करने के लिए प्रोत्साहित करती है।

आन्ध्र प्रदेश में समुद्री तूफान को रोकने के उपाय

2884. **डा० टी० कल्पना देवी :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में समुद्री तूफान प्रायः आते रहते हैं ;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान आए इन तूफानों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) प्रत्येक वर्ष हुए नुकसान का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) इस सम्बन्ध में क्या एहतियाती कदम उठाने का विचार है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) औसतन प्रत्येक वर्ष एक चक्रवाती तूफान का आन्ध्र प्रदेश समुद्र तट पर प्रभाव पड़ता है।

(ख) और (ग). पिछले तीन वर्षों के दौरान, चक्रवातों और उससे हुई क्षति का विवरण नीचे दिया गया है :

तिथि	समुद्रतट पर भूस्खलन के स्थल	क्षति
	1984	
14 नवम्बर, 1984 (भयंकर चक्रवाती तूफान)	श्री हरिकोटा	जीवन हानि—604 पशुधन की हानि—90,650 क्षतिग्रस्त भवनों की संख्या—3,20,000
	1985	
12 अक्तूबर, 1985 (चक्रवाती तूफान)	विशाखापत्तनम के नजदीक	जीवन हानि—1 फसल और सम्पत्ति की क्षति-लगभग 31 लाख
14 दिसम्बर, 1985 (चक्रवाती तूफान)	श्री हरिकोटा	जीवन हानि
17 नवम्बर, 1985 (चक्रवाती तूफान)	मछलीपत्तनम के नजदीक	किसी भयंकर क्षति की सूचना नहीं मिली थी
	1986	
	शून्य	

(घ) पहले से ही लिए जा रहे सुरक्षात्मक उपाय इस प्रकार हैं :

(1) हैदराबाद स्थित मौसम विज्ञान कार्यालय के अतिरिक्त विशाखापत्तनम में एक चक्रवात चेतावनी केन्द्र की स्थापना की गयी है जो कि राज्य के चक्रवात चेतावनी कार्य की देखभाल करेगा।

(2) विशाखापत्तनम और मछलीपत्तनम में 400 किलोमीटर दूरी के चक्रवात संसूचक राडार स्थापित किये गये हैं। आन्ध्र प्रदेश के दक्षिणी समुद्रतट पर आने वाले तूफानों का पता लगाने के लिए मद्रास स्थित चक्रवात संसूचक राडार का भी प्रयोग किया जाता है।

(3) इनसेट मेघ बिम्बावली के उचित समय पर अभिग्रहण के लिए एक माध्यमिक आंकड़ा उपयोग केन्द्र (एस० टी० यू० सी०) को चक्रवात चेतावनी केन्द्र विशाखापत्तनम पर स्थापित किया गया है।

(4) विशाखापत्तनम स्थित चक्रवात चेतावनी केन्द्र तथा विशाखापत्तनम और मछलीपत्तनम स्थित चक्रवात संसूचक राडारों के बीच तीव्र दूर संचार सम्बन्धों की व्यवस्था की गई है।

(5) चक्रवात के समय दक्षिणी आन्ध्र प्रदेश के समुद्रतट के लोगों को प्रत्यक्ष रूप से चेतावनी देने के लिए इनसेट दूरसंचार सुविधा का प्रयोग करते हुए विपदा चेतावनी सेवा को हाल ही में प्रयोगात्मक रूप से शुरू किया गया है।

(6) आन्ध्र प्रदेश के समुद्रतटीय क्षेत्र के साथ राज्य सरकार तथा अन्य अभि-करणों द्वारा कई चक्रवात शरणगृहों का निर्माण किया गया है।

(7) संचार माध्यम, प्रैस आदि के द्वारा चक्रवात चेतावनी सन्देशों के तुरन्त और व्यापक प्रसार के लिए प्रबन्ध किये गये हैं।

पारपत्र कार्यालय

2885. श्री सैयद शाहबुद्दीन : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1987 को देश में कितने पारपत्र कार्यालय थे ;

(ख) पारपत्र कार्यालयों ने 1986 और 1987 के दौरान अब तक कार्यालयवार कितने पारपत्र जारी किये ;

(ग) वर्ष 1986 के दौरान एक पारपत्र जारी करने में औसतन कितना समय लिया जाता था ;

(घ) 1986 के दौरान कितने पारपत्र रद्द किए गए और कितने जब्त किये गये ;

(ङ) प्रत्येक मामले का ब्यौरा क्या है ; और

(च) 1 जनवरी, 1987 को 1 जनवरी, 1986 की तुलना में कार्यालय-वार कर्मचारियों की संख्या में कितना अन्तर आया ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) 20 और 2 सम्पर्क कार्यालय।

(ख) केन्द्र	1986 के दौरान जारी किये गये पासपोर्ट	1987 (अक्तूबर 87 तक) के दौरान जारी किये गये पासपोर्ट
अहमदाबाद	87,292	57,131
बंगलौर	68,094	34,839
बरेली	62,736	39,224
भोपाल	16,503	11,507
भुवनेश्वर	3,191	2,517
बम्बई	2,40,523	1,87,145
कलकत्ता	38,830	39,302
चण्डीगढ़	58,567	49,610
कोचीन	76,331	58,253
दिल्ली	1,09,603	65,982
गोहाटी	3,295	3,041
हैदराबाद	58,668	51,096
जयपुर	35,481	22,559
जालंधर	59,230	27,385
कोजीकोड	64,641	50,989
लखनऊ	37,447	25,985
मद्रास	89,380	60,318
पटना	15,344	7,161
श्रीनगर*	7,463	4,312
तिरुचिरापल्ली	65,086	46,351

*ये आंकड़े सितम्बर, 1987 तक के ही हैं। अक्तूबर, 1987 के सम्बन्ध में आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) लगभग 4 से 6 सप्ताह जो स्पष्ट पुलिस रिपोर्टों तथा आवेदकों द्वारा औपचारिकताएं पूरी करने पर निर्भर करता है।

(घ) और (ङ). वर्ष 1986 के दौरान 1,214 पासपोर्ट जब्त/रद्द किये गये मामलों का ब्यौरा इस प्रकार है :—

8 : पासपोर्ट अधिनियम 1967 की धारा 19(3)(क) के अधीन जो इस प्रकार है : "यदि पासपोर्ट प्राधिकारी का समाधान हो जाता है कि पासपोर्ट अथवा यात्रा दस्तावेज उनके धारक के गलत कब्जे में है ;

1118 : पासपोर्ट अधिनियम 1967 की धारा 10(3)(ख) के अधीन जो इस प्रकार है—"यदि पासपोर्ट अथवा यात्रा दस्तावेज के धारक द्वारा अथवा उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दी गई गलत सूचना के आधार पर तात्विक सूचना को छिपाकर पासपोर्ट अथवा यात्रा दस्तावेज प्राप्त किये गये हों ;

40 : पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा 10(3)(ग) के अधीन जो इस प्रकार है— "यदि पासपोर्ट अधिकारी भारत की प्रभुसत्ता और अखण्डता, भारत की सुरक्षा, किसी दूसरे देश के साथ भारत के मैत्री सम्बन्धों के हित में अथवा जनसामान्य के हित में ऐसा करना आवश्यक समझता हो ;

24 : पासपोर्ट अधिनियम 1967 की धारा 10(3)(ङ) के अधीन जो इस प्रकार है— "यदि ऐसे किसी अपराध, जिसके सम्बन्ध में यह आरोप हो कि वह पासपोर्ट अथवा यात्रा दस्तावेज के धारक ने किया है, के बारे में भारत में किसी दाण्डिक न्यायालय में कार्यवाही विचाराधीन हो ;

8 : पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा 10(3)(च) और (छ) के अधीन जो इस प्रकार है—"यदि पासपोर्ट अथवा यात्रा दस्तावेज की किसी शर्त का उल्लंघन किया गया हो और यदि पासपोर्ट अथवा यात्रा दस्तावेज के धारक ने किसी नोटिस का पालन करने में असमर्थता दिखाई हो जिसमें उससे पासपोर्ट सुपुर्द करने की अपेक्षा की गई हो ;

16 : पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा 10(4) के अधीन, जो इस प्रकार है— "पासपोर्ट अधिकारी पासपोर्ट अथवा यात्रा दस्तावेज के धारक के अनुरोध पर भी अथवा यात्रा दस्तावेज को रद्द कर सकता है।

(च)

क्र० सं०	केन्द्र	1 जनवरी, 1987 की स्थिति के अनुसार कर्मचारी संख्या				1 जनवरी, 1986 की स्थिति के अनुसार कर्मचारी संख्या			
		क	ख	ग	घ	क	ख	ग	घ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	अहमदाबाद	2	5	61	10	2	5	59	10
2.	बंगलौर	2	5	60	7	1	4	49	7
3.	बरेली	1	4	49	6	1	3	50	4
4.	भोपाल	1	1	19	4+1(अं)	1	1	12	4+1(अं)
5.	भुवनेश्वर	1	1	8	4+1(अं)	1	1	6	4+1(अं)
6.	बम्बई	5	15	219	22	4	16	219	22
7.	कलकत्ता	1	3	36	14	1	2	33	13
8.	चंडीगढ़ तथा सम्पर्क कार्यालय शिमला	2	4	53	12	3	4	55	9
9.	कोचीन तथा सम्पर्क कार्यालय त्रिवेन्द्रम	2	6	85	11+1(अं)	4	3	97	12+1(अं)
10.	दिल्ली	3	7	103	12+1(अं)	3	7	86	11+1(अं)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.	गोहाटी	1	1	7	3+2(अं)	1	1	4	3+2(अं)
12.	हैदराबाद	2	5	58	8	1	5	56	8
13.	जयपुर	1	3	37	7	1	3	39	7
14.	जालंधर	2	5	54	9+1(अं)	3	4	46	10+1(अं)
15.	कोजीकोट	1	5	56	6+1(अं)	1	4	49	6+1(अं)
16.	लखनऊ	1	3	36	5	1	3	31	8
17.	मद्रास	2	5	67	10	2	5	62	17
18.	पटना	1	1	16	4+1(अं)	1	1	14	3+1(अं)
19.	श्रीनगर	—	1	10	3+1(अं)	1	1	8	3+1(अं)
20.	तिरुचिरापल्ली	2	4	55	7	2	6	79	2
21.	विजयवाडा	—	—	—	—	1	1	11	1

(1-5-1986 से कार्यालय बन्द कर दिया गया है)

(अं)=अंशकालिक

[हिन्दी]

विदर्भ क्षेत्र में सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी

2886. **श्री विलास मुत्तेमवार** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदर्भ क्षेत्र की तुलतुली सती और हुमान सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी दे दी गई है ; और

(ख) यदि नहीं, तो मंजूरी देने में होने वाली देरी के क्या कारण हैं और मंजूरी कब तक दे दी जाएगी ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख). तीनों परियोजनाओं पर टिप्पणियां राज्य सरकार को उनकी अनुपालना हेतु भेज दी गई हैं।

[अनुवाद]

दिल्ली नगर निगम के जूनियर इंजीनियरों से प्राप्त अभ्यावेदन

2887. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली नगर निगम द्वारा कुछ जूनियर इंजीनियरों को कानूनों और नियमों का उल्लंघन करके उनकी पिछली सेवा का लाभ देने का निर्णय लिए जाने के कारण निगम में कार्य कर रहे लगभग 100 जूनियर इंजीनियरों की वरिष्ठता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि प्रभावित व्यक्तियों द्वारा निगम के उपयुक्त अधिकारियों को दिये गये अनेक अभ्यावेदनों का अब तक कोई जवाब नहीं दिया गया है ;

(ग) यदि हां, तो इस मनमानीपूर्ण और ऐच्छिक निर्णय लिए जाने के क्या कारण हैं, और क्या उनका मन्त्रालय यह सुनिश्चित करने के लिए निगम से रिपोर्ट मांगने पर विचार करेगा कि इन कुछ मामलों के कारण इतने अधिक जूनियर इंजीनियरों की वरिष्ठता पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़ने दिया जाये जिससे वे भविष्य में सभी पदोन्नतियों के मामले में उनसे स्थायी रूप से वरिष्ठ हो जायें ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिन्तामणि पाणिग्रही) : (क) से (घ). दिल्ली नगर निगम को यह पहले ही कहा जा चुका है कि दि० न० नि० में सेवा शुरू करने पर उनके कुछ कर्मचारियों को वरिष्ठता के प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकारी विभागों/राज्य सरकारों/स्थानीय निकायों के अधीन की गयी पिछली सेवा का लाभ देने की प्रथा नियमों के अनुसार नहीं है। उन्हें भविष्य में नियमों का सख्ती से पालन करने के निदेश दिये गये हैं।

जहां तक 1963 में भर्ती किये गये 2 कनिष्ठ अभियन्ताओं का सम्बन्ध है, प्रशासनिक रूप से इतने समय के बाद उनके मामलों पर पुनः कार्रवाई करना सम्भव नहीं है।

श्री राम सागर परियोजना के लिए विश्व बैंक की सहायता

2889. **श्री भट्टम श्रीराम मूर्ति** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री राम सागर परियोजना और 'श्री सेलम राइट ब्रांच कैनाल' परियोजना के लिए विश्व बैंक से सहायता मांगी गई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इन परियोजनाओं के लिए कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां।

(ख) विश्व बैंक इस परियोजना के लिए, जिसे द्वितीय आन्ध्र प्रदेश सिंचाई परियोजना कहा जाता है, 271 मिलियन अमरीकी डालर की सहायता दे रहा है।

(ग) सिंचाई परियोजनाओं की आयोजना वित्त पोषण तथा क्रियान्वयन राज्य सरकारों द्वारा किये जाते हैं। राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता ब्लाक ऋणों तथा अनुदानों के रूप में दी जाती है तथा यह किसी स्कीम अथवा विकास के क्षेत्र से जुड़ी नहीं होती।

उत्तर क्षेत्र मुख्य मन्त्री परिषद् की बैठक

2890. **श्री बी० एस० बसवराजू :**

श्री एस० बी० सिदनाल :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर क्षेत्र मुख्य मन्त्री परिषद् की 5 अक्तूबर, 1987 को हुई बैठक में उनके राज्यों में आतंकवादियों की गतिविधियां रोकने के लिए कई निर्णय लिए गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकारों द्वारा उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिन्तामणि पाणिग्रही) : (क) से (ग). उत्तर क्षेत्रीय परिषद, जिसमें जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा तथा संघ शासित क्षेत्र चण्डीगढ़ और दिल्ली शामिल हैं, की 20वीं बैठक गृह मन्त्री की अध्यक्षता में 5 अक्तूबर, 1987 को चण्डीगढ़ में हुई। राज्य में आतंकवाद को रोकने के लिए जम्मू और कश्मीर के मुख्य मन्त्री द्वारा प्रस्तुत किया गया संकल्प सभा पटल पर रखा जाता है **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-5182/1987]** सर्व सम्मत्ति से पारित हुआ। क्षेत्रीय परिषद ने यह भी तय किया कि सदस्य राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों के पुलिस महानिदेशकों की अर्ध वार्षिक समन्वय बैठकें, अन्य मुद्दों के साथ-साथ आतंकवादी गतिविधियों, अन्तर्राज्यीय अपराधों इत्यादि पर विचार-विमर्श करने के लिए आयोजित की जानी चाहिए।

सूखे का मुकाबला करने के लिए अमरीकी सहायता

2891. **श्री स्वामी प्रसाद सिंह : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या प्रधान मन्त्री की हाल की अमरीकी यात्रा के दौरान भारत को सूखे का मुकाबला करने के लिए अनुदान/सहायता के रूप में काफी धनराशि देने का आश्वासन दिया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो इस सहायता का ब्यौरा क्या है और इसे किन-किन क्षेत्रों में उपयोग किया जाएगा ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) अमरीकी सरकार ने सूखा-राहत के लिए एक मुश्त सहायता की पेशकश की है।

(ख) सहायता प्रस्ताव के ब्यौरे पर दोनों सरकारों में विचार-विनिमय हो रहा है तथा इस सहायता प्रस्ताव में निर्धारित निधियों का पेशगी आहरण, उनके निर्यात विस्तार कार्यक्रम के अधीन आपूर्तियां तथा अमरीकी कृषि समायोजन अधिनियम के अधीन अनुदान शामिल है। वास्तव में सहायता प्राप्त होने की दशा में, जिन क्षेत्रों में उसका उपयोग किया जाएगा, उन्हें अभी तय किया जाना है।

दिल्ली पुलिस के अधिकारियों द्वारा गैर-जमानती वारन्ट जारी किया जाना

2892. **प्रो० मधु दण्डवते :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने हाल ही में कुछ व्यक्तियों के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी किए थे, जिनकी वारंट प्राप्त करने पर तुरन्त मृत्यु हो गई ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या दिल्ली पुलिस के अधिकारियों द्वारा की गई कार्यवाही न्यायिक शक्तियों के अनुरूप थी ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) से (ग). श्रीमती ज्ञान देवी (मकान मालकिन) और श्री पी०जी० कृष्णन (किरायेदार) के बीच 7/22, रूप-नगर, अहाते के बारे में मकान मालिक-किरायेदार विवाद था। न्यायालय द्वारा, पुलिस अधिकारियों द्वारा नहीं गैर जमानती वारंट जारी किया गया था ताकि दूसरे पक्षकार की न्यायालय में हाजरी सुनिश्चित की जा सके। थाना रोशनआरा का एक कान्स्टेबल वारंट देने गया और श्री कृष्णन से 18 अगस्त, 1987 की शाम को मिला। श्री कृष्णन ने कांस्टेबल को बताया कि मैं कल सुबह पुलिस स्टेशन आ जाऊंगा और कांस्टेबल गैर-जमानती वारंट की तामील के बिना वापस आ गया। किन्तु श्री कृष्णन को 18/19 अगस्त, 1987 की रात को दिल का दौरा पड़ा और उसी रात उनकी मृत्यु हो गई।

भारतीय वन सेवा के अधिकारियों को भारतीय पुलिस सेवा के स्तर के समान समानता प्रदान करना

2893. **श्री मनोरंजन भक्त :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा के अधिकारियों के वेतन-मानों के बारे में चौथे वेतन आयोग की सभी सिफारिशों को पूर्णतः स्वीकार कर लिया है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ;

(ख) क्या सरकार को भारतीय वन सेवा अधिकारियों के संघ से भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों को दिए गए वेतनमानों के बराबर वेतनमान दिए जाने के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेन्शन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) जी, नहीं। भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा के लिए चतुर्थ वेतन आयोग द्वारा सिफारिश किए गए वेतनमानों को कतिपय असंतुलनों को सुधारने तथा सापेक्षताओं को बनाए रखने की आवश्यकता के कारण जरूरी हुए कुछ संशोधनों सहित स्वीकार कर लिया गया है।

(ख) जी हां।

(ग) उपर्युक्त (क) में उल्लिखित कारणों से, इन सुझावों को स्वीकार नहीं किया जा सका।

तुंगभद्रा बांध के बारे में कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में समझौता

2894. **श्री एस० एम० गुरड्डी :**

श्री वी० एस० बसवराजू :

क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक और आंध्र प्रदेश तुंगभद्रा बांध का जल बांटने के लिए किसी समझौते पर पहुंचे हैं ;

(ख) यदि हां, तो मामले पर समझौता कब किया गया ; और

(ग) यदि हां, तो समझौते की मुख्य बातें क्या हैं ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री तथा जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग). आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक राज्यों के बीच तुंगभद्रा बांध के जल का बंटवारा कृष्णा जल विवाद अधिकरण के निदेशानुसार विनियमित किया जाता है। दोनों राज्यों के बीच जल के बंटवारे के सम्बन्ध में कोई और समझौता नहीं हुआ है।

बौद्ध धर्म अपनाने वाले लोगों को और रियायतें

2895. **श्री पी० पेंचालैया** : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का बौद्ध धर्म अपनाने वाले लोगों को और रियायतें देने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी, नहीं। अनुसूचित जातियों के बौद्ध धर्म अपनाने वाले लोग, अनुसूचित जातियों के सांविधिक लाभ प्राप्त करने के पात्र नहीं हैं। फिर केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं जैसी विशेष गैर-सांविधिक योजनाओं के अन्तर्गत उनके लिए लाभ उपलब्ध हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी का स्थानान्तरण

2896. **श्री मानिक रेड्डी :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी को देहरादून के निकट मालदेवता में स्थानांतरित किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो कब तक और इस स्थानांतरण के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या इस प्रयोजन के लिए पहले उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद के निकट एक स्थान का चयन किया गया था ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में क्या निर्णय लिया गया है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) और (ख). मसूरी में उपलब्ध आधारभूत सुविधाएं अपर्याप्त हैं तथा मसूरी में और अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराने की गुंजाइश नहीं है। इसके अतिरिक्त मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में उपयुक्त अतिथि संकाय उपलब्ध कराने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है अकादमी का नया काम्प्लेक्स बनाने के लिए वैकल्पिक स्थानों पर विचार किया जा रहा है। इस प्रयोजन के लिए जिन स्थान पर विचार किया जा रहा है उनमें देहरादून के पास रायपुर के निकट मालदेवता रोड पर एक स्थान सहित देहरादून के कुछ स्थान शामिल हैं। स्थान के बारे में अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है। अकादमी को किस तारीख तक दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है—इस सम्बन्ध में निर्णय केवल तभी लिया जा सकता है जबकि स्थान और निर्माण कार्यक्रम के बारे में कोई निर्णय ले लिया जाए।

(ग) जी, हां।

(घ) गाजियाबाद में जिस स्थान का पहले चयन किया गया था वह 450 एकड़ था। यह भूमि भारत सरकार, शहरी विकास मन्त्रालय द्वारा लाल बहादुर शास्त्री प्रशासन अकादमी स्थापित करने के लिए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के नाम आबंटित की गई थी। अकादमी के नए स्थान के बारे में अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

सरकारी उपक्रमों में मुख्य सतर्कता अधिकारियों के रिक्त पद

2897. **श्री स्वामी प्रसाद सिंह :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में मुख्य सतर्कता अधिकारियों के पदों को भरने के लिए उपयुक्त प्रोत्साहन देने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और सरकारी क्षेत्र के उन उपक्रमों के नाम क्या हैं, जिनमें ये पद रिक्त पड़े हैं ;

(ग) उपक्रम-वार कुल कितने पद रिक्त पड़े हैं ; और

(घ) सरकार ने इन पदों को भरने के लिए क्या उपाय किए हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेन्शन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). एक मुश्त प्रोत्साहन विचाराधीन है। 20-11-1987 की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के जिन उपक्रमों में मुख्य सतर्कता अधिकारियों की रिक्तियां मौजूद हैं उनके नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) (i) भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों, जिन पर मुख्य सतर्कता अधिकारियों के पदों पर नियुक्तियों के लिए पहले विचार किया जाता था, अब ऐसी नियुक्तियों के लिए उनके अलावा अन्य संगठित सेवाओं के अधिकारियों पर भी विचार किया जाता है जिससे कि चयन का आधार विस्तृत किया जा सके।

(ii) संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारियों से कहा गया है कि वे केन्द्रीय सेवाओं के इच्छुक अधिकारियों के नाम इस विभाग को सूचित कर दें जिससे कि मुख्य सतर्कता अधिकारियों की नियुक्ति के लिए एक पैनल तैयार किया जा सके।

विवरण

सरकारी क्षेत्र के ऐसे उपक्रमों की सूची जिनमें मुख्य सतर्कता अधिकारियों के पद 20-11-1987 की स्थिति के अनुसार नियमित आधार पर नहीं भरे गए हैं

1. दिल्ली ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन।
2. कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट।
3. शिपिंग कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया।
4. एयर इण्डिया।
5. हिन्दुस्तान एनटीबायटिक्स लिमि०।
6. फर्टिलाइजर्स कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमि०
7. बोंगईगांव रिफाइनरी एण्ड पैट्रो केमिकल्स लिमि०।
8. हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर्स लिमिटेड।
9. मुद्रीजोल इण्डिया लिमिटेड :
10. हिन्दुस्तान इंसेक्टिसाइड लिमिटेड :
11. ब्रिज रूफ कंपनी (आई) लिमि०।
12. भारत पैट्रोलियम कार्पोरेशन लिमि०।
13. इण्डियन पैट्रोकेमिकल्स कार्पोरेशन लिमि०।
14. आयल इण्डिया।

15. बंगाल केमिकल्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स ।

16. मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमि० ।

17. नेशनल कन्जूमर कोपरेटिव फेडेरेशन ।

18. इण्डियन स्टैण्डर्ड ब्यूरो ।

19. हिन्दुस्तान वेजिटेबल आयल कार्पोरेशन ।

20. सुपर बाजार ।

21. नेशनल टेक्सटाइल्स कार्पोरेशन ।

22. प्रोजेक्ट्स एण्ड इक्विपमेंट्स कार्पोरेशन ।

23. ब्रिटिश इण्डिया कार्पोरेशन ।

24. कॉटन कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया ।

25. मजगांव डॉक लिमिटेड ।

26. गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमि० ।

27. हिन्दुस्तान पेपर कार्पोरेशन ।

28. भारत हैवी प्लेट्स एण्ड वैसिल्स लिमि० ।

29. भारत आपथेलमिक ग्लास लिमि०

30. सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया ।

31. हैवी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन ।

32. त्रिवेणी स्ट्रक्चरल लिमि० ।

33. नेशनल न्यूज प्रिंट पेपर मिल्स लिमिटेड ।

34. भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड ।

35. नेशनल एयरपोर्ट अथारिटी ।

36. इंटरनेशनल एयरपोर्ट आथोरिटी आफ इण्डिया ।

37. भारत एल्यूमीनियम कम्पनी लिमि० ।

38. सेन्ट्रल मिनरल एक्सप्लोरेशन कार्पोरेशन ।

39. नेशनल एल्यूमिनियम कार्पोरेशन ।

40. हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड ।

41. हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कार्पोरेशन।

42. राष्ट्रीय इस्पात निगम।

43. जनरल इंश्योरेंश कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया।

44. नेशनल प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शंस कार्पोरेशन।

45. कोल फील्ड्स लिमिटेड।

56. नेशनल हाइड्रो पावर कार्पोरेशन।

47. नयाली लिगनाइट् कार्पोरेशन।

48. इण्डियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज।

49. नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस कार्पोरेशन।

50. दिल्ली डवलपमेंट आथोरिटी।

51. जेसप एण्ड कम्पनी लि०।

52. मारुति उद्योग लि०।

53. पवन हंस लि०।

54. इंसट्रूमेंट्स लिमिटेड।

55. माइका ट्रेडिंग कार्पोरेशन।

56. फूड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया।

57. सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इंस्टीच्यूट लिमि०।

58. ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कमीशन।

59. स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन आफ इण्डिया।

60. होटल कार्पोरेशन आफ इण्डिया।

61. एम० एम० टी० सी०।

62. भारत वेगन एण्ड इंजी० लि०।

63. इण्डियन डेरी कार्पोरेशन।

64. इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन आफ इण्डिया लि०।

65. उड़ीसा ड्रग्स एण्ड केमिकल्स लि०।

66. स्मिथ स्टेनी स्ट्रीट फर्मास्यूटिकल्स लि०।

67. यू० पी० ड्रग्स एण्ड फर्मास्यूटिकल्स कं० लि०।

68. कोल इण्डिया लिमिटेड।

69. नार्दर्न कोल फील्ड्स लि०।

70. साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लि०।

71. नेशनल जूट मेन्यूफेक्चर्स कार्पोरेशन लि०।

72. टी ट्रेडिंग कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि०।

73. कोचीन रिफाइनरीज लि०।

74. टेलीकम्यूनिकेशंस कन्सलटेंट्स लि०।

75. दामोदर वेली कार्पोरेशन।

76. बर्न स्टेण्डर्ड कम्पनी लिमिटेड।

77. साइकिल कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि०।

78. इंस्ट्रूमेंटेशन लि०।

79. रिहेबलीटेशन इंडस्ट्रीज कार्पोरेशन लि०।

80. स्कूटर्स इण्डिया लि०।

81. लगन जूट मशीनरी कम्पनी लिमिटेड।

82. विशाखापटनम स्टील प्रोजेक्ट लि०।

83. नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड।

श्रीलंका में प्रधान मन्त्री पर हुए कातिलाना हमले के प्रयास के सम्बन्ध में पूछताछ की रिपोर्ट

2898. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :** क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को श्रीलंका में प्रधान मन्त्री पर जुलाई, 1987 में कातिलाना हमला करने का प्रयास करने वाले नौसैनिक से की गई पूछ-ताछ के परिणामों की कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इस रिपोर्ट के प्रस्तुत होने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) जांच पड़ताल के आधार पर एक सैनिक अदालत में इस नौसैनिक पर मुकदमा चलाया गया था। इस सैनिक अदालत ने सदोष मानव हत्या के प्रयास के लिए उसे 6 वर्ष के कठोर कारावास

की सजा दी। नौसैनिक अनुशासन में विपरीत आचरण करने के दूसरे आरोप में उसे अपमानपूर्ण ढंग से बर्खास्त करने की सजा दी गई।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

खाड़ी के देशों में कार्यरत मलयाली लोगों से प्राप्त अभ्यावेदन

2899. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :** क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मन्त्री को खाड़ी के देशों में कार्यरत मलयाली लोगों से कोई अभ्यावेदन/ज्ञापन प्राप्त हुआ है जिसमें उनकी कठिनाइयों का उल्लेख किया गया है और प्रधान मन्त्री की सहायता मांगी गई है ;

(ख) यदि हां, तो प्राप्त अभ्यावेदन का ब्योरा क्या है ; और

(ग) खाड़ी के देशों में कार्यरत मलयाली लोगों की शिकायतें दूर करने हेतु सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख). जी, हां। प्रधान मन्त्री को केरल के मुख्य मन्त्री से अगस्त, 1987 में एक पत्र प्राप्त हुआ था जिसके साथ "खाड़ी के देशों में कार्य कर रहे केरलवासियों की समस्याओं पर एक टिप्पणी" संलग्न थी। उस टिप्पणी में निम्नलिखित मुद्दे उठाए गए हैं :—

1. खाड़ी के देशों में स्थित सभी भारतीय मिशनों में मलयालम भाषा की जानकारी रखने वाले वरिष्ठ/मध्यम स्तर के अधिकारियों की तैनाती ;

2. खाड़ी के देशों और त्रिवेन्द्रम के बीच अधिक सामान की दरों में कटौती ;

3. खाड़ी के देशों और त्रिवेन्द्रम के बीच वायु-सेवा के किराए में कटौती ;

4. त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे को अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में घोषित करना ; और

5. खाड़ी के देशों से आ रहे भारतीय यात्रियों को परेशानी और जोर-जबरदस्ती के व्यवहार से बचाना।

(ग)

1. सरकार खाड़ी के देशों में स्थित भारतीय मशीनों में मलयालम भाषा की जानकारी रखने वाले अधिकारियों को तैनात किए जाने की आवश्यकता के प्रति सजग है और अधिकारियों की तैनाती का निर्णय लेते समय इस अपेक्षा की ओर उचित ध्यान दिया जाता है।

2. आई० ए० टी० ए० द्वारा अधिकतम माल किराए को सभी आई० ए० टी० ए० कैरियरों के मामले में एक निर्धारित फार्मूले के आधार पर निर्धारित किया जाता है और इन किरायों में कमी किए जाने का एयर इंडिया के पास कोई विकल्प नहीं है।

3. त्रिवेन्द्रम-खाड़ी क्षेत्र पर लागू वायुयान किराया सभी एयर लाइनों के लिए एक समान है जिसमें एयर इंडिया भी शामिल है और यह किराया आई० ए० टी० ए० फोरम में सभी एयर लाइनों द्वारा बहु-उद्देश्य के साथ निश्चित किया गया है। इन किरायों को कम करवाने में एयर इंडिया को अब तक कोई सफलता नहीं मिली है परन्तु वह इस मसले पर निरन्तर जोर देती रहेगी।

4. मौजूदा चार अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, अर्थात् कलकत्ता, दिल्ली, बम्बई और मद्रास पर्याप्त समझे जाते हैं और इसलिए त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे को अन्तर्राष्ट्रीय हवाई-अड्डा घोषित करना सम्भव नहीं है।

5. भारत में सीमा-शुल्क प्रधिकारियों से अनुरोध किया गया है कि यह सुनिश्चित करें कि खाड़ी से आने वाले यात्रियों के साथ अच्छा और शिष्टतापूर्ण व्यवहार किया जाएगा।

नेशनल सोसलिस्ट कौंसिल आफ नागालैंड पर प्रतिबन्ध लगाना

2900. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को नेशनल सोसलिस्ट कौंसिल आफ नागालैंड पर प्रतिबन्ध लगाने के संबंध में मणीपुर राज्य से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने क्या निर्णय लिया है ; और

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार ने त्रिपुरा सरकार से परामर्श करके त्रिपुरा नेशनल वालंटियर्स पर प्रतिबन्ध लगा दिया था ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेन्शन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) से (ग). मणीपुर राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है कि अवैध गतिविधियां (निवारण) अधिनियम, 1967 के अधीन नेशनल सोशलिस्ट कौंसिल आफ नागालैंड को एक 'अवैध संघ' घोषित किया जाए। नेशनल सोशलिस्ट कौंसिल आफ नागालैंड, नागालैंड में भी क्रियाशील है। मणिपुर तथा नागालैंड दोनों सरकारों के विचार मामले में निर्णय लेने के लिए ध्यान में रखे जाएंगे।

(घ) त्रिपुरा सरकार से परामर्श करने के बाद केन्द्र सरकार द्वारा टी० एन० वी० को अवैध घोषित किया गया था।

सिक्किम पुलिस के लिए मल्टी-ऐक्सेस-रेडियो-टेलीफोन प्रणाली

2901. **श्रीमती डी० के० भण्डारी :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिक्किम सरकार से सिक्किम पुलिस के लिए मल्टी-ऐक्सेस-रेडियो-टेलीफोन प्रणाली शुरू करने के बारे में कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या निर्णय लिया गया है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) सिक्किम के सभी महत्वपूर्ण स्थानों को परस्पर जोड़ने के लिए 46 लाख रुपए की कुल लागत से 20 लाइन रेडियो टेलीफोन प्रणाली स्थापित करने का प्रस्ताव है।

(ग) राज्य सरकार से परामर्श करके इस प्रस्ताव की जांच की जा रही है।

अरुणाचल प्रदेश में चीन द्वारा घुसपैठ

2902. **श्री सुभाष यादव** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी सेनाओं ने गत दो वर्षों के दौरान अरुणाचल प्रदेश में कोई घुसपैठ की है ; और

(ख) क्या हाल ही में हुई भारत-चीन वार्ता के दौरान इस मामले पर चर्चा की गई थी और यदि हां, तो इसके निष्कर्ष क्या हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) चीन की सरकार मेक्मोहन रेखा की वैधता को स्वीकार नहीं करती जिससे पूर्वी क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सीमा का सुनिश्चय होता है हालांकि वे पूर्वी क्षेत्र में वास्तविक नियन्त्रण रेखा को कुल मिलाकर मेक्मोहन रेखा के सदृश ही मानते हैं। मेक्मोहन रेखा की व्याख्या में मतभेदों के कारण अतिक्रमण हो सकते हैं। चीन के कार्मिकों ने जून, 1986 में अरुणाचल प्रदेश की सुमदोरोंग चू घाटी में घुसपैठ की।

(ख) इन मामलों में शांतिपूर्ण बातचीत के माध्यम से समस्याओं के समाधान की सरकार की नीति के अनुरूप चीन के साथ विचार-विमर्श जारी है।

ईरान-इराक युद्ध को समाप्त कराने में हुई प्रगति

2903. **श्री जी० भूपति** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईरान और इराक के बीच युद्ध समाप्त कराने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने हाल ही में ईरान और इराक का दौरा किया था ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या ईरान और इराक के बीच युद्ध समाप्त कराने में कोई प्रगति हुई है ; और

(घ) इन देशों के बीच बातचीत कराने में भारत सरकार ने गुट निरपेक्ष देशों के सदस्य के रूप में क्या भूमिका अदा की है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (ग). 20 जुलाई, 1987 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने संकल्प सं० 598 पारित हो जाने पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव इस संकल्प को कार्यान्वित करने के बारे में ईरान और इराक की सरकारों से बातचीत करने के लिए अगस्त, 1987 में तेहरान और बगदाद गए थे। इस विचार-विमर्श के आधार पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने

सुरक्षा परिषद के समक्ष एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। उसकी रिपोर्ट पर विचार करने के बाद सुरक्षा परिषद ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव से यह अनुरोध किया कि इस संकल्प को पूरी तरह और शीघ्रतापूर्वक क्रियान्वित कराने के लिए वे दोनों पक्षों के साथ अपने प्रयत्न जारी रखें। महासचिव ने इस संकल्प के क्रियान्वयन की एक रूपरेखा दोनों देशों को दी थी। इसके बाद दोनों सरकारों ने इस रूप-रेखा पर अपनी प्रतिक्रिया भेज दी है जिसे देखने से पता चलता है कि इस संकल्प को क्रियान्वित करने के तरीके पर दोनों में मतभेद हैं। दोनों सरकारों ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव के साथ आगे बातचीत के लिए अपने-अपने दूतों को न्यूयार्क भेजना स्वीकार कर लिया है।

(घ) गुट निरपेक्ष आंदोलन के अध्यक्ष की हैसियत से और अपनी निजी हैसियत से भी खाड़ी के युद्ध को शान्तिपूर्वक और बातचीत के जरिए खत्म कराने की दिशा में भारत ने ईरान और ईराक दोनों के साथ द्विपक्षीय बातचीत की है। गुट-निरपेक्ष आन्दोलन का वर्तमान अध्यक्ष जिम्बाब्वे गुट-निरपेक्ष आन्दोलन की ओर से किसी सम्भव पहलकदमी पर भारत और दूसरे देशों की सरकारों से परामर्श करता रहा है।

इराक-ईरान युद्ध समाप्त करने के लिए भारत से सहायता का अनुरोध

2904. **श्री प्रकाश वी० पाटिल : क्या विदेश मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईरान, इराक और मध्य-पूर्व के देशों या महाशक्तियों ने इस समय चल रहे ईरान-इराक युद्ध को समाप्त करने और स्थिति को सामान्य करने में भारत से अपनी सेवाएं प्रदान करने का अनुरोध किया है ; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या फारस की खाड़ी को बारूद की सुरंगों से मुक्त रखने में कोई सहायता मांगी गई है ;

(ग) यदि हां, तो इसके लिए किसने अनुरोध किया है ; क्या तटवर्ती राष्ट्रों ने सहयोग करने के लिए अपनी इच्छा प्रकट की है ; और

(घ) क्या भारत ने फारस की खाड़ी में बारूद की सुरंगे हटाने के लिए माईन स्वीपर उपलब्ध करके और उनका संचालन करने की जिम्मेदारी ली है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) जी, हां। पश्चिम एशिया के अनेक और अन्य मित्र देशों ने, जिनमें ईरान और इराक भी शामिल हैं, भारत से समय-समय पर यह अनुरोध किया है कि वह खाड़ी युद्ध समाप्त कराने के प्रयासों में सहायता करे ; गुट निरपेक्ष आंदोलन के अध्यक्ष तथा अपनी निजी हैसियत से भी भारत खाड़ी युद्ध को शांतिपूर्वक और बातचीत के जरिए समाप्त कराने की दिशा में बराबर कोशिश करता रहा है, हालांकि अभी तक इनमें सफलता नहीं मिल पाई है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ). प्रश्न ही नहीं उठते।

राम जन्म भूमि और बाबरी मस्जिद के मामले पर मंत्रिमंडलीय उप-समिति

2905. **श्री सी० जंगा रेड्डी : क्या गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राम जन्म भूमि और बाबरी मस्जिद के मामले का सद्भावपूर्ण हल खोजने के लिए एक मन्त्रिमण्डलीय उपसमिति का गठन किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो इसका गठन कब किया गया था, इसके सदस्यों के नाम क्या हैं और इस सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हुई है ; और

(ग) इस उप-समिति ने, यदि कोई सुझाव दिए हैं तो वे क्या हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) और (ग). मामले का हल निकालने के लिए इस मामले की जांच हेतु 27 अप्रैल, 1987 को मानव संसाधन विकास, गृह, वित्त तथा सुरक्षा मन्त्रालयों के मन्त्रियों का एक दल गठित किया गया है। दल द्वारा विचार-विमर्श किया जा रहा है।

पाकिस्तान का परमाणु शस्त्र कार्यक्रम

2906. **श्री ई० अय्यप्पू रेड्डी :**

श्री आर० एम० भोये :

क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन देशों के क्या नाम हैं जो पाकिस्तान को उसके परमाणु बम बनाने सम्बन्धी कार्यक्रम में सक्रिय सहयोग दे रहे हैं ; और

(ख) पाकिस्तान के परमाणु शस्त्र कार्यक्रम से उत्पन्न विद्यमान खतरे का मुकाबला करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) पाकिस्तान कई देशों से अपने गुप्त हथियार-उन्मुख नाभिकीय कार्यक्रम के लिए नाभिकीय प्रौद्योगिकी, सामग्री और उपकरण प्राप्त कर रहा है।

(ख) सरकार ऐसी सभी घटनाओं पर बराबर निगाह रख रही है जिनका देश की सुरक्षा पर प्रभाव पड़ता हो।

परमाणु खतरे का कम करने के सम्बन्ध में संयुक्त राज्य अमरीका-सोवियत संघ समझौता

2907. **श्री एम० रघुमा रेड्डी :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ ने वाशिंगटन और मास्को में परमाणु खतरे को कम करने सम्बन्धी केन्द्र स्थापित करने के लिए कोई समझौता किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) इस वर्ष 15 सितम्बर को इस करार पर हस्ताक्षर हुए थे। दुर्घटना, तकनीकी खराबी, भ्रांति अथवा मिथ्या अनुमान के परिणामत: नाभिकीय संघर्ष की सम्भावनाओं को कम करने के उद्देश्य से इस करार के अन्तर्गत वाशिंगटन और मास्को में "जोखिम कम करने वाले केन्द्रों" की स्थापना की गई है।

ग्रामीण और शहरी घरेलू सम्पत्तियों में अंतर

2908. **डा० सुधीर राय :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण और शहरी घरेलू सम्पत्तियों में अन्तर है ;

(ख) यदि हां, तो कितना है ; और

(ग) इस अन्तर को दूर करने के लिए क्या उपाय करने का विचार है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के 37वें दौर के अनुसार, 30 जून, 1981 को प्रति रिपोटिंग परिवार की कुल परिसम्पत्तियों का औसत मूल्य ग्रामीण क्षेत्रों में 36133 रु० तथा शहरी क्षेत्रों में 40890 रु० था।

(ख) प्रति रिपोटिंग परिवार के अनुसार, ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में परिसम्पत्तियों के औसत मूल्य के बीच का अन्तर 4757 रु० है।

(ग) ग्रामीण तथा शहरी लोगों के बीच की असमनताओं को दूर करना, भारत में आयोजन का मुख्य विषय रहा है। इस उद्देश्य के अनुरूप, सातवीं योजना की विकास विषयक कार्यनीति और इससे उत्पन्न संवृद्धि के पेटर्न से ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी कम होने और इस प्रकार इस अन्तर के दूर होने की आशा की जाती है। त्वरित कृषि विकास, उत्पादकता और छोटे तथा सीमांतिक किसानों की आय, में वृद्धि के लिए विशेष उपाय करने, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के कार्यान्वयन तथा सिंचाई सुविधाओं के विस्तार पर जो बल दिया गया है, उससे ग्रामीण गरीबों की सम्पत्तियों में वृद्धि करने और इस अन्तर को पाटने में भारी योगदान मिलेगा। इसके अतिरिक्त, सातवीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी का उन्मूलन करने तथा रोजगार बढ़ाने के बहुत से कार्यक्रम भी शामिल है, जैसे एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम, जो विशेष रूप से गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की आय तथा उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए बनाए गए हैं। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम का विशेष उद्देश्य गरीब ग्रामीण परिवारों के लिए आय सृजित करने वाली परिसम्पत्तियों की व्यवस्था करके गरीबी दूर करने का लक्ष्य प्राप्त करना है।

प्रधान मन्त्री के वेंकूवर दौरे पर किया गया व्यय

2909. **श्री सैफुद्दीन चौधरी :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रधान मन्त्री के वेंकूवर दौरे पर, उनके स्टाफ सदस्यों और पत्रकारों सहित कुल कितना व्यय किया गया ;

(ख) क्या व्यय को न्यूनतम रखने के प्रयास किए गए थे ; और

(ग) यदि हां, तो कितना व्यय करने की योजना थी और वास्तव में कितना व्यय किया गया ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और यह सभा पटल पर रख दी जाएगी।

परती भूमि का पता लगाना

2910. **श्रीमती जयन्ती पटनायक :**

डा० बी० एल० शैलेश :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन प्रबन्ध प्रणाली संस्थान द्वारा देश में विभिन्न प्रकार की परती भूमि का पता लगाने के लिए छोटे से छोटे स्तर को परती भूमि के नक्शे तैयार किए गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितने जिलों के नक्शे तैयार किए गए हैं ;

(ग) तत्सम्बन्धी राज्यवार ब्यौरा क्या है ; और

(घ) क्या सरकार का विचार वन संपदा के बेहतर परिरक्षण के लिए प्रत्येक राज्य में एक सुदूर संवेदन केन्द्र स्थापित करने का है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) से (घ). इस सम्बन्ध में विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) जी, हां।

(ख) 84 जिले।

(ग) निम्न तालिका में राज्य-वार ब्यौरा दिया गया है :

राज्य का नाम	परती भूमि का मानचित्रण			
	प्रथम चरण में परती भूमि के मानचित्र के लिए निर्धारित जिलों की कुल संख्या	पूरे किए गए जिलों की संख्या	लगभग पूरे होने वाले	जिन जिलों का अभी मानचित्रण किया जाना है।
1	2	3	4	5
आन्ध्र प्रदेश	14	6	2	6
बिहार	9	7	2	—
गुजरात	10	3	4	3

1	2	3	4	5
हरियाणा	5	4	1	—
हिमाचल प्रदेश	3	2	1	—
जम्मू और काश्मीर	1	1	—	—
कर्नाटक	8	8	—	—
केरल	6	3	2	1
मध्य प्रदेश	18	11	4	3
महाराष्ट्र	10	5	2	3
नागालैंड	3	2	—	1
उड़ीसा	7	5	1	1
पंजाब	3	2	1	—
राजस्थान	12	5	3	4
तमिलनाडु	7	4	1	2
उत्तर प्रदेश	24	15	3	6
पश्चिमी बंगाल	3	1	1	1
आसाम	2	—	—	2
मणिपुर	2	—	2	—
जोड़ :	147	84	30	33

(घ) विविध राज्य सरकारें प्राकृतिक संसाधनों के मानचित्रण और तालिका के लिए सुदूर संवेदन के उपयोग के भाग के रूप में राज्य-स्तर पर सुदूर केन्द्रों की स्थापना की योजना बना रही हैं। उड़ीसा, तमिलनाडु, केरल, गुजरात, मध्यप्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश, मणिपुर और कर्नाटक की राज्य सरकारों सुदूर संवेदन केन्द्रों/सिलों की स्थापना की है, जो कि, विविध प्राकृतिक संसाधनों के सर्वेक्षण और मानीटरन की जरूरतों को पूरा करने के साथ-साथ वन संसाधनों के अध्ययन का कार्य भी करेंगे। पर्यावरण, वन तथा वन्यजीवन विभाग के राष्ट्रीय वन आंकड़ा प्रबन्ध केन्द्र में केवल वन संसाधनों के ही अध्ययन के लिए स्थापित प्रौढ़ अंकीय विश्लेषण सुविधा भी वन-सम्पदा के संरक्षण के अध्ययन में सहायता करेगी।

12.00 मध्याह्न

[अनुवाद]

श्री शांताराम नायक (पणजी) : महोदय, माननीय आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने स्पष्ट निर्णय दिया है···(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : नहीं, इसकी अनुमति नहीं है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मेरी बात सुनिए, आप लोग।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : क्या आप इसे रिकार्ड में जाने की अनुमति दे रहे हैं···?

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : नही, मैं इसके बारे में आपसे कुछ कहना चाहता हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मेरी बात सुनिये, मैं जवाब दूंगा।

[अनुवाद]

श्री सी० माधव रेड्डी (आदिलाबाद) : इसे रिकार्ड से निकाल दिया जाना चाहिए······ (व्यवधान)

श्री एम० रघुमा रेड्डी (नलगोंडा) : इसे रिकार्ड से निकाल दिया जाना चाहिए···(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप क्या कर रहे हैं। आप बैठते क्यों नहीं हैं।

[अनुवाद]

आपको बैठ जाना चाहिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : देखिये, अखबारों में कुछ आता है और कुछ नहीं आता है।

(व्यवधान)

**कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : आप मेरी बात सुनिये।

[अनुवाद]

श्री शान्ताराम नायक : महोदय, यह एक निर्णय है।

अध्यक्ष महोदय : आप मेरी बात क्यों नहीं सुनते ?

[हिन्दी]

मैं यह कहना चाहता हूं कि अपना केस कोई आपके पास हो, तो मुझे दीजिए, मैं पता करवाऊंगा। अगर उसमें कोई जान है या कोई तरीका है···

[अनुवाद]

मुझे देखने दीजिए। मैं किसी से सम्बन्धित नहीं हूं। मैं तो केवल···

(व्यवधान)

श्री आचार्य, जब मैं बोल रहा हूं तो बीच में व्यवधान पैदा मत कीजिए। मैं केवल नियमों का पालन करता हूं। यदि नियम अनुमति देते हैं तो मैं कुछ करूंगा अन्यथा मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं अपनी सीमाओं का उल्लंघन नहीं करूंगा। यह आप मुझ पर छोड़ दीजिए।

(व्यवधान)

श्री शांताराम नायक : महोदय···

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप लिखकर दे दीजिए। मैं इसके बिना कुछ नहीं करूंगा।

[अनुवाद]

श्री शांताराम नायक : मैंने लिखकर दे दिया है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैं देखूंगा।

(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं है। बस। अब कुछ भी रिकार्ड में नहीं जाएगा।

[हिन्दी]

मैंने आपको बोल दिया है। मैंने दोनों को बोल दिया है। आप लोग हाऊस का टाइम जाया कर रहे हैं, दोनों तरफ से। मैं किसी को एलाऊ नहीं करूंगा। बैठ जाइए आप।

**कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

मैं किसी को अनुमति नहीं दे रहा हूं। जो कुछ भी है, मुझे भी तो कुछ दीजिए। मैं जानकारी प्राप्त करूंगा। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता।

प्रो० मधु दण्डवते : वह क्या पढ़ रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मुझे नहीं मालूम, मैंने उन्हें इसकी अनुमति नहीं दी है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कौन कहता है कि मैंने अनुमति दी है ? आप मुझसे जबरदस्ती क्यों कहलवा रहे हैं ? बैठ जाइए और अपना स्थान ग्रहण कीजिए।···शालीनता का व्यवहार कीजिए और बैठ जाइए।

प्रो० मधु दण्डवते : यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जिस पर मैंने नोटिस दिया है। अनेक सदस्य इटली से हमारे सम्बन्धों के बारे में जानना चाह रहे हैं ···(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं है। आप मुझे प्रश्न के रूप में इसे दे सकते हैं। मेरे पास इसके बारे में सरकार से प्राप्त विशिष्ट जानकारी है कि इसका कोई आधार नहीं है। परन्तु यदि आपके पास कुछ है तो आप इसे मुझे दीजिए···

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं है।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी परवाह नहीं करता। इसकी अनुमति नहीं है।

गृह मन्त्री (सरदार बूटा सिंह) : प्रो० मधु दण्डवते और उनके साथियों द्वारा शुरू किया गया यह एक घृणित अभियान है। रोजाना वह निराधार आरोप लगा रहे हैं। इसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। (व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : मैंने तो जानकारी मांगी है। मैंने सरकार की असफलता के बारे में स्थगन प्रस्ताव दिया है···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जब मैं यह कह रहा हूं कि "आप इसे मत करो" तो क्या आपको अधिकार है ? प्रो० साहब मैं कहता हूं कि मेरे पास जानकारी है।

प्रो० मधु दण्डवते : उनका कहना है कि मैं घृणित प्रचार कर रहा हूं। मैंने तो केवल यह पूछा है कि मेरे नोटिस का क्या हुआ···(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं है।

सरदार बूटा सिंह : प्रश्न का उत्तर दे दिया गया था और वह उत्तर सकारात्मक था। वह मिथ्यापवाद और चरित्रहनन का अभियान चला रहे हैं···(व्यवधान)

**कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : यह मेरी राय नहीं है।

सरदार बूटा सिंह : वह ऐसा कैसे कर सकते हैं ?

प्रो० मधु दण्डवते : उनका कहना है कि मैं घृणित प्रचार कर रहा हूं। क्या आप ऐसा कहने की अनुमति देंगे (व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कुछ नहीं। कुछ भी रिकार्ड में नहीं जाएगा।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं है।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैंने कहा था कि यदि आपके पास कोई जानकारी है तो मुझे दीजिए।

प्रो० मधु दण्डवते : वह तो ठीक है, परन्तु वह ऐसा क्यों कहते हैं कि मैं घृणित अभियान चला रहा हूं ? आप इसकी अनुमति क्यों देते हैं ? (व्यवधान)

श्री ए० चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : उन्हें आरोप लगाते रहने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : श्री चार्ल्स आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी रिकार्ड में नहीं जाएगा।

सरदार बूटा सिंह : वे इस मंच का दुरुपयोग कर रहे हैं। (व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : इजाजत नहीं है। कुछ भी रिकार्ड में शामिल नहीं किया जाएगा।

सरदार बूटा सिंह : महोदय, इन्हें सबूत देने दीजिए। हम इसका सामना करने के लिए तैयार हैं।

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : हमने इस प्रश्न का उत्तर दे दिया है। उनके पास ऐसी कौन सी जानकारी है जिसके आधार पर वे बार-बार आरोप लगा रहे हैं ? यह बिल्कुल निराधार आरोप है।

श्री ए० चार्ल्स : वे बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं। परन्तु वह आरोप लगाते चले जा रहे हैं। (व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री चार्ल्स आप बैठेंगे या नहीं ? मैं आपके विरुद्ध कार्यवाही करूंगा। आप बैठ जाइए। कुछ भी रिकार्ड में नहीं जाएगा।

(व्यवधान)**

प्रो० एन० जी० रंगा (गुन्टूर) : आप उनके विरुद्ध कैसे कार्यवाही कर सकते हैं जबकि आप विपक्ष के सदस्यों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं ?

**कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूबनगर): हमने श्री एच० के० एल० भगत के विरुद्ध एक विशेषाधिकार प्रस्ताव दिया है। यह बहुत लम्बे समय से अनिर्णीत पड़ा है।

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे कह देते हैं तो मैं उस पर विचार करूंगा लेकिन मैं आपको इस तरह बोलने की अनुमति नहीं दे सकता। आपके पास नियम पुस्तक है। आप पहले नियमों को पढ़िए फिर मेरे पास आइए।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : महोदय, मैं तो केवल आपके निर्णय के बारे में पूछ रहा हूं।

प्रो० मधु दण्डवते : वह विशेषाधिकार की सूचना के बारे में आपके निर्णय के बारे में पूछ रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं देख रहा हूं। हम इस पर कार्यवाही प्रारम्भ कर चुके हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : आप सभा में किए गए विशेषाधिकार हनन के बारे में सबूत क्यों चाहते हैं?

श्री एस० जयपाल रेड्डी : ऐसी धारणा नहीं बननी चाहिए जिससे ऐसा लगे कि मामला रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : रद्दी की टोकरी में फेंकने का कोई सवाल ही नहीं है। हर चीज में समय लगता है। जल्दी में भी समय लगता है। मैंने उन सभी चीजों को देखना है।

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, आप कितना समय लगायेंगे?

अध्यक्ष महोदय : कुछ नहीं। आप मुझे मजबूर नहीं कर सकते।

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, आप नाराज क्यों हो रहे हैं? यदि हम यह जानकारी मांगते हैं कि आपको इसमें कितना समय लगेगा तो क्या इसमें कोई अपमानजनक बात है?

श्री एस० जयपाल रेड्डी : यह इसी सदन में हुआ है।

अध्यक्ष महोदय : मैं कई बार आपको बता चुका हूं कि इतने महत्वपूर्ण मसले पर हल्के-फुल्के ढंग से विचार नहीं कर सकता। मुझे इस पर विचार करना है और परामर्श करना है···

श्री एस० जयपाल रेड्डी : यह सच है, परन्तु सभा इस विषय पर चुप नहीं बैठी रह सकती। हम इस चुप्पी में शामिल नहीं हो सकते।

प्रो० एन० जी० रंगा : महोदय, आप अपने चैम्बर में प्रो० दण्डवते से इस विषय पर बात क्यों नहीं कर लेते? वह लगातार हस्तक्षेप कर रहे हैं। आपने हमारे सदस्यों को उसके विरुद्ध कार्यवाही किए जाने की धमकी देते हैं। लेकिन आप उनके प्रति उचित रवैया नहीं अपनाते हैं।

अध्यक्ष महोदय : प्रो० साहब मैं ऐसा कर चुका हूं। मैं पहले ही ऐसा कर चुका हूं।

प्रो० मधु दण्डवते : जैसे ही आपने निर्णय दिया था, मैंने उसे स्वीकार कर लिया था। वह अनावश्यक रूप से क्यों शिकायत कर रहे हैं? जब आपको शिकायत नहीं है तो फिर उन्हें क्यों शिकायत है? (**व्यवधान**)

प्रो० मधु दण्डवते : महिलाएं ज्यादा विरोध करती हैं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

प्रो० एन० जी० रंगा : आप यह चर्चा अपने चैम्बर में कर सकते हैं। आप ऐसे वाद-विवाद की अनुमति यहां क्यों दे रहे हैं? हमारे धैर्य की भी सीमा है।

प्रो० मधु दण्डवते : जब हमने सूचना दी है, तो हमें उसके बारे में यह जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है कि इसका क्या हुआ। और हम इसके बारे में पूछताछ करते रहेंगे। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप राम (गया) : अध्यक्ष महोदय···

अध्यक्ष महोदय : क्या आप व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं?

श्री रामस्वरूप राम : जी, हां।

अध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है?

[हिन्दी]

श्री रामस्वरूप राम : मेरा प्वाइंट आफ आर्डर यह है कि महाराष्ट्र में रिडल्स आफ हिन्दुइज्म···

अध्यक्ष महोदय : आप लिखकर दें, रामस्वरूप राम जी ऐसे कोई सबमीशन नहीं होता है।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह रिकार्ड में शामिल नहीं किया जाएगा।

12.10 म० प०

सभा पटल पर रखे गए पत्र

वक्फ अधिनियम और दरगाह ख्वाजा साहब अधिनियम के अधीन अधिसूचनाएं

[अनुवाद]

कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा० राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :—

(1) वक्फ अधिनियम, 1954 की धारा 8ध की उपधारा (3) के अन्तर्गत केन्द्रीय वक्फ परिषद्, (संशोधन) नियम, 1987, जो 14 अगस्त, 1987 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 712(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये एल टी सं० 5091/87]

**कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

(2) दरगाह ख्वाजा साहेब अधिनियम, 1955 की धारा 20 की उपधारा (6) के अन्तर्गत दरगाह ख्वाजा साहेब (संशोधन) उप-विधि, 1987, जो 19 अक्तूबर, 1987 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 864(अ) में प्रकाशित हुई थी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये एल० टी० सं० 5092/87]

अंतर्राज्यिक जल-विवाद अधिनियम के अधीन अधिसूचना

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री और जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : मैं अन्तर्राज्यिक जल विवाद अधिनियम, 1956 की धारा 6क की उपधारा (7) के अन्तर्गत नर्मदा जल (दूसरा संशोधन) योजना 1987, जो 19 सितम्बर, 1987 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 819(अ) में प्रकाशित हुई थी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये एल० टी० सं० 5093/87]

दमण और दीव प्रदेश परिषद (प्रक्रिया तथा कार्य संचालन तथा परामर्शदाताओं से परामर्श) नियम

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिन्तामणि पाणिग्रही) : मैं दमण और दीव (प्रशासन) विनियम, 1987 की धारा 19 की उपधारा (3) के अन्तर्गत दमण और दीव प्रदेश परिषद (प्रक्रिया तथा कार्य संचालन तथा परामर्शदाताओं से परामर्श) नियम, 1987, जो 1 सितम्बर, 1987 के दमण और दीव राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये एल० टी० सं० 5094/87]

असम तथा पंजाब से लोक सभा के लिए आठवें आम चुनाव तथा उस सभा के लिए 1985 में हुए उप-चुनावों संबंधी प्रतिवेदन और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अधीन अधिसूचना

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) असम तथा पंजाब से लोक सभा के लिए आठवें आम चुनाव तथा उस सभा के लिए 1985 में हुए उप-चुनावों सम्बन्धी प्रतिवेदन सांख्यिकीय की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये एल० टी० सं० 5095/87]

(2) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 28 की उपधारा(3) के अन्तर्गत निर्वाचकों का पंजीकरण (संशोधन) नियम 1987 जो 3 सितम्बर, 1987 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 814(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये एल० टी० सं० 5096/87]

सीमाशुल्क अधिनियम और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमों के अधीन अधिसूचनायें

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) सा० का० नि० 751(अ), जो 3 दिसम्बर, 1987 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनमें 1 मार्च, 1986 की अधिसूचना संख्या 179/86-सी० शु० का शुद्धि-पत्र दिया हुआ है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा० का० नि० 905(अ), जो 10 नवम्बर, 1987 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनमें 29 अप्रैल, 1987 की अधिसूचना संख्या 188/87-सी० शु० का शुद्धि-पत्र दिया हुआ है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा० का० नि० 906(अ), जो नवम्बर, 1987 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनमें 16 जून, 1986 की अधिसूचना संख्या 345/86-सी० शु० का शुद्धि-पत्र दिया हुआ है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा० का० नि० 907(अ), जो 11 नवम्बर, 1987 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 22 सितम्बर, 1981 की अधिसूचना संख्या 208/81-सी० शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं ताकि कतिपय और औषधियों/औषधों और उपस्करों को, जीवन रक्षक औषधि/औषध/उपस्कर की, जिन्हें निःशुल्क आयात करने की अनुज्ञा दी गई है, सूची में सम्मिलित किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा० का० नि० 911(अ), जो 13 नवम्बर, 1987 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 11 अक्तूबर, 1985 की अधिसूचना संख्या 314/85-सी० शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं ताकि "सांचे" अभिव्यक्ति, जिन पर सीमा-शुल्क की रियायती दर लगाई जाती है, के विस्तार और सीमा की व्याख्या की जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) का० आ० 991(अ), जो 17 नवम्बर, 1987 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बेल्जियम के फ्रैंकों को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को बेल्जियम के फ्रैंकों में बदलने की पुनरीक्षित विनिमय दर के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए एल० टी० सं० 5097/87]

(2) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) सा० का० नि० 881(अ), जो 29 अक्तूबर, 1987 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 दिसम्बर, 1984 की अधिसूचना संख्या 219/84-के०उ० शु० की बचता अवधि 30 नवम्बर, 1990 तक बढ़ाई गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा० का० नि० 882(अ), जो 29 अक्तूबर, 1987 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 10 फरवरी, 1986 की अधिसूचना संख्या 32/86-के० उ० शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं ताकि चायपत्ती -क्रय कारखानों में उत्पादित शुल्क पर उत्पाद-शुल्क में रियायती दर प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए ऐसे चायपत्ती-क्रय कारखानों की परिभाषा को संशोधित किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए एल० टी० सं० 5098/87]

भारतीय विज्ञान अकादमी, बंगलौर के वर्ष 1986-87, भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 1986-87, बीरबल साहनी इन्स्टीच्यूट आफ पोलियोबोटेनी, लखनऊ के वर्ष 1986-87 के वार्षिक प्रतिवेदन और समीक्षा

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय में राज्य मन्त्री और महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) भारतीय विज्ञान अकादमी, बंगलौर के वर्ष 1986-87 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय विज्ञान अकादमी, बंगलौर के वर्ष 1986-87 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए एल० टी० सं० 5099/87]

(2) (एक) भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 1986-87 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 1986-87 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये एल० टी० सं० 5100/87]

(3) (एक) बीरबल साहनी इन्स्टीच्यूट आफ पेलियोबोटेनी, लखनऊ के वर्ष 1986-87 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बीरबल साहनी इन्स्टीच्यूट आफ पेलियोबोटेनी, लखनऊ के वर्ष 1986-87 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये एल० टी० सं० 5101/87]

(4) (एक) वाडिया इन्स्टीच्यूट आफ हिमालयन जिओलॉजी, देहरादून के वर्ष 1986-87 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) वाडिया इन्स्टीच्यूट आफ हिमालयन जिओलॉजी, देहरादून के वर्ष 1986-87 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए एल० टी० सं० 5102/87]

(5) (एक) बोस इन्स्टीच्यूट, कलकत्ता के वर्ष 1986-87 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बोस इन्स्टीच्यूट, कलकत्ता के वर्ष 1986-87 कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये एल० टी० सं० 5103/87]

अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) भारतीय वन सेवा (काडर में सदस्य संख्या का नियतन) छठा संशोधन विनियम, 1968, जो 14 नवम्बर, 1987 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सा० का० नि० 835 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय वन सेवा (काडर में सदस्य संख्या का नियतन) सातवां संशोधन विनियम, 1987, जो 14 नवम्बर, 1987 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 836 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय वन सेवा (वेतन) सातवा संशोधन नियम, 1987 जो 14 नवम्बर, 1987 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 837 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय वन सेवा (वेतन) आठवां संशोधन नियम, 1987 जो 14 नवम्बर, 1987 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 838 में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) भारतीय प्रशासनिक सेवा (काडर में सदस्य संख्या का नियतन) सातवां संशोधन विनियम, 1987, जो 14 नवम्बर, 1987 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 841 में प्रकाशित हुए थे।

(छह) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) सातवां संशोधन नियम, 1987, जो 14 नवम्बर, 1987 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 842 में प्रकाशित हुए थे।

(सात) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) संशोधन नियम, 1987 जो 11 नवम्बर, 1987 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 909(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखी गयीं। देखिये एल० टी० सं० 5104/87]

12.12 म० प०

राज्य सभा से संदेश

[अनुवाद]

महासचिव : महोदय, राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेश की सूचना मुझे देनी है :—

(एक) "राज्य सभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 111 के उपबन्धों के अनुसार, मुझे समान पारिश्रमिक (संशोधन) विधेयक, 1987 की एक प्रति, जिसे राज्य सभा द्वारा 24 नवम्बर, 1987 को हुई अपनी बैठक में पारित किया गया है, भेजने का निदेश हुआ है।"

(दो) "राज्य सभा के प्रक्रिया और कार्य-संचालन नियमों के नियम 127 के अनुसार, मुझे लोक सभा को यह सूचना देने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 24 नवम्बर, 1987 को हुई अपनी बैठक में संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) विधेयक, 1987 को जिसे लोक सभा ने अपनी 19 नवम्बर 1987 को हुई बैठक में पारित किया था, बिना किसी संशोधन के पारित करने पर सहमत है।"

समान पारिश्रमिक (संशोधन) विधेयक

राज्य सभा द्वारा यथापारित

महासचिव : महोदय, मैं राज्य सभा द्वारा यथापारित समान पारिश्रमिक (संशोधन) विधेयक 1987 सभा पटल पर रखता हूं।

12.12-1/2 म० प०

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

चवालीसवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री एम० तम्बि दुराई (धर्मपुरी) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक और संकल्प सम्बन्धी समिति का चवालीसवां प्रतिवेदन (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) विभिन्न उद्योगों में विशेषकर शीशे और बीड़ी उद्योग में, श्रमिकों के रूप में नियुक्त बच्चों के सामने आने वाली समस्याओं के बारे में रचनात्मक और व्यावहारिक सुझाव देने के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन करने की मांग

[हिन्दी]

श्री गंगाराम (फिरोजाबाद) : अध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अधीन इस महत्वपूर्ण विषय की तरफ सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं—

समूचे भारत वर्ष में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले देशवासियों को ऊपर उठाने के लिए हम सब चिन्तन कर रहे हैं और हर सम्भव प्रयत्न भी कर रहे हैं कि देश के गरीबों का जीवन स्तर कम से कम समय में उठ सके। यह विधि की विडंबना है कि इस क्रम में हम अपने गरीब मजदूर भाईयों के जीवन में यथा वांछित सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। इस समूचे प्रकरण में बाल श्रमिकों की ज्वलंत समस्या शासन के लिए एक चुनौती बनी हुई खड़ी है। चाहे वह फिरोजाबाद की आग उगलती हुई भट्टियों के बीच में देश के भावी नागरिकों के व्यक्तित्व के निर्माण का प्रश्न हो या आगरा के लौह उत्पादन की भभकती हुई भट्ठियों के सामने मुरझाती हुई कलियों का प्रश्न हो या बीड़ी मजदूरी में लगे हुए बाल श्रमिकों की भयावह समस्या हो जहां दैन्यता की पिशाचिनी क्षय रोग को जन्म देकर मुरझा जाने के लिए विवश कर रही है आज देश में बाल श्रमिक समस्या भयंकर रूप धारण कर के एक चुनौती बनी हुई है। मानवता की इस नाजुक और दयनीय स्थिति से निबटने के लिए भारत सरकार के श्रम मंत्राल द्वारा एक उच्च स्तरीय समिति का गठन कर सभी पहलुओं पर अध्ययन कर ऐसे रचनात्मक तथा क्रियात्मक सुझाव देने के लिए प्रेरित किया जाए जिसको मूर्तरूप देकर मानवता की इस दुखदाई समस्या का निराकरण हो सके।

(दो) अमीनोफिलीन और थियोफिलीन औषधियों के मूल्य सरकार द्वारा निर्धारित किए जाने और औषध कम्पनियों द्वारा उन औषधियों को मनमानी दरों पर बेचने से प्राप्त अतिरिक्त आय को उन कम्पनियों से वसूल करने और उसे डी० आई० ए० खाते में जमा करने की मांग

डा० चन्द्रशेखर त्रिपाठी (खलीलाबाद) : अध्यक्ष महोदय मैं नियम 377 के अधीन इस महत्वपूर्ण विषय की ओर सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं—

[डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी]

देश में तमाम रोगियों को दमा तथा श्वास सम्बन्धी अन्य बीमारियों से राहत देने के लिए सरकार से एमिनोफामूलिन और थियोफाइलिन नामक दवाइयों को ओ० जी० एल० के अन्तर्गत आयात करने की व्यवस्था की थी। ये दोनों औषधियां औषधि मूल्य नियन्त्रण आदेश 1979 और 1987 के अन्तर्गत थीं। ओ० जी० एल० स्कीम के अन्तर्गत आयात करने की व्यवस्था रसायन विभाग ने प्रतिबंधित सूची में कर दी और भविष्य में आयात करने पर प्रतिबन्ध लगा दिया। इन औषधियों के बारे में चूंकि ये मूल्य नियन्त्रण आदेश के अन्तर्गत हैं इसलिए इनका मूल्य बी. पी सी. एल. ने जो एक एक्सपर्ट बाडी है दो सौ रुपया प्रतिकिलोग्राम के आस-पास निर्धारित करने की सिफारिश की थी, किन्तु सरकार द्वारा इन औसधियों का मूल्य अब तक निर्धारित न करने के कारण औषधि निर्माता इसे पांच सौ रुपए से अधिक दामों पर बेच रहे हैं। इससे औषधि निर्माताओं को करोड़ों रुपए प्रति वर्ष कमाने का अवसर मिल गया है साथ ही देश के करोड़ों उपभोक्ता ऊंची कीमत पर औषधि खरीद कर लुट रहे हैं।

अत: मैं उद्योग मन्त्री से मांग करता हूं कि करोड़ों उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए इन औषधियों के मूल्य अविलंब निर्धारित कर दिए जाएं तथा इन सभी कम्पनियों से जिन्होंने मनमाने ऊंचे मूल्य पर औषधियों को बाजार में बेचा है, अतिरिक्त मूल्यों को डी. ई. ए. खाते में जमा कराया जाए।

(तीन) पारादीप पत्तन से तलकर्षण का पूरा खर्च केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन किए जाने की मांग

[अनुवाद]

श्री लक्ष्मण मलिक (जगतसिंह पुर): मैं भारत सरकार से पारादीप पत्तन के विकास के लिए निम्न लिखित उपाय करने का अनुरोध करता हूं। पारादीप पत्तन पर माल की उठाई-धराई के कार्य में 1985-86 से वृद्धि हो रही है और वृद्धि दर प्रति वर्ष बढ़ रही है यह वृद्धि मुख्य रूप से लौह से भिन्न माल के मामले में हुई है। इसलिए, कम से कम दो अतिरिक्त सामान्य माल-गोदियों (बर्थ) का निर्माण करके पत्तन की क्षमता में वृद्धि करने की तत्काल आवश्यकता है। चूंकि निर्माण कार्य में लगभग तीन वर्षों का समय लगता है, इसलिए निवेश सम्बन्धी निर्णय शीघ्र लिया जाना चाहिए।

पत्तन की कुल आय में 1985-86 से वृद्धि हुई है और उस वर्ष से उसका कुल व्यय भी बढ़ा है। यद्यपि कुल आय में गत वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है लेकिन प्रति वर्ष बढ़ रहे ब्याज के भार के कारण पत्तन घाटे में चल रहा है। मैं सरकार को यह सुझाव देता हूं कि ऐसे पत्तनों को जिनका अभी विकास किया जा रहा है, ब्याज-राजसहायता दी जानी चाहिए अन्यथा वे उन पुराने स्थापित पत्तनों से प्रतियोगिता नहीं कर सकते जिनका विकास उस समय किया गया था जब निवेश लागत बहुत कम थी।

पत्तन को तलकर्षण पर भारी धनराशि व्यय करनी पड़ती है क्योंकि पानी के बहाव में पत्तन के तल में दक्षिण से काफी मिट्टी बहकर आ जाती है। इस प्रकार के तलकर्षण के लिए कलकत्ता पत्तन को राजसहायता मिलती है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह पारादीप पत्तन में तल कर्षण की पूरी लागत वहन करे।

12.14 म० प०

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

(चार) भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भोपाल, में केन्द्रीय विद्यालय खोलने की मांग

[हिन्दी]

श्री के० एन० प्रधान (भोपाल) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस महत्वपूर्ण विषय को नियम 377 के अधीन इस सदन में उठाना चाहता हूं—

केन्द्रीय विद्यालयों की योजना 1962 में बनी और 1963 से क्रियान्वयन शुरू हुआ। आज देश में 600 से अधिक केन्द्रीय विद्यालय हैं। इस तेजी से बढ़ने का कारण केन्द्रीय विद्यालयों की लोकप्रियता है। विशेष रूप से केन्द्र सरकार, रक्षा और सार्वजननिक क्षेत्र के कर्मचारियों को इनसे बड़ी राहत और संतोष प्राप्त हुआ है।

बी. एच. ई. एल. भोपाल में कर्मचारियों की संख्या 20 हजार के लगभग है और यहां एक केन्द्रीय विद्यालय की नितांत आवश्यकता है। बी. एच. ई. एल. की अधिकांश शाखाओं में केन्द्रीय विद्यालय हैं। हरिद्वार बी. एच. ई. एल, में दो-दो केन्द्रीय विद्यालय हैं। जगदीशपुर में हाल ही में खुला है। गत 15-20 वर्षों से बी. एच. ई. एल. भोपाल में भी एक केन्द्रीय विद्यालय खोलने के लिए अनुरोध किया जाता रहा है। आशा है, मानव संसाधन मन्त्री जी इस ओर विशेष रूप से ध्यान देंगे।

(पांच) "रख रखाव" शीर्ष के अन्तर्गत सिंचाई बांधों के लिए आवंटित धनराशि कार्य-प्रभारित कर्मचारियों के वेतन आदि पर खर्च न की जाए और उसका बांधों के वास्तविक रखरखाव पर उपयोग किया जाए, यह सुनिश्चित करने के लिए मानदण्ड निर्धारित करने की मांग

[अनुवाद]

श्री जुझार सिंह (झालावाड़) : राजस्थान में इस वर्ष भयंकर अकाल पड़ा है और यह नितान्त आवश्यक है कि राज्य में फसलें उगाने के लिए तालाबों और सिंचाई बांधों में उपलब्ध पानी की प्रत्येक बूंद का बहुत किफायती और लाभप्रद ढंग से उपयोग किया जाए।

तथापि, यह देखा गया है कि गोपालपुर बांध, उमेद सागर बांध तथा तहसील किसन गंज में सीताबाड़ी में सारणों का बहुत सा पानी बेकार जा रहा है। कोटा जिले की अत्रू तहसील में सारणों का पानी भी बेकार जा रहा है।

इसी प्रकार झालावाड़ जिले में भीम सागर बांध और हरीश चन्द्र सागर बांध का भी बहुत सा पानी व्यर्थ हो रहा है। इन स्थानों पर नहर प्रणाली और बांधों के रख-रखाव के अभाव में पानी बेकार जा रहा है। खराब रख-रखाव का कारण यह बताया जाता है कि 'रख-रखाव शीर्ष' के अन्तर्गत सभी धनराशि कार्य-प्रभारित कर्मचारियों के वेतन का भुगतान करने में व्यय कर दी जाती है और वास्तविक रख-रखाव के कार्य के लिए कुछ शेष नहीं बचता।

इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए मैं जल संसाधन मन्त्री से अनुरोध करता हूं कि वे ऐसे मानदंड निर्धारित करें कि वेतन और कर्मचारियों की संख्या सीमा के भीतर रखी जाए तथा भविष्य में अतिरिक्त खर्चे के कारण किसानों और सरकार के हितों को हानि न पहुंचे।

(छः) कोचीन तेल शोधक कारखाने के समीप, उस क्षेत्र में विद्युत सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 100 मेगावाट का एक ताप बिजलीघर स्थापित करने की मांग

श्री तम्पन थामस (मवेलिकरा) : केरल में विद्युत की भारी कमी है। निकट भविष्य में भारी वर्षा होने और पन-बिजली परियोजनाओं से बिजली प्राप्त होने की कोई सम्भावना नहीं है। कोचीन तेल शोधक कारखाने के पास तेल है तथा इसके निकट सौ मेगावाट का ताप विद्युत संयंत्र शुरू किया जा सकता है जिससे वहां के लोगों की विद्युत सम्बन्धी आवश्यकता पूरी हो सकती है।

(सात) काली मिर्च के पोत-पर्यन्त-निःशुल्क मूल्य पर 3.5 प्रतिशत उपकर लगाने के मामले पर पुनर्विचार करने की मांग

श्री के० मोहनदास (मुकुन्दपुरम) : इस मौसम में भारत के काली मिर्च के निर्यात में तेजी से गिरावट आई है। सरकार द्वारा काली मिर्च पर लगाए गए उप कर से निर्यात में और भी गिरावट आएगी।

सरकार ने 6 नवम्बर से काली मिर्च के पोत-पर्यन्त निःशुल्क मूल्य पर 3.5 प्रतिशत उपकर लगा दिया है। इससे काली मिर्च के निर्यात पर निश्चित रूप से बुरा प्रभाव पड़ेगा। वर्तमान स्तर पर पोत-पर्यन्त-निःशुल्क मूल्य 63,000 रुपए प्रति टन है। नया उपकर, वर्तमान उपकरों सहित, लागत मूल्य का 15 प्रतिशत बैठता है। अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय काली मिर्च का मूल्य अत्यधिक है और वर्तमान उपकर से काली मिर्चों के व्यापार की स्थिति और भी कमजोर पड़ेगी।

अतः, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस उपकर पर पुनर्विचार करे और काली मिर्च की उत्पादन लागत में कमी करने के लिए सभी कदम उठाए ताकि यह अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतियोगी बन सके।

(आठ) जो लोडर-पैकर पहले एयर फ्रेट (प्रा०) लिमिटेड में कार्य कर रहे थे, उन्हें भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण में खपाने की मांग

श्रीमती वैजयन्ती माला बाली (मद्रास दक्षिण) : मद्रास विमानपत्तन माल काम्पलैक्स में एयर फ्रेट (प्रा०) लिमिटेड ने 1978 से 1985 के बीच लगभग 100 लोडरों-पैकरों की नियुक्ति की गई थी। परन्तु अचानक भारतीय अतर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण ने एयर फ्रेट (प्रा०) लिमिटेड के साथ ठेका समाप्त कर दिया और इन लोडरों को नैमितिक मजदूरों के रूप में नियुक्त कर लिया। वे जून, 1986 तक वर्ष में 8 माह के लिए नैमित्तिक मजदूरों के रूप में कार्य करते रहे। इसके बाद उन्हें सहकारी समिति बनाने और लोडरों-पैकरों का कार्य करने के लिए भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण के साथ ठेका करने का परामर्श दिया गया। तदनुसार उन्होंने यह कार्य किया।

चूंकि वे भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण के प्रभावित कर्मचारी थे इसलिए माननीय नागर विमानन मन्त्री ने यह निदेश दिया कि ठेके का कार्य केवल समिति को ही दिया जाए। इस निदेश के अनुसार माल उतारने तथा लादने का ठेका समिति को जनवरी, 1987 तक दिया गया। तथापि, इस टेके का अभी नवीकरण नहीं किया गया है।

अब भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण, मद्रास विमानपत्तन माल काम्पलैक्स के

महाप्रबन्धक ने समिति के साथ हुए मौखिक समझौते के विपरीत निविदाएं आमंत्रित की हैं जिसके फलस्वरूप ये कर्मचारी बेरोजगार हो जाएंगे। यह महसूस किया गया है कि भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण को इन सभी प्रभावित 100 कर्मचारियों को खपा लेना चाहिए था।

इसलिए, मैं माननीय नागर विमानन मन्त्री से यह अनुरोध करती हूं कि वह उक्त कर्मचारियों को स्थाई आधार पर भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण में खपाने की व्यवस्था करें।

12.19 म० प०

प्रादेशिक ग्रामीण बैंक (संशोधन) विधेयक

—[जारी]

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अब श्री जनार्दन पुजारी द्वारा 23 नवम्बर, 1987 को पेश किए गए निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करेगी, अर्थात् :—

> "कि प्रादेशिक ग्रामीण बैंक (संशोधन) अधिनियम, 1976 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

श्री माधव रेड्डी।

श्री सी० माधव रेड्डी (आदिलाबाद) : जैसाकि मैंने पहले कहा है, प्रादेशिक ग्रामीण बैंक विधेयक, बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है और इस पर विस्तार से चर्चा किए जाने की आवश्यकता है। हमने इसके लिए केवल तीन घण्टे का समय निर्धारित किया है। मैं चाहता हूं कि इस विधेयक पर अधिक समय तक चर्चा की जाए क्योंकि गत 12 वर्षों में इस विधेयक के प्रवर्तन के दौरान कई घटनाएं घटी हैं, सरकार और जनता के ध्यान में अनेक समस्याएं आई हैं। दांतेवाला समिति, कामथ समिति और अब केलकर समिति सहित अनेक समितियों ने इस प्रश्न पर विचार किया है और उन्होंने अनेक सिफारिशें की हैं।

केलकर समिति के प्रतिवेदन पर आधारित संशोधनों के विभिन्न पहलुओं के बारे में बोलने से पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा। प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन, मेरे विचार से शायद यह 62वां प्रतिवेदन, था, में की गई सिफारिशों के अन्तर्गत बैंकों के वार्षिक प्रतिवेदनों के बारे में यह सुझाव दिया गया था कि बैंक का प्रत्येक वार्षिक प्रतिवेदन, बैंक का समेकित वार्षिक प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा जाए। वर्ष 1983 में प्रस्तुत किए गए एक प्रतिवेदन के अलावा बाद का कोई भी प्रतिवेदन सभा पलट पर नहीं रखा गया जिससे कि हम प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों की वास्तविक कार्य प्रणाली और उसकी कमियों के बारे में जान पाते। यह कार्य एक अध्यादेश के आधार पर बड़े प्रचार के साथ 1975 में शुरू किया गया तथा बाद में इस अध्यादेश को अधिनियम के रूप में पारित किया गया। जब 20 सूत्री कार्यक्रम शुरू किया गया तो उस समय उनमें एक सूत्र ग्रामीण ऋण ग्रस्तता दूर करने के बारे में था और इसलिए यह विधेयक लाया गया। विधेयक की सम्पूर्ण अवधारणा यह है कि इस क्षेत्र विशेष में बहु-अभिकरण ऋण प्रणाली शुरू की जाये। हमारे यहां वाणिज्यिक बैंक थे जो मुख्यतः शहरोन्मुख थे,

[श्री सी० माधव रेड्डी]

कोई भी वाणिज्यिक बैंक ग्रामीण क्षेत्रों में शाखा खोलने के लिए तैयार नहीं था और हर बार रिजर्व बैंक को जबरन उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में जाने और वहां अपनी शाखाएं खोलने के लिए कहना पड़ा। एक बार तो यह अनुपात निर्धारित करना पड़ा कि यदि कोई बैंक शहरी क्षेत्रों में एक शाखा खोलना चाहता है तो उसे पांच शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में खोलनी पड़ेंगी ; तभी उसे शहर में एक शाखा खोलने की मंजूरी दी जाएगी। प्रत्येक वाणिज्यक बैंक बहुत सी शाखाएं शहरी क्षेत्रों में खोलना चाहता था ; शहरी क्षेत्रों में शाखाएं खोलने के प्रस्ताव रिजर्व बैंक के पास लम्बित पड़े हैं। शहरी शाखाएं बहुत लोकप्रिय हैं ; वे संसाधन जुटा सकती हैं। ग्रामीण बैंकों को हानि उठानी पड़ती है ; ग्रामीण क्षेत्रों में जुटाने के लिए कोई संसाधन नहीं है। वहां बैंक में जमा होने वाली राशि कम और बैंक से निकलने वाली राशि अधिक थी ; और कोई भी बैंक ग्रामीण क्षेत्रों में शाखाएं स्थापित करने के लिए शहरी क्षेत्रों से प्राप्त हो रहे लाभ को प्रमाणित करने की स्थिति में नहीं था। यह स्थिति थी।

इसी प्रकार, सहकारी समितियां भी काफी लम्बे समय से क्षेत्र में है और यह मुख्यतः सहकारी समितियों का क्षेत्र है। परन्तु सहकारी समितियों के अपने दोष है ; वे गांवों में जमा राशि प्राप्त करने की स्थिति में नहीं थी और उनके संसाधन भी मुख्यतः भारतीय रिजर्व बैंक और अब राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से पुनर्वित्त पर आधारित हैं। इन दो कारणों से वाणिज्यिक बैंकों और सहकारी बैंकों की कुछ अच्छी बातों को मिलाकर प्रादेशिक ग्रामीण बैंक स्थापित करने की परिकल्पना की गई। यह एक बहुत क्रांतिकारी विचार है। मैं ग्रामीण बैंकिंग प्रणाली की अवधारणा का पूर्ण समर्थन करता हूं और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि लगभग 13,000 शाखाओं के साथ यह प्रणाली पूरे देश में फैल गई है। मैं इसका स्वागत करता हूं। मुझे विशेषकर, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा किए जा रहे इस प्रचार की जानकारी है कि ये बैंक अच्छे नहीं हैं ; इनमें घाटा हो रहा है ; इन बैंकों को बंद करना पड़ेगा ; उन्हें प्रायोजित बैंकों के साथ मिला दिया जाना चाहिए अथवा उन्हें प्रायोजित बैंकों के सहायक के रूप में कार्य करना चाहिए और इसी प्रकार की अन्य बातें।

अब, यदि प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अर्थक्षम नहीं है, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? वर्ष 1976 में भी जब इस विधेयक पर चर्चा की जा रही थी, तब भी यही मुद्दा उठाया गया था और उस समय वित्त मन्त्री श्री प्रणव मुखर्जी ने बताया था कि इसकी वजह केवल मूल पूंजी की कमी है और इससे यह नहीं समझना चाहिए कि ये बैंक अक्षम हो रहे हैं। इन बैंकों के अक्षम होने का मुख्य कारण हानियां हैं। निश्चित रूप से इन बैंकों को हानियां हो रही हैं और इस हानि से सम्पूर्ण शेयर पूंजी नष्ट हो गई है क्योंकि इन बैंकों की कुल शेयर पूंजी 49 करोड़ रुपये है। इस 49 करोड़ रुपये में 50 प्रतिशत शेयर भारत सरकार के पास, 15 प्रतिशत शेयर राज्य सरकारों के पास और 35 प्रतिशत शेयर प्रायोजक बैंकों के पास हैं।

आज इन 196 बैंकों की सम्पूर्ण शेयर पूंजी नष्ट हो गई है। जो हानि हो रही है वह शेयर पूंजी से ज्यादा है। अतः यदि आप इस ओर देखें तो यह एक चिन्ताजनक स्थिति है। यह चिन्ताजनक स्थिति इसलिए है क्योंकि ये बैंक आज इस स्थिति में नहीं है कि वे अपने संसाधनों से उतना पैसा जुटा सकें जितना कि वे वास्तव में लोगों को कर्ज के रूप में देना चाहते हैं। हमें बताया गया है कि जमा पूंजी 1600 करोड़ रुपये की है जबकि देनदारियां लगभग 1800 करोड़ रुपये की हैं अग्रिम की राशि 1700 अथवा 1800 करोड़ रुपये हैं और जमा राशि अग्रिम से कम है। हो सकता है कि यह धनराशि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक और प्रायोजिक बैंकों से मिल रही हो। लेकिन जब हम इन प्रायोजक बैंकों

की वास्तविक स्थिति को देखते हैं क्योंकि हमने ही इन संस्थाओं को बनाया है और प्रायोजक बैंकों को हमने यह उत्तरदायित्व सौंपा है, प्रायोजक बैंक की एक नई धारणा के बारे में सोचा गया है और प्रत्येक वाणिज्यिक बैंक से यह आशा की जाती है कि वह अधिसूचित क्षेत्रों में कुछ प्रादेशिक ग्रामीण बैंक प्रायोजित करे। क्या आज हमें इस धारणा में सफलता मिली है ? यह एक बहुत अच्छा विचार था लेकिन इन प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों को होने वाली हानियां अथवा इनकी अक्षमता सम्पूर्ण ढांचे में ही अन्तर्निहित थी। इस सम्पूर्ण ढांचे में अक्षमता की बात सबसे पहले आई। इसका कारण कम मूल पूंजी अथवा कम शेयर मूल पूंजी का होना था। दूसरे इसे राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक और प्रायोजक बैंकों के संसाधनों पर निर्भर रहना पड़ता था और प्रायोजिक बैंक इन संस्थाओं को वित्तीय सहायता देने के बारे में बिल्कुल भी परवाह नहीं करते थे। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने 30 प्रतिशत की दर निर्धारित की है। धनराशि का 30 प्रतिशत मिलना चाहिए। पुनर्वित्त व्यवस्था के लिए 30 प्रतिशत का अंश निर्धारित किया गया है। कितने पर ? बहुत से ऐसे बैंक है जिनमें प्रायोजक बैंक का पुनर्वित्त व्यवस्था पूंजी में मुश्किल से 20 प्रतिशत का अंश है। कुछ ऐसे भी बैंक है जिनमें एक प्रतिशत का भी अंश नहीं हैं। और वे किस दर पर ब्याज ले रहे हैं ? वे पुनर्वित्त व्यवस्था के लिए 8-1/2% की दर पर ब्याज ले रहे हैं जिसके लिए प्रादेशिक ग्रामीण बैंक प्रायोजक बैंक से ले रहे हैं जबकि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक केवल 7 प्रतिशत की दर पर ब्याज ले रहा है। बैंकों की धनराशि देने की दर और उधार लेने की वास्तविक दर तथा ऋण वापसी की दर इतनी धीमी है कि इन बैंकों के लिए इतनी थोड़ी सी धनराशि के साथ कुशलतापूर्वक कार्य करना बहुत कठिन है। विधेयक को पुरःस्थापित करते समय इस पहलू को छोड़ दिया गया है और कतिपय सुरक्षोपाय नहीं किये गये हैं।

अब मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि केलकर समिति की सिफारिशों पर सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि शेयर पूंजी को बढ़ाया जाएगा लेकिन मुझे इस तथ्य के बावजूद, कि मन्त्री महोदय ने एक दो दिन पहले सभा में एक वक्तव्य दिया था कि पुरोधृत पूंजी को 25 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये कर दिया जाएगा, सभादत्त पूंजी को बढ़ाने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। यह बात मुझे इस विधेयक में दिखाई नहीं दी है। इस विधेयक में आप केवल अधिकृत पूंजी को 1 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये कर रहे हैं। लेकिन इससे सभादत्त पूंजी में वृद्धि कहां हुई ? आखिरकार ये सब पूंजी क्या है ? यह कुछ भी नहीं है। वास्तविक बात तो यह है कि सभादत्त पूंजी कितनी है, आप कितनी धनराशि दे रहे हैं। आपने कहा है कि प्रत्येक बैंक के लिए पुरोधृत पूंजी और समादत्त पूंजी 1 करोड़ रुपये होने जा रही है लेकिन इस बात का इस विधेयक में कोई उल्लेख नहीं है। मैंने वित्तीय ज्ञापन का अध्ययन किया है लेकिन इसमें इस बात का कोई उल्लेख नहीं है। इसमें कहा गया है कि "इसका आकलन नहीं किया जा सकता"। आज आप कहते हैं कि इस अवस्था में भारत सरकार की वित्तीय वचनबद्धता को नहीं आंका जा सकता। अतः इसीलिए आप इस सम्बन्ध में चुप हैं और विधेयक में कहा गया है कि पुरोधृत पूंजी 25 लाख रुपये से 1 करोड़ रुपये के बीच होगी। हम तो यह जानते हैं कि यह कुल मिला कर 25 अथवा 35 लाख रुपये ही हो सकती है। आप द्वारा दिये गये वचन, मैं इसे सभा में दिया गया यह वचन अथवा आश्वासन मानता हूं, के बावजूद कि आप सभादत्त पूंजी को बढ़ाकर 1 करोड़ रुपया कर रहे हैं और यह कि इससे पीछे नहीं हटा जाएगा तथा आप तीन शेयर धारकों, अर्थात राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार और प्रायोजित बैंकों के वर्तमान अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। मैं नहीं जानता कि आपने इस मामले में राज्य सरकार के बैंकों से भी परामर्श किया है अथवा नहीं क्योंकि यह वचनबद्धता उन पर भी लागू होती है। यदि आप सभादत्त पूंजी को बढ़ाकर 1 करोड़ रुपया कर रहे हैं तो राज्य सरकार की वचनबद्धता लगभग 22 करोड़ रुपये हो जाएगी और आपकी अपनी वचनबद्धता

[श्री सी० माधव रेड्डी]

लगभग 49 अथवा 79 करोड़ रुपये हो जाएगी मेरा प्रश्न यह है कि जब आप इस बात का आकलन करने की स्थिति में नहीं हैं कि इन बैंकों की सभादत्त पूंजी के बारे में भारत सरकार की वित्तीय वचन-बद्धता क्या होगी तब आप यह कैसे कह सकते हैं कि हम इन बैंकों की सभादत्त पूंजी बढ़ा रहे हैं ? इस विधेयक में इस बात का कोई उल्लेख नहीं हैं। तो भी मैं समझता हूं कि यह आपकी वचनबद्धता के कारण है क्योंकि आपने इस विषय पर बोलते हुए कहा था कि इसे बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये किया जा रहा है और मैं समझता हूं कि आप इस बात से मुकर नहीं रहे हैं। राज्य सरकार और प्रायोजित बैंकों को आश्वस्त करके और अपने द्वारा वचन देकर आप सभादत्त पूंजी को बढ़ाकर 1 करोड़ रुपया कर रहे हैं और आप जिस कुल पूंजी को बढ़ा रहे हैं, आखिर वह कुल पूंजी क्या है ? यदि आज आपके पास 1 करोड़ रुपया है और इसे 196 बैंकों में बांटना है तो आप सीधा सा हिसाब लगा सकते हैं कि इसमें आपका कितना हिस्सा होगा। तब आप वित्तीय ज्ञापन में यह क्यों कहते हैं कि इसका आकलन नहीं किया जा सकता मैं यह बात समझ नहीं पा रहा हूं। इसको स्पष्ट रूप से आंका जा सकता था। आपको इसकी गिनती करनी होगी और यह बताना होगा कि वर्तमान बैंकों की संख्या के आधार पर आपकी पूंजी क्या होगी। मैं भविष्य में खुलने वाले बैंकों की बात नहीं कर रहा हूं और हो सकता है कि आप कुछ नई शाखाएं भी खोलें।

बैंकों की सक्षमता के प्रश्न के बारे में जैसा कि मैंने पहले कहा था, यह सक्षमता मुख्य रूप से नीतियों विशेष रूप से बैंकों के बित्तीय प्रबन्ध पर निर्भर करती है। इस समय बैंकों का वर्तमान प्रबन्ध, वित्तीय प्रबन्ध कैसा है ? वित्तीय प्रबन्ध इतना घटिया है कि प्रबन्धकों के पास एक भी प्रशिक्षार्थी भी उपलब्ध नहीं है। उनको इस बात का भी ज्ञान नहीं है कि वे अपनी धनराशि को कैसे खर्च करें। प्रायो-जित बैंकों की इन बैंकों में बिल्कुल भी रूचि नहीं है। वे उनके साथ सौतेले बच्चों जैसा व्यवहार कर रहे हैं। वे नहीं चाहते हैं कि ये बैंक चलते रहें क्योंकि वे समझते हैं कि हमने जबरदस्ती में बैंक उन पर थोपे हैं। उन्होंने किसी प्रकार का कोई वचन नहीं दिया है। उन्होंने केवल अपने अधिकारियों को प्रति-नियुक्ति पर इन बैंकों में भेजा है जिन्होंने इन बैंकों के विकास और इन संस्थाओं को प्रोत्साहित करने के लिए कोई भी कार्य नहीं किया है जो कि अत्यन्त जरूरी था। हमारा मुख्य उद्देश्य यही था। मुख्य उद्देश्य यह था कि ये वाणिज्यिक बैंक इन संस्थाओं को प्रोत्साहित करें और इनका इस ढंग से विकास करें ताकि वे ग्रामीण ऋण, गरीब से गरीब लोगों की ऋण आवश्यकताओं और निर्धारित लक्ष्य वाले समूहों की आवश्यकताओं को पूरा करने में अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन कर सकें। मैं समझता हूं कि कुछ ऐसे बैंक भी हैं जिन्होंने निर्धारित लक्ष्य वाले समूहों को वित्तीय सहायता देने में बिल्कुल भी रूचि नहीं दिखाई है। मैं इस सम्बन्ध में कोई प्रश्न नहीं कर रहा हूं लेकिन तथ्यों से पता चलता है कि इन बैंकों में अधिक संख्या में उधार लेने वालों और जमा कराने वालों के खाते हैं। उनकी जमा खाते लगभग 1 करोड़ 50 लाख हैं। उनकी जमा योजना छोटी जमा योजना है और वे इस जमा को गरीब लोगों से इकट्ठा करते हैं। इसी प्रकार उनके उधार खाते भी बहुत अधिक संख्या में है। ये खाते लगभग 70 लाख अथवा इसके आस पास के हैं। यदि उनके उधार खाते 70 लाख हैं तो प्रत्येक खाते में औसत ऋण की दर लगभग 1800 रुपये अथवा इसके आस पास आती है। इन तथ्यों के आधार पर इसका अर्थ मैं यह लगाता हूं कि वे कमजोर वर्ग के लोगों को वित्तीय सहायता दे रहे हैं। लेकिन यदि इसमें कोई कमी है तो निश्चित रूप से यह स्थानीय प्रबन्धकों की व्यक्तिगत कमी के कारण है। लेकिन कुल मिलाकर इन प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों ने जबरदस्त कार्य किया है और उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र पर एक अच्छी छाप छोड़ी है और इन बैंकों को इस वजह से कि इनमें हानि हो रही है, बन्द करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए।

जहां तक सक्षमता का सम्बन्ध है मैं पुनर्वित्त व्यवस्था के बारे में उल्लेख कर रहा था। उन्हें प्रायोजित बैंकों द्वारा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की दरों की भांति पुनर्वित्त व्यवस्था की सुविधाएं क्यों नहीं दी जानी चाहिए ? राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक 7 प्रतिशत की दर पर ब्याज दे रहा है। यदि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक 7 प्रतिशत ब्याज की दर पर पुनर्वित्त व्यवस्था की सुविधा दे सकता है तो वाणिज्यिक बैंक इसी दर पर ये सुविधाएं क्यों नहीं दे सकते हैं और वे अधिक दर क्यों ले ? इसी प्रकार इन बैंकों की धनराशि जब प्रायोजित बैंकों के पास जमा की जाती है तो इसका उन्हें क्या लाभ मिल रहा है ? आज उन्हें मुश्किल से आठ प्रतिशत ब्याज मिल रहा है। वे दस प्रतिशत क्यों नहीं देते हैं ? जब उनकी अतिरिक्त धनराशि प्रायोजित बैंकों के पास जमा की जाती है तो उन्हें केवल आठ प्रतिशत ब्याज मिलता है ये कुछ ऐसे विषय हैं जिन पर केलकर समिति ने विचार किया और इनको विधेयक में शामिल किया जाना चाहिए।

मैं जानता हूं कि कुछ ऐसे विषय भी हैं जिनको विधेयक में शामिल नहीं किया जा सकता। लेकिन अधिनियम बनाते समय आपको इन सब बातों को ध्यान में रखना होगा और आपको यह देखना होगा कि वाणिज्यिक बैंकों, प्रायोजित बैंकों और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक को उपयुक्त निदेश दे दिये जाएं ताकि इन प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों द्वारा धनराशि की लागत और उधार धनराशि पर वापस की जाने वाली दर के अन्तर को कम करने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई न हों।

मैं हानि के सम्बन्ध में अन्य कारण, जो इसके लिए जिम्मेदार हैं, का भी उल्लेख करना चाहूंगा। आज कुल हानियां लगभग 90 करोड़ रुपये की हैं।

अब आप इस सम्बन्ध में क्या कर रहे हैं ? जब तक कि शेयर धारी—भारत सरकार, राज्य सरकार तथा प्रायोजित बैंक संयुक्त रूप से यह निर्णय न लें कि इन सभी हानियों को राजसहायता देकर या किसी प्रकार का अनुदान देकर किस प्रकार से समाप्त किया जाए, मुझे डर है कि ये बैंक अक्षम एकक ही बने रहेंगे। समिति द्वारा यही सिफारिश की गई है। यहां तक कि समिति ने बहुत पहले 1975 में, जब इस सभा में यह विधेयक पुरःस्थापित भी नहीं हुआ था, स्पष्ट रूप से यह कहा था। नरसिंह न समिति ने कहा था :

> "सक्षमता समय पर भी निर्भर करती है एक वित्तीय संस्था के लिए सक्षमता पर चर्चा सामान्यतया वित्तीय अर्थ में ही होती है। यह वास्तव में उचित भी है कि यह इसी प्रकार की होनी चाहिए। परन्तु जहां किसी प्रकार की वित्तीय संस्था का उद्देश्य सामाजिक-आर्थिक हो वहां वित्तीय हानि की आरम्भि अवधि को ऋण क्षेत्र का विस्तार करने के बड़े सामाजिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अदा की गई कीमत के रूप में लिया जा सकता है।"

यह बात वर्ष 1975 में ही, अर्थात् प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के वास्तव में शुरू होने से पहले ही कह दी गई थी। ऐसा पहले ही अनुमान लगा लिया गया था कि हानि की अवधि लगभग पांच वर्ष की हो सकती है। मेरे ख्याल से ऐसा कोई वाणिज्यिक बैंक नहीं है जिसने ग्रामीण क्षेत्र में अपनी शाखा खोली हो और उसे कोई मुनाफा हुआ हो। शहरी क्षेत्रों से यह जो मुनाफा हो रहा है इसे ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित बैंकों की हानियां पूरी करने के लिए उपयोग में लाया जाएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप यह चाहते थे कि ये बैंक लक्ष्य समूहों के सिवाय किसी को भी ऋण न दें। जब आप यह चाहते हैं कि ये बैंक शहरी क्षेत्रों अथवा अर्ध शहरी क्षेत्रों में कार्य न करें, जब आप यह चाहते हैं कि ये बैंक पर्वतीय

[श्री सी० माधव रेड्डी]

क्षेत्रों में, पिछड़े क्षेत्रों में, दूर-दराज के क्षेत्रों में, आदिम जाति क्षेत्रों में जाकर अपनी शाखाएं खोलें, जब आप यह चाहते हैं कि ये केवल लक्ष्य समूहों को ही ऋण दें तो आप इन बैंकों से मुनाफे की उम्मीद कैसे कर सकते हैं और वह भी पांच वर्ष के भीतर? आप इतनी कम अवधि में इन प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों की सक्षमता का अनुमान नहीं लगा सकते। मेरे विचार से हानि होना अवश्यम्भावी ही था क्योंकि यह अंतर्निहित है। ऐसा नाबार्ड बैंकों तथा प्रायोजित बैंकों द्वारा कुछ गलत नीतियां अपनाने के कारण है कि इन बैंकों को इतनी भारी हानि हुई। इन हानियों को शेयर धारियों, अर्थात्, राज्य सरकारों, केन्द्रीय सरकार तथा प्रायोजित बैंकों से इनको अनुदान दिलाकर ही पूरा करना पड़ेगा। प्रायोजित बैंक अपनी अनिच्छा प्रकट कर सकते हैं परन्तु उनको यह बताना पड़ेगा कि जो यह हमें दे रहे हैं वह हानि का एक थोड़ा सा हिस्सा है जो उन्हें भी हो सकता था यदि वे भी ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी शाखाएं खोलते तो। हमने उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में शाखाएं खोलने से रोका है···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अब भाषण समाप्त कीजिए।

श्री सी० माधव रेड्डी : महोदय, मैं केवल दस मिनट और लूंगा। मैं कोई ऐसी बात नहीं कह रहा जो अप्रासंगिक हो। यह एक प्रासंगिक विषय है और मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक पर बोल रहा हूं। इस विधेयक में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने होंगे। जो संशोधन पेश किए गए हैं वे पर्याप्त नहीं हैं। हम चाहते हैं कि और संशोधन पेश किए जाएं तथा इस सभा में एक ऐसा व्यापक विधेयक लाया जाए जिनमें ये सभी त्रुटियां दूर की जाएं तथा ये प्रादेशिक ग्रामीण बैंक ग्रामीण क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था के विकास के लिए महत्वपूर्ण साधन बन सकें।

इस सन्दर्भ में, मैं आगे यह उल्लेख करना चाहूंगा कि प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों ने ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी शाखाए फैला दी हैं परन्तु कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो छूट गए हैं। मैं उन कुछ क्षेत्रों के हक में नहीं हूं जहां से ही बहुत सी शाखाएं विद्यमान हैं। परन्तु कुछ ऐसे भी जिले हैं जहां एक भी बैंक नहीं है। वहां बैंक खोलने ही पड़ेंगे। इसी प्रकार से इन बैंकों के विस्तार में एक प्रकार का क्षेत्रीय असन्तुलन सा है। यदि आप पूर्व में, विशेष रूप्र से पूर्वोत्तर में, जो बैंक चल रहे हैं, उन्हें यदि आप देखें तो हमें पता चलता है कि उनकी प्रतिशतता शून्य के बराबर है। दक्षिण में भी उनकी उतनी प्रतिशतता नहीं है जितनी की उत्तरी अथवा मध्य भारत में है। पश्चिम में, जहां सहकारी आन्दोलन काफी विकसित है, जहां नाबार्ड तथा अन्य संस्थाओं की सम्पूर्ण निधि जा रही है और चूंकि महाराष्ट्र तथा गुजरात में सहकारी आन्दोलन बहुत ही विकसित है, वह भी प्रादेशिक ग्रामीण बैंक संख्या में अधिक है। परन्तु कुछ ऐसे राज्य हैं जहां के ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी आन्दोलन को कोई सफलता नहीं मिली है क्योंकि वे दोषी है। क्योंकि वे अतिशोध्य हो चुके हैं, वे नाबार्ड से कुछ भी लेने में असमर्थ हैं तथा इसीलिए वे किसानों को कुछ भी देने में असमर्थ हैं। कुछ क्षेत्रों में शाखाएं खोलनी पड़ेगी ताकि जो क्षेत्रीय असन्तुलन हो गया है, उसे दूर किया जा सके।

इसी प्रकार से, जहां तक ऋण-जमा अनुपात का सम्बन्ध है नाबार्ड के हाल के अनुदेशों से यह पता चलता है कि उन्होंने इन बैंकों को यह सलाह दी है कि वे यह देखें कि उनका ऋण-जमा अनुपात कम होकर एक सौ हो जाए। क्या ऋण-जमा अनुपात को एक सौ करना सम्भव है? दूसरे शब्दों में वे जो बता रहे हैं वह यह है कि उनको उतना ही ऋण देना चाहिए जितनी उन्हें जमा राशि प्राप्त होती है। जितनी भी उन्हें जमा राशि प्राप्त होती है उनती ही सीमा तक वे लोगों को ऋण दे सकते हैं।

आज ऋण-जमा राशि का औसत लगभग 130 बताया जाता है तथा प्रादेशिक ग्रामीण बैंक में यह लगभग 200 या इससे भी अधिक है। इसे नीचे नहीं लाया जा सकता है। इसे नीचे लाने की आवश्यकता है क्योंकि यदि इसे नीचे लाया गया तो कार्यक्रम को हानि होगी। यदि ऋण-जमा राशि को नीचे लाया गया, जैसा कि नाबार्ड ने सलाह दी है, तो गांवों में वित्तीय पुनःनिर्माण के कार्यक्रम को निश्चित रूप से हानि होगी। अनुदेश दे दिए गए हैं। इन अनुदेशों को वापस लेना होगा। कृपया इसका ध्यान रखें कि नाबार्ड ऋण-जमा अनुपात को 100 रु० करने के लिए आग्रह न करें।

प्रायोजित बैंकों की भूमिका के प्रश्न की जहां तक बात है, मुझे प्रसन्नता है कि इस विधेयक में प्रायोजित बैंकों को आज एक बड़ी भूमिका दी गई है। चेयरमैन उनके द्वारा ही नियुक्त किए जाने है, सरकार द्वारा नहीं। यह अच्छी बात है कि चेयरमैन उनका अपना चेयरमैन खुद नियुक्त कर सकता है क्योंकि वे अधिक जिम्मेवारी महसूस करते हैं। इसके साथ-साथ उन्हें कुछ अधिक शक्तियां दी गई हैं— कि वे निरीक्षण कर सकते हैं कि वे कर्मचारियों को प्रशिक्षण दे सकते हैं तथा वे आन्तरिक लेखाओं की जांच कर सकते हैं आदि, आदि। ये अच्छे उपाय हैं तथा ये सही दिशा में उपाय हैं। मैं इन उपायों का समर्थन करता हूं। इसके साथ-साथ आपको इस बात पर दृढ़ रहना होगा कि यदि किसी विशेष बैंक, अर्थात्, प्रायोजित बैंक के अन्तर्गत किसी प्रादेशिक ग्रामीण बैंक को हानि होती है तो उसके लिए बैंक को ही जिम्मेदार ठहराना चाहिए। जब आप उस विशेष वाणिज्यिक बैंक के कार्य-निष्पादन का जायजा लेते हैं तो आपने इस कार्य-निष्पादन को उस विशेष बैंक के अन्तर्गत प्रादेशिक बैंक के सन्दर्भ में देखना है। उस बैंक का कार्य-निष्पादन उसके अपने कार्य-निष्पादन के आधार पर ही नहीं देखना चाहिए। उस बैंक विशेष के कार्य-निष्पादन का निर्णय करते समय उस बैंक विशेष के अन्तर्गत आने वाले प्रादेशिक बैंक के कार्य-निष्पादन को भी शामिल किया जाना चाहिए। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे बैंक उतनी रूचि नहीं लेगा जितनी की लेनी चाहिए तथा मुझे डर है कि संशोधन लाने के बावजूद भी उन्हें अधिक जिम्मेदार ठहराने तथा उनके नियन्त्राधीन प्रादेशिक ग्रामीण बैंक के कार्य-निष्पादन के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराने के लिए संशोधनों से भी कोई खास असर नहीं पड़ता।

जहां तक अल्पकालीन ऋण का सम्बन्ध है समस्त अल्पकालीन ऋण आजकल गांवों में सहकारी संस्थाओं द्वारा नियन्त्रित हैं। गांवों में अल्पकालीन ऋण ही वास्तव में किसानों को ऋण देने के लिए हैं। अन्य कोई और अल्पकालीन ऋण नहीं है। अन्य और कोई उद्योग नहीं हैं जहां कामकाज पूंजी दी जाती हैं। जब हम गांव में अल्पकालीन ऋण की बात करते हैं तो यह अल्पकालीन ऋण ही है, एक फसली ऋण जो किसानों के लिए कुछ है। यह एक ऐसी चीज है जिसे आज सहकारिताओं ने पूर्ण रूप से अपने हाथों में ले लिया है क्योंकि उन्हें नाबार्ड से कम ब्याज दर पर धनराशि मिलती है। अल्पकालीन ऋण को वे किसानों तक पहुंचाने में सफल होगए हैं तथा यह सुविधा प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों को उपलब्ध नहीं है। हमें यह देखना है कि प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के कारोबार में वृद्धि दो ताकि उनकी वित्तीय शक्ति बढ़ सके। आप इसे किस तरीके से बढ़ाने जा रहे हैं? आप ऐसा कर सकते हैं। मैं यह सुझाव नहीं दे रहा कि वे इन बैंकों को अमीर किसानों समेत किसी भी व्यक्ति के लिए ऋण खोलने की अनुमति दे दें आदि, आदि। मैं उसके विरुद्ध हूं। गरीब व्यक्ति के बैंक के रूप में इस बैंक की छवि विद्यमान रहनी चाहिए। वह धूमिल नहीं होनी चाहिए। किन्तु इसके साथ-साथ आप इन बैंकों को यह अनुदेश दे सकते हैं कि वे यह देखें कि वे कमजोर वर्गों के लिए गृह-निर्माण संस्थाओं, जैसे अनुसूचित जाति वित्त निगम, जिनकी गांवों में विभिन्न गतिविधियां होती हैं—जैसे कि पंचायत राज सस्थाएं, को धनराशि दें। इन संस्थाओं को धनराशि दी जा सकती है क्योंकि इनकी धनराशि वापस करने की दर अधिक होती है तथा इन संस्थाओं को प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों द्वारा धनराशि देना लाभकारी भी होगा परन्तु इसका इस विधेयक

[श्री सी० माधव रेड्डी]

में कहीं उल्लेख नहीं किया गया है। यह देखने के लिए सरकारी अनुदेश दिए जा सकते हैं कि यह कार्य उन्हें दे दिया गया है ताकि वे अधिक सक्षम हो सकें।

महोदय, कर्मचारियों के सन्दर्भ में आपने यह कहा है कि आज अधिकारी लिपिक तथा अधीनस्थ कर्मचारी वर्ग में 46000 लोग कार्य कर रहे हैं। इस संगठन में लगभग 46000 अथवा 47000 लोग कार्य कर रहे हैं। उन्हें प्रशिक्षण की आवश्यकता है? हम केवल 28000 अथवा 29,000 कर्मचारियों को ही प्रशिक्षण दे सके तथा बाकी अप्रशिक्षित ही रह गए। जब उन्हें ग्रामीण अर्थव्यवस्था विशेष रूप से, कमजोर वर्गों के, वित्त पोषण का इतना भारी कार्य सौंपा गया है, वे अधिकारी जो वहां कार्य करते हैं, उन्हें प्रेरित करने की आवश्यकता है। उन्हें आज उचित प्रेरणा दी जानी चाहिए ताकि वे उन लोगों को ऋण दे सकें जिन्हें पैसे की आवश्यकता है क्योंकि जब मुझे यह पता चला कि वे सूखा-ग्रस्त क्षेत्रों में उपभोग ऋण दे रहे हैं तो मुझे वास्तव में आश्चर्य हुआ। उनकी मुख्य आपत्ति यह थी कि समूह गारंटी के आधार पर ऋण दिया जा सकता है। लोगों को समूह गारंटी के आधार पर कुछ उपभोग ऋण दिया जा सकता है जैसे 500 रु० या 700 रु० या 1000 रु० दिए जा सकते हैं ताकि वे अपना जीवन-यापन कर सकें, कुछ समय के लिए जिन्दा रह सकें तथा यह किया नहीं जा रहा। वास्तव में बैंकों की उसी प्रकार की मनोवृत्ति बनी हुई है। प्रतिभूति पर वे जोर देते हैं। इसीलिए, महोदय, इन लोगों को प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है तथा उन्हें उचित प्रेरणा दी जानी चाहिए। उनके पास प्रशिक्षण की कोई सुविधा नहीं है। यदि वहां सुविधाएं नहीं हैं तो उन्हें प्रशिक्षण देने की जिम्मेदारी नाबार्ड को सौंपी जाना चाहिए उनके वेतन, भत्तों आदि के बारे में मेरा यह सुझाव है कि वे वाणिज्यिक बैंक कर्मचारियों के वेतन के बराबर होने चाहिए। यदि ऐसा हो जाये, तो स्वाभाविक रूप से यह कम खर्चीली बैंकिंग व्यवस्था नहीं होगी। आज की सूचना के अनुसार उनके वेतनमान राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतनमानों जैसे हैं। उनके वेतनमान उस विशेष जिले की स्थानीय निकायों के कर्मचारियों के वेतनमानों जैसे हैं। यद्यपि ऐसा है लेकिन मैं यह नहीं मान सकता कि एक बैंक और दूसरे बैंक के वेतनमानों में असमानता होनी चाहिए एक राज्य और दूसरे राज्य में वेतनमानों में असमानता होनी चाहिए। कानून की परिधि के भीतर कुछ एकरूपता होनी चाहिए जिससे कि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न न हो कि किसी जिले में वेतनमान अधिक हों और किसी जिले में कम। ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए क्योंकि इससे कर्मचारियों में अत्यधिक क्षोभ उत्पन्न होगा।

महोदय, मुझे अत्यन्त प्रसन्नता है कि 'नाबार्ड' ने प्रत्येक राज्य में फोरम गठित करने का निर्णय किया है तथा ये फोरम प्रत्येक बैंक मे कार्य करेंगे और वे इन्ही मुद्दों का निपटारा करेंगे। यह बहुत अच्छा है। लेकिन विधेयक में इसका उल्लेख नहीं है।

अन्ततः, पदोन्नति के अवसरों के प्रश्न पर, मैं यह कहना चाहता हूं कि उनके लिए वहां पदोन्नति के अवसर नहीं है। यह उनकी उचित मांग है कि बैंकों के एक समूह के लिए उनको प्रबन्धकों, क्षेत्रीय प्रबन्धकों या समूह प्रबन्धकों या जो भी आप कहें, के अधिकारी वर्ग के लिए विचार किया जाना चाहिए, लेकिन पदों का सृजन किया जाना चाहिए जिससे कि वे जा कर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्यकरण का पर्यवेक्षण कर सकें। इन प्रबन्धकों को निम्न वर्ग से पदोन्नति पर अधिकारी वर्ग में आना चाहिए जिससे कि उनके पास कुछ पदोन्नति के अवसर हों और उस तरह से हम उनकी महात्वाकाक्षाओं को सन्तुष्ट कर सकें तथा हम यह सुनिश्चित कर सकें कि ये बैंक दक्षतापूर्वक कार्य करें तथा अपने कर्तव्यों को उचित रूप से निष्पादित करें।

[हिन्दी]

श्री पी० नामग्याल (लद्दाख) : उपाध्यक्ष महोदय, रीजनल रूरल बैंक की स्थापना 1976 में हुई थी और अब इसमें फर्दर अमेंडमेंट करने के लिए यह बिल लाया गया है। मैं इसका समर्थन करते हुए कुछ नुक्ते उभारना चाहता हूं।

शुरू में इसका मकसद देहात की इकोनॉमी, जैसे एग्रीकल्चर सैक्टर में, ट्रेड का कारोबार, कामर्स इन्डस्ट्री और दूसरे कारोबार इत्यादि, को बढ़ावा देने के लिए था, जिससे देहात में रहने वाले छोटे-छोटे किसान, छोटे-छोटे गरीब खेत मजदूरों की इकोनोमिक कंडीशन को बढ़ावा मिले और उनकी गरीबी दूर हो। इस मकसद से इसको बनाया गया था।

जहां तक दूसरी जगहों का सवाल है, मुझे नहीं मालूम कि इस की एक्टिविटीज किस कदर चल रही हैं और किस कदर इसने तरक्की की है तथा किस कदर लोगों को फायदा मिला है। लेकिन जम्मू-काश्मीर के बारे में मैं खसुसि तौर पर कह सकता हूं और दावे के साथ कह सकता हूं कि वहां पर इस बैंक का कोई इम्पेक्ट नहीं रहा है, जिसकी कई वजुहात हैं। वैसे जिस मकसद को पूरा करने के लिए बैंक बनाया गया है, मैं इसकी तारीफ करता हूं कि इसका मकसद बहुत अच्छा है और अच्छी नीयत से बनाया गया है। लेकिन सारे देश में जैसा कि मन्त्री जी ने बताया है, मुझे सही फीगर तो याद नहीं है, तीन सौ और कुछ जिलों में से एक सौ और कुछ में इस बैंक का कारोबार चल रहा है और इसकी एक्टिविटीज फंक्शन कर रही है। लेकिन इसका कवरेज जिस कदर होना चाहिए, वह नहीं है, खास-तौर पर इस बैंक का। आमतौर पर यह शिकायत मिली है कि इसकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है और जो कमजोर है। इसका मकसद गरीबों की मदद करने का और उनके पास है गरीब लोग लोन लेने के लिए जाते हैं और वे बैंकिंग के बारे में एजुकेटेड नहीं हैं। उनको मालूम नहीं है कि किस प्रकार काम करना चाहिए। दूसरी बात बैंक के पास इतना कैपिटल भी नहीं है, क्योंकि लोगों में गरीबी की वजह से डिपाजिट भी कम आता है। आमतौर पर यह सुनने में आ रहा है कि यह बैंक वायबल नहीं है। इसलिए कई बार ऐसा होता है कि बैंक गरीबों की मदद करना चाहते हुए भी उन को वक्त पर लोन नहीं मिलता है, क्योंकि उनके पास कैपिटल नहीं होता है। माली हालत ठीक न होने की वजह से छोटे-छोटे लोन पांच-छः हजार तक के, जो कि आमतौर पर एडवांस करते हैं, नहीं दे पाते हैं। गरीबों को लोन न मिलने की वजह से मायुसी का सामना करना पड़ता है और लोन लेने का इरादा बदलना पड़ता है।

1.00 म० प०

दूसरी बात, यह भी कहा जाता है कि इन बैंकों में करप्शन काफी हद तक है। यहां तक कई बार ऐसा होता है कि लोन की जो रकम होती है, उसका एक-तिहाई करप्शन में या गांव से आने-जाने में खर्च हो जाता है। अल्टीमेटली, लोन की जो रकम होती है, उसको ये पूरी तरह से यूटीलाइज नहीं कर पाते हैं और जिस मकसद के लिए वे लोन लेते हैं, वह अधूरा रह जाता है।

1.01 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2.00 बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

———————

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् 2 05 म० प० पर पुन: समवेत हुई ।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (संशोधन) विधेयक

—[जारी]

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री नामग्याल अपना भाषण जारी रखेंगे । कृपया संक्षेप में बोलिए ।

[हिन्दी]

श्री पी० नामग्याल (लद्दाख) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बैंकों के बारे में करप्शन के बारे में जिक्र कर रहा था, लोगों को जो लोन मिलता है वह बहुत कम मिलता है, उसका काफी हिस्सा करप्शन में चला जाता है ।

इसी तरह से गांव के जो गरीब तबके के लोग हैं वे बैंकों में नहीं आना चाहते, उनको एजूकेट करने की जरूरत है, उनको एनकरेज करने की जरूरत है, उनको एनकरेजमेंट नहीं मिलता है, बल्कि ह्रासमेंट ही अधिक मिलता है, लिहाजा वे बैंकों से दूर भागते हैं, जिससे बैंकों का बिजनेस कम हो जाता है, बैंकों की वायबिलिटी नहीं रहती । जब तक इन रूरल बैंकों में कमर्शियल ट्रांजिक्शन की इजाजत नहीं दी जाएगी तब तक ये वायबल नहीं हो सकते । इसलिए इनको कमर्शियल बैंक में तबदील कर दीजिए, ये रूरल बैंकिंग के साथ साथ कमर्शियल बैंकिंग का भी काम करें और इनकी वायबिलिटी बनी रह सके, इससे इस बैंक की फाइनांशियल पोजीशन भी अच्छी हो सकेगी ।

उपाध्यक्ष महोदय, जम्मू-कश्मीर में रूरल बैंक की कितनी शाखाएं हैं, वह तो मुझे मालूम नहीं है लेकिन आमतौर पर लोगों को लोन मिलने में दिक्कत हो रही है । पहाड़ी इलाके में और खासतौर पर मेरे इलाके लद्दाख में लोग बैंक का नाम सुनकर भागते हैं, क्योंकि एक तो उनको कई दिन का सफर करके बैंक तक आना होता है, उसके बाद औपचारिकताएं पूरी करनी होती हैं और इतना करप्शन है कि लोग बैंक जाने को तैयार नहीं होते । प्रापर्टी वेरीफिकेशन और गारण्टी इत्यादि के लिए उनको बहुत परेशानी उठानी होती है । वहां पर अधिकतर जम्मू-कश्मीर बैंक द्वारा फाइनांस किया जाता है, लेकिन उसमें इस कदर करप्शन है कि अगर किसी अफसर की शिकायत करो तो उसकी तरक्की हो जाती है । कई केसेस ऐसे हैं जिनमें एक तिहाई या आधा भाग करप्शन में ही चला गया । रूरल बैंक गरीबों के लिए बनाए गए हैं लेकिन गरीबों को इससे फायदा नहीं हो पा रहा है । सरकार को दूर-दराज, पहाड़ी और डेजर्ट तथा ट्राइबल इलाकों में इसकी शाखाएं खोलनी चाहिए ताकि ये बैंक उन तक पहुंच सकें और इनमें कमर्शियल बैंकिंग का भी प्रावधान होना चाहिए, ताकि ये बैंक वायबल रहें ।

इस बिल की एमेंडमेंट में अथोराइज्ड कैपिटल 1 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ कर दिया गया है और इश्यूड कैपिटल 25 लाख से कम नहीं होना चाहिए और एक करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये दोनों अमेंडमेंट स्वागत योग्य हैं । इसके साथ ही मैं इस बिल का समर्थन करते हुए यही गुजारिश करना चाहता हूं कि रूरल बैंक्स में कमर्शियल ट्रांजिक्शन करने की इजाजत दी जाए, इनको कमर्शियल बैंक में तबदील कर दिया जाए, ताकि ये वायबल रह सकें । इतना कहकर मैं बिल का समर्थन करता हूं ।

[شری پی۔ نام گیال (لداخ) : اپادھیکش مہودے۔ ریجنل رورل بینک کی استھاپنا 1976 میں کی گئی تھی اور اب اس میں فرور امینڈمینٹ کرنے کے لیے یہ بل لایا گیا ہے۔ میں اس کا سمرتھن کرتے ہوئے کچھ نکتے ابھارنا چاہتا ہوں۔

شروع میں اس کا مقصد دیہات کی اکنامی جیسے ایگریکلچر سیکٹر میں ٹریڈ کا کاروبار کامرس، انڈسٹری اور دوسرے کاروبار اتیادی کو بڑھاوا دینے کے لیے تھا جس سے دیہات میں رہنے والے چھوٹے چھوٹے غریب کسان، مزدوروں کی اکنامک کنڈیشن کو بڑھاوا ملے اور ان کی غریبی دور ہو۔ اس مقصد سے اس کو بنایا گیا تھا۔

جہاں تک دوسری جگہوں کا سوال ہے مجھے نہیں معلوم کہ اس کی ایکٹیویٹیز کس قدر چل رہی ہیں اور کس قدر اس نے ترقی کی ہے تھا کس قدر لوگوں کو فائدہ ملا ہے۔ لیکن جموں کشمیر کے بارے میں، میں خصوصی طور پر کہہ سکتا ہوں اور دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ وہاں پر اس بینک کا کوئی امپیکٹ نہیں رہا ہے۔ جس کی کئی وجوہات ہیں۔ ویسے جس مقصد کو پورا کرنے کے لیے بینک بنایا گیا ہے میں اس کی تعریف کرتا ہوں کہ اس کا مقصد بہت اچھا ہے اور اچھی نیت سے بنایا گیا ہے۔ لیکن سارے دیش میں جیسا کہ منتری جی نے بتایا ہے مجھے صحیح فیگر تو یاد نہیں ہے، تین سو اور کچھ ضلعوں میں سے ایک سو اور کچھ میں اس بینک کا کاروبار چل رہا ہے اور اس کی ایکٹیویٹیز فنکشن کر رہی ہیں لیکن اس کا کوریج جس قدر ہونا چاہیے وہ نہیں ہے خصوصی طور پر اس بینک کا۔ عام طور پر یہ شکایت ملی ہے کہ اس کی فائنینشل پوزیشن اچھی نہیں ہے اور کمزور ہے۔ اس کا مقصد غریبوں کی مدد کرنے کا ہے اور ان کے پاس غریب لوگ لون لینے کے لیے جاتے ہیں اور وہ بینکنگ کے بارے میں ایجوکیٹڈ نہیں ہیں۔ ان کو معلوم نہیں ہے کہ کس پرکار کام کرنا چاہیے۔ دوسری بات بینک کے پاس اتنا کیپیٹل بھی نہیں ہے کیونکہ لوگوں میں غریبی کی وجہ سے ڈپازٹ بھی کم آتا ہے۔ عام طور پر یہ سننے میں آ رہا ہے کہ یہ بینک وائبل نہیں ہے۔ اس لیے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ بینک غریبوں کی مدد کرنا چاہتے ہوئے بھی ان کو وقت پر لون نہیں ملتا ہے۔ کیونکہ ان کے پاس کیپیٹل نہیں ہوتا ہے۔ مالی حالت ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے لون پانچ چھ ہزار تک کے جو کہ عام طور پر ایڈوانس کرتے ہیں نہیں دے پاتے ہیں۔ غریبوں کو لون نہ ملنے کی وجہ سے مایوسی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور لون لینے کا ارادہ بدلنا پڑتا ہے۔

دوسری بات یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان بینکوں میں کرپشن کافی حد تک ہے یہاں تک کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ لون کی جو رقم ہوتی ہے۔ اس کا ایک تہائی کرپشن میں یا داؤں میں آنے جانے میں خرچ ہو جاتا ہے۔ الٹیمیٹلی لون کی جو رقم ہوتی ہے اس کو یہ پوری طرح سے یوٹیلائز نہیں کر پاتے ہیں اور جس مقصد کے لیے وہ لون لیتے ہیں وہ ادھورا رہ جاتا ہے۔]

13.01 hrs.

The Lok Sabha adjourned for Lunch till Fourteen of the clock.

The Lok Sabha reassembled after Lunch at five minutes past Fourteen of the Clock.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair.*]

MR. DEPUTY-SPEAKER : Mr. Namgyal to continue his speech. Be brief.

[شری پی۔ نام گیال (لداخ) : اپادھیکش مہودے۔ میں بینکوں نے کرپشن کے بارے میں ذکر کر رہا تھا لوگوں کو جو لون ملتا ہے وہ بہت کم ملتا ہے۔ اس کا کافی حصہ کرپشن میں چلا جاتا ہے۔

اسی طرح سے گاؤں کے جو غریب طبقے کے لوگ ہیں وہ بینکوں میں نہیں جانا چاہتے ان کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے ان کو انکریج کرنے کی ضرورت ہے۔ ان کو انکریجمنٹ نہیں ملتا ہے بلکہ ہراسمینٹ ہی ان کو ملتا ہے لہذا وہ بینکوں سے دور بھاگتے ہیں۔ جس سے بینکوں کا بزنس کم ہو جاتا ہے بینکوں کی وائبلٹی نہیں رہتی۔ جب تک ان رورل بینکوں میں کمرشل ٹرانزکشن کی اجازت نہیں دی جاتی تب تک یہ وائبل نہیں ہو سکتے۔ اس لیے ان کو کمرشل بینک میں تبدیل کر دیجیے۔ یہ رورل بینک کے ساتھ ساتھ کمرشل بینکنگ کا بھی کام کریں اور ان کی وائبلٹی بنی رہ سکے اب سے اس بینک کی فائننشل پوزیشن بھی اچھی ہو سکےگی۔

اپادھیکش مہودے جموں کشمیر میں رورل بینک کی کتنی شاکھائیں ہیں یہ تو مجھے معلوم نہیں ہے لیکن عام طور پر لوگوں کو لون ملنے میں دقت ہو رہی ہے۔ پہاڑی علاقے ہیں اور خاص طور پر میرے علاقے لداخ میں لوگ بینک کا نام سن کر بھاگتے ہیں کیونکہ ایک تو ان کو لمبی دن کا سفر کرکے بینک تک آنا ہوتا ہے اس کے بعد اوپچارکتائیں پوری کرنی ہوتی ہیں اور ادھا کرپشن ہے کہ لوگ بینک جانے کو تیار نہیں ہوتے۔ بیرابر سی ایکنگشن اور گارنٹی آدی کے لیے ان کو بہت پریشانی اٹھانی ہوتی ہے۔ وہاں پر ادھیکتر جموں کشمیر بینک کے دوارا فائنانس کیا جاتا ہے۔ لیکن اس میں اس قدر کرپشن ہے کہ اگر کسی افسر کی شکایت کرو تو اس کی ترقی ہو جاتی ہے۔ کئی کیسز ایسے ہیں جن میں ایک تہائی یا آدھا حصہ کرپشن میں ہی چلا گیا۔ رورل بینک غریبوں کے لیے بنائے گئے ہیں لیکن غریبوں کو اس سے فائدہ نہیں ہو پا رہا ہے۔ سرکار کو دور دراز پہاڑی اور ڈیزرٹ تتھا ٹرائبل علاقوں میں اس کی شاکھائیں کھولنی چاہیے تاکہ یہ بینک ان تک پہنچ سکیں اور ان میں کمرشل بینکنگ کا بھی پراودھان ہونا چاہیے تاکہ یہ بینک وائبل رہیں۔

اس بل کی امینڈمنٹ میں اتھرائزڈ کیپٹل ۱ کروڑ سے بڑھا کر ۵ کروڑ کر دیا گیا ہے اور ایشوڈ کیپٹل ۲۵ لاکھ سے کم نہیں ہونا چاہیے اور ایک کروڑ سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ دونوں امینڈمنٹس سواگت یوگیہ ہیں۔ اس کے ساتھ ہی میں اس بل کا سمرتھن کرتے ہوئے یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ رورل بینکوں میں کمرشل ٹرانزکشن کرنے کی اجازت دی جائے اور کمرشل بینک میں تبدیل کر دیا جائے تاکہ یہ وائبل رہ سکیں۔ اتنا کہہ کر میں اس بل کا سمرتھن کرتا ہوں۔]

[अनुवाद]

श्री के० एस० राव (मछलीपट्टनम) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 में संशोधन करने वाले विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हूं। 1976 में इस अधिनियम को लाए जाने का निहित उद्देश्य और सिद्धान्त वास्तव में बहुत अच्छा है तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के दृष्टिकोण से है। जब हम ग्रामीण बैंकों के कार्यकरण को देखते है, तब हम अनुभव करते हैं, या परिस्थितियां हमें बताती है कि इस 20 सूत्री कार्यक्रम के क्रियान्वयन में ग्रमीण बैंकों को भी अवश्य एक साधन बनाया जाना चाहिए। वास्तव में, आज जब हम देश के विभिन्न भागों में सहकारी बैंकों का कार्यकरण देखते हैं, तब हम उन में राजरीति का खेल पूरी तरह देखते हैं जबकि राष्ट्रीयकृत बैंकों में या ग्रामीण बैंकों में ऐसी स्थिति नही है और विभिन्न भागों में जब हम सहकारी ऋण

संस्थाओं की वर्तमान स्थिति देखते हैं, तो पाते है कि उनमें से अधिकतर कमजोर हैं क्योंकि उनके पास धन नहीं है क्योंकि ज्यादातर धन निहित स्वार्थों द्वारा निकाल लिया जाता है। आज वास्तविक गरीब व्यक्ति जो कि कानून पालक हैं, जिन्हें समय पर या देर से अपने ऋण अदा कर दिए हैं उनको ऋण नहीं मिलता है क्योंकि बट्टे खाते वाले ऋणों की संख्या बहुत अधिक है, बहुत से बकायेदार या तो जान-बूझकर ऐसे हैं या दैवी विपदाओं के कारण हैं और इस तरह विभिन्न लोगों का नुकसान होता है।

20-सूत्री कार्यक्रम, विशेष रूप से मेरे राज्य आंध्र प्रदेश में, के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में यह पूर्णतया एक दल विशेष तक सीमित है। इन ऋणों और राहत देने में बहुत पक्षपात और दुराग्रह दिखाया जा रहा है जो कि या तो निगरानी करने वाले होते हैं या उनके समर्थक होते है, को ही मिलता है।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : वहां लाभार्थियों का पता आप कैसे करते हैं ?

श्री के०एस० राव : मैं आपको बताता हूं कि दिशा निर्देशों के अनुसार कर्जदारों का पता लगाने का स्वीकृत तरीका यह है कि गांव में आकर उन्हें खुला ऋण मेला लगाना चाहिए और खूब प्रचार करना चाहिए कि फलां-फलां तारीख को कर्जदारों के चयन के लिए समिति आ रही है। परन्तु वे ऐसा करते नहीं हैं। वे वहां केवल बैठ जाते हैं। यहां तक कि वे सूचित भी नहीं करते हैं। एक विशेष दल के एक विशेष कार्यालय में वे बैठते हैं तथा दल के स्थानीय कार्यकर्ता से बात करके एक सूची ले लेते हैं और केवल उन्हीं में सभी ऋण बांट देते हैं। अन्ततोगत्वा, बैंक मैनेजर, जो कि इसमें सहभागी होता है, कुछ नहीं कर सकता क्योंकि एक ही तरह के लोगों से सूची भर जाती है। इस बात को ध्यान म रखते हुए मेरी राय है कि इस बीस सूत्री कार्यक्रम का क्रियान्वयन भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, जो इस वर्ग के प्रति विशेष रूप से प्रतिबद्ध हैं, के द्वारा किया जा सकता है। किसी भी गांव में आवश्यकता इस बात की है कि सही कर्जदार का पता लगाया जाए। तभी सम्पूर्ण बैंकिंग प्रणाली का सिद्धान्त मूर्त रूप ले सकता है। सही कर्जदारों का पता लगाने से धन की कोई बर्बादी नहीं होगी। यदि हजारों करोड़ रुपए किसी गलत व्यक्ति को दे दिए जाते हैं तब न केवल बैंक बर्बाद एव दिवालिया हो जाता है बल्कि समाज और अर्थव्यवस्था भी विकसित नहीं होगी मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय इस पहलू को ध्यान में रखें तथा देखें कि ग्रामीण बैंक, अधिक पूंजी तथा 'नाबार्ड' के अधिक वित्तीय सहारे के साथ, बड़े पैमाने पर कार्य करें। आज हम यह देखते हैं कि ग्रामीण बैंकों में अधिकतर बैंके धनाभाव से पीड़ित हैं। उन्हें धन बिल्कुल उपलब्ध नहीं है। केवल नाम के लिए ही ये ग्रामीण बैंक हैं। उनके पास कोई धन नही है। मैं चाहता हूं कि मन्त्री जी इस बात पर ध्यान दें। ग्रामीण बैंकों में भर्ती के समय उन्हें सुनिश्चित करना चाहिए कि क्या कर्मचारी विशेष की गरीबों के प्रति, ग्रामीण क्षेत्रों के प्रति प्रतिबद्धता है। उसकी ग्रामीण पृष्ठ-भूमि भी होनी चाहिए तथा स्वयं को ग्रामीण लोगों के साथ आत्मसात करना चाहिए। यदि ऐसी बात नहीं है तो एक व्यक्ति रोजगार मिलने पर जब आज ग्रामीण क्षेत्र में आता है, अगले ही दिन वह हैदराबाद या नजदीकी शहर में स्थानान्तरण की मांग करेगा। उसका मस्तिष्क स्थिर नहीं रहता है तथा वह गांव में जाकर के तन्मयता से सही कर्जदारों को चुनने में रुचि नही रखता। जब तक ग्रामीण बैंकों में लगाए गए लोग ग्रामीण जनता की सहायता को उद्देश्य नहीं बनाते, तब तक कुछ नहीं किया जा सकता।

मेरी यह भी इच्छा है कि भारत सरकार की ग्रामीण बैंकों को ग्रामीण प्रशिक्षण केन्द्रों, विशेष रूप से अपनी आवश्यकताओं के अनुसार लोगों की कुशलता में सुधार लाने के लिए, को शुरू करने में पहल करनी चाहिए। जब तक गरीब कर्जदार अपने स्वयं के व्यवसाय में उचित दक्षता प्राप्त नहीं कर

[श्री के० एस० राव]

लेते, तब तक इतने धन से उनका कुछ नहीं बनेगा।

इसको केवल कृषि और ग्रामीण क्षेत्र तक, केवल छोटे ऋण देने तक, जो कि राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंकों द्वारा भी दिए जा रहे है, सीमित करना चाहिए। वाणिज्यिक बैंकों और ग्रामीण बैंकों के बीच एक विभाजन रेखा होनी चाहिए तथा वाणिज्यिक बैंकों को केवल बड़े कर्जदारों—चाहे वे उद्योगपति हों, व्यापारी हों या बड़े व्यवसायी हों, तक सीमित कर देना चाहिए तथा ग्रामीण बैंकों को केवल छोटे क्षेत्र तक सीमित कर देना चाहिए। इसके लिए ग्रामीण बैंकों में कर्मचारियों की कमी है। जब प्रमुख वाणिज्यिक बैंकें हजारों करोड़ रुपए का व्यापार करता है तब उनका ध्यान गरीब लोगों की ओर कभी नहीं जाता। उनकी रुचि लाखों या करोड़ों के प्रमुख व्यवसायों वाले कुछ लोगों से व्यापार करने में ही होती हैं। उनके पास जब कोई गरीब व्यक्ति आता है, तब वे उसमें रुचि नहीं लेते। इसका कारण यह है कि न केवल वे वचनबद्ध नहीं होते हैं बल्कि वे सोचते हैं कि एक धनी व्यक्ति या बड़े कर्जदार से व्यवसाय करना अधिक सहज और सुरक्षित है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। आंकड़े भी बताते हैं कि नुकसान गरीब व्यक्तियों की अपेक्षा बड़े कर्जदारों, व्यापारियों, उद्योगपतियों से अधिक होता है। अनेक लोग इस बात का बहुत प्रचार कर रहे हैं कि गरीब लोगों को दिया गए ऋण वसूल नहीं होते हैं। यह पूर्णतया गलत है। यहां तक कि कुछ सर्वेक्षण से पता चलता है कि कर्जदारों के धनी वर्ग या उद्योगपतियों की तुलना में गरीब वर्ग के कर्जदारों द्वारा कहीं अधिक संख्या में ऋण वापस किए गए हैं। अतः मन्त्रालय या लोगों को यह नहीं मानना चाहिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब वर्गों को दिए गए ऋण बट्टे खाते में डाले जाने वाले हैं। ऐसी बात कतई नहीं है।

ग्रामीण शाखाओं की आर्थिक व्यवहार्यता दूसरा पहलू है। जैसा कि इस समय है, वर्तमान आंकड़े बताते हैं कि प्रत्येक शाखा में औसतन 6 लाख या 7 लाख का कारोबार होता है। निश्चित रूप से यह पर्याप्त नहीं है। जब लोगों की संख्या अधिक है, जब हम शहर को पलायन रोकने पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं, जब हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना चाहते हैं, तब हमें अधिक पैसा, अधिक प्रतिबद्ध और प्रशिक्षित लोग न केवल बैंक की तरफ से बल्कि कर्जदारों की तरफ से भी ग्रामीण बैंकों को देने चाहिएं।

प्रत्येक मन्त्रालय के साथ अनेक अवसरों पर भी हम इसके विषय में चर्चा करते रहे हैं, लेकिन ग्रामीण लोगों को विशेष रूप से बेरोजगार पीढ़ी में कुशलता बढ़ाने के लिए, उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। जब तक हम उनको अपनी कार्य कुशलता में सुधार के लिए लिए प्रशिक्षित नहीं करते तब तक हमें अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं होंगे। यह केवल कागजों तक या संसद या राज्य विधान मण्डलों में चर्चा तक ही रहेगा और यह कार्यरूप में परिणत नहीं हो पाएगा। सिद्धान्तों और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में हम बहुत अन्तर पाते हैं।

वास्तव में, मैं जानता हूं कि विशेषकर यह सुनिश्चित करने के लिए कि इन कार्यक्रमों को समाज के गरीब वर्ग के लिए विशेष रूप से लागू किया जाए, कड़ी मेहनत कर रहे हैं जिसके लिए शायद उनको विभिन्न बैंकों के प्रबन्धक वर्ग के अनेक वरिष्ठ लोगों द्वारा शत्रु भी माना जाने लगा हो, लेकिन मैं उनका समर्थन करता हूं और इससे उनको परेशान न होने की सलाह देता हूं। उन्हें इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ाना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि गरीब लोगों की सहायता की जाए।

नियमित सर्वेक्षण भी किए जाने चाहिए ताकि हमें पता चलता रहे कि बैंक कैसे काम कर रहे

हैं और कार्यक्रमों को किस प्रकार कार्यान्वित किया जा रहा है। नकद सहायता देने के बारे में मैं कहना चाहताहूं कि 20 सूत्री कार्यक्रम के माध्यम से जो धन दिया जा रहा है उसका उचित उपयोग नहीं किया जा रहा है। मुझे समझ नहीं आता कि ग्रामीण बैंकों के माध्यम से जनता तक सहायता पहुंचाने में क्या कठिनाई है, जिससे ऋण के रूप में दिया जाने वाला धन जनता को मेहनत करने के लिए प्रोत्साहित कर सके जिससे वे अधिक धन कमा सकें, धन में से अपना हिस्सा प्राप्त कर सकें और अपना ऋण भी चुका सकें। ऋण चुकाने से उन्हें अधिकाधिक ऋण लेने के अवसर मिलेंगे। मैं चाहता हूं कि ग्रामीण लोगों को यह जानकारी दी जानी चाहिए कि ऋण को बट्टेखाते डालने के बजाय उसे शीघ्र चुका देने में ही फायदा है।

कुछ राज्य सरकारें सैकड़ों-करोड़ रुपयों को बट्टे खाते डाल रही हैं। इससे ऋण चुकाने वाले भी न चुकाने के लिए प्रोत्साहित होंगे। इससे सम्पूर्ण ऋणदायी संरचना तथा वित्तीय संस्थाएं नष्ट हो जाएंगी। मैं चाहता हूं कि जिम्मेदार सार्वजनिक लोगों को बड़े पैमाने पर ऋणों को बट्टे खाते नहीं डालना चाहिए जब तक कि ऐसे विशेष मामले न हों जिनमें किसी व्यक्ति-विशेष को उसकी गलती से नहीं बल्कि प्राकृतिक आपदा के कारण या किसी अन्य वास्तविक कारण से हानि हुई है। इस एक आम बात नहीं बनाना चाहिए। यदि इसे दुहराया जाएगा तो सम्पूर्ण बैंकिंग प्रणाली ढह जाएगी और अर्थ-व्यवस्था को सुधारने या गरीब लोगों के उत्थान के लिए कुछ नहीं किया जा सकेगा।

वस्तुतः बैंक निधियों को पुनःचालित करना चाहते हैं क्योंकि उनकी सफलता और कार्यकुशलता इस पुनःचालन पर ही निर्भर करती है। यदि सैकड़ों करोड़ रुपये ऋण संस्थाओं में पड़े रहें या अशोध्य ऋण हो जाएं या तीव्र गति से चालित न हो तो अपेक्षित उद्देश्य—पूरा नहीं होता। इसलिए निधियों का जितना अधिक पुनःचालन होगा यह प्रणाली उतनी ही अधिक सफल होगी। अतः मैं माननीय मन्त्री जी से अनुरोध करता हूं कि ग्रामीण बैंकिंग को सुदृढ़ बनाए तथा उसका प्रसार करें, इसके कृत्यों को बढ़ाएं तथा लक्ष्य की प्राप्ति करें।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमान, हमें आशा थी कि इस संशोधन-कारी विधेयक में वित्त मन्त्रालय द्वारा नियुक्त कार्यदल, अर्थात केलकर समिति, की सभी महत्वपूर्ण सिफारिशों का समावेश होगा। लेकिन मुझे यह देखकर निराशा हुई कि कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें उसमें नहीं हैं। यदि वे इसमें होतीं तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और अधिक अर्थक्षम होते। मुझे सन्देह है कि इस संशोधन के बाद भी उस उद्देश्य की पूर्ति होगी जिसके लिए वे 1975 में स्थापित किए गए थे।

वर्ष 1954 में अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण समिति ने वाणिज्यिक बैंकों के लिए एक सुपरिभाषित भूमिका की परिकल्पना की थी। अतः उस वर्ष इम्पीरियल बैंक आफ इण्डिया को बदल-कर स्टेट बैंक बना दिया गया। लेकिन हमारा अनुभव क्या रहा है? भारतीय स्टेट बैंक को ग्रामीण गरीब जनता की मदद का काम सौंपा गया। वाणिज्यिक बैंक, अपने शहरी स्वरूप के कारण, ग्रामीण जनता—कृषि कर्मकारों, गरीब किसानों, ग्रामीण कारीगरों, आदि की मदद करने से वास्तव में बचते रहे हैं।

वर्ष 1960 में सहकारी बैंकों ने ग्रामीण गरीब लोगों की मदद करनी शुरू की। किन्तु इनकी संरचना, जिस पर उस दशक में काफी जोर दिया गया था, नई चुनौतियों का सामना करने में संगठनात्मक तथा प्रचालनात्मक, दोनों ही दृष्टि से उपयुक्त नहीं थी। इसलिए सरकार ने नरसिंहम समिति गठित की। जिसने ग्रामीण गरीब जनता, जो ऋण में दबी हुई थी और जिसकी गरीबी बढ़ती जा रही थी, की सहायता हेतु ग्रामीण बैंक स्थापित करने की सिफारिश की। ग्रामीण बैंकों की स्थापना की

[श्री बसुदेव आचार्य]

सिफारिश करते हुए इस समिति ने क्या टिप्पणी की थी ? वाणिज्यिक बैंक तथा सहकारी बैंक सौंपे गए कार्य को पूरा करने में क्यों सफल नहीं हुए ? इसके मुख्य कारण ये हैं—पर्याप्त जमा राशि हेतु साधन जुटाने में उनकी असमर्थता, प्रबन्ध में कमियां, उनके कार्यकरण में कभी-कभी निहित स्वार्थों का प्रभुत्व होने से उनके कुशल कार्यकरण विशेषकर जमा धनराशि के प्रभावी पर्यवेक्षण में बाधा और छोटे तथा सीमांत किसानों तक उनकी पर्याप्त पहुंच न होना। एक और कमजोरी यह रही है कि देय राशि का पर्याप्त रूप से भुगतान न हो पाने के कारण उच्चतर श्रेणियों से पुन: वित्त पोषण की क्षमता अत्यन्त सीमित बनी हुई है। इसके परिणामस्वरूप सहकारी संस्थाओं द्वारा वास्तव में वितरित वित्त की मात्रा प्रौद्योगिकी-बहुल-कृषि की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं रही है। कुछ वाणिज्यिक बैंक भी ग्रामीण गरीब जनता की सेवा करने में असफल रहे हैं। इन ग्रामीण बैंकों का उद्देश्य क्या था ? इनका उद्देश्य था बैंकिंग सेवा को ग्रामीण गरीब जनता तक पहुंचना, विशेषकर बैंकगृहित क्षेत्रों में समाज के कमजोर वर्गों को संस्थागत ऋण उपलब्ध कराना, जिन्हें सस्ती दर पर ऋण नहीं मिलता और उन्हें निजी साहूकारों पर निर्भर रहना पड़ता है ग्रामीण बचत को एकत्र करना तथा ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादन कार्य-शुरू करने के लिए उसका उपयोग करना, केन्द्रीय धन बाजार से ग्रामीण क्षेत्रों में पुन:वित्त-पोषण के माध्यम से ऋण के प्रवाह के लिए अनुपूरक चैनलों की व्यवस्था करना, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बनाना, ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण जुटाने के खर्च को कम करना। इतने वर्ष के अनुभव के बाद हमें देखना है कि इन उद्देश्यों की पूर्ति हुई या नहीं। हमारे देश में ग्रामीण निर्धनों की क्या स्थिति है ? सरकार दावा करती है कि विभिन्न योजनाओं तथा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम और एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम जैसी गरीबी दूर करने वाली योजनाओं से गांवों की गरीब जनता का भला हो रहा है और गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाली कुछ प्रतिशत जनता इस रेखा से ऊपर आ गई है। किन्तु यह सही नहीं है। आजादी के 40 वर्ष बाद भी 50 प्रतिशत से भी अधिक जनता गरीबी की रेखा से नीचे है। यह प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर कृषि मजदूरों, गरीब किसानों तथा ग्रामीण कारीगरों में हैं। ग्रामीणों की ऋणग्रस्तता भी बढ़ी है। संस्थागत ऋण पहले 7 प्रतिशत था अब कुल ग्रामीण ऋण का 40 प्रतिशत है जो लगभग 5500 करोड़ रुपए है। किन्तु अब भी यह कुल ग्रामीण ऋण का 40 प्रतिशत है। ग्रामीण ऋणग्रस्तता अब 13500 करोड़ रुपए है और आजादी के 40 वर्ष बाद भी ग्रामीण निर्धन, कृषि-मजदूर, गरीब किसान, ग्रामीण कारीगरों के बेइमान साहूकारों पर निर्भर रहना पड़ता है। यह सब सरकार के वर्ग-स्वरूप के कारण है; सारी योजना तथा कार्यक्रम पूंजीपति वर्ग तथा भूमिधरों के फायदे के लिए है। हालांकि वर्षों पूर्व जमींदारी प्रथा समाप्त की गई थी फिर भी कई राज्यों में अभी तक यह जारी है। भू-सीमा कानूनों को उचित ढंग से लागू नहीं किया गया; कई राज्यों में सारी अधिशेष भूमि का अर्जन नहीं किया गया और जो किया भी गया है उसको भूमिहीनों को बांटा नहीं गया। मुख्य समस्या भूमिसुधारों की है। जब तक सही ढंग से भूमि सुधार नहीं होगा। जब तक 40 प्रतिशत भूमि जो उन 5 प्रतिशत लोगों के हाथ में है जो वास्तव में किसान नहीं है, को भूमिहीन कृषि मजदूरों में नहीं बांटा जाता तब तक ग्रामीण जनता, कृषि मजदूरों की क्रय शक्ति नहीं बढ़ सकती। सरकार इस समस्या को हल नहीं कर रही है।

इस एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम को ही लीजिए लोक लेखा समिति ने इस कार्यक्रम की गहराई से जांच की है और पाया है कि लाभार्थियों का चयन उचित ढंग से नहीं हुआ है। भारतीय

स्टेट बैंक ने भी एक समिति नियुक्त की थी। उन्होंने सर्वेक्षण के दौरान पाया कि अधिकतर अभ्यर्थी वास्तविक नहीं थे, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा दिए गए ऋण तथा सहायता सही नहीं थी और बहुत से मामलों में आस्तियां बिल्कुल भी मौजूद नहीं थी और बेच दी गई थीं। ऋण दिया जा रहा है, सहायता दी जा रही है किन्तु उचित बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। अधिकतर मामलों में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम असफल हो गया है।

इस विधेयक का उद्देश्य क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संरचना को मजबूत बनाना है। इस समय प्रत्येक जिले के लिए एक या कुछ मामलों में तीन या अधिक जिलों के लिए एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, इस समय सारे देश में लगभग 183 प्रादेशिक ग्रामीण बैंक हैं। अनेक जिले हैं। 433 जिलों में से, 356 जिलों में ग्रामीण बैंक हैं। अब इस बात का उपबन्ध किया गया है कि इन दो अथवा तीन ग्रामीण-बैंकों को मिलाकर एक किया जा सकता है। 10 वर्ष की इस लम्बी अवधि का अनुभव क्या रहा है ? एक राज्य के लिए एक ग्रामीण बैंक क्यों नहीं होना चाहिए। गरीब लोगों, ग्रामीण दस्तकारों, गरीब किसानों और कृषि श्रमिकों की सहायता करने और उन्हें ऋण देने का कार्य केवल ग्रामीण बैंक द्वारा ही क्यों किया जाता है ? अतः मैं कहना चाहता हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण बैंक कार्य करें और एक राज्य के लिए केवल एक ग्रामीण बैंक होना चाहिए। जब ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी, उस समय राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना नहीं हुई थी। इस बैंक ने वर्ष 1982 अथवा सम्भवतः वर्ष 1981 में कार्य करना शुरू किया। अब एक वाणिज्यिक बैंक ग्रामीण बैंक का प्रायोजित बैंक होना चाहिए। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक है और यह इन ग्रामीण बैंकों का प्रायोजित बैंक हो सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री बसुदेव आचार्य : वहां 44,000 से अधिक कर्मचारी हैं और प्रतिवेदन में यह कहा गया है कि लगभग 29,000 कर्मचारी प्रशिक्षित हैं। 10 वर्षों में 44,000 कर्मचारियों में से केवल 29,000 कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया यह पहलू अत्यन्त महत्वपूर्ण है क्योंकि इन ग्रामीण बैंकों को विशेष प्रकार का कार्य सौंपा गया है। इन बैंकों को गरीब ग्रामीणों और कृषि श्रमिकों की सहायता करने का कार्य सौंपा गया है। इस प्रकार उनको दिया गया प्रशिक्षण, वाणिज्यक बैंकों और सहकारी बैंकों के रूप में उनका उद्देश्य भी निष्फल हो गया है ; ग्रामीण बैंकों को जबसे यह विशेष कार्य सौंपा गया है तबसे प्रशिक्षण का पहलू भी अत्यन्त महत्वपूर्ण हो गया है। उद्देश्य से सम्बन्धित पहलू भी अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

वेतन ढांचे के सम्बन्ध में यह कहा गया है कि ग्रामीण बैंक के कर्मचारियों के वेतनमान भी उसी प्रकार होंगे, जैसे राज्य सरकार के कर्मचारियों के हैं। सारे भारत में एक समान वेतनमान लागू क्यों नहीं होने चाहिए ? समान कार्य के लिए समान वेतन क्यों नहीं मिलना चाहिए ? यदि ग्रामीण बैंकों के कर्मचारी वाणिज्यिक बैंक के कर्मचारियों की भांति कार्य कर रहे हैं तो ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते वाणिज्यिक बैंक के कर्मचारियों के वेतन तथा भत्तों के समान क्यों नहीं होने चाहिएं ? वेतन और भत्तों से सम्बन्धित यह मामला अब अधिकरणों के पास है। यह हमारे संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है जिसमें समानता के अधिकार का उपबन्ध है। इसलिए कम से कम सारे भारतवर्ष में एक जैसे वेतनमान होने चाहिए। अब निदेशक मंडल में कुछ परिवर्तन होगा। इसमें केन्द्रीय सरकार की ओर से नामित्त दो गैर सरकारी अधिकारी होंगे। राज्य सरकार केवल दो अधिकारियों को नाम निर्देशित कर सकती है। जब इस बात का उपबन्ध है कि केन्द्रीय सरकार दो गैर-

[श्री बसुदेव आचार्य]

सरकारी अधिकारियों को नामनिर्देशित कर सकती है तो राज्य सरकार के लिए भी इस जैसा ही उपबन्ध क्यों नहीं होना चाहिए ?

हम श्रमिकों की प्रबन्ध में सहभागिता की बात कर रहे हैं। निदेशक मंडल में कर्मचारियों के प्रतिनिधित्व का भी कुछ उपबन्ध किया जाना चाहिए। दूसरे, ग्रामीण बैंकों में समझौते का भी कोई मार्ग नहीं है। कर्मचारियों के अपने संघ हैं। यद्यपि यह संघ कर्मचारियों की बहुसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है लेकिन फिर भी ग्रामीण बैंक के प्रबन्धकों ने इसे मान्यता नहीं दी है। समझौते के लिए कोई न कोई मंच होना चाहिए ताकि कर्मचारियों की शिकायतें, उनकी मांगों आदि पर उस मंच पर विचार किया जा सके। लेकिन यहाँ इस बात का भी उपबन्ध नहीं है। मुझे संदेह है कि केलकर समिति द्वारा की गई कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशों को शामिल किए बिना क्या ये ग्रामीण बैंक उनको सौंपे गए कार्यों को ठीक ढंग से पूरा कर भी पाएंगे या नहीं। जब तक इन सभी पहलुओं पर विचार नहीं किया जाएगा, तब तक ये बैंक भविष्य में कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा पाएंगे।

[हिन्दी]

श्री राम नगीना मिश्र (सलेमपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं अपने संसदीय राज्य-मन्त्री जी को धन्यवाद दे रहा हूं कि उन्होंने हमारा निवेदन स्वीकार करके मुझे बोलने के लिए मौका दिया है। मंत्री जी ने जो प्रादेशिक ग्रामीण बैंक (संशोधन) विधेयक पेश किया है, सदन में विचार करने के लिए, मैं उसका समर्थन करता हूं।

संशोधन के साथ-साथ मैं अपने कुछ सुझाव देना चाहता हूं। सुझाव इसलिए देना चाहता हूं कि मैं गांव का रहने वाला हूं। वहां आए दिन किसानों को परेशानी होती है और मैं उससे अवगत हूं। सरकार बैंक की स्थापना करती है और इस बैंक का नाम ग्रामीण बैंक रखा गया है, यानि ग्राम में रहने वाले किसानों को इस बैंक के माध्यम से सहूलियत दी जाए। इसके पहले गांव में बड़े-बड़े धनी लोग होते थे, जो किसानों को कर्जा देते थे, लेकिन अब वह सिस्टम समाप्त हो गया है। अब बैंक के माध्यम से किसानों को कर्जा मिल रहा है, लेकिन हालत बहुत ही खराब है। हमारे विरोध पक्ष के नेता कर्मचारियों के लिए बड़ी हमदर्दी रखते हैं, लेकिन हमने देखा है कि बैंक में जो बाबू लोग बैठते हैं, जो अधिकारी बैठते हैं और किसान जब उनसे कर्जा मांगने आता है, तो अधिकारियों को मालूम होता है कि यह दीन हीन आया है और हमसे भिक्षा मांग रहा है। वे उन पर गौर नहीं करते हैं। उनके मन में यह भाव नहीं होता है कि हम उनकी मदद करें, परन्तु भिखारी की निगाह से उनको देखते हैं।

दूसरी चीज, इस बैंक की स्थापना इसलिए हुई कि किसान को मौके पर बैंकों द्वारा ऋण दिया जाए, जिससे वे अपने खेत की तरक्की करें।

अब रबी की बुवाई का समय है, खाद चाहिए और बैंक रुपया कब देगा, जब बुवाई का समय समाप्त होने लगेगा, तब देगा। कागजात उसके पूरे नहीं होते हैं। मैं मन्त्री जी से कहना चाहूंगा कि आप सर्वे करा लें कि गांवों के कितने परसेन्ट गरीब किसानों को इन ग्रामीण बैंकों से लोन मिल पाता है। नहीं मिल पाता है। वह 15-20 दिन दौड़ता है और परेशान होकर बैठ जाता है। थोड़ा-बहुत लोन उन लोगों को मिल जाता है, जिनका सम्बन्ध बैंक में काम करने वाले कर्मचारियों से रहता है लेकिन सर्व-साधारण को नहीं मिल पाता है। मान्यवर हमने देखा है कि ऐसे लोगों को भी ऋण मिल

जाता है, जिनका खसरा, खतौनी में नाम नहीं है। उनके नाम पर एक डिस्मिल भी खेत नहीं है वे लेख पाल से फर्जी इन्तखाब ले लेते हैं और बैंक के बाबुओं से मिले रहते हैं और उनको पैसा मिल जाता है। मैं नाम देने को तैयार हूं। मेरे गांव में एक आदमी है। उसके पास एक डिस्मिल खेत नहीं है और आप को सुनकर आश्चर्य होगा कि नाना प्रकार के बैंकों से उसको 20 हजार लोन मिला है और वह गांव छोड़कर चला गया। तो मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि जिस मंशा से आपने बैंक की स्थापना की है कि बैंकों के माध्यम से सही लोगों को लोन मिल सके, वह मंशा पूरी नहीं हो रही है। एक बीमारी यह चली है कि हर जगह लिखाया जाता है कि इनके ऊपर कर्जा नहीं है। तहसील में लिखवाना पड़ता है और वहां पर रुपया दे दिया, तो तहसील के लोगों ने लिख दिया कि इनके ऊपर कोई बकाया नहीं है। अगर किसी किसान को कर्जा लेना है और उस पर 100 रुपये या 200 रुपए मालगुजारी है, तो उसको भी जाना पड़ता है और जितनी मालगुजारी बाकी रहती है, उससे अधिक रुपया देना पड़ता है। तो ये जाकर **नो ड्यूज सर्टीफिकेट** मिलता है। तो ये परेशानियां हैं जिनकी वजह से सर्व-साधारण को बैंकों से कर्ज नहीं मिल पाता। अगर उसको बैल खरीदना है, तो बैल खरीदने के लिए वह 10 बार दौड़ेगा, तब उसको कर्ज मिल पाएगा। आज के आधुनिक युग में, जो इन कामों के लिए पैसा लिया जाता है, उसको रिश्वत नहीं कहा जा रहा है। उसका नाम रख दिया गया, दस्तूरी। जब तक दस्तूरी अदा नहीं करेगा, तब तक लोन नहीं मिलेगा। उसके कुछ नियम हैं कि इतना रुपया अगर लोगे, तो इतनी दस्तूरी देनी पड़ेगी। वह उनके हिसाब से रिश्वत नहीं है। अगर दस्तूरी नहीं दी गई, तो उनको लोन नहीं मिलेगा। आप देखेंगे कि शायद ही कोई बैंक हो, जहां कर्मचारियों से मिले हुए कुछ एजेन्टस न हों। तो इतनी परेशानी लोगों को लोन लेने के लिए होती है और इसके बारे में कितना कहा जाए। अभी तो यह ग्रामीण बैंक की बात है। और बैंकों की भी यही बात है। बेरोजगारों और शिक्षित बेरोजगारों को, मैं निःसंकोच होकर कह रहा हूं, बिना दस्तूरी दिए लोन नहीं मिलता है। मैं खुद अपने क्षेत्र की बात कर रहा हूं। जब मैं दौरा कर रहा था, तो एक बैंक में एक आदमी ने एप्लाई किया। उसकी सारी फार्मेलिटीज पूरी हो गई थी लेकिन उसको रुपया नहीं मिल रहा था। हमने सिफारिश भी की थी। तो बैंक मैनेजर ने कहा कि जाओ, एस० पी० साहब से ले लेना। हमने एस० पी० साहब से कहा। एस० पी० ने कहा कि मैं क्या कर सकता हूं। विजिलेंस वाली बात होती और रुपया लेते पकड़ते, तो मैं कुछ कर सकता। यह इतना बड़ा मर्ज है और इसका कोई उपाय नहीं हो रहा है। इस तरह से कैसे चलेगा, किसान आज भी परेशान है। ग्रामीण बैंक खोले जा रहे हैं। आप ठीक से पता लगा लीजिए कि कितने किसानों को इनके माध्यम से पैसा मिला है। जिनके पास पांच एकड़ या दो-चार एकड़ जमीन है, उनमें से कितनों को मिला है। उनको नहीं मिला है। जो बड़े किसान हैं, उनको ट्रेक्टर खरीदने के लिए लोन मिल गया। उनकी हालत क्या है। ट्रैक्टर खरीदने वाले से पूछ लीजिए। उसको तीन महीने कसरत करनी पड़ी है। कितनी इसके लिए सिफारिश करनी पड़ती है और कितनी उसको दस्तूरी देनी पड़ी, यह आप ट्रैक्टर लेने वाले से पूछ लीजिए। तो कहने का मतलब यह है कि ये बैंक किसानों के नफे के लिए, उनकी बहबूदी के लिए हैं या फिर किसी और चीज के लिए हैं। इसका नफा किसको हो रहा है? जो उनमें काम कर रहे हैं, उनको सबसे अधिक हो रहा है। जरा उन बैंकों के मैनेजरों का सर्वे कराइए जो कि पांच-सात साल से मैनेजरी कर रहे हैं। आज उनके घर की हालत को देखिए कि क्या है। मैं सत्ता-पक्ष का होकर भी अपने घर की बीमारी रिश्वत की जो है उसका वर्णन कर रहा हूं जिससे कि शासन इस पर रोक लगाने में और भी चुस्त हो।

मैं निवेदन कर रहा था कि जो 5 साल, 10 साल या 15 साल से बैंक के मैनेजर हो गए हैं। उनके घर की स्थिति आज क्या है, इसका आप सर्वे करा लीजिए। ठीक है कि आज बहुत छापे पड़ रहे

[श्री राम नगीना मिश्र]

हैं। जरा उन बड़े-बड़े अफसरों का भी सर्वे करा लीजिए, उन आई० ए० एस० और बड़े-बड़े अफसरों के बंगले देख लीजिए कि वे कैसे हैं। जब वे शासन में नहीं थे तो वे किस स्थिति में थे, जब से वे शासन में आये हैं तो उनके बंगलों की क्या स्थिति है। उनके बंगलों में 50 लाख, 20 लाख, 10 लाख का सामान आप पायेंगे। श्रीमन् क्या होता है? एक साधारण आदमी पकड़ लिया जाता है और उसके ऊपर कार्यवाही होती है। लेकिन इन बड़े-बड़े अफसरों पर कोई कार्यवाही नहीं होती।

मैं मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि मैं गांव का रहने वाला हूं। मैं उनको राय देना चाहता हूं कि गांवों में रहने वाले किसानों का आप सर्वे कराएं और यह देखें कि खरीफ के समय किस को कितनी खाद की जरूरत पड़ेगी, रबी के समय किसको कितनी खाद की जरूरत पड़ेगी। बैंकों के माध्यम से इसका सर्वे होना चाहिए और इसके लिए कर्मचारी होने चाहिएं जो सचमुच में यह देखें कि अगर किसी को खाद की जरूरत है, बीज खरीदने की जरूरत है, तो उनको ऋण दिए जाएं। अगर ऐसा नहीं होता है तो इस ऋण देने का कोई फायदा नहीं है। मैं समझता हूं कि शायद ऐसा करने से कुछ भला हो जाएगा। जिस मंशा को लेकर आपने ये बैंक खोले हैं उनका लाभ सर्वसाधारण तक पहुंचेगा और किसान को लोन के लिए अपना खेत गिरवी नहीं रखना पड़ेगा, बिना इसके उसको लोन मिल जाएगा और उसकी खेती में तरक्की होगी।

श्रीमन्, मैं गोरखपुर, देवरिया जिलों से आता हूं। जिन जिलों से मैं आता हूं वहां 20-25 चीनी मिलें हैं। देवरिया में 14 चीनी मिलें हैं। वहां का किसान गन्ना बोता है और मिलों को सप्लाई करता है। अगर इन शूगर फैक्ट्रियों के आस पास इन बैंकों की शाखाएं हों तो उनके माध्यम से किसानों को गन्ने का मूल्य मिले तो इससे किसानों को भी राहत मिलेगी और मिलों का भी फायदा होगा। गन्ने की कीमत का भुगतान करने के लिए अगर ग्रामीण बैंक मिलों को कर्जा दें तो इससे दोनों को फायदा होगा। इससे ग्रामीण बैंकों की शाखाएं भी बढ़ेंगी और किसान और मिलों का भी भला होगा। मैं माननीय मन्त्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि गन्ना-उत्पादकों, गन्ना बोने वाले किसानों को अगर खाद, ट्रेक्टर, पम्पिंग सैट खरीदने के लिए लोन की जरूरत पड़ती है तो उसके लिए ऋण ग्रामीण बैंकों से दिलवाया जाए और ग्रामीण बैंकों की शाखाएं बढ़ायी जाएं।

मैं मन्त्री जी से यह भी निवेदन करूंगा कि जब आप इन बैंकों में सेन्ट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के निर्देशक रख रहे हैं तो उनमें कम से कम दो किसानों को भी बैंक में रखें जिससे वे छानबीन करें और गांवों में रहने वालों को राहत मिले।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री धर्मपाल सिंह मलिक (सोनीपत): माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं रीजनल रूरल बैंक (अमेंडमेंट) बिल 1987 का समर्थन करता हूं। इस बात को सभी मानते हैं कि इस अमेंडमेंट एक्ट के आने के बाद रूरल बैंकों की स्थिति मजबूत होगी। यह बिल पास होने के बाद ये बैंक किसान, मजदूर और छोटे व्यापारियों की स्थिति को सुदृढ़ बनाने में काफी कामयाब रहेंगे। इस संशोधन से इन बैंकों का और विस्तार होगा और देहातों का और ज्यादा विकास होगा।

मान्यवर, मैं दो-तीन सुझाव पेश करना चाहता हूं। यह जो ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गयी थी वह इस बात को देखते हुए की गयी थी कि गांव के गरीब आदमी, गरीब किसान गांव के साहूकार

लोगों के चंगुल में फंसे रहते थे। वह गांव का गरीब आदमी जो सालभर कमाई करता था, वह सारी की सारी साहूकार के पास चली जाती थी, मनी लैण्डर के पास चली जाती थी और गरीब लोगों का मनी लैण्डर्स से पीछा छुड़ाने के लिए ही सरकार ने इन बैंकों की स्थापना की। सरकार की मंशा थी कि किसी भी गरीब आदमी का शोषण न हो, उसको वे ही तमाम सुविधाएं मिलनी चाहिए जो आमतौर पर शहरों में मिलती हैं, लेकिन उसका थोड़ा अंश ही पूरा करने में हम कामयाब हो सके हैं। इस महान सदन में भी हमेशा यही बात चलती है कि देश के 80 प्रतिशत लोगों को सुविधा प्राप्त हो।

2.56 म० प०

(श्री जैनुल बशर पीठासीन हुए।)

लेकिन जितना कहा जाता है उसका बहुत छोड़ा अंश ही उन लोगों को लाभ मिल पाता है, जिनको हम लाभ देना चाहते हैं।

इसका एक कारण तो यह है कि गांव के गरीब आदमी को जो लोन मिलता है वह पूरा नहीं मिल पता, इसमें कई दिक्कतें हैं। एक तो लोन एडवांस करने का जो प्रोसीजर है वह इतना जटिल है कि साधारण आदमी उसको समझ ही नहीं पाता, मेजारिटी ऐसे लोगों की समझ नहीं पाती कि क्या-क्या स्कीम चल रही है। इसके लिए गांवों में लगने वाले मेलों में, पेंठ में और प्रेस तथा रेडियो द्वारा, मुनादी आदि इस ढंग से होनी चाहिए कि जिन लोगों के मफाद के लिए कानून बनते हैं, बैंक स्थापित किए जाते हैं, उनके द्वारा किए जाने वाले कामों की सारी जानकारी उन लोगों तक पहुंचे। इससे सही मायनों में उनको लाभ मिल सकेगा।

दूसरी बात यह है कि लोगों को सिर्फ इतना ही पता है कि उनको बैंक से कर्ज मिल सकता है, लेकिन उनको उसका लाभ नहीं मिल पाता, क्योंकि प्रोसीजर और फार्म इत्यादि इतने कंप्लीकेटेड हैं कि उससे गरीब आदमी का शोषण होता है। बैंक के एम्प्लायज और बाहर बैठने वाले बिचौलिए उसका शोषण करते हैं। इस तरह से अगर दस हजार रुपए उसको लोन मिलना है तो दो-ढाई हजार रुपए तो उसको पहले ही खर्च कर देने होते हैं और दस का पन्द्रह हजार उसको वापिस करना होता है। इस तरह से 15 हजार के बदले में उसको साढ़े सात हजार रुपया ही मिलता है, जिसको वह समय पर चुका नहीं पाता और उसका नुकसान होता है। उसकी हालत वही पुरानी रह जाती है। पहले वह साहूकार के चंगुल में रहता था, आज वह बैंक के चंगुल में रहता है। इससे सरकार की मंशा भी पूरी नहीं हो पाती।

इस बारे में मेरा सुझाव है कि जिस तरह से व्यापारी लोगों को एक मैक्सीमम क्रेडिट लिमिट की सुविधा आपने दे रखी है, इसी तरह से गरीब आदमी को भी क्रेडिट लिमिट की सुविधा दीजिए। जिस तरह से किसी की एक फैक्ट्री होती है तो उसको मान लीजिए कि 5 लाख का क्रेडिट लिमिट आप फिक्स कर देते हैं कि वह कभी भी 5 लाख का चैक काटकर पैसा ले सकता है, इसी तरह से साधारण आदमी जो किसान या मजदूर है उसकी भी 10-15 हजार की लिमिट फिक्स की जा सकती है। उसको एक पासबुक दे दी जाए जिसके जरिए वह चैक काट कर अपना काम चलाता रहे, उसकी क्रेडिट लिमिट आप फिक्स कर दीजिए। क्या केवल बड़ा आदमी और व्यापारी ही ईमानदारी से काम करता है, क्या देहात का मजदूर, किसान ईमानदारी से काम नहीं करता, बल्कि मैं कहना चाहूंगा कि वह ज्यादा ईमानदार है। उस बेचारे का शोषण किया जाता है उसकी बात कोई सुनने वाला नहीं है। यहां से जो कानून पास करके भेजे जाते हैं, वे उनके लिए लाभप्रद नहीं होते। मेरा यह एक प्रबल सुझाव है

[श्री धर्मपाल सिंह मलिक]

कि इन तमाम लोगों के लिए जितने भी हमारे परिवार हैं, सभी का सर्वे करवा कर उनकी क्रेडिट लिमिट फिक्स की जाए और उसको कापीज दे दी जाएं। मैं अपने प्रदेश हरियाणा की बात नहीं कहना बल्कि किसी भी प्रदेश के अन्दर देख लें, आज कर्ज की राजनीति चली हुई है। हम यह कहते हैं कि तुम्हें ज्यादा से ज्यादा कर्ज देंगे और विरोधी दल वाले कहते हैं कि ये कर्ज देंगे, तुम इनसे कर्ज लो और हम तुम्हारा कर्ज माफ कर देंगे। एक गरीब आदमी जिसको राय का अधिकार है, इसका मतलब है उसकी राय को खरीदने की बात करते हैं या इसलिए राय लेते हैं कि तुम्हारा कर्ज माफ कर देंगे। यह उस गरीब आदमी के साथ शोषण है। यह उसके साथ नाजायज फायदा उठाने की बात है इसके लिए बाकायदा कानून है।

3.00 म० प०

हमारे प्रदेश में जो हमारे वर्तमान मुख्य मन्त्री हैं, उन्होंने चुनाव में नारा लगा दिया कि तुम कर्ज लो और मैं कर्ज माफ कर दंगा। परन्तु बाद में यह कह दिया कि केवल दस हजार रुपए तक का कर्ज माफ कर दूंगा। इस ढंग से कोई बात कह देना, समझ में नहीं आता है। उससे नुकसान यह हुआ है कि आज हरियाणा की तमाम आर्थिक हालत शैटर हो चुकी है। कोई ताज्जुब नहीं कि हमारे नेशनेलाइज्ड बैंक भी फेल हो जाएं। मुख्य मन्त्री खुल्लमखुल्ला बात करते हैं कि तुम्हारे से लेने कौन आएगा। अगर मैं माफ नहीं कर सकता तो पुलिस तो मेरी है, तुमको देने की जरूरत नहीं है। कोई मुलाजिम गांव में लेने आता है तो उसको जूता मारो। क्या हम चुपचाप देखते रहें। यह सोचने की बात है। इसके लिए बाकायदा लेजिस्लेशन है कि किन लोगों के लोन हम माफ कर सकते हैं और किन लोगों को इस प्रकार की सहायता दे सकते हैं। लेकिन उनकी गरीबी का नाजायज फायदा उठाया जा रहा है। मेरी यह राय है कि इसके बारे में केन्द्रीय सरकार की तरफ से सीधे तौर से कोई कानून बनाया जाए ताकि किसी भी प्रान्त के अन्दर इस प्रकार की भावना न रहे कि लोगों के विकास के लिए हम कार्य करें और लोगों को बरबाद करने के लिए कार्य न करें। आप हरियाणा की फीगर्स देख लें। बैंक्स के अन्दर लोगों का विश्वास नहीं रहा है। वे यह समझते हैं कि अगर किसी कर्जदार का कर्ज माफ होगा तो जिन लोगों का पैसा बैंक में है, उस पैसे की छुट्टी हो जाएगी। लोगों की डिपोजिट के अगेंस्ट ही कर्ज दिया जाता है। वे समझते हैं कि कर्ज माफ होगा तो हमारा डिपोजिट चला जाएगा। आप पता करवा लें। हरियाणा में डिपोजिट के अन्दर कितना फर्क पड़ा है। लोगों ने अपना पैसा बैंक से निकलवाना शुरू कर दिया है। मैं यह मानता हूं कि राजनीतिक चुनावी नारा था। उस चुनावी नारे से स्टेट के आम आदमी की आर्थिक हालत सुदृढ़ होने की बजाय खराब होती जा रही है जिसका नुकसान हमें आगे जाकर दस सालों के बाद महसूस होगा। उसके बाद पता चलेगा कि उन बेचारे गरीब लोगों का जो कर्ज है, उस कर्ज पर ब्याज, हर्जाना, सुकराना और जुर्माना देना पड़ेगा। मैं यह कहता हूं कि वे उसी तरह से शिकार हो जायेंगे जैसे किसान का पहले अंगूठा चौबीस घंटे मनी लैण्डर्स की बही में लिखा रहता था और वह सुख की नींद भी नहीं सो पाता था। इस तरह की बात हरेक प्रान्त में चल चुकी है इसलिए मन्त्री महोदय अपना वक्तव्य इस बारे में जरूर दें। जो सुविधाएं हम किसानों को उनके विकास के लिए, उसको ऊपर उठाने के लिए देना चाहते हैं, उसकी बजाय उनका नुकसान हो रहा है। एक बात यह कहना चाहूंगा कि बैंक से लोन पम्पिंग सैट्स, ट्रैक्टर, किसी एग्रीकल्चरल इंपलीमेंट्स या और किसी कारोबार के लिए दिया जाता है। आमतौर पर पर्मपिंग सैट्स के लिए एजेंसीज हैं। उनकी लिस्ट बनवा रखी हैं। बैंक वाले उन्हीं के नाम चैक काटकर देते हैं कि उसी से आपको पम्प सैट लेना

पड़ेगा। इस तरह वे भी उसका शोषण करते हैं। क्या कोई किसान है ऐसा, जिस पर विश्वास न किया जाए। किसान तो सबसे ज्यादा विश्वास के काबिल है वह अपना अनाज खेतों में भगवान के सहारे बोता है, फिर भी उस पर विश्वास नहीं किया जाए और कह दिया जाए कि इसको नकद रुपए दे दिए तो यह दुरुपयोग करेगा, शादी-ब्याह में लगा देगा, यह उचित नहीं है। हम दुकानदारों को, बिचौलियों को लाभ दिलाते हैं, लेकिन किसान को नहीं दिलाते हैं। इसलिए मेरा सुझाव है कि किसान लोन लेता है तो वह कहीं से भी खरीदे उस पर कोई पाबन्दी नहीं हो कि उसे अमुक दुकानदार से ही खरीदना है जिससे उसका शोषण न हो। खेतों में भी उसका पम्प सैट भगवान के भरोसे पड़ा रहता है, तो फिर कैसे वह इस पैसे का दुरुपयोग करेगा। जिसके लिए वह लोन लेता है उसका वह पर्पज पूरा होना चाहिए।

कहने को तो और भी बातें हैं, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि किसानों को ज्यादा से ज्यादा लाभ देने के लिए प्रावधान किया जाए। जो मैंने सुझाव दिए हैं उन पर ध्यान देकर किसान की हालत सुधारी जाए। किसान हमारी रीढ़ की हड्डी है, उसी पर हमारी अर्थव्यवस्था आधारित है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और इस बिल का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री तम्पन थामस (मवेलिकरा) : महोदय, मुझे इस विधेयक का समर्थन करने अथवा विरोध करने में कोई ज्यादा उत्साह नजर नहीं आता है क्योंकि यह विधेयक अत्यन्त साधारण, अप्रभावी और अहानिकर है। माननीय मन्त्री महोदय का आशय केवल शेयर पूंजी को 5 करोड़ रुपये तक बढ़ाना है ताकि बोर्ड को नया रूप दिया जा सके तथा कर्मचारियों के प्रशिक्षण, निरीक्षण और इसी प्रकार की अन्य बातों के लिए कुछ सुविधाएं दी जा सकें।

मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि इस सभा में पहले ही उठाए जा चुके अनेक प्रश्नों—जैसे क्षेत्राधिकार तथा हितों की परस्पर व्याप्ति से सम्बन्धित समस्या का गहराई से अध्ययन किया जाय क्योंकि जिला सहकारी बैंकों द्वारा समन्वित सेवा सहकारी बैंक के माध्यम से देश के कुछ भागों में अत्यन्त प्रभावी ढंग से इस समय ग्रामीण लोगों की सेवा कर रहे सहकारी बैंकों तथा राज्य सहकारी बैंकों; जो कुल मिलाकर राज्य के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आते हैं और जिनका नियन्त्रण अन्ततः राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है, के बीच विवाद के अवसर पैदा हो सकते हैं। यह बात जानने के लिए भी अध्ययन किया जाना चाहिए कि क्या इससे किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होगा और यदि हां, तो इसे कैसे दूर किया जाए और इस मामले को कैसे समन्वित किया जाए यही एक ऐसा मुद्दा है जिसे मैं स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं क्योंकि सहकारिता आन्दोलन और प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के बीच समन्वय स्थापित किया जाना चाहिए। दूसरी बात क्षेत्राधिकार के सम्बन्ध मे है। ऐसा लगता है कि इन बैंकों में क्षेत्राधिकार के मामले में एकरूपता नहीं है। यह प्रायोजक बैंकों की सुविधा के अनुसार है। प्रायोजक बैंकों से इस बात की आशा की जाती है कि वे ग्रामीण लोगों को ऋण बांटने के उद्देश्य से वाणिज्यिक बैंकों से कुछ धन प्राप्त करें। यह एक अच्छा विचार है। कुछ अन्य मामलों में भी सरकार, इसका उपयोग कर सकती है। जब तक क्षेत्राधिकार और प्रशासन को चलाने के मामले में एकरूपता स्थापित नहीं की जाती, तब तक कई अन्य प्रश्न उठते रहेंगे। अतः इस मामले में भी जांच पड़ताल की जानी चाहिए और इस सम्बन्ध में कुछ किया जाना चाहिए।

राज्य सरकारों को इसके साथ कैसे सम्बद्ध किया जाए? यह एक दूसरी समस्या है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक तथा केन्द्रीय सरकार को कैसे शामिल किया जा रहा है? राज्य सरकारों

[श्री तम्पन थामस]

को इस मामले में कैसे शामिल किया जा रहा है और क्या इस उद्देश्य के लिए कोई उपबन्ध किया गया है और आप किस ढंग से यह उपबन्ध करेंगे—निदेशक मंडल में अथवा प्रशासन में। मंडल में दो सदस्य नामनिर्देशित करने का सुझाव है। पूंजी बढ़ाने के सम्बन्ध में भी राज्य सरकार इसमें कैसे अधिक से अधिक सहयोग कर सकती है? मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस सम्बन्ध में भी कोई सुझाव है। खैर जो कुछ भी हो मैं इस बात का सुझाव देना चाहता हूं कि इसमें और अधिक पक्षों को सम्मिलित किया जाए।

मैं अपने पहले वाले वक्ता के इस सुझाव का समर्थन करता हूं कि निदेशक मंडल में किसानों का भी एक प्रतिनिधि होना चाहिए और किसान सहयोगियों को भी इस मामले में शामिल किया जाना चाहिए।

जहां तक कर्मचारियों का सम्बन्ध है, प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों में कार्य कर रहे कर्मचारियों की एक बहुत बड़ी शिकायत है। जब वे यह देखते हैं कि उनके साथ जीवन बीमा निगम, साधारण बीमा निगम तथा अन्य बैंकों में कार्य कर रहे लोगों में भेदभाव किया जा रहा है तो उन्हें ईर्ष्या होती है। वे जोखिम भरी स्थितियों में वही कार्य करते हैं। परन्तु उनको उतना वेतन नहीं दिया जाता जोकि प्रायोजित बैंकों के कर्मचारियों को दिया जाता है। मेरे विचार से उन्हें कुछ प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए ताकि उन्हें ग्रामीण बैंकों में कार्य करने के लिए आकर्षित किया जा सके तथा वे ग्रामीण लोगों की सेवा कर सकें। इस पहलू के सम्बन्ध में भी अध्ययन करना पड़ेगा। मेरे विचार से माननीय मन्त्री महोदय को इस पहलू का मूल्यांकन करने के पश्चात् संशोधन लाना ही पड़ेगा। मुझे आशा है कि वे शीघ्र ही संशोधन लाएंगे क्योंकि समस्या वास्तव में गंभीर है।

जहां तक ग्रामीण ऋणग्रस्तता का संबंध है, हम ग्रामीण लोगों को ऋणग्रस्तता से मुक्त कराने में कहां तक सफल हुए हैं? सभी तरह के उपाय करने पर, आज राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति है तथा ग्रामीण जनसंख्या की प्रति व्यक्ति आय में हम कितनी वृद्धि कर सकते हैं? कल भी मैंने इस बात का उल्लेख किया था कि मेरे राज्य में, इस तथ्य के बावजूद कि लोग वहां अधिक शिक्षित हैं तथा उनके पास विदेशों से धन प्राप्त करके जीवकोपार्जन की कुछ अन्य सुविधाएं हैं, आय में प्रति व्यक्ति औसत वृद्धि .06 प्रतिशत है। जबकि केरल जैसे राज्य में प्रतिव्यक्ति औसत आय .06 प्रतिशत है, हम कब अपने पड़ोसी देशों के स्तर के बराबर हो पाएंगे? मेरे विचार से गरीबी की रेखा में हम यहां तक कि बंगलादेश से भी नीचे जा सकते हैं। हमें ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को ऋण तथा अन्य कृषि सुविधाएं देकर उनकी प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करने के लिए ईमानदारी के प्रयास करना चाहिए। राष्ट्र के विकास के प्रयोजन के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। ग्रामीण ऋणग्रस्तता इस देश की एक बहुत ही गंभीर समस्या है। बहुत ही स्पष्ट रूप से यह बात इस सभा में कही गयी है तथा इस मामले में किए गए सरकारी अध्ययन से यही पता चला है। आपको पता है कि इसके बावजूद कृषक को उस व्यक्ति को अपनी फसल गिरवी रखनी पड़ती है जो गांव में पैसा उधार देता है। वह अभी भी राजा है। वह आज भी देश में ग्रामीण जीवन को नियन्त्रित करता है। ऐसे लोगों के महत्व को हम किस प्रकार से समाप्त करने जा रहे हैं?

हाल ही में मेरे राज्य में बहुत ही दुःखद घटनाएं हुई हैं। ग़ैर-सरकारी महाजन अचानक ही समृद्ध हो गए हैं। उन्होंने आदित्य फाइनेंस, मुट्टो ब्रदर्स आदि के नाम से बड़े भवनों का निर्माण करना

आरम्भ किया। ये लोग गरीब लोगों से जमा के रूप में पैसा लेते हैं। ये इसे उद्योगपतियों को दे देते हैं तथा अन्ततः वे गरीब लोग जिन्होंने पैसा जमा किया था, बहुत ही परेशान हो रहे हैं। आप गैर सरकारी महाजनी व्यवस्था को किस प्रकार से नियमित करने जा रहे है? इस बारे में रिजर्व बैंक या भारत सरकार द्वारा कोई प्रभावी कदम नहीं उठाए गए हैं। मैंने यह मामला माननीय मन्त्री महोदय के समक्ष उठया है। मैंने आदित्य फाइनेंस के कुछ मामलों का उल्लेख किया है। उन्होंने मुझे बताया है कि राज्य सरकार द्वारा कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है तथा वे इसके सिवाय कुछ नहीं कर सकते। इस प्रकार से इस मामले में उन्होंने अपनी असमर्थता व्यक्त की है जबकि इन लोगों द्वारा करोड़ों रुपए ऐंठे जा चुके हैं। एक दिन ये अपनी दुकान बन्द कर देंगे और इन गरीब जमाकर्ता उनकी दया पर रहना पड़ेगा। इस व्यवसाय को नियमित करने के लिए कोई केन्द्रीय विधि नहीं है। इस बारे में केन्द्रीय सरकार द्वारा कुछ प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए। राज्य सरकार कुछ लोगों को गिरफ्तार कर रही होगी। परन्तु यह कोई प्रभावी कदम नहीं है। ऐसे मामलों में जहां लोग सरकारी पैसे का दुरुपयोग कर रहे हों तथा बिना दण्ड पाए बच जाएं, वहां राज्य सरकार तथा केन्द्रीय सरकार के बीच समन्वय होना चाहिए। इस बारे में मैं प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों की स्थापना करने का समर्थन करना चाहूंगा। ऐसे बैंकों में लोगों को भी हिस्सा लेना चाहिए ताकि महाजनों का दास बने रहने की बजाय उनका ऐसे बैंकों में विश्वास हो सके जो सरकार अथवा सहकारी समितियों द्वारा प्रायोजित हों। मेरा केन्द्रीय सरकार से विनम्र निवेदन है कि वह इस गैर सरकारी महाजनी व्यवसाय के बारे में कदम उठाए। जनता को ठगने वाले ऐसे लोगों को अधिक से अधिक दण्ड दिया जाना चाहिए। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस आधार पर कानून बने।

मैं जिस एक अन्य बात का उल्लेख करना चाहता हूं, वह है गुजरात में हाल ही में किया गया सर्वेक्षण जिसे 'इण्डिया टुडे' में प्रकाशित किया गया था। सर्वेक्षण में इस बात का उल्लेख किया गया है कि बेनामी ऋण लिए गए। सैकड़ों व्यक्तियों के नाम पर एक ही व्यक्ति हस्ताक्षर कर देगा और पैसा ले लेगा तथा उस पैसे को वह किसी अन्य प्रयोजन के लिए इस्तेमाल करेगा। वह उस पैसे का गांव में इस्तेमाल नहीं करेगा। जबकि हमारा अभिप्राय गांवों का विकास तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है लेकिन यहां जो पैसा उस प्रयोजन के लिए है वह लोगों द्वारा गरीब लोगों तथा गरीब ग्रामीणों के नाम से किसी अन्य प्रयोजन के लिए लिया जा रहा है। अन्ततः वह पैसा आपको वापस नहीं मिलता। कोई आदमी यह कह सकता है कि ऋणों को बट्टे-खाते में डाला जाता है इस सन्दर्भ में, मैं कुछ बातों का उल्लेख करना चाहूंगा। उदाहरण के लिए सूखे की स्थिति के दौरान सहकारी बैंकों से कृषकों द्वारा लिए गए कृषि ऋण। मैं यह जानता हूं कि सहकारी बैंकों के पास पर्याप्त धनराशि होती है, इसलिए वे ब्याज को बट्टे-खाते में डाल सकते हैं। मेरे राज्य ने ऐसा ही किया और ऐसे कृषकों के जिन्होंने सहकारी बैंकों से ऋण लिया था, ब्याज के हिस्से को बट्टे-खाते में डालने के लिए राज्य सहकारी बैंकों से लगभग 6 करोड़ रुपए खर्च किए गए। इस प्रकार की चीजें हम कर सकते थे। क्यों? क्योंकि जो संस्था वहां है उसके पास पैसा था। इसीलिए, वे इसे दे सकते थे। वे पैसा कमा रहे थे इसीलिए वे निर्णय कर सके। इसीलिए मैं एक सुसंगठित तरीके से सरकार के नियन्त्रणाधीन ग्रामीण बैंकों की स्थापना का स्वागत करता हूं। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि संकट तथा परेशानी के समय इस प्रकार की सहायता भी दी जाए। इन शब्दों के साथ मैं यह कहता हूं कि मैं इस विधेयक का बिल्कुल भी विरोध नहीं कर रहा हूं। मैं यह कहता हूं कि आप इस पूरी बात पर विचार करते हुए इस तरीके से यथाशीघ्र बेहतर तथा समन्वित संशोधन लाएं।

श्रीमती बसवराजेश्वरी (बेल्लारी) : माननीय सभापति महोदय, मैं पूरे मन से इस विधेयक

[श्रीमती बसवराजेश्वरी]

का स्वागत करती हूं। मुझे प्रसन्नता है कि विरोधी पक्ष से भी अधिकांश सदस्यों ने इस विधेयक का स्वागत किया है। अभी तक ये ऋण मेलों की कड़ी आलोचना ही करते आ रहे थे। कम से कम आज मैं अति प्रसन्न हूं कि उन्होंने इस विधेयक के बारे में बहुत ही उचित सुझाव दिया है।

महोदय, श्रीमती इंदिरा गांधी एक महान क्रान्तिकारी महिला थीं जिन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। 20-सूत्री कार्यक्रम लागू करते समय उन्होंने सम्पूर्ण भारत में ये ग्रामीण बैंक शुरू किए थे। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में ये शाखाएं खोलकर साहसिक कार्य किया। उन्होंने "गरीबी हटाओ" का नारा भी दिया था? इसे दूर करने के लिए उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सी शाखाएं शुरू की। इन शाखाओं का मुख्य उद्देश्य कृषकों, दस्तकारों, व्यापारियों, वाणिज्य तथा उद्योग आदि को विकास-ऋण देकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास करना है। वे यह भी देखना चाहती थीं कि ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे तथा सीमान्त किसानों और कृषि श्रमिकों को ऋण तथा अन्य सुविधाएं दी जाए। वह उन्हें गरीबी की रेखा से ऊपर लाना चाहती थीं। इस उद्देश्य को मद्देनजर रखते हुए सम्पूर्ण भारत में बहुत सी शाखाएं शुरू कर दी गई हैं।

आंकड़ों के अनुसार वर्ष 1986 के अन्त तक 341 जिलों में ये शाखाएं खोली जा चुकी हैं तथा 8213 शाखाएं शुरू हो चुकी हैं। जहां तक वितरण का सम्बन्ध है, वे 1408 करोड़ रुपए वितरित कर चुके हैं। वर्ष 1985 तक बकाया ऋण तथा उधार राशियां क्रमशः 70,62,89,300 तथा 41, 70,402,00 थीं। इससे यह पता चलता है कि ग्रामीण बैंकिंग प्रणाली में काफी सुधार हुआ है। अर्थक्षमता तथा वसूली की स्थिति आदि की बहुत से लोगों ने आलोचना की है। जब हम सहकारी क्षेत्र तथा वाणिज्यिक बैंकों की तुलना करते हैं तो इन बैंकों की उधार तथा अदायगी की स्थिति बहुत ही सुदृढ़ है। कुछ ऐसी कठिनाइयां हैं जिनका सामना हम आज दस वर्षों के अनुभव के पश्चात् भी कर रहे हैं। क्षेत्रीय असंतुलन बहुत ज्यादा है। कार्मिक प्रशिक्षण की कमी है। अधिकांश प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों को बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है और अधिकांश बैंक आर्थिक रूप से समक्ष नहीं है। इसमें सुधार लाने के लिए अनेक समितियों का गठन किया गया है और सरकार के समक्ष अनेक प्रतिवेदन प्रस्तुत किए गए हैं। इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए माननीय मन्त्री ने यह संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया है। वह चाहते हैं कि प्राधिकृत पूंजी को एक करोड़ से बढ़ाकर पांच करोड़ कर दिया जाये तथा आरम्भिक पूंजी को 25 लाख रुपये से बढ़ाकर एक करोड़ कर दिया जाये। मैं इस उपाय का स्वागत करती हूं क्योंकि अनेक योजनायें सामने आ रही हैं और क्षेत्रीय आबादी बड़ी तेजी बढ़ रही है। कठिनाइयों को दूर करने के लिए बैंक के कार्यकरण के लिए हमारे पास पर्याप्त धनराशि होनी चाहिए।

उनके कार्यान्वयन के बारे में काफी आलोचना की जाती है। मैं इस बात को समझती हूं कि हम लोग काफी कठिनाइयों का सामना करना कर रहे हैं क्योंकि इस समय हम सबसे ज्यादा असंगठित क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। वे शिक्षित नहीं हैं और अधिकांशतः किसान हैं। मेरी राय में हमें इसे भली-भांति निभाना होगा चाहे कितनी भी असुविधा का सामना करना पड़े। मुझे मालूम है कुछ शाखा-प्रबन्धक थोड़े भ्रष्ट हैं तथा ऋण की मन्जूरी के समय कुछ दलाल भी शामिल होते हैं। कुछ शाखा-प्रबन्धक ऐसे भी हैं जो गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम में भाग नहीं लेते हैं। कुछ ऐसे प्रबन्धक भी हैं जो उन गरीबों के साथ ठीक व्यवहार नहीं करते हैं, जो बैंक में आते हैं। कुछ ऐसे प्रबन्धक भी हैं, जो गरीब लोगों को ऋण देने से इन्कार कर देते हैं। कुछ ऐसे शाखा प्रबन्धक हैं, जो अपने वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा जारी किए गए मार्ग-निर्देशों का अनुपालन नहीं करते हैं। ऐसे अनेक प्रबन्धक हैं जिन्हें ऐसी योजनाओं की कोई जान-

कारी नहीं है जो समाज के कमजोर वर्गों के लिए लाभकारी है। ऐसी बातें हम हर रोज देखते हैं किन्तु प्रश्न यह है कि इसे कैसे दूर किया जाये ?

माननीय मन्त्री ने कहा है कि अब से प्रायोजक शाखायें ही प्रशिक्षण देंगी। मैं इसका स्वागत करती हूं। माननीय मन्त्री ने यह भी कहा है कि ऐसे अधिकारियों की पदोन्नति उनके कार्य-निष्पादन के आधार पर होगी। उन्होंने उन्हें सलाह दी है कि वे गांवों में जायें और प्रत्येक सप्ताह में दो दिन ऋण-शिविरों का आयोजन करें और यह भी कहा है कि वे गांव-गांव में जायें और उनकी समस्याओं को समझें। यदि इस तरह के उपाय किए जाएंगे तो मेरा ख्याल है कि कार्य-निष्पादन और ऋण प्रणाली में सुधार होगा।

जहां तक कर्मचारियों का सम्बन्ध है, विभिन्न शाखाओं में 45,000 कर्मचारी काम कर रहे हैं। हमें उनके कल्याण के बारे में भी ध्यान देना चाहिए। आखिरकार उन्हें गांवों में जाना पड़ता है उन्हें दूर-दराज के देहातों में काम करना होता है। यदि यही स्थिति है तो हमें यह देखना चाहिए कि उन्हें समुचित सुविधायें भी मिलें। उनमें से अधिकांश गांवों में जाने और काम करने से इन्कार कर देते हैं क्योंकि उन्हें वहां रहने के लिए मकान और समुचित सुविधायें नहीं मिलती हैं। यहां तक कि बैंकों को भी कभी-कभी अपनी शाखा कार्यालय स्थापित करने में कठिनाई होती है। इन कठिनाइयों को कैसे दूर किया जाए, इसके बारे में हमें गम्भीरता से विचार करना चाहिए? हमें इसमें सुधार करने की कोशिश करनी चाहिए। हमें उनके रहने और काम करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर स्थान की व्यवस्था करने की कोशिश करनी चाहिए। माननीय मन्त्री ने सुझाव दिया है कि शाखा-प्रबन्धक और कभी-कभार अध्यक्ष महोदय भी उन ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा करें। ग्रामीण क्षेत्रों में दौरा करने की दृष्टि हमें उनके लिए कुछ वाहनों की व्यवस्था करनी चाहिए। ताकि वे गांव-गांव में जाकर समस्याओं को समझ सकें। अतः उसका समुचित ढंग से अनुपालन होना चाहिए। ऋण की मन्जूरी के पश्चात् समुचित कार्यक्रम भी लागू किए जाने चाहिए ताकि लाभ-भोगियों को ध्यान में रखा जा सके तथा ऐसी असुविधाओं को दूर करने के लिए अनुवर्ती कार्यवाही की जा सके। अतः कर्मचारियों के लिए भी इन सुविधाओं की व्यवस्था होनी चाहिए।

महोदय, अभी हाल ही में कुछ बैंकों द्वारा विधवा पेंशनों का वितरण किया गया है। अब यह कार्य डाकघरों के स्थान पर बैंकों को सौंपा जा रहा है क्योंकि पेंशनों के संवितरण के बारे में यहां-वहां आलोचनाएं हुई थी। किन्तु मुझे पता लगा है जहां तक विधवा पेंशन का सम्बन्ध है, पेंशन संवितरण के बारे में कार्यवाही करने के लिए दक्ष कर्मचारी पर्याप्त संख्या में नहीं हैं। बीमा के सम्बन्ध में भी यही स्थिति है। अभी हाल में हमने फसल बीमा योजना शुरू की है और ऐसी योजना के अन्तर्गत विभिन्न फसलों को रखा गया है। किन्तु जो किसान ऋण लेता है उससे दो प्रतिशत की दर पर प्रीमियम वसूल किया जाता है। मुझे बताया गया है कि जब कभी प्राकृतिक आपदा जैसे टिड्डी दल का आक्रमण, बाढ़, सूखा या कोई महामारी फैलती है तब किसान द्वारा बीमा कम्पनियों से क्षति पूर्ति की मांग किए जाने पर, बीमा कम्पनियों द्वारा उन्हें क्षतिपूर्ति प्रदान नहीं की गई है। ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि एक बार ऋण लेने वालों से प्रीमियम की वसूली कर ली जाती है तो किसानों द्वारा कितनी भी राशि देय हो उन्हें क्षतिपूर्ति की राशि का अविलम्ब भुगतान किया जाना चाहिए। मैं यहां एक उदाहरण का हवाला देना चाहती हूं। जब कभी महामारी फैलती है, बीमारियां फैलती है, प्राकृतिक आपदायें आती हैं तो किसानों द्वारा अल्पकालीन ऋण के अन्तर्गत उधार ली गई राशि का भुगतान करना मुश्किल हो जाता है। इस कठिनाई के परिणामस्वरूप ये बैंक किसानों को अगली फसल के लिए ऋण नहीं दे पाते क्योंकि वे ऋण अदा नहीं कर पाए थे।

[श्रीमती बसव राजेश्वरी]

लेकिन यह उनकी गलती नहीं है। प्राकृतिक विपदाओं के कारण वे ऋण वापस नहीं कर सके हैं। वे मुख्यतः विभागों से प्राप्त प्रमाण पत्र पर निर्भर रहते हैं। राज्य में कृषि विभाग से या राजस्व विभाग से प्रमाण पत्र प्राप्त करना उनके लिए बहुत कठिन है। वे प्रमाणपत्र देने के इच्छुक नहीं होते इन परिस्थितियों में बैंकों को आगामी फसल के मौसम के लिए किसानों को और ऋण देने के लिए आगे आना चाहिए। इसके अतिरिक्त उन पर प्रमाण पत्रों को दिखाने के लिए दबाव डाले बिना अल्प अवधि के सभी ऋणों को दीर्घावधि के ऋणों में परिवर्तित कर देना चाहिए। सरकार को इस बात पर ध्यान देना चाहिए।

महोदय, ये सभी राष्ट्रीय कार्यक्रम चल रहे हैं। मैं समझती हूं कि धन का बहुत अधिक दुरुपयोग हो रहा है तथा इस उद्देश्य के लिए दिया गया धन लाभार्थियों तक नहीं पहुंच रहा है तथा इसकी बहुत आलोचना की जाती है। अब बात यह है कि इन कठिनाइयों को कैसे दूर किया जाय। इसके लिए मैं कुछ ठोस सुझाव देना चाहूंगी। एक बार जब मैं सभा की अध्यक्षता कर रही थी तो तब तत्कालीन वित्त मन्त्री श्री वी० पी० सिंह भी सभा में उपस्थित थे। सभा में उन्होंने एक स्पष्ट बयान दिया था कि इन कमियों को दूर करने के लिए, हम इन योजनाओं जैसे एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम, एस० ई० यू० पी० अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास आदि पर निगरानी रखने के लिए एक समिति की नियुक्ति करेंगे तथा सांसद को समिति का सभापति बनाया जायेगा। यह बात उन्होंने कही थी तथा विभिन्न विभागों में इन प्रस्तावों को कहां तक क्रियान्वित किया गया है, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। मुझे बताया गया है कि वित्त मन्त्रालय की ग्रामीण विकास मन्त्रालय के साथ एक या दो बैठकें हुई हैं तथा निर्णय अभी लिया जाना है। इन योजनाओं पर निगरानी रखने का दायित्व यदि एक व्यक्ति को सौंपा जावे तो मेरे विचार से हम कुछ सीमा तक इन कठिनाइयों को हल कर सकते हैं। जहां तक ग्रामीण गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों का सम्बन्ध है, यही मेरा सुझाव है।

महोदय, अन्त में मैं यह कहना चाहती हूं कि ऋण-मेलों के सम्बन्ध में इस विधेयक में जो कुछ कहा गया है—वह गरीब लोगों के हित में है तथा ऋण-मेले भी उन्हीं लोगों के लिए है। इस संबंध में मैं माननीय सदस्यों से पूछना चाहूंगी कि क्या वे गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों में रुचि रखते हैं। यदि हां, तो वे ऋण मेलों की इतनी अधिक आलोचना क्यों कर रहे हैं? इस बात का उल्लेख किया गया है कि जितनी जल्दी हो सकेगा वे ऋणों का भुगतान कर दें। फिर, हम लोग यहां क्या करने के लिए हैं? मैं समझती हूं कि इस सभा के किसी भी सदस्य को ऋण-मेलों की आलोचना नहीं करनी चाहिए यदि वास्तव में वे ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी हटाने के कार्यक्रमों में रुचि रखते हैं। यदि नहीं, तब उनको कुछ रचनात्मक सुझाव देने चाहिए कि इस असुविधा को कैसे दूर किया जाए, ऋण गरीबों को सही तरीके से कैसे प्राप्त हो तथा हमारे द्वारा दिये जा रहे ज्यादातर ऋण उत्पादक कार्यों में लगें, इसे देखने के लिए हम क्या कर सकते हैं और दूर दराज के गांव में रहने वाले व्यक्ति की क्रय शक्ति में अभी से कैसे वृद्धि हो। यदि वे ये सुझाव देते हैं तब मेरे विचार में यह अधिक लाभदायी होगा और मैं आशा करती हूं कि सदस्यगण अब से ऐसे सुझाव देंगे।

इन शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करती हूं।

प्रो० नारायण चन्द पराशर (हमीरपुर): महोदय, मैं प्रादेशिक ग्रामीण बैंक (संशोधन)

विधेयक, 1987 का समर्थन करता हूं। वित्त राज्य मन्त्री, जिन्होंने वित्तमन्त्री के नाम पर इस विधेयक को पुरःस्थापित किया है, ने उद्देश्यों और कारणों का कथन का ब्यौरा दिया है। प्रादेशिक ग्रामीण बैंक विधेयक, प्रादेशिक ग्रामीण बैंक के बारे की गई कुछ मांगों एवं आकांक्षाओं को आंशिक रूप से पूरा करता है। प्रादेशिक ग्रामीण बैंक बहुत अच्छी संस्था है और यह प्रमुख रूप से ग्रामीण क्षेत्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। 19 जुलाई, 1969 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात ग्रामीण विकास के लिए प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों का आगमन एक अन्य उपयोगी कदम था तथा इसी प्रकार जुलाई 1982 में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना भी सही दिशा में एक कदम था।

महोदय, एक दशक से अधिक समय से कार्य कर रहे प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के कार्यकरण में कुछ दोष पाए गए हैं, कुछ कमजोरियों का पता लगाया गया है तथा सर्वप्रथम जो बात मेरे दिमाग में आती है वह यह है कि प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों को पूरे देश, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बनाया गया था। लेकिन स्थिति का यह एक दुर्भाग्यपूर्ण पहलू है कि अभी तक सभी जिलों में प्रादेशिक ग्रामीण बैंक नहीं हैं। कुछ जिलों में प्रादेशिक ग्रामीण बैंक खोले गए हैं तथा दूसरे जिलों को दिया गया है और जब कभी मन्त्रालय की जानकारी में इस मामले को लाया जाता है तो वे यह तर्क देते हैं कि अन्य क्षेत्रों को राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा देखा जा रहा है। अतः उन क्षेत्रों को, जहां प्रादेशिक ग्रामीण बैंक है, राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा भी देखा जा रहा है। इसलिए अब दो प्रकार के जिले हैं। मेरे विचार से यह भेदभाव है। कुछ ऐसे जिले हैं जहां राष्ट्रीयकृत बैंक और प्रादेशिक ग्रामीण बैंक दोनों ही काम करते हैं, और कुछ ऐसे जिले हैं जहां प्रादेशिक ग्रामीण बैंक नहीं बल्कि केवल राष्ट्रीयकृत बैंक ही काम करते हैं अतः इस प्रकार की नीति कुछ जिलों के प्रति पूर्णतः भेद-भाव पूर्ण है जिसे समाप्त किया जाना चाहिए और मैं वित्त मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री श्री पुजारी से आग्रह करूंगा कि वे इस पहलू पर ध्यान दें।

दूसरी बात यह है कि यह बताया गया है कि उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने के लिए स्थापित किया गया है और वह ऐसी बैंकिंग प्रणाली है जिसे कम लागत प्रणाली कहा जाता है। अब आप यह तो बताइये कि यह कम लागत वाली बैंकिंग प्रणाली किसे हानि पहुंचा कर चलाई जा रही है? क्या यह कर्मचारियों को राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारियों की अपेक्षा कम वेतन प्रदान कर लागत कम करती है? अतः ये कौन हैं? हम इसकी तुलना कैसे कर सकते हैं? प्रादेशिक ग्रामीण बैंक कर्मचारियों के अखिल भारतीय संघों ने बार-बार यह मांग की है कि उन्हें राष्ट्रीयकृत बैंकों में नियुक्त कर्मचारियों के समान वेतन और परिलब्धियां, सुविधाएं आदि प्रदान की जानी चाहिए। महोदय, मुझे प्रादेशिक ग्रामीण बैंक के कर्मचारियों और राष्ट्रीयकृत बैंक के कर्मचारियों की परिलब्धियों के बीच भेद-भाव का कोई समुचित कारण नजर नहीं आता। उनमें समरूपता होनी चाहिए, हालांकि इसमें एक अच्छी बात है कि प्रादेशिक ग्रामीण बैंक के कर्मचारियों की भर्ती क्षेत्रीय आधार पर होती है। उनकी उसी स्थान से भर्ती की जाती है। अतः वे अखिल भारतीय प्रतियोगिता के माध्यम से लाए गए कर्मचारियों की अपेक्षा स्थानीय जनता के अधिक निकट होते हैं। किन्तु यह कोई ऐसा कारण नहीं है जिसके परिणामस्वरूप उन्हें कम वेतन प्रदान किया जाए। अतः कर्मचारियों को कम वेतन देकर कम लागत वाली बैंकिंग प्रणाली की स्थापना करना अत्यन्त भेद-भावमूलक प्रणाली है और इसे अविलम्ब समाप्त किया जाना चाहिए। प्रारम्भिक ग्रामीण बैंकों के कर्मचारी तो अधिक लाभ के हकदार हैं क्योंकि वे ऐसे बैंक भी हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी शाखाएं खोलने से इन्कार कर देते हैं। महोदय, राज्य मन्त्री श्री पुजारी जानते हैं कि यूनाइटेड कमर्शियल बैंक में हिमाचल-प्रदेश में अपनी उन्नीस शाखाएं खोलने से इंकार कर दिया था जिसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने लाइसेंस भी प्रदान कर दिया था। उन्होंने एक भी शाखा खोलने से इंकार कर दिया और कहा कि वे काफी ग्रामीण शाखाएं खोल चुके हैं और अब वे ऐसी कोई

[प्रो० नारायण चन्द पराशर]

शाखा खोलने की स्थिति में नहीं है। मन्त्री महोदय ने उस बैंक के खिलाफ कार्यवाही करने के बजाय भारतीय रिजर्व बैंक को यह अनुमति दी कि यह लाइसेंस किन्ही और बैंकों को दे दिया जाए जो इसमें और अधिक समय लगाएंगे। अतः परिणाम यह है कि जिस उद्देश्य से केन्द्रीय सरकार द्वारा जिस ग्रामीण विकास हेतु शाखा खोलने के लिए लाइसेंस देने की नीति और ग्रामीण ऋण प्रणाली का प्रवर्तन किया जा रहा है विफल हो रहा है। वह अतः सही बात तो यह है कि यदि कुछ ऐसे वाणिज्यिक बैंक हैं जिनका राष्ट्रीयकरण किया जा चुका है और जो ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी शाखाएं खोलने से इंकार करते हैं, उनकी अपेक्षा उन बैंकों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए जो ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी शाखाएं खोल रहे हैं और जो कर्मचारी ऐसी परिस्थितियों में काम कर रहे हैं जो अच्छे वेतन-प्राप्त कर्मचारी और परिवीक्षाधीन अधिकारी आदि आप जो भी कहें, के लिए अनुकूल न हों, उन्हें उसका लाभ दिया जाना चाहिए। उन्हें कुछ प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। उन्हें प्रशंसा का पात्र माना जाना चाहिए। मैं आग्रह करता हूं कि प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों को बेहतर परिलब्धियां दी जाएं तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारियों के समान परिलब्धियां दी जाएं। मैं चाहता हूं कि ऐसे राष्ट्रीयकृत बैंकों के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाए जो लाइसेंस प्राप्त करने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में शाखाएं खोलने से इंकार कर देते हैं। वे जानते हैं कि सर्वेक्षण के समय, भारतीय रिजर्व बैंक को लाइसेंस के लिए आवेदन-पत्र देते समय उन्हें शाखाएं खोलनी होती हैं तथा कुछ औपचारिकतायें पूरी हो जाने के बाद और एक या दो साल की अवधि समाप्त हो जाने के बाद शाखायें न खोलने का कोई वैध कारण नहीं होता है। अतः मन्त्रालय को चाहिए कि वे इस बात की छानबीन करें।

दूसरी बात यह है कि प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों को नियन्त्रण औपचारिक रूप से राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के अधीन है। एक प्रकार से इनका नियन्त्रण दो संस्थाओं से होता है। यह बड़ी रोचक बात है कि भारतीय रिजर्व बैंकों की शाखा खोलने के लिए लाइसेन्स देने की नीति के अन्तर्गत ग्रामीण बैंकों की शाखायें खोली जाती हैं। ग्रामीण बैंक भी भारतीय रिजर्व बैंक की इसी नीति के अन्तर्गत लाइसेंस प्राप्त करते हैं। किन्तु उस पर अभी तक राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) का नियन्त्रण था। अब इस विधेयक के माध्यम से यह प्रस्तावित किया जा रहा है कि प्रायोजक बैंक ही इन शाखाओं के कार्यकरण की निगरानी करने की स्थिति में होंगे। अतः निगरानी प्रणाली का और भी ह्रास हो जाएगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि यदि कोई बैंक ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक अर्थात् ग्रामीण बैंक खोलता है तो उसी को उसका पर्यवेक्षण करने के लिए कहा जा रहा है। इससे पहले भारतीय रिजर्व बैंक ही नियंत्रण और निगरानी संबंधी कार्य करता था। उसके बाद राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक उसके कार्यकरण पर नियन्त्रण रखता था। अब मंत्री महोदय बहुत उदार हो गए हैं क्योंकि उन्होंने उन शाखाओं को ग्रामीण बैंक के मूल प्रायोजकों को ही सौंप दिया है। जो बैंक प्रायोजक हैं उसे ही नियन्त्रण, निगरानी तथा निरीक्षण का कार्यभार सौंप दिया गया है। तो, मेरी राय में यह कोई स्वस्थ्य प्रथा नहीं है। इससे उनके कार्यकरण का और भी ह्रास होगा।

यहां जिन विभिन्न मुद्दों के बारे में चर्चा हो गई है मैं उनका स्वागत करता हूं। एक बात यह है कि प्राधिकृत पूंजी को एक करोड़ रुपए से बढ़ाकर पांच करोड़ रुपए किया जा रहा है। जब आप प्राधिकृत पूंजी को बढ़ा रहे हैं और पुरोधृत पूंजी को पच्चीस लाख रुपए तक बढ़ा रहे हैं, तब एक ही चीज ऐसी है जो आप नहीं बढ़ा रहे और वह है कर्मचारियों का वेतन, उसे भी बढ़ायें ताकि वे समुचित

ढंग से काम कर सकें। मेरी समझ में यह नहीं आता कि क्या कारण है। हमें उनको विभिन्न सुविधाएं प्रदान करने में समर्थ होना चाहिए। आप बैंकों को अतिरिक्त शक्तियां आदि प्रदान करके उनको और सशक्त बना रहे हैं। अतः आपको चाहिए कि जो कर्मचारी ग्रामीण क्षेत्रों में पसीना बहा रहे हैं अर्थात् धूल-मिट्टी में काम कर रहे हैं उन्हें उनके बजाय बेहतर प्रशिक्षण और बेहतर परिलब्धियां प्रदान करें, जो प्रतिदिन आपको तरह-तरह के आंदोलन चलाने की धमकी देते रहते हैं। बैंक में छुट्टियां घोषित करते हैं शहरों में बैंक बन्द करते रहते हैं। वे यहां शहरों में हर तरह की शरारतें करते हैं और आप उन कर्मचारियों को बिल्कुल भी प्रोत्साहन नहीं देते जो ग्रामीण क्षेत्रों में, गांवों में काम करते हैं। कृपया उनका भी ध्यान रखें। वे भी राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं और अत्यन्त दुर्गम स्थानों पर राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं।

इसी प्रकार मैं निदेशकों के नामांकन सम्बन्धी एक अन्य सुझाव का भी स्वागत करता हूं लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आती। बैंकिंग प्रणाली में जनता के प्रतिनिधि के लिए कोई स्थान नहीं होता। विधायक, संसद सदस्य तथा पंचायतें, पंचायत समितियां और जिला परिषदें बैंकिंग प्रणाली की सीमा से बाहर हैं और उन्हें किसी प्रकार की मान्यता प्राप्त नहीं है। शायद बैंक अधिकारी बहुत ज्यादा धन अपने पास होने के कारण जन सामान्य की नियति को समझ नहीं पाते जो खून-पसीना एक कर काम करते हैं और ग्रामीण जनता के लिए काम करते हुए जीवन-यापन कर रहे हैं। इसके लिए कुछ निर्धारण होने चाहिए। इन बैंकों की स्थापना के लिए कुछ धनराशि राज्य सरकार अदा कर रही है। केन्द्रीय सरकार भी कुछ धनराशि अदा कर रही है। प्रायोजक बैंक बहुत कम धनराशि अदा कर रहे हैं। पचास प्रतिशत धनराशि केन्द्रीय सरकार द्वारा अदा की जा रही है। अतः संसद में आने वाले जनता के प्रतिनिधियों को इसके बारे में अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार क्यों नहीं है? इसी प्रकार राज्य-सरकारें तीस प्रतिशत या पन्द्रह प्रतिशत जैसी धनराशि अदा कर रहे हैं। राज्य स्तर पर भी प्रतिनिधि होने चाहिए। अतः मैं इसी के लिए आग्रह करता हूं। यदि बैंकों से कुछ भलाई का काम कराना है और यदि जो प्रणाली आपने शुरू की है और लागू की है उसे श्रीमती इन्दिरा गांधी की उन अपेक्षाओं के अनुरूप बनाना है जो उनके मन में उस समय थी जब उन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, जब उन्होंने प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों का गठन किया था, जब उन्होंने राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना की थी तो उसे तभी पूरा किया जा सकेगा, जब सबसे नीचले स्तर की जनता और जनता के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा। मैं अन्य पहलुओं के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता किन्तु मैं यह जरूर कहूंगा कि गत-वर्ष में बैंक प्रणाली द्वारा शुरू किए गए विभिन्न क्रियाकलापों के अच्छे परिणाम रहे हैं और हालांकि ऋण-मेलाओं की आलोचना की गई है फिर भी उससे ग्रामीण क्षेत्र की जनता को काफी ठीक लाभ हुआ है। वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री, श्री जनार्दन पुजारी ने इसमें व्यक्तिगत रूप से रुचि ली है। मैं उनके उन प्रयासों की प्रशंसा करता हूं जो उन्होंने बैंक प्रणाली में सुधार लाने तथा उस ग्रामीण जनता की आवश्यकतायें पूरी करने के लिए ऋण प्रदान करने के लिए दिए हैं जो शहर के शोरगुल से बहुत दूर हैं। उन्होंने जनता को वाणिज्यिक दुकानों से बचाया है किन्तु आवश्यकता इस बात की है कि जो कर्मचारी इस प्रणाली के लिए काम कर रहे हैं और जो इस प्रणाली का संचालन कर रहे हैं—क्योंकि ग्रामीण बैंक किसी संसद सदस्य या विधायक या निदेशक या अध्यक्ष द्वारा नहीं चलाए जा सकते और उसे वस्तुतः उस क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारी ही चलाते हैं, उनके लिए बेहतर सुविधाओं यथा परिवहन, कार्यालय, आवास आदि जैसी सुविधायें का सुझाव दिए जाने दिया जाए। इस प्रयोजन के लिए मैंने पहले भी कहा था और अब भी कहता हूं कि 'लीड बैंक' योजना पर समुचित रूप से विचार किया जाए और जांच की जाए तथा जिला स्तर पर 'लीड बैंक' की स्थापना

[प्रो० नारायण चन्द पराशर]

करने के बजाए उसे खण्ड स्तर पर स्थापित किया जाए। जब तक देशों में खण्ड स्तर तक बैंकिंग ढांचे को विकेन्द्रीकृत नहीं किया जाएगा तब तक न्याय नहीं हो पाएगा क्योंकि खण्ड स्तर पर एक लाख या उससे अधिक की आबादी निवास करती है। उदाहरण के लिए यदि एक जिले में 'लीड' बैंक हो और उसकी एक या दो शाखायें हों तथा कुछ खण्डों में एक भी शाखा न हो। इसलिए तब तक न्याय नहीं हो पाएगा जब तक प्रत्येक खण्ड में एक एक शाखा नहीं होगी। इसलिए 'लीड बैंक' की आवश्यकता के बारे में विचार किया जाना चाहिए हालांकि यह ग्रामीण बैंक के प्रावधानों के अन्तर्गत नहीं है, फिर भी प्रायोजक बैंक तथा राष्ट्रीयकृत बैंक जनता की बेहतर सेवा कर पाएंगे, यदि 'लीड बैंक' का और अधिक विकेन्द्रीकरण किया जाएगा और जिले के लीड बैंक की कम-से-कम एक शाखा प्रत्येक खण्ड के मुख्यालय में अवश्य स्थापित की जानी चाहिए, ताकि जिम्मेदारी तय की जा सके और इसकी और पुनरीक्षा की जा सके। अर्थात् राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, प्रायोजक बैंक तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की गई पुनरीक्षा कोई अर्थ नहीं रखती क्योंकि यह केवल वित्तीय पुनरीक्षण है जबकि हमें कार्य-निष्पादन सम्बन्धी पुनरीक्षा की आवश्यकता है। हमें जनता से यह मालूम करना है कि क्या पंचायत, जिला परिषद्, पंचायत समिति, विधायक या संसद सदस्य या कोई शाखा उस क्षेत्र में सुधार कर पाई है जिसमें कि उसकी स्थापना की गई है। इसीलिए यदि इन बैंकों से लाभ प्राप्त करना हो और यदि उन आशाओं को पूरा करने के लिए श्रीमती इन्दिरा गांधी ने देश में बैंकिंग प्रणाली की इस योजना का प्रवर्तन किया था तो कार्य निष्पादन पुनरीक्षा अत्यावश्यक है।

[हिन्दी]

श्री विजय कुमार यादव (नालन्दा) : सभापति जी, इस बिल पर बोलते हुए मैं सब से पहले इस व्यवस्था में सुधार करने के सिलसिले में जो राय जाहिर की गयी है, उसके सम्बन्ध में बोलना चाहता हूं।

सरकार इस नीति को मानती है कि किसी भी इंस्टीच्यूशन में वहां के वर्करों के सहयोग के बगैर काम को बेहतर तरीके से चलाना सम्भव नहीं है और इसलिए सरकार ने इस बात को नीतिगत तौर पर माना है कि वर्कर्स का पार्टिसिपेशन मेनेजमेंट में होना चाहिए। पिछले 10-11 वर्षों के तजुर्बे के बाद इस एक्ट में संशोधन की बात की गई है। फिर कोई बात नहीं है कि जो वर्कर्स इन बैंकों में काम करते हैं और उनकी जो ऐसी यूनियन है जिनको बहुमत में, या ज्यादा वर्कर्स पसन्द करते हैं, उनका नुमाइंदा बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स में न लिया जाए। इसलिए मेरा सुझाव है कि इस पर मन्त्री महोदय को विचार करना चाहिए।

अपने दो नान-आफिशियल रिप्रेजेन्टेटिव लेने की बात कही है। इनमें अगर आप किसानों का प्रतिनिधि लेते हैं, खेत मजदूरों का प्रतिनिधि लेते हैं, जिनका गहरा सरोकार देहातों में बैंकों से है तो उसमें कोई आपत्ति नहीं हो सकती। लेकिन इस नाम पर अगर सत्ताधारी दल के लोग उसमें लिए जाएं तो इससे तो उसमें नान आफिशियल रिप्रजेंटेटिव का होना न होना बराबर है, इससे तो उसका न होना ज्यादा अच्छा होगा।

कई माननीय सदस्यों ने कहा कि इन बैंकों के कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय है और इनके कर्मचारियों को भी नेशनलाइज्ड बैंकों के कर्मचारियों के समान ही वेतन मिलना चाहिए। आर० आर० बी० के कर्मचारियों को सुदूर देहातों में वही काम करना पड़ता है, उन्हीं परिस्थितियों में

काम करना पड़ता है जिस तरह से कमशियल बैंक के कर्मचारी करते हैं और सरकार ने भी समान कार्य के लिए वेतन के सिद्धांत को माना है, इसलिए उनको भी उतनी ही सुविधाएं तथा वेतन मिलना चाहिए। आर० आर० बी० के कर्मचारियों की यह मांग है, लेकिन सरकार उसमें बहुत बड़ा अमाउंट एन्वाल्व होने की वजह से उससे इंकार करती है। मैं कहता हूं कि सरकार स्वयं मजदूरों को आन्दोलन के लिए, हड़ताल के लिए, काम रोको आन्दोलन के लिए न्योता देती है, सरकार की नीति से ही ये लोग प्रेरित होते हैं। मैं समझता हूं कि सरकार को समय रहते इसमें सुधार करना चाहिए और उनका समान वेतनमान की जो मांग है, उसको दुरुस्त करना चाहिए।

सभापति जी, मैं एक बुनियादी सवाल उठाना चाहता हूं और वह हमारे देश के बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बारे में है। राष्ट्रीयकरण महान जन-दबाव के कारण हुआ था। आम जनता का पैसा बैंकों में जमा होता था और उसका लाभ आम जनता को न होकर के मुट्ठीभर लोगों को मिलता था, कारखानेदारों को मिलता था। इस हालत को देखते हुए जनता की मांग पर राष्ट्रीयकरण किया गया और मैं समझता हूं कि सरकार ने यह एक सही कदम उठाया। गरीबी दूर करने के लिए बैंकों के दरवाजे खोलने के लिए, उनको अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए, तरक्की करने के लिए, किसानों की तरक्की करने के लिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, लेकिन उससे लोगों को पूरा फायदा नहीं मिला। बुनियादी तौर पर परिवर्तन आया, कागज पर नीतियों में बुनियादी तौर पर परिवर्तन आया, लेकिन जिस उद्देश्य से बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, उस उद्देश्य की पूर्ति में हमको सौ फीसदी सफलता नहीं मिल सकी। आर०आर० बी० की स्थापना हुई, ग्रामीण बैंकों की स्थापना हुई, ताकि आम जनता को इसका पूरा लाभ हो, लेकिन जिस पुराने सूदखोर के हाथ में हिन्दुस्तान की जनता त्रस्त थी, वह जिस तरह से व्यापक पैमाने पर जनता का शोषण कर रहा था, आज भी वही हो रहा है। बैंकों की स्थापना के बाद भी, ग्रामीण बैंक की स्थापना के बाद भी देहात का आदमी बड़ी मात्रा में सूदखोर और महाजन के चंगुल में फंसा हुआ है। इस पर गम्भीरता से विचार करना होगा। इसकी क्या वजह है? अभी एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि जिनके पास जमीन है, उन लोगों को कर्ज मिलना चाहिए और वे उदाहरण दे रहे थे कि ऐसे लोग भी हैं जिनके पास भूमि नहीं है, फिर भी उनको सरकार कर्ज देती है। मैं कहना चाहता हूं कि सरकार की यही नीति है। सरकार की नीति यही है कि जो भूमिहीन हैं उनको बैंकों से कर्जा मिले। मैं यह कहना चाहता हूं कि मन्त्री जी इस पर विचार करें। इनके लिए न तो कमीशन बैठाएं और यह देखें कि बैंकों की पालिसी में कौन सी ऐसी कमी है जिसमें अभी भी अपर-हैंड सूदखोर महाजन का है और अभी भी वह मनी लैंडींग एजेंसी के रूप में कायम है। बहुत सारी ऐसी आवश्यकताएं हैं जिनके लिए आप गरीब मजदूरों और किसानों को कर्ज मुहैया नहीं करते हैं। शादी, बीमारी, लड़के की पढ़ाई या मकान बनाने के लिए व अन्य जरूरत के लिए खर्चे की जरूरत होती है। लेकिन इन आवश्यकताओं के लिए बैंक से कर्जा नहीं मिलता है। कोई न कोई तरीका हो सकता है जिसमें आपको कर्जा रियलाइज हो सके। अगर आप अपने उद्देश्य में सफल होना चाहते हैं जिनके लिए आपने इन बैंकों की स्थापना की है तो आपको इस तरह की व्यवस्था लोक की करनी होगी। जिस तरह से सूदखोर महाजन कम्पाउन्ड टैक्स लेता था और उसके टैक्स से जनता त्रस्त रहती थी और फिर भी लेता था, आज बैंकों ने वही स्थान ग्रहण कर लिया है। एक बार कोई गरीब कर्ज ले लेता है तो सूद बढ़ता रहता है। आप इस समस्या पर विचार करें। इन ग्रामीण बैंकों से लोग उसी तरह से भय खाते हैं जिस तरह से सूदखोर महाजन से खाते थे क्योंकि उसी तरह से बैंक शोषण करता है। मैं समझता हूं किसी भी जन-कल्याणकारी सरकार के लिए इस नीति का दुरुपयोग करना ठीक नहीं है। इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

3.53 म० प०

(श्री शरद दिघे पीठासीन हुए)

[अनुवाद]

श्री विजय एन० पाटिल (इरन्दोल) : सभापति महोदय, मुझे आश्चर्य है कि इस समय यह संशोधन क्यों लाया गया है? क्या केवल इसीलिए कि रिजर्व बैंक के अधिकारियों में से एक को निदेशक के रूप में लिया जा सके? मैं माननीय मन्त्री से यह जानना चाहता हूं, क्योंकि अन्य उपबन्ध लगभग एक जैसे ही हैं किन्तु निदेशक बोर्ड का गठन नये सिरे से किया गया है। केवल यही नहीं बल्कि इससे पहले राज्य सरकार निदेशक के रूप में गैर-सरकारी अधिकारी को भी नाम-निर्दिष्ट कर सकती थी, किन्तु अब इस संशोधन के कारण प्रादेशिक ग्रामीण बैंक के निदेशक-बोर्ड में केवल अधिकारियों को ही नाम निर्दिष्ट किया जा सकेगा। मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि राज्य स्तर पर भी बोर्ड में गैर-सरकारी अधिकारी की नियुक्ति की जाये; खास तौर से केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट एक निदेशक तथा राज्य द्वारा नाम निर्दिष्ट एक निदेशक कृषकों में से ही होने चाहिएं जो प्रगतिशील हों, क्योंकि प्रादेशिक ग्रामीण बैंक के नाम पर यदि हम इन बैंकों को केवल अधिकारियों के माध्यम से ही नियन्त्रित करेंगे तो कोई प्रगतिशील सोच-विचार नहीं होगा और न ही कृषकों को कोई लाभ पहुंचेगा।

इस संशोधन में एक बात बहुत अच्छी है कि आवश्यकता होने पर दो या उससे अधिक प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों का विलयन कर दिया जायेगा। मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि चूंकि ग्रामीण क्षेत्रों में इन राष्ट्रीयकृत बैंकों की बहुत शाखाएं हैं इसलिए हमें उन अन्य क्षेत्रों में प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के नेटवर्क का विस्तार नहीं करना चाहिए, खास तौर से जहां जिला सहकारी बैंक अच्छा काम कर रहे हैं। हमें चाहिए कि हम उन्हें कृषकों, कारीगरों तथा अन्य ग्रामीण औद्योगिक उद्यमियों को ऋण प्रदान करने दें। ऐसे क्षेत्रों में इन ग्रामीण बैंकों को चाहिए कि वे अतिक्रमण न करें। हमें तो यही पता चलता है कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना के बाद से ग्रामीण संस्थानों को ऋण प्रदान किए जाने में कई बार देर हो जाती है क्योंकि एक और पर्यवेक्षण प्राधिकरण बढ़ गया है, राज्य स्तर पर बैंक द्वारा ऋण का संवितरण किए जाने से पहले एक और एक और अनुमोदन प्राधिकरण से स्वीकृति लेनी होती है। उदाहरण के लिए राज्य में यह प्राधिकरण भूमि विकास बैंक होता है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ज्यादा समय लेता है। उसके क्षेत्रीय कार्यालय फाइलों की निकासी में कुछ समय लेते हैं और इस प्रकार ऋण की आवंटन की प्रक्रिया में देर हो जाती है। ऐसे बैंकों की स्थापना में हमारा उद्देश्य यह है कि अधिक ऋण प्रदान करने और शीघ्रातिशीघ्र ऋण प्रदान करने के लिए सुविधाओं में वृद्धि की जाये। किन्तु उस उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो पा रही है।

महोदय, राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा राशि पर ब्याज की दर में कमी होने के कारण मैं चाहता हूं कि सरकार यह सर्वेक्षण करे कि ब्याज की दर में कमी के कारण जमाराशि में कितनी कमी आई है। गैर-सरकारी लोग तथा गैर-सरकारी संस्थायें अधिक ब्याज दे रही हैं और जमाकर्ता अब अपनी छोटी-छोटी धनराशियां भी गैर-सरकारी लोगों तथा साहूकारों के पास जमा करा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में हमें यही पता चलता है कि रूग्ण उद्योगों के समान कृषि व्यवसाय भी कुछ क्षेत्रों में रूग्ण होता जा रहा है अतः हमें चाहिए कि कृषि व्यवसाय में विद्यमान रूग्णता को दूर करने के लिए एक विधि तय करें। अन्यथा शरद् जोशी तथा अन्य नेताओं के नेतृत्व में 'किसान संगठन' कृषि व्यवसाय में रूग्णता के नाम पर अन्य राज्यों में भी अपना प्रभाव जमाने की कोशिश करेंगे और इस प्रकार कृषि की वस्तुओं के

मूल्य कम हो जाएंगे। जिस प्रकार केन्द्रीय सरकार ने उद्योगों में रूग्णता के मामले में उपाय अपनाये हैं उसी प्रकार कुछ क्षेत्रों में वर्ष-दर-वर्ष सूखा पड़ने के कारण जो स्थिति बनी है उसके लिए ब्याज की दर के सम्बन्ध में राहत देने तथा किश्तों में राहत देने जैसे कुछ उपाय केन्द्रीय सरकार द्वारा अपनाए जाने चाहिए। इसे राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाओं के माध्यम से लागू किया जाना चाहिए और इस रूग्णता को कम किया जाना चाहिए।

सभापति महोदय, ग्रामीण क्षेत्रों में राष्ट्रीयकृत बैंक ठीक से काम नहीं कर रहे हैं और उन्होंने कार्य-प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए एक विधि निर्धारित की है। यह सरलीकृत कार्य-प्रक्रिया क्या है? शहरी क्षेत्रों में यदि किसी शाखा के कार्य घंटे 11 00 से 3.00 म० प० है तो ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य घंटे एक हफ्ते में चार से पांच दिन तक 11.00 से 12.00 या 11.00 से 1.00 तक है तथा किसी एक कार्य दिवस को यह 11.00 से ?.00 होगा। इसी को कार्यकरण की सरलीकृत विधि कहा गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ शाखाओं में इसे अपनाया है। इसका अभिप्राय यह है यदि कोई किसान या कोई मजदूर किसी ग्रामीण शाखा पर 6-7 मील की दूरी तय करके डेढ़ बजे पहुंचता है उसे बताया जायेगा कि वह शाखा बन्द है। वित्तीय कारोबार अगले दिन ही किया जा सकता है। सरलीकृत कार्य-करण की यही प्रक्रिया है। उसके विपरीत हमें यह पता चलता है कि उस विशेष शाखा के कर्मचारियों को दिए जाने वाले वेतन की राशि तथा उस विशेष शाखा के आवास के लिए दिए जाने वाले किराये की राशि ही सब कुछ नहीं है। यदि हम उस शाखा विशेष के आवास के लिए हुए वार्षिक खर्च तथा उस क्षेत्र में ऋण वितरण की राशि की गणना करें तो उसमें समुचित अनुपात प्रतीत नहीं होता। इसका अभिप्राय यह है कि वह शाखा ठीक से काम नहीं कर रही है।

4.00 म० प०

यदि किसी किसान को 20 हजार रुपए या 30 हजार रुपए की धनराशि ऋण के रूप में प्राप्त होती है तो उस बैंक का प्रबन्धक यह आग्रह करता है कि वह उस बैंक में पांच हजार रुपये या दस हजार रुपये की धनराशि जमा करे। इसका अभिप्राय यह है कि दस हजार की जमाराशि के लिए उसे दस प्रतिशत ब्याज मिलेगा और उसके विपरीत उसे उधार ली गई धनराशि पर पन्द्रह प्रतिशत ब्याज देना पड़ेगा।

धर्मार्थ संस्थाओं के मामले में भी हम यही देखते हैं कि यदि स्कूल की इमारत के निर्माण के लिए यदि पांच लाख रुपये ऋण के रूप में दिए गए हैं तो विद्यालय के प्रबन्ध मंडल को वह ऋण लेने के लिए पन्द्रह हजार रुपये का स्टॉम्प शुल्क अदा करना पड़ता है। इस प्रकार वे ऋण लेने वालों पर बंधन लगा देते हैं। बैंक के अधिकारी उधार लेने वाले से इस आशय का करार कर लेते हैं कि हालांकि वह संस्था समुचित रूप में ऋण अदा कर रही होती है उनकी सम्पत्ति कुर्क कर ली जाती है। यहां तक कि यह उनका प्रबन्ध मंडल सुदृढ़ होता है फिर भी उन्हें अनावश्यक स्टॉम्प शुल्क और ऊपरि खर्च अदा करने पड़ते हैं।

बैंक सम्बन्धी कारोबार के मामले में करार इस प्रकार के होते हैं जो केवल उधार देने वालों के हितों पर ध्यान देते हैं न कि उधार लेने वालों के हितों पर। खासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण लेने वालों को ऋण देने हेतु सरल प्रकार के करार किए जाने चाहिएं और उनकी प्रक्रिया भी सरल होनी चाहिए। अन्यथा इससे पहले मेरे मित्रों ने जो बताया है कि एक शब्द है—दस्तूरी जो कि बैंकों से ऋण लेने या अन्य प्रकार की राज-सहायता लेने के लिए देनी पड़ती है, वह प्रणाली जारी रहेगी और दिन-प्रतिदिन बढ़ती ही जायेगी।

[श्री विजय एन० पाटिल]

अन्त में इस संशोधन का समर्थन करते हुए मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार किसी शहरी क्षेत्र में पन्द्रह हजार की आबादी होने पर और वहां कोई शहरी बैंक न होने पर शहरी सहकारी बैंकों का पंजीकरण किया जाता है, उसी प्रकार मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि छोटे-छोटे इलाकों में, ग्रामीण क्षेत्रों में जहां ग्रामीण लोगों की, मजदूरों और खेतिहार मजदूरों की कम आबादी हो लेकिन फिर भी वे संगठित होकर अपना अंशदान करें तो वहां भी ग्रामीण सहकारी बैंक के लिए मंजूरी दी जाये। जिस प्रकार ऋण सहकारी समितियों को शहरी सहकारी बैंकों के रूप में परिवर्तित होने के लिए एक वर्ष में चार लाख रुपये तक का कारोबार अर्थात् उक्त राशि ऋण के रूप में देनी पड़ती है, उसी प्रकार सहकारी बैंकों के विकास हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में प्रोत्साहन देने के लिए ऋण की कम सीमा निर्धारित कर ग्रामीण सहकारी बैंकों के लिए स्वीकृति दी जानी चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री उमाकान्त मिश्र (मिर्जापुर) : सभापति जी, मैं सदन में प्रस्तुत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक संशोधन विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। इस देश के किसान, मजदूर और ग्रामीण क्षेत्र की जनता श्रीमती इन्दिरा गांधी को युगों-युगों तक याद करती रहेगी जिन्होंने इस देश के बैंकों का दरवाजा किसानों के लिए खोल दिया, कंगालों के लिए खोल दिया और मजदूरों के लिए खोल दिया। उसी का परिणाम है कि आज गांव की अर्थ-व्यवस्था में बड़ी तेजी से परिवर्तन हो रहा है। आज गांव-गांव में, प्रत्येक विकास खण्ड में 3-4 या 5 बैंकों की शाखाएं काम कर रही हैं। हमारे वर्तमान प्रधान-मन्त्री जी भी गांव-गांव में जाकर वहां हरिजनों, आदिवासियों से बातचीत करके पता लगा रहे हैं कि उन्हें बैंकों से सहायता मिल रही है, ऋण मिल रहा है यह बैंकों की कार्य-प्रणाली में सुधार के लिए क्या पग उठाये जाने आवश्यक हैं ताकि सभी लोगों को बैंकों का लाभ मिल सके।

हमारे वर्तमान प्रधानमन्त्री, श्री राजीव गांधी भी ग्राम विकास के लिए तत्पर हैं। हमारे बैंकिंग के राज्य मन्त्री श्री पुजारी जी भी विशेषरूप से दिलचस्पी ले रहे हैं। अपने राज्य में तथा दूसरे राज्यों में जगह-जगह ऋण मेले आयोजित किए जाते हैं उनमें ये स्वयं जाते हैं और देखते हैं कि इस प्रणाली में क्या दोष हैं क्या कमियां हैं और उनको हम किस तरह से दूर कर सकते हैं। मैं इस कार्यक्रम की प्रशंसा भी करता हूं। श्रीमन् ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों की शाखाओं की स्थापना से गांव के किसान ट्रैक्टर ले रहे हैं, पम्पिंग सैट्स ले रहे हैं, दुकान खोल रहे हैं, भैंस ले रहे हैं, गाय ले रहे हैं जिसके कारण गांव में आर्थिक विकास तेजी से हो रहा है। गांवों में विकास की गंगा बह रही है। लोग वहां बैठकर भले ही आलोचना करें और नुक्ताचीनी करें, लेकिन वास्तविकता यह है जो हम देखते हैं कि 90 प्रतिशत गांव के लोगों की छत पर जहां छप्पर था वहां खपरैल हो गई है और जो आदिवासी, हरिजन महिलाएं वर्ष में एक जोड़ा धोती भी नहीं खरीद पाती थीं, वे अब चार-चार जोड़ी धोती खरीद रही हैं। इसी प्रकार से हरिजन एवं आदिवासी भाइयों के जहां मकान कच्चे होते थे वहां अब वे एक-एक दो-दो पक्के कमरे का मकान बना रहे हैं। यह हम नहीं कहते कि सारा स्वर्ग हो गया या सारे गरीब अमीर हो गए या गरीबी एकदम खत्म हो गई, लेकिन गरीबी को खत्म करने की प्रक्रिया जारी है।

ग्रामीण क्षेत्रों में जो बैंक काम कर रहे है, उनसे काम तो हो रहा है, लेकिन उसमें दोष हैं। इसलिए उसमें सुधार करने की आवश्यकता है। इसलिए मैं इस बारे में कुछ सुझाव देना चाहता हूं।

पहला सुझाव तो मेरा यह है कि आई० आर० डी० पी० या बेरोजगारों, बिजनैस करने वालों को जो बैंकों से ऋण दिया जाता है, उसमें भ्रष्टाचार होता है। उसमें पिलफरेज हो रहा है। जो ऋण उसको मिलना चाहिए मिलता नहीं है। उसमें कुछ कट जाता है। वह ऋण उसको समय पर नहीं मिलता है। मजदूर, किसान और व्यापारी किसी को भी वह समय पर नहीं मिल पाता है और उसमें उनको कुछ हिस्सा देना पड़ता है जिसके कारण ऋण का उनको जितना फायदा होना चाहिए, नहीं हो पाता है। उसका सदुपयोग वे नहीं कर पाते हैं। इसलिए इसको दूर करने के लिए प्रत्येक 10 किलोमीटर की दूरी के अन्तर्गत बैंक की एक शाखा गांवों में जरूर खोली जाए। इससे सुविधा बढ़ जाएगी और ग्राम के लोगों को ऋण प्राप्त करने में ज्यादा दूर तक नहीं जाना पड़ेगा।

मेरा दूसरा उपयुक्त सुझाव यह है कि बैंक के मैनेजर और फील्ड आफीसर की सहायता के लिए एक "जन-सेवक" रखा जाए। वैसे बैंक का मैनेजर काम करता है और फील्ड आफीसर अभ्यार्थी के अभ्यावेदन पर विचार करता है और देखता है कि कौनसा उद्योग वह लगा रहा है और उसकी क्षमता है या नहीं आदि बातें वह सोच-समझ कर स्कूटिनी करता है, लेकिन फिर भी भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए बैंक मैनेजर और फील्ड आफीसर की सहायता के लिए एक जनसेवक रखा जाए। जैसे जिला स्तर पर ग्रामीण बैंकों में दो गैर सरकारी आंशिक डायरेक्टर नियुक्त करते हैं, वैसे ही और उसी आधार मेरा सुझाव है कि प्रत्येक ग्राम की शाखा में एक गैर सरकारी जनसेवक, जो पढ़ा-लिखा हो और ईमानदार हो, मैनेजर और फील्ड आफीसर की सहायता के लिए नियुक्त किया जाए। प्रत्येक ब्रांच में वह सप्ताह में एक बार बैठे और जितने भी आवेदनपत्र इस प्रकार के आते हैं, उनको देखे कि किस काम के लिए ऋण मांगा गया है और कितना मांगा गया है और वह समय पर दिया जाता है या नहीं और लाभार्थी को उस ऋण के बदले में घूस तो नहीं देनी पड़ रही है, ये सब बातें वह देखे। दूसरी बात यह भी वह देखे कि जो ऋण लिया गया है उसके बदले में वह काम शुरू किया गया है या नहीं और उस ऋण को लौटाया जा रहा है। ऋण को लौटाने की प्रक्रिया को भी ध्यान में रखा जाए, ताकि वह समय से अदा किया जा सके।

तीसरा मेरा सुझाव यह है कि बैंकों से जो ऋण दिया जाता है, उसको लेकर ग्रामीण लोग अपना काम करते हैं, लेकिन वे अपनी बचत को ग्रामीण में जमा नहीं कराते हैं। वे उसको शहर की बैंक में जाकर जमा कराते हैं। क्यों न उस बचत को गांवों की शाखाओं में जमा किया जाए। इस बारे में जो क्षेत्रीय सेवक हों, कार्यकर्ता हों, वे उनको ग्राम की शाखा से जमा करने में मदद करें। जो मदद करेंगे तो ग्रामीण क्षेत्र में जो बैंक काम कर रहे हैं वह सफलतापूर्वक काम करेंगे और उससे उनकी कार्यप्रणाली में जो दोष आया है, उस दोष में कमी आयेगी। कोई भी कार्यक्रम चाहे ग्रामीण क्षेत्र में हो चाहे शहरी क्षेत्र में हो, लोकतन्त्र में कोई भी कार्यक्रम, जनता का कार्यक्रम, जनता के सहयोग से ही सफल हो सकता है। जनता के सहयोग का तरीका यह है कि उस क्षेत्र के जो शिक्षित लोग हों, पढ़े-लिखे लोग हों, जन-सेवा की इच्छा रखते हों, ऐसे लोगों की कमेटी बना दी जाय, दो तीन आदमियों की, वह बैठकर इस कार्यक्रम में सहयोग दें।

श्रीमन्, अन्त में एक सुझाव मेरा यह है कि आप जिला स्तर पर जो निदेशक मण्डल बनाते हैं, बोर्ड आफ डायरेक्टर बनाते हैं उसमें सांसद या सांसद का प्रतिनिधि हो ताकि हम लोग यह देख सकें कि आपकी ग्रामीण बैंक की कार्यप्रणाली कैसे चल रही है, उसमें क्या दोष है। उसमें हमें कोई सलाह दे सकें, मदद दे सकें, सहायता दे सकें, हम न रहें तो हमारा कोई जागरूक प्रतिनिधि वहां बैठे।

इन सुझावों के साथ हम आपके विधेयक का समर्थन करते हैं और हम पुनः निवेदन करते हैं,

[श्री उमाकान्त मिश्र]

पुन: हम दोहराते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में जो बैंक खुले हैं उनसे ग्रामीण क्षेत्रों का तेजी विकास हो रहा है और विकास होगा और उसमें सुधार के लिए, उसकी कार्यप्रणाली में सुधार के लिए हमारे जो सुझाव हैं कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का सहयोग लिया जाय, जागरूक लोगों का सहयोग लिया जाय तो आपका कार्यक्रम तेजी से सफल होगा।

इन्हीं शब्दों के साथ समर्थन।

[अनुवाद]

श्री भद्रेश्वर तांती (कलियाबोर) : महोदय, निस्संदेह हमारे देश ने जनता की उस इच्छा को पूरा किया है जिसके लिए कि बैंकों का राष्ट्रीकरण किया गया है। मैं इस बात को मानता हूं। ये बैंक जनता के बहुत नजदीक आ गए हैं जिनके लिए इनका गठन किया गया था, और हमारे जैसे लोकतांत्रिक देश में उन्हें इसी तरह का होना चाहिए।

इस समय हम प्रादेशिक ग्रामीण बैंक (संशोधन) विधेयक, 1987 पर चर्चा कर रहे हैं। आपने सम्बन्धित निदेशक की शक्तियों तथा धन की मात्रा एक करोड़ से पांच करोड़ तक बढ़ाने के बारे में प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 में कुछ संशोधनों का विस्तार किया है। इस विधेयक का उद्देश्य अच्छा है। इससे जनता को लाभ होगा जिसके लिए सरकार ने वचन दिया है। लेकिन आपको इस बात पर ध्यान देना होगा कि सीजन में और सीजन के बाद भी जनता को जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है उन्हें पूरी तरह से दूर किया जा सके। इस समय किसानों का कुछ बैंक कर्मचारियों तथा कुछ बिचौलियों द्वारा भी शोषण किया जा रहा है। गरीब किसानों को बैंक कर्मचारियों और बिचौलियों के दरवाजे खटखटाने पड़ते हैं। वे इन बिचौलियों और बैंक कर्मचारियों के रहमोकरम पर हैं। इससे पूरी तरह बचा जाना चाहिए अन्यथा हम उस प्रयोजन को पूरा नहीं कर पाएंगे जो हमारे ध्यान में है। हालांकि ऋण प्राप्त करने के लिए किसानों को कुछ अपेक्षाएं पूरी करनी पड़ती हैं फिर उन्हें युक्तिसंगत होना चाहिए। नहीं तो उससे हमारा प्रयोजन पूरा नहीं हो पायेगा। गरीब लोगों की कठिनाईयों पर विचार करने तथा ऋण दिलाने के मामले में उनकी सहायता करने के लिए एक अभिकरण अवश्य होना चाहिए ताकि बिचौलिये उनको लूट न सकें। मैंने खुद देखा है कि कुछ ऐसे बैंक हैं जहां संसद सदस्य भी प्रबन्ध निदेशक अथवा प्रबन्धक से मिल नहीं सकते हैं। वे उनकी बात पर ध्यान नहीं देते। एक बार गुवाहाटी स्थित भारतीय स्टेट बैंक की शाखा के प्रबन्धक ने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया। मैंने उन्हें बताया कि मैं एक संसद सदस्य हूं लेकिन उन्होंने उन शिकायतों को नहीं सुना जिन्हें मैं उनके ध्यान में लाना चाहता था। यदि एक संसद सदस्य की यह नियति है और प्रबन्धक द्वारा एक संसद सदस्य के साथ इस प्रकार का व्यवहार किया जाता है तो मुझे नहीं लगता कि बैंक का एक साधारण कर्मचारी किसी गरीब किसान अथवा किसी गरीब श्रमिक को किसी प्रकार की कोई सहायता करेगा। अतः उस व्यक्ति को ऐसे कार्य सौंपे जाने चाहिएं जो जनता की गरीब किसानों और श्रमिकों की सेवा करने के लिए वचनबद्ध हो।

मैं पूर्वोत्तर राज्य से सम्बन्ध रखता हूं जो कि औद्योगिक दृष्टि से अत्यन्त ही पिछड़ा हुआ राज्य है और सरकार उस क्षेत्र विशेष के विकास के लिए लोगों की मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है। मैं नहीं जानता कि ऐसा क्यों है।

वहां बैंक जैसे अनेक संगठन नहीं है, जहां से गरीब लोग आसानी से ऋण आदि ले सकें। यदि वहां पर बैंक अथवा इसी प्रकार के अन्य संगठन है भी, तो वहां उन गरीब लोगों की मदद करने के लिए ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो उन्हें यह बता सके कि ये सुविधायें कैसे मिल सकती है और इनका लाभ कैसे उठाया जा सकता है। अत: कोई न कोई अभिकरण अवश्य होना चाहिए जो इन लोगों की, गरीब किसानों और श्रमिकों की मदद कर सके और उन्हें इन उपलब्ध सुविधाओं के बारे में बता सकें। इस उद्देश्य के लिए एक सम्पर्क अधिकारी का होना जरूरी है जो आवश्यक सहायता उपलब्ध करा सके। मेरे विचार से इस समय ऐसी कोई व्यवस्था विद्यमान नहीं है।

इसके अलावा, चारों ओर भ्रष्टाचार व्याप्त है। कोई भी इस बात से इंकार नहीं कर सकता। सरकार को भ्रष्टाचार दूर करने के लिए हर सम्भव प्रयास करने चाहिएं। इस समय बिचौलियों को ही सही मायनों में फायदा हो रहा है। गरीब लोगों को किसी प्रकार का फायदा नहीं होता है। यदि कोई किसान ऋण के लिए आवेदन करता है तो उसे ऋण तब तक नहीं मिलता है जब तक कि कोई उसकी सिफारिश न करे, चाहे उसने नियमों के अन्तर्गत सभी शर्तें पूरी कर ली हो। ऐसा क्यों है? जब वह सभी शर्तें पूरी करता है तो उसे आसानी से ऋण क्यों नहीं मिल सकता? उसे किसी न किसी राजनीतिज्ञ अथवा किसी अधिकारी अथवा बिचौलियों की सिफारिश चाहिए। तभी उसे ऋण मिल सकता है, अन्यथा नहीं। आजकल ऐसा ही हो रहा है। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जो व्यक्ति सभी शर्तें पूरी कर लेता है उसे आसानी से ऋण मिले। केवल तभी वास्तविक उद्देश्य पूरा होगा। एक कहावत है कि कालाधन मेहनत से कमाये हुए धन पर हावी हो जाता है। आजकल ऐसा ही हो रहा है। मेरा सुझाव है कि प्रादेशिक बैंकों आदि में गरीब किसानों की मदद करने के लिए कोई न कोई अभिकरण अवश्य होना चाहिए ताकि वे शर्तें पूरी करने पर आसानी से ऋण प्राप्त कर सकें।

यद्यपि मेरे पास बोलने के लिए अनेक विषय है लेकिन समय की कमी के कारण मैं अपना भाषण यहीं पर समाप्त करता हूं और मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

***श्री वी० कृष्ण राव** (चिकबल्लापुर) : सभापति महोदय, मैं प्रादेशिक ग्रामीण बैंक संशोधन विधेयक, 1987 का पूरे मन से स्वागत करता हूं।

हमारी स्वर्गीय नेता श्रीमती श्रीमती इन्दिरा गांधी एक ऐसी नेता थीं जिन्होंने हमारे देश से गरीबी के जड़ से खत्म करने के लिए निर्भीक और प्रगतिशील कदम उठाए। उनके द्वारा किया गया एक मुख्य कार्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण था। बैंकों के राष्ट्रीयकरण का मुख्य उद्देश्य अमीर और गरीबों के बीच बढ़ती हुई खाई को कम करना था। राष्ट्रीयकरण के तुरन्त बाद देश के कोने-कोने में विभिन्न बैंकों की शाखाएं खोली गई ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे गरीब लोगों की मदद की जा सके।

हमारे वर्तमान प्रधानमन्त्री श्री राजीव गांधी भी गरीब किसानों की उन्नति के लिए इसी दिशा में कार्य कर रहे हैं। भारत सरकार के ऋण-मेलों के कार्यक्रम का इस देश के लोगों ने व्यापक रूप से स्वागत किया है। हमारे माननीय राज्य वित्त मन्त्री श्री जनार्दन पुजारी ने ऋण-मेलों के इन कार्यक्रमों को जल्दी-जल्दी करने की प्रेरणा दी है। केवल बैंक और ऐसे कार्यक्रमों के द्वारा ही गरीब लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाया जा सकता है।

प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों द्वारा गरीब किसानों की सहायता करने के लिए प्रदान की गई सेवाएं

*मूलतः कन्नड में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[श्री वी० कृष्ण राव]

अपेक्षित स्तर की नहीं है। हम, इस देश के वासी और भारत सरकार इन बैंकों से आशा करते हैं कि वे अधिक कुशलता से कार्य करें ताकि इन बैंकों से अधिक से अधिक ग्रामीण लोगों को लाभ मिल सके।

इन बैंकों की पूंजी अधिक लोगों की सहायता करने के लिए पर्याप्त नहीं है। आवश्यकता अधिक पैसे की है जबकि उपलब्ध धनराशि बहुत कम है। 17,500 लोगों के लिए एक बैंक स्थापित करना उचित नहीं है। यदि हम अधिक से अधिक लोगों को ऋण तथा अन्य सुविधाओं का लाभ देना चाहते हैं तो बैंकों की अधिक से अधिक शाखाएं खोलनी होंगी। प्रत्येक पंचायत समूह में कम से कम एक बैंक की शाखा होनी चाहिए। यदि पंचायत का आकार बड़ा हो तो वहां बैंक की दो अथवा तीन शाखाएं हो सकती हैं। तभी ग्रामीण किसान और अन्य गरीब दस्तकार प्रगति कर सकते हैं। इस संशोधनकारी विधेयक का एक मुख्य उद्देश्य पूंजी को 1 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए करना है। मैं इस कदम का स्वागत करता हूं और माननीय मन्त्री श्री जनार्दन पुजारी जी को बधाई देता हूं। मैं एककदम और आगे बढूंगा और उनसे अनुरोध करूंगा कि वे इस पूंजी को निकट भविष्य में और बढ़ाएं।

पूंजी में वृद्धि करना अत्यन्त जरूरी है क्योंकि वर्तमान धनराशि समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, अन्त्योदय जैसे विभिन्न कार्यक्रमों के लिए पर्याप्त नहीं है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक भी ग्रामीण किसानों की मदद कर रहा है। लेकिन यह सहायता ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। यह धनराशि लोगों की आवश्यकताओं का दसवां भाग भी नहीं है। किसानों की कृषि-ऋणों के बारे में कुछ समस्याएं हैं। उन्हें केवल 5 और 10 हजार रुपए के बीच ऋण मिलता है और प्रायः यह ऋण तब मंजूर किया जाता है जब इसकी आवश्यकता नहीं रहती। फसल का मौसम समाप्त होने के बाद इस ऋण का कोई फायदा नहीं होता है। अतः मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे किसानों को कृषि-ऋण उपलब्ध कराने के लिए बैंक की शर्तों को उदार बनाएं। इस उद्देश्य के लिए मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 में संशोधन करने के लिए दूसरा विधेयक लाएं।

दूसरी महत्वपूर्ण बात, जिस पर मैं जोर देना चाहता हूं, बैंकों द्वारा गांवों का अंगीकरण करना है। जब तक यह नहीं किया जाता तब तक किसानों की उन्नति सम्भव नहीं है। धनराशि का एक बड़ा भाग शहरी क्षेत्रों में रहेगा और यह दूर-दराज के क्षेत्रों में नहीं पहुंच पाएगा। अतः मैं माननीय मन्त्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे यह सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त कदम उठाएं कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक बैंक कम से कम दो अथवा तीन गांवों को अंगीकार करे।

बैंक सेवा में व्याप्त भ्रष्टाचार के बारे में कुछ आलोचनाएं की जाती हैं। माननीय मन्त्री महोदय ईमानदार और मेहनती हैं। उनका लक्ष्य इस देश के गरीब लोगों की उन्नति करना है। यदि सभी सम्बन्धित लोग हमारे माननीय वित्त मन्त्री की भांति ईमानदारी से कार्य करें तो मुझे विश्वास है कि इस देश से गरीबी को जड़ से खत्म किया जा सकता है।

भारत सरकार द्वारा इस देश के कोने-कोने में विभिन्न ऋण-मेलों का आयोजन किया जाता है। विधवाओं और अन्य असहाय महिलाओं की सहायता करने के लिए भी ऋण मेलों का आयोजन किया जाता है। दुर्भाग्यवश ऐसे कार्यक्रमों में कुछ कठिनाइयां आ रही हैं। उदाहरण के तौर पर कर्नाटक के

माननीय मुख्य मन्त्री श्री रामकृष्ण हेगड़े इन कार्यक्रमों को सफलता में किसी तरह अपना सहयोग नहीं दे रहे हैं और दूसरी तरफ वह भारत सरकार द्वारा उठाए गए ऐसे प्रगतिशील कदमों के प्रति मार्ग में कठिनाइयां उत्पन्न कर रहे हैं। आयोजकों की सहायता करने की बजाय कर्नाटक सरकार की पुलिस ऐसे कार्यक्रमों में भाग लेने के इच्छुक लोगों को तितर-बितर कर देती है। अतः मैं माननीय मन्त्री महोदय से आग्रह करता हूं कि वे ऋण-मेला कार्यक्रमों का सुचारु रूप से संचालन करने के लिए इस सम्बन्ध में उपयुक्त कदम उठाएं जिनका उद्देश्य इस देश के गरीब लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाना है।

मैं इस बात की भी आशा करता हूं कि माननीय मन्त्री द्वारा ईमानदारी पूर्वक किए गए प्रयास तथा उनकी कड़ी मेहनत से इस देश के लोगों को प्रगति तथा समृद्धि के नए युग में प्रवेश करने में सहायता मिलेगी। महोदय मैं इस बात के लिए आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया और इन शब्दों के साथ ही मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री चिन्तामणि जेना (बालासोर) : सभापति महोदय, मैं इस बहुत छोटे परन्तु ग्रामीण गरीबों के लिए बहुत उपयोगी विधेयक पर कुछ शब्द कहने का अवसर दिए जाने के लिए आपका बहुत आभारी हूं। संशोधन विधेयक का समर्थन करते हुए मैं मन्त्री महोदय के विचारार्थ दो-तीन बातें कहना चाहता हूं।

प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों की समस्याओं को चार श्रेणियों में रखा जा सकता है : (क) प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के विकास में प्रादेशिक विषमताताएं, (ख) उनकी अर्थक्षमता, (ग) अतिदेय की समस्या और (घ) प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों में कार्यरत कर्मचारियों की समस्याएं।

वर्ष 1975 में नरसिंहम समिति ने ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनतम व्यक्ति को बेहतर बैंकिंग सेवा सुलभ कराने के लिए प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों की स्थापना की जोरदार सिफारिश की थी। इस सम्बन्ध में, मैं तत्कालीन माननीय प्रधान मन्त्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी, का हार्दिक आभारी हूं। उन्हीं की पहल पर प्रादेशिक ग्रामीण बैंक स्थापित करने का विचार बना। यद्यपि राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंकों की सेवाएं उपलब्ध थीं परन्तु उनका झुकाव शहरों की ओर था।

इसी प्रकार, सहकारी बैंक भी ऐसा कोई सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन नहीं ला सके जैसा कि तत्कालीन प्रधान मन्त्री, श्रीमती इंदिरा गांधी चाहती थीं। इसलिए, प्रादेशिक ग्रामीण बैंक स्थापित करने का आशय यह था कि ये बैंक ग्रामीण क्षेत्रों के कमजोर वर्गों के प्रति सहानुभूति रखेंगे। वर्ष 1976 में कामथ अध्ययन दल ने और 1977 में दांतवाला समिति ने भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों की भूमिका के महत्व को समझा था। विस्तार, जमाराशि संग्रह, ऋण प्रसार और ऋणों की वसूली के क्षेत्र में इसकी प्रगति वास्तव में प्रसंसनीय और स्मरणीय है। प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों की पूरे देश में लगभग 13000 शाखायें हैं। ये शाखाएं 10-12 वर्षों की अवधि में स्थापित हुई हैं। जमा राशि का संग्रह करने में प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों ने सराहनीय कार्य किया है हालांकि ग्रामीण पूंजी शहरी पूंजी की तुलना में कम थी। मैंने दिसम्बर' 1985 तक के आंकड़े एकत्र किए हैं। जमा राशि 1286 करोड़ रुपए थी। यह वास्तव में बहुत सराहनीय बात है। यह ठीक है कि प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों का ऋण प्रसार उनकी जमा राशि के संग्रह से अधिक रहा। यहां हमें यह बात भी अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि यह जमाराशि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले ग्रामीण गरीबों, कृषकों और निम्न मध्य वर्ग के लोगों से प्राप्त हो रही है। इस सम्बन्ध में, मैं यहां 2-3 आंकड़ों का

[श्री चिन्तामणि जेना]

उल्लेख करना चाहता हूं। 188 ग्रामीण बैंकों ने 1286 करोड़ रुपए की जमाराशि की तुलना में 1408 करोड़ रुपए के ऋण दिए। यहां मैं कहना चाहूंगा कि प्रादेशिक ग्रामीण बैंक के ऋण प्रसार और जमाराशि के संग्रह के प्रश्न पर विचार नहीं करना चाहिए। यदि हम यह शर्त लगा दें कि ऋण प्रसार के लिए धन देते समय जमाराशि को ध्यान में रखना चाहिए तो प्रादेशिक ग्रामीण बैंक स्थापित करने का सम्पूर्ण प्रयोजन पूरा नहीं हो सकता। प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों ने ऋण वसूली के मामले में भी प्रशंसनीय कार्य किया है। जहां सहकारी और राष्ट्रीयकृत बैंक प्राथमिकता क्षेत्र में अपना 50 प्रतिशत ऋण वसूल करने में भी कठिनाई अनुभव कर रहे हैं, वहां प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों ने लगभग 75 प्रतिशत ऋणों की वसूली कर ली है। दिसम्बर, 1983 तक 14,01,665 खातों में लगभग 18 लाख रुपए की वसूली बकाया थी जो कुल बकाया ऋण का लगभग 25 प्रतिशत है। यदि हम 1987-88 में जमा-ऋण राशि का अनुपात 100 : 180 लेते हैं तो यह किसी भी वित्तीय संस्था की तुलना में अधिक है। इसके अतिरिक्त, लगभग 75 प्रतिशत ऋणों की वसूली भी प्रादेशिक क्षेत्रीय बैंकों के बहुत प्रभावपूर्ण कार्यकरण की द्योतक है, विशेषकर ऐसी स्थिति में जब प्रादेशिक ग्रामीण बैंक किसानों को ऋण दे रहे हैं। किसान और ग्रामीण निर्धन व्यक्ति मुख्यतः कृषि पर निर्भर करते हैं जिसे प्राकृतिक आपदाओं और विभिन्न प्रकार की विषमताओं का जोखिम रहता है।

चिन्ता का विषय तो यह है कि प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों को वर्ष दर वर्ष हानि हो रही है। इस पर वास्तव में विचार किया जाना चाहिए और कुछ उपचारात्मक उपाय किए जाने चाहिए जिसके लिए मैं मन्त्रालय के विचारार्थ कुछ सुझाव दे रहा हूं। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक में दिसम्बर, 1986 तक उपलब्ध आंकड़ों से पता चलता है कि 191 प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों में से 141 प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों ने 89.6 करोड़ रुपये की हानि उठाई। इस प्रकार की हानि के लिए जिम्मेवार कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं: व्यापक शाखा विस्तार, शाखाओं में कम कारोबार तथा इसी प्रकार स्थापना लागत में वृद्धि और धनराशि का अपयोजन।

इस सम्बन्ध में, मैं दो उदाहरण दे सकता हूं। मेरे क्षेत्र में, प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के दो शाखा प्रबन्धकों ने रिकार्ड में गड़बड़ी करके कुछ हजार रुपये निकाल लिए। जब इस बात का पता चला तो दोनों फरार हो गए। यह देखा गया कि उनसे इस धनराशि को वसूलने के लिए उनकी कोई सम्पत्ति अथवा इस प्रकार की कोई वस्तु नहीं थी। वे सारी धनराशि हड़प गए। इन प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों को होने वाली हानि के मुख्य कारण हैं।

फिर भी, मैं सरकार और वित्त मन्त्री, विशेषकर वित्त राज्य मन्त्री, श्री जनार्दन पुजारी को बधाई देता हूं कि प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के कार्य पर निगरानी रखने तथा सुधार किए जाने वाले क्षेत्रों का सुझाव देने के लिए गठित कार्यदल की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है और उन सभी सिफारिशों को लागू किया जा रहा है।

संशोधन के मामले में भी मैं श्री पुजारी को बधाई देता हूं कि उन्होंने यह निर्णय कर लिया है, अथवा करने जा रहे हैं कि केन्द्रीय सरकार द्वारा दो गैर-सरकारी प्रतिनिधियों को निदेशकों के रूप में मनोनीत किया जाएगा। इस सम्बन्ध में, मैं यह कहना चाहता हूं कि वे दो गैर-सरकारी प्रतिनिधि ग्रामीण क्षेत्रों के होने चाहिए। उनमें भी वचनबद्धता होनी चाहिए और वे ग्रामीण जनता, ग्रामीण अर्थ व्यवस्था और कृषि के प्रति निष्ठावान होने चाहिए। इसके अतिरिक्त, मेरा अनुरोध है कि एक प्रसि-

निधि किसानों की ओर से होना चाहिए क्योंकि प्रादेशिक ग्रामीण बैंक ग्रामीण क्षेत्रों के लिए हैं जो मुख्यतः कृषि पर आधारित हैं।

इसके अलावा, मेरा यह भी कहना है कि अधिकार क्षेत्र का अतिव्यापन नहीं होना चाहिए। इस प्रस्ताव को मन्त्री महोदय के विचारार्थ प्रस्तुत करते हुए मैं उनसे केवल यह अनुरोध करता हूं कि प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के अधिकार क्षेत्र में लघु उद्योग लगाने के लिए अथवा कृषि प्रयोजन के लिए अथवा इसी प्रकार के किसी अन्य कार्य के लिए, चाहे जितनी भी धनराशि की आवश्यकता हो, धन देने हेतु प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों को अधिकार दिए जाने चाहिए ताकि अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक उस अधिकार क्षेत्र में प्रवेश न कर सकें।

अन्त में, मैं प्रादेशिक ग्रामीण बंकों के कर्मचारियों की समस्याओं के बारे में कुछ कहूंगा जिन्हें बहुत कम वेतन दिया जाता है। मैं उनकी तुलना अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों में सेवारत कर्मचारियों से नहीं करता। परन्तु उन्हें केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के बराबर वेतन तथा अन्य लाभ दिए जाने चाहिए क्योंकि ऐसा न किया जाना "समान कार्य के लिए समान वेतन" के मानदण्ड के बिल्कुल विपरीत है। भ्रष्टाचार का एक कारण कर्मचारियों को कम वेतन और अन्य लाभ दिया जाना है। इस बात पर विचार किया जाना चाहिए। इस असमानता से इस प्रकार का भ्रष्टाचार बढ़ रहा है जिसे दूर किया जाना चाहिए। प्रादेशिक ग्रामीण बैंक स्थापित करने के सम्बन्ध में यदि आप पूर्वोत्तर क्षेत्र देखें तो आप पाएंगे कि देश के अन्य क्षेत्रों की तुलना में पूर्वोत्तर क्षेत्र अधिक प्रादेशिक ग्रामीण बैंक स्थापित करने के मामले में पिछड़ रहा है। उड़ीसा, मध्य प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में, जहां गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत अधिक है, अधिक ग्रामीण बैंक स्थापित किए जाने चाहिए।

इन शब्दों के साथ ही मैं बोलने का अवसर दिए जाने के लिए आपका बहुत धन्यवाद करता हूं और इस विधेयक का पूरे मन से समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री राम नारायण सिंह (भिवानी) : सभापति महोदय, हिन्दुस्तान एक किसानों का मुल्क है और इसके अन्दर ये ग्रामीण बैंक खोले गए हैं, बहुत अच्छी बात है। जिस वक्त ये बैंक खोले गए थे, उस वक्त लोगों को बड़ी उम्मीदें थीं कि गांव के लोग जो साहूकार के चंगुल में फंसते थे, उनसे निकल जायेंगे और उनको बड़ा भारी फायदा होगा। जिन मैम्बर साहिबान का ताल्लुक ज्यादा देहात से है, उनको पता होगा और बहुत से सदस्यों ने बताया है कि इन बैंकों के अन्दर बड़ा भारी करप्शन है। इसलिए, गांव के जो अनपढ़ आदमी होते हैं उनको तो रुपया बिल्कुल नहीं मिलता है, जब तक वह रिश्वत नहीं देते। कुछ सदस्यों ने यह बताया कि पच्चीस परसेन्ट देते हैं और कुछ सदस्यों ने यह कहा कि दस्तूरी देते हैं। अगर चार हजार रुपया लेना है तो एक हजार देना पड़ता है। इसलिए जो फायदा किसानों को होना था, वह नहीं हो सका। जब सब सी० डी० देने का मामला आता है तो बैंक का मैनेजर पहले ही कह देता है कि इससे तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। यह सबसिडी तो गवर्नमेंट की है, इसलिए वह पहले ही ले लेता है। जिनका भी गांव से ताल्लुक है उनको मालूम है कि अनपढ़ आदमियों को बैंकों से फायदा नहीं होता है। गांव के जो पढ़े-लिखे आदमी हैं, नौकरी में हैं या किसी भी पार्टी के पोलिटिकल आदमी हैं उनसे रिश्वत नहीं ले सकते हैं। बाकी 90 फीसदी आदमियों को बिना रिश्वत के कर्जा नहीं मिलता है। यह सबसे बड़ी बीमारी करप्शन की है। मुझे पर्सनली मालूम है और ऑनरेबल मिनिस्टर साहब कहेंगे तो मैं मिसाल दे सकता हूं।

[श्री राम नारायण सिंह]

वैसे तो यह बैंक खोले गए, यह अच्छी बात थी, अमेंडमेंट हुआ यह भी ठीक है, लेकिन इस भ्रष्टाचार का इलाज होना निहायत जरूरी है। जहां तक बोर्ड आफ डायरेक्टर्स का सवाल है आपने फरमाया कि उस बैंक में दो नुमाइन्दे होंगे लेकिन यह दो डायरेक्टर मनोनीति किसानों से होने चाहिए, हरिजनों में से होने चाहिए, पंजाब-हरियाणा में हरिजनों के पास भी जमीन हो गई है वह भी किसान हो गए हैं। भूमि सुधार के अन्तर्गत जो सरप्लस एरिया था, पंजाब, हरियाणा हाई-कोर्ट के पास पैंडिंग पड़े केसेज के अलावा उसमें से हरिजनों को जमीन दी गई। सरदार प्रतापसिंह कैरो के जमाने में यह भूमि सुधार कानन पास हुआ और इसका इम्पलीमेंटेशन हुआ पंजाब में। इसलिए किसानों से दो नुमाइन्दे हों जिससे उनकी शिकायतें हैं वह एम० डी०, डायरेक्टर तक जा सकें। बैंकों में जो काम करते हैं वह सरकारी अधिकारी हैं। आज के दिन उनको हमदर्दी की जरूरत नहीं है। जो लोग हरियाणा में काम करते हैं उसमें जितने भी बैंक के कर्मचारी हैं उनके साथ हमदर्दी का मतलब नहीं है। आप अगर उनकी इन्क्वायरी कराएंगे, क्लर्क या मैनेजर्स की तो पाएंगे कि इन्होंने काफी धन जमा कर लिया है। भ्रष्टाचार रोकने के लिए कई माननीय सदस्यों ने कहा कि भ्रष्टाचार बन्द होना चाहिए, इस पर रोक लगाई जाए, लेकिन किसी ने यह सुझाव नहीं दिया कि क्या एक्शन होना चाहिए। मैं यह कहना चाहता हूं कि इसके अन्दर एण्टी करप्शन बोर्ड, विजिलेंस बोर्ड बनाया जाए जो भ्रष्टाचार की शिकायतें आए तो उन्हें मौके पर जाकर, गांवों में जाकर सुने और देखे। यह कहते है कि गांव में कोई काम करने को राजी नहीं है, ऐसी बात नहीं है। आप लोगों को तनख्वाह दें, पढ़े-लिखे बहुत से लोग आपको मिल जायेंगे, काम करने वालों की कमी नहीं है। अगर किसी बड़े आदमी को कहें कि फलां जगह भ्रष्टाचार हुआ है तो वह दूसरे आदमी से कहेगा और उसे भेज देगा। लोगों ने बहुत से एफेडेविट दे रखे हैं कि इतने लोगों ने पैसा खा लिया। ऐसे भी बहुत से केसेज हैं कि 10 हजार रुपए का कर्जा एक ने लिया, लेकिन सारा पैसा बैंक का आदमी खा गया, उसे पैसा नहीं मिला। जब बैंक से नोटिस मिला कि कर्जा जमा कराओ तो उसको पता चला कि मेरे नाम से यह कर्जा लेकर यह खा गए। इस तरह से बैंक में काफी भ्रष्टाचार है। आप डायरेक्टर उनको बनायें जो गांवों के हों, ईमानदार और लायक हों, वरना दूसरे लोग पैसा खा जायेंगे। आज जहां भी जाइए वहीं भ्रष्टाचार का मामला आता है। इसको हटाना नितंत जरूरी है। क्योंकि इससे सरकार की भी बदनामी होती है। यह बैंक इसलिए खोले गए थे ताकि गरीबों को, किसानों को कर्जा मिले और उनकी भलाई हो लेकिन सरकारी अधिकारी पैसा खाने लग गए हैं और बदनाम सरकार हो रही है।

अभी एक माननीय सदस्य ने फरमाया कि एक ऐसा कानून पास किया जाना चाहिए जिससे कर्जा माफ न हो। कर्जे तो अंग्रेजों के जमाने में भी माफ किए गए थे। आप जो अरब-पति हैं, खरब-पति हैं उनको तो तीन-चार सौ करोड़ रुपए तक माफ कर देते हो कि यह बैंक डेट हो गए, लेकिन गरीब किसान का दो हजार का, तीन हजार रुपये का कर्जा है उस पर आपत्ति कर रहे हैं। हमारे यूनाइटेड पंजाब में जो एक सरकार थी उसमें हमारे सर खिजर हयात खान तिवाना साहब थे जो सी० एम. रहे। उनके जमाने में सर छोटूराम किसानों के नुमाइन्दों थे और उन्होंने एक बिल लाकर किसानों का कर्जा माफ किया था, कर्जे में कई तरह की सहूलियतें दी थीं। अंग्रेजों के जमाने में तो सर छोटू राम ने कर्जा माफ कराया था और आज चौधरी देवीलाल ने 227 करोड़ रुपए के छोटे काश्तकारों, छोटे किसानों और मजदूरों के ऋण माफ कर दिए, जिनसे लाखों लोगों को फायदा हुआ। यहां एक ऑनरेबल मैम्बर ने कहा कि हरियाणा में तो धोखा देकर वोट ले लिए, लेकिन 5 महीने बाद जो तीन इलैक्शन्स हुए, उनमें भी आपने देख लिया, उनके परिणाम सबके सामने हैं, 5 महीने बाद तक तो वह

धोखा खत्म हो जाना चाहिए था। अब भी हम भारी वोटों से जीते हैं। वहां सब छोटे किसान, मजदूरों और दुकानदारों के कर्जे माफ किए गए हैं, जिनके कर्जे 10 हजार रुपये से कम थे। यदि आप यहां कोई ऐसा कानून पास करते हैं कि छोटे किसान मजदूरों और दुकानदारों के कर्जे माफ नहीं किए जायेंगे तो उसका परिणाम बहुत बुरा होगा। वैसा कानून पास करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। उसके स्थान पर यह व्यवस्था की जानी चाहिए कि जो व्यक्ति कर्जा वापस करने की स्थिति में नहीं है, उसका कर्जा माफ कर दिया जाए। इतना ही नहीं चौधरी देवीलाल ने तो हरियाणा में चुनाव घोषणापत्र में किए 90 प्रतिशत वायदे पूरे कर दिये हैं। यदि आप भी उनकी तरह काम करेंगे तो उसके अच्छे परिणाम सामने आयेंगे। चूंकि यहां एक मैम्बर साहबान ने कुछ फरमाया था, इसलिए मुझे कुछ कहना पड़ गया। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप शीघ्र एक एन्टी-करप्शन बोर्ड बनाकर, बैंकों से करप्शन दूर करने की कार्यवाही कीजिए ताकि लोग आपकी भी बड़ाई कर सकें।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : सभापति महोदय, सदन में प्रस्तुत रीजनल रूरल बैंक अमैंडमैंट बिल, 1987 का समर्थन करता हूं। हमारे देश के इतिहास में 19 जुलाई, 1969 का दिन स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा जबकि भूतपूर्व प्रधान मन्त्री, श्रीमती इन्दिरा गांधी, ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। उन्होंने किसी बात की परवाह नहीं की। उसके बाद कांग्रेस पार्टी में विभाजन हो गया परन्तु उन्होंने उसे भी सहन कर लिया। बैंकों के राष्ट्रीयकरण का साहसिक कदम उठाकर उन्होंने भारतवर्ष के ग्रामीण क्षेत्रों के तथा शहरी क्षेत्रों के लोगों को ऋण उपलब्ध कराने का अवसर प्रदान किया। उससे पहले यह स्थिति थी कि बैंकों के द्वारा पूंजीपतियों या उद्योगपतियों को ही ऋण उपलब्ध करवाए जाते थे। आज हम यह विधेयक पारित करने जा रहे हैं जिसके अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में भी बैंकों से ऋण उपलब्ध कराए जाएंगे। यह कार्य बहुत जरूरी था क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को आसानी से पहले ऋण नहीं मिल पाता था। दूसरे, हमारे देश के कई इलाके ऐसे हैं जहां के लोग ऋण वापस करने की स्थिति में नहीं हैं क्योंकि वहां कई-कई सालों से लगातार सूखा पड़ता आ रहा है। उदाहरण के लिए आप हमारे क्षेत्र को ही लीजिए, वहां लगातार 4 वर्षों से भयंकर अकाल की स्थिति बनी हुई है। काश्तकारों ने कोआपरेटिव, ग्रामीण बैंकों या आंचलिक बैंकों से कर्जे लिए हुए हैं परन्तु लगातार भयंकर अकाल पड़ने के कारण आज उनके सामने ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गयी है कि वे उस कर्जे की अदायगी नहीं कर पाएंगे। दूसरी ओर ऋण का ब्याज बढ़ता ही जा रहा है। अकाल की स्थिति में भी ब्याज में किसी तरह की कमी नहीं आती या वह सस्पैंड नहीं किया जाता। आज हमें इस दिशा में गम्भीरता से सोचने की आवश्यकता है कि अगर हम वास्तव मे किसानों की भलाई करना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में हमें क्या कदम उठाने चाहिए। एक ओर तो भयंकर अकाल के कारण सारी फसलें नष्ट हो चुकी हैं, किसान ऋण देने की स्थिति में नहीं हैं, दूसरी ओर उन पर ब्याज का भार बढ़ता ही जा रहा है। मेरे ध्यान में ऐसे केसेज आये हैं कि लोगों ने जितना कर्ज लिया था, ब्याज सहित वह रकम तीन गुनी या चार गुनी हो गयी है। उन पर दबाव डाला जाता है कि उस कर्ज को वापस करें। हमारे राजस्थान में सूदखोरों या साहूकारों के लिए पहले एक कानून बना था, जिसे 'दम्दूपत का प्रिन्सिपल' भी कहते हैं, उसमें ऐसी व्यवस्था थी कि यदि किसी किसान ने कर्जा लिया हुआ है तो ब्याज सहित उससे दुगने से अधिक रकम वसूल नहीं की जा सकती।

परन्तु बैंक्स न जो कानून हैं, वे इस प्रकार के है, चाहे वे कोआपरेटिव बैंक्स हों, चाहे कामर्शयल बैंक्स हों, चाहे वे ग्रामीण बैंक हों, दुगना-चौगुना कर्जा वसूल कर सकते हैं। तो यह स्थिति नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार का जो प्राविजन है, वह नहीं होना चाहिए। होना तो यह चाहिए कि दुगने से ज्यादा ऋण की वसूली किसी भी सूरत में न हो। चाहे कितना भी ऋण हो, लेकिन दुगने ऋण से ज्यादा

[श्री वृद्धि चन्द्र जैन]

वसूल किसी भी हालत में न हो, इस प्रकार का प्राविजन होना चाहिए। साहूकारों के लिए, मनी लैंडर्स के लिए, यह प्रावधान रखा गया है, तो बैंकों के लिए यह क्यों नहीं लागू किया गया। इसलिए साहूकारों के लिए जो प्रावधान है, वही बैंकों के लिए होना चाहिए और अपनाया जाना चाहिए।

जो विधेयक आपने प्रस्तुत किया है, उनके अनुसार स्पोंसर बैंक को आप रीजनल बैंक का चेयरमैन बनाएंगे। मैं इसको स्वीकार नहीं करता। सेण्ट्रल गवर्नमेंट को यह अधिकार थे कि वह स्पोंसर बैंक को चेयरमैन बनाए, लेकिन वह ग्रामीण हितों को ध्यान में नहीं रखेगी क्योंकि स्पोंसर बैंक सभी कामर्श्यल बैंक्स हैं। वे अर्बन इन्टरेस्ट को देखेंगी ग्रामीण इन्टरेस्ट को नहीं देखेंगी। मैं चाहता हूं कि स्पोंसर बैंक की जगह यदि नाबार्ड बैंक काम करना चाहे, तो करे, लेकिन स्पोंसर बैंक काम न करे। यह हम किसी भी सूरत में पसन्द नहीं करेंगे। क्योंकि उनका माइण्ड अर्बन ओरिएण्टेड होता है।

गांवों में जो मैनेजर्स होते हैं, जो सर्विस क्लास बैंकों में होती है, उनकी तनख्वाहें कम करने का निर्णय आपने किया है। मैं तो चाहता हूं कि जो कामर्श्यल बैंक शहरों में होते हैं, उनसे ज्यादा तनख्वाहें ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले मैनेजर और सर्विस क्लास को मिलनी चाहिएं क्योंकि हमारे जैसे रेगिस्तानी क्षेत्र में वे काम करते हैं, जो बड़े कठिन क्षेत्र हैं। अगर वहां पर तनख्वाहें कम मिलें तो वे कैसे काम करेंगे। उनको तो पहले ही काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए उनको किसी भी हालत में तनख्वाहें कम नहीं मिलनी चाहिएं। जो लोग कठिन क्षेत्रों में काम करते हैं, उनको कम और जो शहरों में काम करते हैं, उन्हें अधिक तनख्वाह मिले, यह कौन-सा दृष्टिकोण है? यह जो दृष्टिकोण है, यह सही नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र में जो देश की 80 प्रतिशत आबादी रहती है और जो किसान हैं और जिनकी आप तरक्की और उन्नति करना चाहते हैं, तो जो गांवों में मैनेजर हैं, उनकी तनख्वाहें कम नहीं होनी चाहिएं बल्कि जो शहरों में मैनेजर हैं, उनसे भी ज्यादा होनी चाहिएं ताकि वे जो करप्शन की बातें करते हैं, वे न हों,। जब आदमी को तनख्वाह कम मिलेगी तो वह करप्शन की बात करेगा यदि उसे पूरी तनख्वाह मिले तो वह करप्शन की बात सोचेगा भी नहीं।

अगर हमें हमारी ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था मजबूत करनी है, तो हमें बैंकों को मजबूत करने की आवश्यकता है। अभी भी हमारे देश में इस प्रकार की स्थिति है कि जब हम बैंकों से ऋण लेते हैं और वसूली होती है, तो उस वसूली का इतना दबाव होता है कि हमें मनी लैंडर से ऋण लेकर बैंकों को वापस करना पडता है। तो यह प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए। हमें कोशिश हमेशा यह करनी चाहिए कि हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करें और हमारे बैंक्स इसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा करें। इसके साथ ही मैं अपने भाषण को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

5.00 म० प०

[अनुवाद]

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : सभापति महोदय मैं विधेयक का समर्थन करता हूं। विधेयक के उपबन्धों से प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों में सुधार करने तथा ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए सरकार की चिन्ता का पता चलता है। वास्तव में बैंक ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस सच्चाई के अतिरिक्त हमारे देश के बैंकिंग इतिहास में अनेक उल्लेखनीय कार्य हुए हैं, उदाहरण के लिए 1955 में इम्पीरीयल बैंक को स्टेट बैंक में बदला

जाना बैंकों पर सामाजिक नियन्त्रण, और अन्त में हमारे देश में कुछ प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण। विशेषकर, राष्ट्रीयकरण के बाद से बैंकों और बैंक शाखाओं का असाधारण विस्तार हुआ है। इस सबके लिए सरकार बधाई का पात्र है। इसके बारे में कोई सन्देह नहीं है।

महोदय, मैं कुछ महत्वपूर्ण बातों को संक्षेप में बताना चाहता हूं जिन पर विचार किया जाना चाहिए। पहले तो, शाखाएं खोलने के मामले में विभिन्न मानदण्डों में और छूट दिए जाने की आवश्यकता है। वर्ष 1981 की जनगणना के अनुसार हमारी जनसंख्या 68.4 करोड़ है। इस कुल जनसंख्या का 76.3 प्रतिशत भाग अथवा 52.2 करोड़ व्यक्ति 5.76 लाख गांवों में रहते हैं। 5.76 लाख गांवों में से लगभग 78.5 प्रतिशत गांवों में प्रत्येक गांव की जनसंख्या 1000 से कम है और ये छोटे-छोटे गांव आर्थिक दृष्टि से बहुत कमजोर हैं। वर्ष 1982-85 के दौरान अपनाए गए वर्तमान मानदण्ड यह है कि ग्रामीण बैंक 17,000 की जनसंख्या के आधार पर शाखाओं का विस्तार कर सकते हैं। मुझे मालूम है कि पर्वतीय क्षेत्रों के लिए कुछ रियायतें हैं। किन्तु इन ग्रामीण क्षेत्रों तथा इन छोटे गांवों की सेवा करने के लिए और विस्तार करने हेतु शाखाएं खोलने के मामले में और अधिक ढील देने की आवश्यकता है। मुझे आशा है कि सरकार इस विषय पर सम्यक रूप से विचार करेगी।

शाखाएं खोलने के मामले में भी मुझे यह कहना है कि यहां तक कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्पष्ट क्षेत्रीय असमानताएं हैं। उदाहरण के तौर पर, हमारे देश में कुल 5059 ब्लाक हैं तथा कमी वाले ब्लाक अर्थात् ऐसे ब्लाक जहां मेरे द्वारा अभी बताए गए मानदंडों के अनुसार बैंक शाखाएं कम है, 1936 हैं। 4033 अतिरिक्त बैंक खोलने की आवश्यकता है।

अब विकास की वर्तमान गति की तुलना में शाखाओं के विस्तार को देखिए। इन कमियों को दूर करने के लिए मैं नहीं जानता कि कितने और दशकों की आवश्यकता होगी। इसलिए, मुझे यही कहना है कि इन कमियों को दूर करने के लिए अधिक ठोस प्रयास करने की आवश्यकता है।

मेरे अपने राज्य केरल में 151 ब्लाकों में से कमी वाले 15 ब्लाक हैं। इसलिए, मैं इस बात पर जोर दे रहा हूं कि ठोस प्रयास करने की अधिक आवश्यकता है।

हमें यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि संसाधन उपलब्ध नहीं हैं तथा शाखा तभी खोली जा सकती है जबकि संसाधन जुटाए जाएं। निस्सन्देह, यह सच है कि शाखाएं, तभी खोली जा सकती हैं जबकि वहां समुचित संसाधन हों। सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए पुरजोर प्रयास करने चाहिएं कि इन कमी वाले क्षेत्रों में पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हों ताकि शाखाएं खोली जा सकें।

मैं ग्रामीण ऋण की मात्रा के बारे में दो असमानताओं का भी उल्लेख करना चाहूंगा। इस विषय में विशेष रूप से हमें यह पता चला है कि जहां तक दक्षिण का सम्बन्ध है, दक्षिण में ग्रामीण ऋण की मात्रा लगातार कम हो रही है। वर्ष 1971 में कुल ग्रामीण ऋण में दक्षिणी क्षेत्र का हिस्सा केवल 51 प्रतिशत था किन्तु इस प्रतिशतता मे लगातार कमी आने के कारण यह 1980 में मुश्किल से 35 प्रतिशत रह गई। केवल 8 वर्ष की थोड़ी-सी अवधि में ही, दक्षिणी क्षेत्रों को मिलने वाली ग्रामीण ऋण की मात्रा 51 प्रतिशत से घटकर 35 प्रतिशत हो गई तथा इसमें लगातार और कमी हो रही है। इसलिए, मैं सरकार से यह आग्रह करूंगा कि इस सम्बन्ध में उचित ध्यान दिया जाए। यहां मैं यह भी निवेदन करूंगा कि शुरू-शुरू में प्रादेशिक बैंक सबसे पिछड़े जिलों को आवंटित किए गए थे अर्थात् ऐसे जिले जहां वाणिज्यिक बैंक तथा उनकी शाखाएं नहीं खोली गई हैं। वहां सहकारी समितियां भी बहुत कम हैं। किन्तु अब हमें यह पता चला है कि अधिक विकसित राज्यों तथा विकसित भागों में नये

[श्री जी० एम० बनातवाला]

प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिक खोले जा रहे हैं। यह एक गलत बात है जिसे रोका जाना चाहिए। आप विधेयक को पारित करने की जल्दी में हैं तथा वास्तव में ग्रामीण क्षेत्र भी अधिक तथा और अधिक सुविधाएं लेने की जल्दी में हैं। इसलिए, मैं संक्षेप में एक या दो मुद्दों का जिक्र करके अपना भाषण समाप्त करता हूं।

मैं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अपेक्षित कुशलता तथा दक्षता से युक्त समुचित जनशक्ति पर जोर दूंगा। शहर की ओर उन्मुख ये लोग यहां काम नहीं कर सकते तथा यहां लोगों की बहुत कमी है।

कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए संस्थागत ऋण से सम्बन्धित व्यवस्था की समीक्षा करने के लिए गठित शिवरामन समिति के प्रतिवेदन में यह कहा गया है कि :—

> "हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि आचार-व्यवहार सम्बन्धी परिवर्तन लाने तथा सही किस्म के ग्रामीण बैंकरों का विकास करने के लिए एक व्यवस्थित तथा संयुक्त प्रयास करना पड़ेगा। ये प्रयास विभिन्न क्षेत्रों जैसे भर्ती, प्रशिक्षण, पारिश्रमिक, जुर्माने आदि, में करना पड़ेगा।"

इसलिए, मैं सही मनोवृत्ति के ग्रामीण बैंकर रखने के लिए उचित प्रशिक्षण पर जोर दूंगा। यहां मैं विशेष रूप से खण्ड 3(ख) के बारे में अपना असन्तोष व्यक्त करूंगा। कुशल तथा प्रशिक्षित कार्मिकों की व्यवस्था करने का कार्य प्रायोजक बैंकों पर छोड़ दिया गया है। लोगों के प्रशिक्षण की देखरेख प्रायोजक बैंकों को करनी पड़ती है। किन्तु हम जानते हैं कि बैंकों में हमारी एक विशेष प्रकार की प्रवृत्ति होती है अर्थात जोखिम उठाने की कम तथा सुरक्षा अधिक। लेकिन ग्रामीण तथा पिछड़े क्षेत्रों में इससे काम नहीं चलेगा। अधिक जोखिम उठाने तथा कम सुरक्षा की मांग करने के बारे में सही दृष्टिकोण अपनाना पड़ेगा। इसलिए, मैं इस बात पर जोर दूंगा कि कार्मिकों का सही रवैया होना चाहिए तथा उन्हें उचित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। महोदय, भर्ती बैंकिंग सेवा बोर्ड के माध्यम से की जाती है तथा मुझे आश्चर्य है कि बैंकिंग सेवा बोर्ड के माध्यम से कार्मिक भर्ती करने में लगभग 1-1/2 वर्ष का समय लग जाता है। क्यों? मैं नहीं जानता। फिर भी इस बारे में कुछ तो करना ही पड़ेगा ताकि बिना विलम्ब के स्थानीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों से उचित कार्मिकों की व्यवस्था की जा सके। इसलिए, इस बारे में आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिएं।

महोदय, ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने के लिए वर्तमान प्रोत्साहन भी पर्याप्त नहीं हैं। समय की कमी के कारण मैं इस विषय पर विस्तार से नहीं कहना चाहता। परन्तु मैं सरकार से यह आग्रह करना चाहूंगा कि प्रोत्साहन दिए जाएं। ये कुछ टिप्पणियां हैं। सरकार वास्तव में ग्रामीण क्षेत्रों तथा पिछड़े क्षेत्रों की आवश्यकताओं के प्रति जागरूक है। इसलिए, यह विधेयक लाया गया है जिसके लिए मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं तथा जो टिप्पणियां मैंने की हैं उन पर सरकार द्वारा आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिएं। आपका धन्यवाद।

सभापति महोदय : माननीय सदस्यों को मैं यह सूचित करना चाहता हूं कि यह वाद-विवाद 5.30 म० प० पर समाप्त हो जाएगा। इसलिए, मैं सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे अपनी बात संक्षेप में कहें। माननीय मन्त्री कल वाद-विवाद का उत्तर देंगे।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : सभापति महोदय, मैं प्रादेशिक ग्रामीण बैंक (संशोधन)

विधेयक का समर्थन करता हूं। महोदय, प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के कुल मिलाकर ग्रामीण लोगों की बैंक सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमारे देश में एक उल्लेखनीय कार्य किया है। महोदय, बैंकों के राष्ट्रीयकरण होने के काफी समय बाद यह महसूस किया गया था कि वाणिज्यिक बैंक ग्रामीण क्षेत्रों तथा दूर-दूराज के क्षेत्रों में जाने में इच्छुक नहीं हैं इसलिए, प्रादेशिक ग्रामीण बैंक खोलने का विचार किया गया तथा यह ठीक ही किया गया। हमारे देश की कार्यप्रणाली ऐसी है कि मुख्यतः गांवों का देश होते हुए भी यहां का प्रशासनिक ढांचा तथा प्रशासनिक प्रणाली दुर्भाग्यवश शहरोन्मुख है तथा जब तक मजबूर न किया जाए कोई भी प्रशासक अथवा प्राधिकारी ग्रामीण लोगों की समस्याओं तथा शिकायतों को दूर करने के लिए गांवों में नहीं जाएगा। इसलिए, उस पृष्ठभूमि में प्रत्येक क्षेत्र में कुछ वर्षों से यह एक बहुत ही बढ़िया तथा स्वागत योग्य परिवर्तन हुआ है। कल्याण कार्यों आदि का विस्तार करने जमाराशि जुटाने तथा ऋण सुविधाओं के क्षेत्र में, इस प्रणाली ने, प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों ने वास्तव में अच्छे परिणाम हासिल किए है तथा उनका कार्य निष्पादन उल्लेखनीय है। मैं इस बात के विस्तार तथा आंकड़ों में नहीं जाऊंगा कि उन्होंने कैसे विस्तार किया किंतु केवल एक ही वाक्य में कहना चाहूंगा कि 1980 में 141 जिलों में 87 प्रादेशिक ग्रामीण बैंक थे तथा छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक 341 जिलों में 193 प्रादेशिक ग्रामीण बैंक हो गए।

महोदय, इसके अतिरिक्त निर्धारित लक्ष्य से अधिक बैंक खोले गए अर्थात् 270 जिलों में 170 प्रादेशिक ग्रामीण बैंक खोले गए। प्रादेशिक ग्रामीण बैंक खोलने तथा जमा राशि जुटाने दोनों ही में लक्ष्य निर्धारित लक्ष्यों से अधिक रहे। जहां तक जमा राशि जुटाने का सम्बन्ध है, 1976 में यह राशि 40 लाख रु० थी परन्तु 1977 में बढ़कर 30.7 करोड़ रु० हो गई तथा अब 1985 में यह 1,286 करोड़ रु० है।

जहां तक ऋण का सम्बन्ध है, ऋण सदैव ही जमा की गई राशि से अधिक दिया गया। मन्त्री जी संशोधनों के साथ सभा में उपस्थित हुए हैं। बैंकों के प्रशासन तथा कार्य-निष्पादन बारे में प्राप्त अपने अनुभव के आधार पर उन्होंने इसकी आवश्यकता महसूस की है।

इस संशोधन के बारे में मुख्यतः चार बातें हैं। सबसे पहली बात यह है कि उनकी पुरोधृत पूंजी 25 लाख से बढ़कर एक करोड़ रु० हो गई है। जहां तक प्राधिकृत पूंजी का सम्बन्ध है, यह एक करोड़ से बढ़कर 5 करोड़ रु० हो गई है। इस पर कोई आपत्ति नहीं की जा सकती। वास्तव में इस विधेयक को सभा के सभी वर्गों का पूरा-पूरा समर्थन प्राप्त है।

जहां तक निदेशक बोर्ड का सम्बन्ध है, केन्द्रीय सरकार दो निदेशक मनोनीत करेगी इससे पूर्व वे बैंक द्वारा मनोनीत किए जाते थे किन्तु अब उन्हें केन्द्रीय सरकार मनोनीत कर सकती है। परन्तु मैं यह कहना चाहूंगा कि जहां तक चेयरमैन का सम्बन्ध है, अब तक चेयरमैन केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता रहा है परन्तु अब प्रायोजक बैंक को अपना चेयरमैन नियुक्त करने का अधिकार होगा। इस सम्बन्ध में कुछ असंगतियां हैं। जैसा कि आप जानते हैं, बैंक प्रबन्धकों की श्रमिक विरोधी तथा जनविरोधी प्रवृत्ति के विरुद्ध कुछ संसद सदस्यों समेत भारतीय राष्ट्रीय मजदूर संघ कांग्रेस द्वारा प्रदर्शन या धरना दिए जाने के कारण कल शून्य काल के दौरान काफी हल्ला-गुल्ला हुआ। चेयरमैन की नियुक्ति यदि सरकार द्वारा नहीं की जाती तो मेरे विचार से सरकार की बैंक नीति उचित रूप से कार्यान्वित नहीं हो सकती। सही लोगों को सही किस्म का कार्य दिया जाना चाहिए। यह बहुत ही आवश्यक बात है। सभा में प्रायः यह आरोप लगाया जाता है कि बैंक अधिकारियों द्वारा सरकारी नीतियों को उचित रूप में कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है। वास्तव में श्री जनार्दन पुजारी बैंक

[श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही]

अधिकारियों को एकदम डांटते हैं तथा गलती करने वाले अधिकारियों को खुले रूप में डांटते-फटकारते हैं। (व्यवधान)

महोदय, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मुझे कुछ और समय दिया जाए।

यह बहुत ही ध्यान देने योग्य बात है कि बैंक अधिकारियों द्वारा बैंक नीतियां सही रूप में कार्यान्वित नहीं की जा रही हैं तथा उनका सही रूप में अनुसरण नहीं किया जा रहा है, इसलिए चेयरमैन तथा अन्य निदेशकों की नियुक्ति के लिए एक जागरूक नीति अपनाने की आवश्यकता है।

गैर-सरकारी व्यक्तियों के बारे में मेरा विशिष्ट अनुभव है। उड़ीसा में बोलंगिर आंचलिक ग्राम्या बैंक के एक गैर-सरकारी निदेशक ने मुझे एक पत्र लिखा है कि चूंकि वह प्रबन्धकों के कुकृत्यों का भंडा-फोड़ रहे हैं, इसलिए निदेशक बोर्ड से उन्हें हटाने की धमकी दी जा रही है। इन हालातों पर गौर कीजिए। जहां तक कर्मचारियों की नियुक्ति का सम्बन्ध है, हम इस कार्य को बैंक सेवा आयोग को सौंप रहे हैं। यह एक असंगत बात है क्योंकि इसका अर्थ होगा विभिन्न वेतन ग्रेडों के लोगों की विभिन्न बैंकों में भर्ती। एक ही बोर्ड विभिन्न वेतनमानों में विभिन्न बैंकों के लिए कर्मचारियों की भर्ती भी करेगा। परन्तु कर्मचारियों का गांवों के प्रति झुकाव, गांवों के प्रति रुचि नहीं होगी तथा उनका ग्रामीण दृष्टिकोण नहीं होगी। इसलिए, हम यह नहीं कह सकते कि प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों में ग्रामीण विचारधारा अथवा ग्रामीण दृष्टिकोण का विकास हुआ है। इसलिए, मैं यह कहूंगा कि कर्मचारियों के लिए उचित प्रशिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। इन ग्रामीण बैंकों को 20-सूत्री कार्यक्रम, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम तथा अन्य ऐसे कार्यक्रमों में, जिनमें ग्रामीण गरीब लोगों को को कम ब्याज दर पर ऋण देने की व्यवस्था हो, अधिक भूमिका दी जानी चाहिए।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य का समय समाप्त हो गया है।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : बोलांगिर आंचलिक ग्रामीण बैंक, जो अब तीन जिलों के लिए कार्य करता है काफी दुर्वह हो गया है, इसलिए इसका विभाजन किया जाना चाहिए। सम्बलपुर जिले तथा सुन्दरगढ़ जिले के लिए एक अलग ग्रामीण बैंक होना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

सभापति महोदय : श्री पीयूष तिरकी जी अब आप बोलिए।

[हिन्दी]

श्री राजकुमार राय (घोसी) : सभापति जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमें भी बोलने का अवसर दीजिए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब समय नहीं है। अब काफी देर हो चुकी है।

श्री राजकुमार राय : मैं आपसे पहले ही अनुरोध कर चुका हूं।

श्री पीयूष तिरकी (अलीपुरद्वार) : सभापति महोदय, विधेयक के उद्देश्य और कारणों के कथन

में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि ऋण लेने वाले से कोई जमानत नहीं ली जाएगी। हर जगह, यदि किसी व्यक्ति के पास थोड़ी सी भूमि या इसी प्रकार कोई अन्य सम्पत्ति हो, तो आप प्रत्याभूति के आधार पर उसे ऋण देते हैं। यदि किसी गरीब व्यक्ति के पास जमानत के रूप में कुछ भी देने को नहीं है तो कोई भी उसे ऋण देना पसंद नहीं करता। आप उस गरीब व्यक्ति को यह ऋण किस प्रकार देंगे जबकि आप उसे जमानत देने के लिए मजबूर करते हैं और उसके पास जमानत देने के लिए ऐसी कोई चीज नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे लोगों की संख्या ज्यादा है जो गरीब और शोषित हैं। उनका शोषण करने के लिए अनेक शोषक हैं। आप अपने ऋण द्वारा उसे कैसे सहायता प्रदान करेंगे? इस सम्बन्ध में इस विधेयक में कुछ भी नहीं कहा गया है। मैं सर्वप्रथम आपको कुछ सुझाव देना चाहूंगा। भारत सरकार भी दूसरे देशों से ऋण ले रही है। उनके देशों ने भारत के विकास में मदद करने के लिए दीर्घकालीन आधार पर ब्याज की अत्यन्त थोड़ी दर पर ऋण दिया है। आप विश्व बैंक और अन्य अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संगठनों से ऋण ले रहे हैं। उन्होंने आपको बिना कोई ब्याज लिए 10 अथवा 20 वर्ष के लिए ऋण दिया है और इस अवधि के बाद आप केवल 2 अथवा 1 प्रतिशत ब्याज दे रहे हैं। आप इसी व्यवस्था को गरीब लोगों पर भी क्यों नहीं लागू करते हैं? आप उन्हें यह क्यों नहीं बताते हैं कि 10 अथवा 5 वर्ष तक कोई भी ब्याज नहीं लिया जाएगा। जब किसानों को साधन मिल जाएंगे तो तब आप न्यूनतम ब्याज ले सकते हैं, ताकि सरकारी पैसे की हानि न हो। धन की वापसी अथवा भुगतान तभी होगा जब ऋणी के पास धन वापस करने के लिए कुछ संसाधन उपलब्ध होंगे। आपके विधेयक में इस बात का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। तभी ग्रामीण लोग आपका और सरकार का धन्यवाद करेंगे।

कोई भी व्यक्ति आपके ऋण मेलों और ऋण देने के लिए इस सम्बन्ध में बनाए गए खंडों और धाराओं के बारे में नहीं जानता है। मुझे इस बात का अनुभव है। लोग ऋण के लिग आवेदन करते हैं। कुछ बैंक कुक्कुट पालन के लिए ऋण दे रहे हैं। किसानों को धन की आवश्यकता है। लेकिन उन्हें कुक्कुट पालन के बारे में कोई ज्ञान नहीं है। केवल उन व्यक्तियों को धन मिलेगा जो कुक्कुट में रुचि रखते हैं। अतः बैंक के लोग कहेंगे कि आप केवल "कुक्कुट" लिखिए। चाहे आप इसमें रुचि रखते हों अथवा नहीं। अतः इस प्रकार वह उन्हें उपकृत करता है और 50 प्रतिशत धनराशि इसमें चली जाती है। एक बकरी खरीदने के लिए भी ऐजेंट है। वह ऐंजट कहेगा कि मैं इसकी व्यवस्था कर दूंगा। चूंकि किसान को बिना कुछ किए हुए मिल रहा है इसीलिए वह "हां" कह देता है। ऋण बिचौलियों की मदद से मंजूर किया जाता है और इस प्रकार बाजार से बकरी आ जाती है। किसान खुश है क्योंकि उसे किसी प्रकार का भुगतान किए बिना बाकरी मिल गई है। वह अत्यन्त प्रसन्न है कि "बाबू" ने प्यार से उनके लिए बहुत बड़ा काम कर दिया है। लेकिन जब उसे धनराशि का भुगतान करना पड़ता है, जब मूलधन और ब्याज की वसूली शुरू होती है और जब बैंक के लोग उसके पास आते हैं तो वह कहता है कि "क्या हुआ, मैंने तो इतना पैसा नहीं लिया"। मुझे केवल 100 रुपए चाहिए। लेकिन बाबू कहता है कि 5,000 रुपए उपलब्ध हैं। ग्रामीण बैंक में इस प्रकार का संशोधन करने से उन ग्रामीण लोगों का शोषण होगा जिनके पास वैध धन है। वे ग्रामीण लोगों को इस प्रकार अधिक धन देकर मार देते हैं। उनके पास देने को कुछ नहीं है। अतः ग्रामीण लोग भी ग्रामीण क्षेत्रों में रहने में असुविधा महसूस करेंगे। बैंक उन्हें अधिक धन देगा और वे समृद्ध हो जायेंगे। यह संशोधन ग्रामीण लोगों की मदद करेगा।

5.25 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।]

[श्री पीयूष तिरकी]

मेरा यह सुझाव है कि आप उन्हें ऋण दें। आपको उस व्यक्ति को यह समझा देना चाहिए कि यह ऋण कोई बख्शिश नहीं है और उसे यह ऋण एक निर्धारित अवधि में लौटाना होगा और यदि वह ऋण नहीं लौटा सकता है तो उसे इस पर ब्याज देना पड़ेगा और सम्पूर्ण धनराशि एक निश्चित अवधि में लौटानी होगी। यदि वह निश्चित अवधि में ऋण नहीं लौटाता है तो उसकी भू-सम्पत्ति अथवा जो कुछ भी सम्पत्ति उसके पास है, उसे बैंक जब्त कर लेगा। उसे ऋण देने से पहले आप यह बात अवश्य बता दें। यदि आप यह कहते हैं कि यह बख्शिश है तो ऋण वापस नहीं होगा। यह सरकारी पैसा है। यदि किसान इस पैसे को खा जाता है तो आप इसकी चिन्ता न कीजिए।

मेरा सुझाव यह है कि किसानों के लिए एक योजना होनी चाहिए जिसके अन्तर्गत उन लोगों को किसी भी ब्लाक में प्रशिक्षण दिया जा सके जो सूअर पालन अथवा कुक्कुट पालन अथवा किसी दस्तकारी के लिए ऋण लेते हैं। उन्हें इस सम्बन्ध में प्रशिक्षण दिया जा सकता है कि पशुपालन क्या है, पशुओं के कैसे पाला जाए और कुटीर उद्योग में दस्तकार कैसे कार्य करें। लोगों को प्रत्येक ब्लाक में इस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। आपको उन्हें प्रशिक्षण देने के बाद ही ऋण देना चाहिए। तभी आप अपना ऋण वापस ले सकते हैं और तभी ग्रामीण बैंक का उद्देश्यपूर्ण होगा।

अन्यथा, ग्रामीण लोग चुनाव आने पर बाहर चले जाते हैं। वे कुछ पैसा लेना चाहते हैं। केन्द्रीय सरकार के अधिकारी आते हैं और पैसा बांटते हैं। ग्रामीण लोग समझते हैं कि उन्हें यह पैसा मुफ्त में बांटा जा रहा है। आपने त्रिपुरा में ऐसा ही किया है। सरकारी पैसे को ब्याज सहित वसूल किया जाना चाहिए।

श्री बिपिन पाल दास (तेजपुर) : बंगाल में भी ऐसा ही हुआ है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री पीयूष तिरकी : यदि आप वास्तव में गरीब लोगों से प्यार करते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना चाहते हैं, तो आपको दीर्घावधि के लिए ऋण देने चाहिए। 5 से 10 वर्ष तक कोई भी ब्याज नहीं लिया जाना चाहिए। इसके बाद 1 अथवा 2 प्रतिशत ब्याज लिया जाना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति के पास ब्याज देने के लिए संसाधन नहीं हैं, तो आपको उससे ब्याज नहीं लेना चाहिए। मुझे आशा है कि आप मेरे सुझाव पर ध्यान देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मन्त्री कल उत्तर देंगे।

5.30 म० प०

सभा पटल पर रखे गए पत्र

—[जारी]

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम के अन्तर्गत अधिसूचना

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : मैं, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम 1944 के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या 254/87-के० उ० शु०, जो 25 नवम्बर, 1987 को

भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसका आशय 1 मार्च, 1987 की अधिसूचना संख्या 60/87-के० उ० शु० का अतिक्रमण करते हुए केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ के अध्याय 54 और 55 के अन्तर्गत आने वाले मानव निर्मित फैब्रिक पर बिक्री कर के स्थान पर उक्त फैब्रिक के पने के आधार पर अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क की प्रभावी दरें निर्धारित करना है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 5105/87]

श्री जी० एम० बनातवाला (पौन्नानी) : महोदय, इन सब बातों को कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि इस कागज पत्र को सभा की कार्यवाही स्थगित होने से पूर्व तुरन्त सभा पटल पर रखा जाना है। आपने इसकी अनुमति कैसे दे दी ? (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं। उन्होंने इस सम्बन्ध में पहले ही अनुरोध किया है।

श्री जी० एम० बनातवाला : प्रश्न यह है कि अभी हमें आधे घंटे की चर्चा करनी है।

उपाध्यक्ष महोदय : बनातवाला जी वह पहले ही अनुरोध कर चुके हैं और आपने भी इसे स्वीकार किया है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : इस सम्बन्ध में वह पहले ही अनुरोध कर चुके हैं।

श्री जी० एम० बनातवाला : इस शर्त पर कि वह कल बढ़िया उत्तर देंगे ···(व्यवधान) इसे कार्यवाही वृत्तांत से न निकाला जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको उस समय उनके उत्तर को भी कार्यवाही वृत्तांत से निकालने के लिए नहीं कहना होगा।

(व्यवधान)

5.31 म० प०

आधे घण्टे की चर्चा

वरिष्ठ अधिकारियों का विदेशों में प्रशिक्षण

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : सभा में अब आधे घण्टे की चर्चा की जाएगी। डा० गौरी शंकर राजहंस अब आप बोलिए। मैं आपको बोलने के लिए 10 मिनट दे रहा हूं। आप कृपया संक्षेप में बोलिए।

[हिन्दी]

डा० गौरी शंकर राजहंस (झंझारपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, आज हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, उस पर पूरे देश का ध्यान लगा हुआ है। पिछले तीन चार महीनों से देश के प्रमुख अखबारों

[डा० गौरी शंकर राजहंस]

में इस बात की चर्चा हो रही है कि आइ० ए० एस० और आइ० पी० एस० अफसरों को अमेरिका और इंग्लैण्ड ट्रेनिंग के लिए भेजा जा रहा है। ग्यारह नवम्बर को जब इस बात की चर्चा सदन में हुई तो आपने देखा होगा कि करीब-करीब पूरा हाउस खड़ा हो गया और लोग इतने सरचार्ज थे कि अध्यक्ष महोदय को कहना पड़ा कि इस पर हम अलग से डिबेट देंगे। मैं इस बारे में एक खास बात कहना चाहता हूं। मन्त्री जी ने अपने जवाब में कहा कि हम आई० ए० एस० और आई० पी० एस० अफसरों को अमेरीका, इंग्लैण्ड या पश्चिम के देशों में ट्रेनिंग के लिए नहीं भेज रहे हैं, हम तो ट्रेनर्स को ट्रेनिंग के लिए भेज रहे हैं। टीचर्स को ट्रेनिंग के लिए भेज रहे हैं। फैकल्टी मैम्बर्स को ट्रेनिंग के लिए भेज रहे हैं। इस बारे में दो बातें हैं। एक तो फैकल्टी मैम्बर्स में थ्री-फोर्थ डेपुटेशन पर आए हुए हैं आइ० ए० एस० और आइ० पी० एस०। इस बात की चर्चा मन्त्री महोदय ने नहीं की। वे तीन-चार वर्ष के लिए फैकल्टी में आते हैं और फिर वापिस चले जाते हैं। नाक किसी भी तरह पकड़िए, बात वही हो जाती है कि आप आइ० ए० एस० और आइ० पी० एस० को ट्रेनिए के लिए भेजना चाहते हैं। मैं एक एनेक्डोट आपको बताऊंगा। जब औरंगजेब ने शाहजहां को कैद कर लिया तो उसने शाहजहां से कहा, पिताजी मैं आपको एक अनाज खाने के लिए दे सकता हूं और एक काम दे सकता हूं, आप चुन सकते हैं क्योंकि शाहजहां ने औरंगजेब से कहा, मैं भूखा मर जाऊंगा एक अनाज खाने के लिए दो और कोई एक काम मुझे करने के लिए दो। शाहजहां ने कहा मुझे खाने के लिए चना दो और चने का कोई भी प्रिपरेशन होगा तो मैं खा लूंगा और उसके बदले में तुम्हारे बच्चों को पढ़ा दूंगा। औरंगजेब ने कहा, पिताजी पहली बात मुझे मंजूर है, दूसरी बात मुझसे चालाकी मत कीजिए। आप मेरे बच्चों को जो पढ़ायेंगे, वह मेरे खिलाफ पढ़ायेंगे। मैंने तो आपको इस उम्र में आकर कैद किया, वह तो मुझे कभी भी कैद कर लेगा। ट्रेनिंग का मतलब है कि आप कुएं में भाग डाल रहे हैं जिससे कि सारे के सारे ट्रेड लोग पोल्युटेड हो जायेंगे। यह जो मल्टीप्लायर इफेक्ट मन्त्री जी कहते हैं कि बहुत से लोगों को ट्रेनिंग देंगे, वह इफेक्ट जरूर होगा लेकिन रिवर्स डायरेक्शन में होगा। मैं अपनी बात बताता हूं। मैं अमेरिका में बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ा हुआ हूं। यह बताना चाहूंगा कि वहां क्या होता है। जब मैं वहां विद्यार्थी के रूप में गया तो शुरू-शुरू में नया था। हमें ओरियन्टेशन के लिए बुलाया गया। वहां पर छोटे-छोटे अपार्टमेंट होते हैं। मन्त्री जी भी अमेरीका की यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए हैं। मेरे अपार्टमेंट के बगल में एक पाकिस्तानी लडका रहता था। कभी उसका मेल मेरे अपार्टमेंट में आ जाता था और कभी मेरा मेल उसके अपार्टमेंट में चला जाता था। एक सर्कुलर लैटर आया कि डीन आपसे मिलना चाहते हैं, उन्होंने पाकिस्तान के विद्यार्थियों को बुलाया था। वैसे भी हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के लोगों की शक्ल एक जैसी ही होती है, ज्यादा फर्क नहीं है। मैं संयोग से वहां पहुंच गया। पाकिस्तानी लोगों को भी पता नहीं लग सकता कि कौन पाकिस्तानी है या कौन हिन्दुस्तानी। उस मीटिंग में वहां के डीन ने कसकर हिन्दुस्तान को गालियां दी और कहा कि पाकिस्तान के लोगों तुम में कुछ भी समझ है तो हिन्दुस्तान के खिलाफ आवाज उठाओ। चुपचाप उस मीटिंग से चला आया। मैं वाकया देता हूं कि वहां क्या होता है। अमरीका में कोई भी फाउण्डेशन ऐसी नहीं है जो सी० आई० ए० की गिरिफ्त से बाहर हो। हमारे अफसर जो पढ़ने के लिए आते हैं वह एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टीविटीज इंवल्व करते हैं···

श्री राजकुमार राय (घोसी) : मन्त्री जी के बारे में तो आपका यह खयाल नहीं है?

डा० गौरी शंकर राजहंस : मन्त्री जी तो मेरे बहुत अच्छे जानकार हैं। आप जन मोर्चा टाइप की बात करते हैं···(व्यवधान)

बात बहुत गम्भीर है, आप इस बात को नहीं मानिये, लेकिन आने वाली पीढ़ी आपसे कहेगी कि आपने देश के हित में ठीक निर्णय नहीं लिया। आप इस बात को मानिये कि वहां जाकर लोग क्या करते हैं। मैंने इसके बारे में पढ़ा है। जितने लोग विदेशों से ट्रेनिंग लेकर आए हैं उसमें से कितने प्रतिशत लोग वापिस उस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं, मैंने अखबार में पढ़ा है कि 10 प्रतिशत भी नहीं हैं। देश का कितना खर्च हुआ, रिसोर्सेज का कितना नुकसान हुआ, इस मुल्क को कितना फायदा हुआ यह आप बतायें।

आपने भी पढ़ा होगा कि जब वाई० बी० चव्हाण रक्षा मन्त्री थे। एक आई० ए० एस० ऑफिसर उनके विभाग का अमरीका में ट्रेनिंग के लिए हारवर्ड गया था। वहां उसने बातचीत के सिलसिले में अपने प्रोफेसर को कह दिया कि हिन्दुस्तान में ऐसी केपेबिलटी है कि वह टाइम बम बना सकता है। उसके दो महीने बाद हमने पोखरण में छोटा-सा विस्फोट किया। उस प्रोफेसर ने तुरन्त वाशिंगटन में खबर कर दी थी। उसके बाद उस अफसर को वापिस बुलाया गया और अनुशासनात्मक कार्यवाही हुई। लेकिन हमारा तो काफी नुकसान हो गया ठीक है हम डिफेंस पर्सोनेल को वहां नहीं भेज रहे हैं, लेकिन आई० ए० एस० और आई० पी० एस० के पर्सोनेल भी विदेशों में जाएंगे और स्ट्रेटेजिक पाइंट पर काम करेंगे तो हमारा बड़ा नुकसान करेंगे। यदि उनकी ओरिएंटेशन ट्रेनिंग हो जाए कि तुम वहां माइनोरिटी के खिलाफ बोलो, दंगे करवाओ तो इस देश का क्या होगा ? आई० ए० एस० को आप ऐसा नहीं बना दें कि वह भस्मासुर हो जाए। हिन्दू मैथोलोजी में भस्मासुर वह था जिसको देवताओं ने बनाया था और उसे यह सिद्धि थी कि जिसके ऊपर हाथ रखेगा वह खत्म हो जाएगा। उसने देवताओं पर ही हाथ रखना शुरू कर दिया।

मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र की बात बताता हूं। हमारे यहां जो फलड आया वह पिछले 150 साल में भी ऐसा नहीं आया। रिकार्ड की बात यह है कि डी० एम० वहां का, अपने बंगले से बाहर नहीं निकला, जब हमने शोर किया तो उनका प्रमोशन कर दिया गया। ऐसी ही एक और बात है कि एक कमिश्नर के घर पर पर सी० बी० आई० ने रेड किया और चालीस लाख रुपए रिश्वत के पकड़े ···उस उस कमिश्नर ने एण्टीसीपेटरी बेल ले ली और वह छूट गया। आज वह व्यक्ति आई० ए० एस० लोगों को डांट कर रखता है, उन्हें कूड़ा-करकट समझकर व्यवहार करता है। यदि आप उसे फौरेन ट्रेनिंग दे देंगे तो फिर वह लोगों को क्या समझेगा, यह आ समझ सकते हैं। हम इस तरह अपने देश में ब्राउन साहब पैदा करते जा रहे हैं। वैसे तो हम एपार्टहाइड की बात करते हैं परन्तु अपने देश में जो एपार्टहाइड आ रहा है, उसकी ओर हमारा ध्यान नहीं जाता है। आज स्थिति यह है कि एक आई० ए० एस० का लड़का पढ़ लिखकर आई० ए० एस० बन जाता है, एक आई. पी. एस. का लड़का पढ़ लिख कर आई. पी. एस. बन जाता है क्या आप कोई ऐसा उदाहरण बता सकते हैं जहां कोई किसान का लड़का आई. ए. एस. या आई. पी. एस. बना हो। एक भी नहीं क्योंकि वह अंग्रेजी धाराप्रवाह बोल नहीं सकता, पब्लिक स्कूलों में नहीं पढ़ा हुआ होता। इसीलिए मैं आपसे कहूंगा कि इस देश में आई. ए. एस. लोगों में पहले से ही एक धारणा यह बनी हुई है कि वे अपने आप को दूसरों से सुपीरियर समझते हैं, फिर यदि उनको विदेशों में कोई ट्रेनिंग और मिल गई तो वह उनकी धारणा और ज्यादा बढ़ जाएगी। आखिर हमारे अपने मैनेजमेंट इंस्टीट्यूटस में क्या खराबी है, हमारे देश में एक से बढ़कर एक मैनेजमेंट इंस्टीट्यूटस हैं। कौन सा ऐसा स्किल है जो हमारे लोग नहीं कर सकते। आज हम स्वयं सुपर-कम्प्यूटर बनाने की स्थिति में हैं, हमारे पास सारी कैपेबिलिटीज मौजूद है तो क्या हम लोगों को ट्रेनिंग नहीं दे सकते। विदेशों ट्रेनिंग के नाम पर क्या होता है, वह सब जानते हैं। इसलिए मैं कहूंगा कि यदि आप लोगों को ट्रेनिंग दिलवाना ही चाहते हैं तो यहीं ट्रेनिंग दिलवाइये या जापान में ट्रेनिंग

[डा० गौरी शंकर राजहंस]

दिलवाइये। आज जापान ने अमेरिका को बीट करके रख दिया है, वह हर क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ गया है। उसकी मैनेजमेंट टैकनीक्स दुनिया में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। आप कहेंगे कि जापान में लैंग्वेज की प्रोब्लम आती है लेकिन वर्किंग इंग्लिश वहां भी चलती है, इंग्लिश की वर्किंग नौलेज से वहां काम चल जाता है। चाइना का उदाहरण हमारे सामने हैं, जहां मैं अभी होकर आया हूं। आज वहां के लोगों ने चाइना को एक खूबसूरत मुल्क बना दिया है जो दूसरों के सामने उदाहरण प्रस्तुत करता है। वहां एक भी बीमारी नहीं, एक भी मक्खी नहीं। इसलिए यदि आप ट्रेनिंग के लिए अधिकारियों को विदेश भेजना ही चाहते हैं तो चाइना भेजिए, जापान भेजिए। इन शब्दों के साथ मैं कहूंगा कि आप हिन्दुस्तान को हिन्दुस्तान ही रहने दीजिए, उसे इंग्लिस्तान मत बनाइए, उसे अमेरिकिस्तान मत बनाइए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : पहले आप उनके प्रश्न का उत्तर दीजिए और तत्पश्चात् वे प्रश्न पूछेंगे।

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेन्शन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : महोदय, मैं यह चर्चा उठाने के लिए माननीय सदस्य डा० राजहंस का आभारी हूं। मैं महसूस करता हूं कि हमें 5 जनवरी, 1955 को प्रधानमन्त्री के प्रथम भाषण के तुरन्त बाद प्रशिक्षण नीति पर विचार करना चाहिए था और विभिन्न संवर्गों के लिए प्रशिक्षण योजनाएं तैयार करनी चाहिए थीं।

महोदय, यदि आप मुझे इजाजत दें तो मैं अपने 11 नवम्बर को दिए गए उत्तर के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। प्रश्न यह था कि : "क्या सरकार का भारतीय प्रशासनिक सेवा के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों अथवा भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए ब्रिटेन और अमेरिका भेजने का प्रस्ताव है।" मैंने इसका एकदम स्पष्ट उत्तर दिया था कि कोलम्बो योजना, संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम और अन्य कार्यक्रमों के अन्तर्गत प्रशासकों और प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण देने के लिए चल रहे कार्यक्रमों के अलावा क्षमता विकास के प्रस्ताव पर ही अभी विचार करना शुरू किया गया है।"

महोदय, मैं सभा को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जहां तक प्रशासकों तथा संकाय सदस्यों को प्रशिक्षण देने का प्रश्न है, इस नीति में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। वस्तुत कुछ भी जोड़ा नहीं गया है और प्रारम्भिक स्थिति में जिस बात पर विचार किया जा रहा है वह यह देखना है कि क्या हम क्षमता विकास के लिए कुछ और अवसरों का उपयोग कर सकते थे।

महोदय, जहां तक प्रशासकों के प्रशिक्षण का सम्बन्ध है, चूंकि माननीय सदस्य डा० राजहंस ने मुख्य रूप से भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों का उल्लेख किया है, इसलिए मैं केवल तथ्यों पर आधारित एक विवरण देना चाहता हूं। भारतीय प्रशानिक सेवा अथवा भारतीय पुलिस सेवा के ही अधिकारी विदेशों में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए नहीं जा रहा है। यह सरकार बहुत पहले सत्ता में आ गई थी, बहुत पहले मैं मन्त्री बन गया था। अन्य बहुत सी सेवाएं और विभाग अल्पावधि, मध्यम अवधि और दीर्घावधि पाठ्यक्रमों हेतु अपने अधिकारियों को बाहर भेजते रहे हैं। पिछले दो दशकों से कार्मिक विभाग केन्द्रीय प्राधिकरण के रूप में प्रतिवर्ष औसतन लगभग 150 अधिकारियों को भेज रहा है।

विदेश जाने वाले अधिकारियों की संख्या बहुत ही कम है। यह कुल संख्या का छठा हिस्सा है।

वित्त मन्त्रालय, इस्पात, कोयला, दूर संचार और बहुत से अन्य मन्त्रालयों से अधिकारी बाहर जा रहे हैं। उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। वे दो सप्ताह, तीन सप्ताह, चार महीने और छः महीने के अल्पकालिक पाठ्यक्रमों के लिए जा रहे हैं।

इस समय हम यह विचार कर रहे हैं कि क्या हमें उनके अनुभव का देश में ही मार्गदर्शी सिद्धान्तों के रूप में समावेश नहीं करना चाहिए? दो वर्षों में अच्छी बातें हुई हों। प्रशिक्षण में नयी पहल हुई है। निष्क्रिय तथा उपेक्षित संस्थाओं और भारत में उपकरण, पैसा न मिलने, उचित दर्जा तथा प्रोत्साहन न मिलने के कारण उपेक्षित संकाय, में अब एक नया जीवन आया है। देश में प्रशिक्षण के नए व्यापक प्रयास हुए हैं।

हमने साठ संस्थाओं को राष्ट्रीय और केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थाओं के रूप में निर्दिष्ट किया है। राज्य सरकारें 25 संस्थाओं को चला रही हैं-उनमें से कुछ की स्थिति बहुत अच्छी है तथा कुछ संस्थाओं का दर्जा बढ़ाया जा रहा है। इन 85 संस्थाओं में संकाय हैं। शिक्षा और सतत शिक्षा के किसी भी माध्यम में सदैव एक सिद्धान्त होता है, जिसे क्षमता सुधार या क्षमता विकास के नाम से जाना जाता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इसे क्षमता सुधार कहता है; हम इसे क्षमता-विकास कहते हैं। 1983-84 में, जब इन्दिरा जी प्रधान मन्त्री थी, तब सरकार ब्रिटेन की पांच संस्थाओं में प्रणाली-विज्ञान में प्रशिक्षण हेतु अल्पावधि पाठ्यक्रम में 30 संकाय सदस्यों को भेजने का कोलम्बो योजना प्रस्ताव स्वीकार किया था। यहां पर मैं सम्मानित सभा से अनुरोध करूंगा कि मेरी बात सुनें। क्या पढ़ाया और इसे कैसे पढ़ाया जाए, इस बात में बहुत अन्तर है। हम प्रणाली-विज्ञान के विषय में बात कर रहे हैं। प्रणाली-विज्ञान अब सीधे व्याख्यान देना मात्र नहीं है। अध्यापन की अनेक नई विधियों का विकास हुआ है और हमारे प्रमुख विश्वविद्यालय विभिन्न तरीकों का परीक्षण कर रहे हैं।

पिछले पांच वर्षों से 30 संकाय सदस्य जा रहे हैं और यह इस सरकार के आने तथा मेरे मन्त्री बनने से पहले प्रारम्भ हुआ था। 30 संकाय सदस्य प्रतिवर्ष पांच संस्थाओं को जाते रहे हैं परिणाम-स्वरूप इस अनुव से प्राप्त लाभों का हमने देश के भीतर लाभ उठाया है। इन पांच संस्थाओं में से एक संस्था स्लाउकालेज आफ हायर एज्युकेशन है संकाय सदस्यों के स्लाउ कालेज आफ हायर एज्युकेशन जाने से आज हम भारत में प्रशिक्षण सामग्री तथा तीन संस्थाओं को तैयार करने में समर्थ हुई है। कृपया मेरे शब्दों पर ध्यान दें, संस्थाएं हैं:—आई० एस० टी० एम०, नई दिल्ली, ए० टी० आई०, कलकत्ता, और ए० टी० आई० मैसूर। हम इन तीनों संस्थाओं के भीतर अपने ही प्रशिक्षक विकास कार्यक्रम चलाने के लिए प्रशिक्षण सामग्री का विकास कर पाए हैं।

वह कैसे हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उनके संकाय सदस्य विदेश गए, वापस आए और वापस आकर वहां से सीखी बातों का समावेश देश में किया। इसके अतिरिक्त आई० एम० जी०, त्रिवेन्द्रम के दो संकाय सदस्य तथा हरिश्चन्द्र माथुर आर. आई. पी. ए, जयपुर के दो संकाय सदस्यों को प्रशिक्षक के रूप में प्रशिक्षित किया गया है। वे नए प्रणाली-विज्ञान, नए अध्यापन, पाठ्यक्रम परिवर्धन और पाठ्यक्रम सामग्री परिवर्धन की जानकारी प्राप्त करने पर ही वापस आने और यहां से सीखी बातों का देश में समावेश करने तथा देश के भीतर अपनी ही प्रशिक्षण सामग्री का परिवर्धन करने में समर्थ हुई हैं।

हमने कहा है कि ये संकाय सदस्य ब्रिटेन में केवल पांच संस्थाओं में जाते रहे हैं, क्या हम अन्य संस्थाओं का भी पता लगा सकते हैं जहां प्रणाली-विज्ञान और अध्यापन में प्रशिक्षण के लिए अधिक

[श्री पी० चिदम्बरम्]

लोगों को भेज सकें। हमने दो दलों को बाहर छान-बीन करने, कृपया छान-बीन शब्द पर गौर करें, के लिए भेजा था, कि क्या-क्या उपलब्ध है। धन राशि आवंटित करने का वादा नहीं किया गया है, कोई निर्णय नहीं लिया गया है तथा किसी को भेजा नहीं गया है।

जहां तक प्रशासकों के प्रशिक्षण का सम्बन्ध है, कोलम्बो योजना के अन्तर्गत 1952 में और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 1966 में इसे, प्रारम्भ किया गया। बहुत से और देश हैं। मैंने जल्दी से एक सारिणी बनायी है। ब्रिटेन में लगभग 150 स्थान, अमेरिका में 35 स्थान, जपान में चार स्थान उपलब्ध हैं और मैं यह नहीं कह रहा हूं कि हम उन्हें जापान नहीं भेज सकते हैं हमने भेजा है और हम भेज सकते हैं। हमारे चार स्थान हैं तथा हम और अधिक का प्रयास कर रहे हैं। 5 स्वीडन में उपलब्ध हैं, 16 फ्रांस में तथा 12 से 18 नीदरलैंड में उपलब्ध हैं। मेरा कोई दुराग्रह नहीं है। डा० राजहंस उत्तरी कैरोलीना विश्वविद्यालय गए थे तथा मैं किसी दूसरे विश्वविद्यालय में गया था। लेकिन मुझे कोई पूर्वग्रह नहीं है। आज हम उनको विभिन्न देशों को भेज रहे हैं। अब प्रश्न यह है कि क्या इन कार्यक्रमों को रद्द करने के बारे में मेरे पास कोई आदेश है। 1952 में, जब पण्डित जवाहर लाल नेहरू प्रधान मन्त्री थे, प्रारम्भ किए गए कार्यक्रमों का विस्तार इन्दिरा जी के शासनकाल में कोलम्बो योजना और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम तथा स्वीडन, फ्रांस, जापान और नीदरलैंड से अन्य सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत किया गया था। उस सभी कार्यक्रमों को रद्द करने का आदेश क्या मेरे पास है? ये कार्यक्रम चल रहे हैं। क्या आप सोचते हैं कि हमें उनको इंग्लैंड नहीं भेजना चाहिए? ठीक है, हम उनको इंग्लैंड नहीं भेजेंगे। यदि आप सोचते हैं कि हमें जापान ज्यादा लोग भेजने चाहिए, तो हम उनको जापान भेजेंगे। लेकिन यदि हम उनको जापान भी भेजते हैं, यदि हम उनको नजोया, जापान स्थित संयुक्त राष्ट्र संस्था में भेजते हैं तो पहले हमें किसी व्यक्ति को यह पता लगाने के लिए भेजना पड़ेगा कि जापान में क्या-क्या उपलब्ध है, स्वीडन में, नीदरलैंड, में यूगोस्लाविया में, स्कैंडिनेवियाई देशों में क्या उपलब्ध है। अपने कमरे में बैठकर मैं यह नहीं जान सकता हूं कि वहां क्या उपलब्ध है। मुझे इस संबंध में छान-बीन करनी होगी।

महोदय, मेरा निवेदन है कि डा० राजहंस यह सुझाव नहीं दे रहे हैं कि मुझे उन नीतियों और कार्यक्रमों, जो कि पण्डित जवाहर लाल नेहरू के समय में आरम्भ किए गए थे और जो इन्दिरा जी के समय में जारी रहे और जिनका विस्तार हुआ, को उलटना चाहिए। 1983-84 में कोलम्बो योजना शुरू की गयी थी। मेरा विचार है कि कम से कम डा० चिन्ता मोहन कार्यक्रम का विरोध नहीं करेंगे। कार्यक्रम का परिवर्णी शब्द प्रशिक्षक विकास कार्यक्रम (टी० डी० पी०) है। कम से कम आप इस बात से सहमत होंगे कि टी० डी० पी० एक खराब परिवर्णी शब्द नहीं है। हम केवल यही कहने का प्रयास कर रहे है कि अब पांच संस्थाएं हैं। क्या उनको उन्हीं पांच संस्थाओं में जाना चाहिए?

डा० गौरी शंकर राजहंस : नहीं, नहीं।

श्री पी० चिदम्बरम् : क्या हम धन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं और उनको दूसरी जगह नहीं भेज सकते हैं? प्रणाली-विज्ञान सीखने के लिए क्या हम उनको कुछ अन्य संस्थाओं में नहीं भेज सकते हैं? मेरा निवेदन है कि हम उनको तीन क्षेत्रों—अध्यापन, पाठ्यक्रम परिवर्धन और पाठ्यक्रम सामग्री परिवर्धन में सीखने के लिए भेज रहे हैं। इन तकनीकों में 3 सप्ताह, 4 सप्ताह या 5 सप्ताह 6 सप्ताह तक प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात वे वापस आ जायेंगे। मेरे विचार में यह कहना गलत है कि इन 4-6 सप्ताहों में उनमें घुसपैठ हो जायेगी, वे निष्ठाहीन हो जायेंगे···(व्यवधान)

श्री सुरेश कुरूप (कोट्टायम) : फोर्ड फाउन्डेशन से वित्तीय सहायता प्राप्त…

श्री पी० चिदम्बरम् : मैं उसका जवाब दूंगा। मैं इसका खण्डन नहीं कर रहा हूं। मैं उसको छिपा नहीं रहा हूं। तथ्य यह है कि फोर्ड फाउन्डेशन इनमें से कुछ कार्यक्रमों को पहले से ही धन दे रहा है। इस सरकार के आने के बहुत पहले से ही यह हो रहा है। मैंने देखा है कि प्रशिक्षण के लिए व्यक्तियों को भेजकर यह पैसा बर्बाद किया जा रहा था। इसलिए मैंने कहा कि प्रशिक्षण के लिए भेज-कर हम पैसा क्यों बर्बाद करें? यदि कुछ पैसा है तो कुछ संस्थाओं और विश्व विद्यालयों में हमें यह पता लगाने के लिए दो दल भेजने चाहिए। कि वहां क्या-क्या उपलब्ध है, वे वापस आयेंगे।

श्री सुरेश कुरूप : इसमें फोर्ड फाउन्डेसन को क्या करना है?

श्री पी० चिदम्बरम् : मैंने पैसा नहीं लिया है। आर्थिक कार्य विभाग पहले ही इस पैसे को ले चुका है। इस पैसे का उपयोग व्यक्तिगत प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए किया जाता है। मैंने कहा है कि यह पैसे की बर्बादी है। इस धन का उपयोंग यह पता लगाने में किया जाना चाहिए कि संस्थाओं में क्या-क्या उपलब्ध है और तब आपको निर्णय करना चाहिए कि हमें कहां जाना है। क्या वे पांच संस्थाओं में गये हैं?

प्रो० एन० जी० रंगा (गुन्टूर) : वे वापस आकर हमारे लोगों को प्रशिक्षित करेंगे।

श्री पी० चिदम्बरम् : वे वापस आकर हमारे लोगों को प्रशिक्षित करेंगे। संक्षेप में यही मैं कहने का प्रयास कर रहा हूं। मेरा उद्देश्य ठीक वही है जो आपके दिमाग में है। हमें शीघ्र ही अपने यहां विदेशों से सीखी बातों का समावेश करना चाहिए, हमें शीघ्रता से अपनी शक्ति का विकास करना चाहिए। दो वर्षों के दौरान पांच संस्थाओं में मैं इसे पहले ही कर चुका हूं। उन संस्थाओं के नाम मैं बताऊंगा। आई० एस० टी० एम०, ए० टी० आई०, कलकत्ता—मेरी इच्छा है कि श्री बसुदेव आचार्य ए० टी० आई० कलकत्ता, ए० टी० आई० मैसूर, एच० सी० एम० आर० आई० पी० ए० जयपुर और आई० एम० जी० त्रिवेन्द्रम जायें।

हमें स्वदेशीकरण करना है। लेकिन हमारे यहां 85 संस्थायें हैं। वहां हमें स्वदेशीकरण करना है। 4-6 सप्ताहों के लिए एक या दो संकाय सदस्यों को हमें इस प्रणाली-विज्ञान की जानकारी देनी है। वे वापस आयेंगे। उदाहरण के लिए, मेरी समझ में नहीं आता कि माननीय डा० चिन्ता मोहन परेशान क्यों हैं। जब हमने आपके मुख्यमन्त्री से बात की थी, तो उन्होंने कहा था कि हम 25 लाख रु० देंगे। उन्होंने मुझे मुख्यमन्त्री की अध्यक्षता में नये भवन का उद्‌घाटन करने के लिए आमन्त्रित किया था। मैं कहता हूं कि हमारे कुछ संकाय सदस्यों को, अल्प कायेक्रम के लिए विदेश भेजा जाना चाहिए। वे आ सकते हैं और हमारे संकाय को सम्पन्न कर सकते हैं। जब मैं जयपुर जाता हूं मुख्यमन्त्री इसे चाहते हैं। जब मैं कहीं जाता हूं मुख्यमन्त्री इसकी मांग करते हैं।

व्यक्तिगत रूप से मेरा यह विचार है कि पंडित जी और इन्दिरा जी के समय में प्रारम्भ किये गये कार्यक्रमों को रद्द करने का आदेश मेरे पास नहीं है… (व्यवधान) मैं आपकी चेतावनी को ध्यान में रखूंगा। मैं प्रयास करूंगा। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। आप व्यवधान नहीं डाल सकते हैं।

श्री पी० चिदम्बरम् : पैसा, पैसा है। आर्थिक कार्य विभाग जो मुझे देता है वह पैसा है। मैं

[श्री पी० चिदम्बरम्]

एक उपभोक्ता हूं। आर्थिक कार्य विभाग मुझे देता है। जहां तक मेरा सम्बन्ध है, वे कहते हैं, धन उपलब्ध है, दो दलों को भेज दो। अतः मैंने दो दल भेज दिये। जहां तक मेरा सम्बन्ध है, मैं धन का एक उपभोक्ता हूं। मैं इसे ध्यान में रखूंगा। स्वीडन, जापान और अन्य देशों में अवसरों में विस्तार करने का हम प्रयास करेंगे। इस चेतावनी को मैं अपने ध्यान में रखना चाहता हूं किन्तु विश्वास कीजिए कि सरकार हमारी सेवाओं का पश्चिमीकरण नहीं कर रही है या उसे अमेरिकी ढंग पर भी नहीं ले जा रही है अब भी इस सम्बन्ध में कुछ कर रही। हमारी सेवा के सदस्य अत्यन्त शक्तिशाली हैं। जब वे थोड़े समय के लिए कह जाते हैं, तो मुझे विश्वास है, कि वे उस देश के हानिकर तत्वों से प्रभावित हुए बिना अपने देश की परम्पराओं को बनाये रखेंगे। मुझे आशा है कि इससे मामला स्पष्ट हो जायेगा। मैं डा० राजहंस का आभारी हूं कि उन्होंने मुझे इस मामले को स्पष्ट करने के लिए अवसर दिया।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : मन्त्री महोदय ने यह स्वीकार किया है कि प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षकों को बाहर भेजने बारे में विचार किया जा रहा है। हालांकि उन्होंने कहा है कि यह अभी आरंभिक चरण में है, सरकार अमेरिका जैसे देशों को अपने प्रशिक्षक भेजने के बारे में विचार कर रही है। हम सभी जानते हैं कि अमरीका क्या कर रहा है, उसका सी०आई०ए० हमारे देश को अस्थिर बनाने के लिए क्या कर रहा है। वहां इस प्रकार की ताकतें बहुत सक्रिय हैं। वे हमारे देश में भी सक्रिय हैं और हम अपने प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण लेने के लिए उन्हीं के पास भेज रहे हैं। वे वापिस आयेंगे और यहां अन्य प्रशासनिक अधिकारियों को प्रशिक्षण देंगे। हम इस प्रशिक्षण के लिए पर्याप्त रूप से सक्षम हैं। संस्थान के चयन का काम फोर्ड फाउंडेशन को सौंपा गया है और सभी जानते हैं कि उसका सी० आई० ए० से सम्बन्ध है। इस फोर्ड फाउंडेशन के परामर्शदाता ने एक रिपोर्ट पेश की है जो समाचार पत्र में प्रकाशित की गई थी। उसे पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या तैयार करने का काम सौंपा गया है। यह बहुत भयावह बात है। उसने पंडित जवाहर लाल नेहरू का नाम लिया था जो हमेशा आत्म-निर्भरता की बात करते थे। हम अपने संस्थानों पर भरोसा क्यों नहीं कर सकते? हम अपने प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिए पर्याप्त रूप से सक्षम हैं। हम अपने अधिकारियों को विदेशों में प्रशिक्षण के लिए क्यों भेजें? अगर इस तरह का कोई समझौता किया गया है तो उसे रद्द कर दें। हमारे प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण के लिए अमरीका या ब्रिटेन क्यों भेजा जाये? हालांकि यह समझौता 1952 से ही लागू है, फिर भी रद्द किया जाये। ये अमरीकी साम्राज्यवादी और सी० आई० ए० दोनों बहुत सक्रिय हैं। ये हमारे देश में पृथकतावादी और विभाजक ताकतों को उभारने में मदद कर रहे हैं और उनके यहां उभरने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्हें चाहिए कि वे अपने प्रशिक्षकों को वहां भेजना रोकें। उन्हें सभा को यह बताना चाहिए कि फोर्ड फाउंडेशन के परामर्शदाता ने सरकार को क्या रिपोर्ट दी है और क्या अमरीका और ब्रिटेन में विभिन्न संस्थानों के चयन का काम फोर्ड फाउंडेशन को सौंपा गया है। मन्त्री महोदय को यह स्पष्ट करना चाहिए कि क्या वह अमरीका और ब्रिटेन को अपने अधिकारी भेजने सम्बन्धी करार को रद्द करेंगे या नहीं।

6 00 म० प०

उपाध्यक्ष महोदय : डा० चिन्तामोहन।

श्री जी० एम० बनातवाला : क्या मन्त्री महोदयों को भी प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है?

उपाध्यक्ष महोदय : जी हां। विपक्ष के सदस्य भी जा सकते हैं।

डा० चिन्ता मोहन (तिरूपति) : उपाध्यक्ष महोदय, हालांकि मैं मन्त्री महोदय की प्रशासनिक क्षमता की प्रशंसा करता हूं फिर भी मैं अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए विदेश भेजने के उनके सही अव्यवहारिक विचार से मैं सहमत नहीं हूं। फिर भी मैं इसको बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहता।

मन्त्रीमण्डलीय सचिव से लेकर मुख्य सचिव तथा अन्य, समाहर्ता से लेकर लिपिक तक सभी नौकरशाही के प्रभाव में हैं। हालांकि संसद सर्वोपरि निकाय है और हम बहुत से कानून पारित करते हैं, ये लोग ही उन्हें लागू करते हैं। आजादी के 40 वर्ष बाद भी हम देखते हैं कि कथनी और करनी में अन्तर है। बढ़ा चढ़ाकर कहने और कार्यान्वयन में अन्तराल है। सरकार की सभी योजनायें केवल कागजी शेर बनकर रह गई हैं और आज सरकार के आदेश पानी के बुलबुले जैसे हो गये हैं।

कुछ समय पहले माननीय मन्त्री महोदय ने दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संघ की प्रशासनिक सुधार कार्य-शाला पर आयोजित गोष्ठी में यह कहा था कि परिवर्तन ऊपर से ही किया जाना चाहिए। उनके इस विचार की मैं प्रशंसा करता हूं। मैं इसे स्वीकार करता हूं, सर्वोच्च स्तर से ही निश्चित रूप से परिवर्तन किया जाना चाहिए तभी निचले स्तरों पर परिवर्तन आ पाएगा।

मैं माननीय मन्त्री महोदय के इस विचार को समझ नहीं पा रहा हूं कि हम बड़ी आसानी से सामाजिक सुधार ला सकते हैं और उन्होंने सामाजिक सुधार की तुलना इंजिन बदलने से की है। मैं मन्त्री महोदय के इस दृष्टिकोण से सहमत नहीं हूं। शायद उन्होंने सोचा होगा कि इंजिन बदलना भी वर्दी अथवा अन्य ऐसी किसी चीज को बदलने की बात रही है। यदि माननीय मन्त्री का दृष्टिकोण है तो मैं उससे सहमत नहीं हूं।

संघ लोक सेवा आयोग इतनी अधिक परीक्षायें आयोजित करता है और उसमें प्राप्त अंकों के अनुसार उसके द्वारा विभिन्न सेवाओं में प्रत्याशियों का नाम निर्देशन किया जाता है। एक या दो अंक का अन्तर होने पर इतनी अधिक श्रेणियां, संवर्ग आदि बनाये जा रहे हैं। उन्हें भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय रक्षा लेखा सेवा, भारतीय विदेश सेवा आदि में नियुक्त कर दिया जाता है और वे लोग अपने वेतन, पदोन्नतियां प्रशिक्षण के लिए विदेश जाने जैसी अनेक बातों के लिए लड़ रहे हैं। परिणाम यह है कि सिविल सेवा के अधिकारियों के बीच में असन्तोष फैल रहा है और वे अपने कर्तव्य समुचित ढंग से नहीं निभा पा रहे हैं।

मैं मन्त्री महोदय का प्रशिक्षण कार्यक्रम के बारे में यह तर्क स्वीकार करता हूं कि हमने यह कार्यक्रम 1952 में शुरू किया था और इसका वास्तविक रूप से कार्यान्वयन 1983, 1984 या 1985 में हुआ था और अनेक अधिकारी विदेश गये और वहां उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया और वे नये विचार लाये। मैं यह जानना चाहता हूं कि उन देशों में किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है। आपने कहा था कि वे प्रशिक्षण के लिए नीदरलैंड्स, आस्ट्रेलिया, पश्चिम जर्मनी, फ्रांस और अन्य देशों में गये तथा उन्होंने उन देशों में अनेक प्रकार का प्रशिक्षण प्राप्त किया। मैं जानना चाहता हूं कि उन्होंने किस प्रकार के प्रस्ताव रखे हैं और उनसे जानकारी प्राप्त के बाद आपने किस प्रकार की योजनायें तैयार की है। यदि इस समय उनके पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है तो वे बाद मे उसे सभापटल पर रख सकते हैं।

अब इन भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा अधिकारियों तथा अन्य अधिकारियों को प्रशिक्षण के लिए बाहर जाना जरूरी नहीं है। सच तो यह है कि उन्हें जनजातीय बस्तियों, हरिजन बस्तियों आदि में जाना चाहिए और वहां रहने वाली जनता के कठिनाइयों के बारे में जानना चाहिए।

[डा० चिन्ता मोहन]

जानना चाहिए कि भुखमरी, बंधुआ मजदूर और छुआछूत क्या होती हैं। यदि वे इन सब बातों को जान जाते हैं तो वे कुछ कार्यक्रमों को लागू कर सकेंगे और इस देश में गरीब और निर्धन जनता फल-फूल सकेगी।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह प्रशिक्षण के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा अधिकारियों और अन्य अधिकारियों को विदेश न भेजें और उसके स्थान पर उन्हें जनजातीय और हरिजन बस्तियों में भेजा जाये ताकि उन्हें जनता, बंधुआ मजदूर और अन्य प्रकार के लोगों के कष्टों की प्रत्यक्ष जानकारी मिल सके। तभी वे कार्यक्रमों को लागू कर सकेंगे। मुझे मालूम है कि मन्त्री महोदय यह स्वीकार नहीं करेंगे कि वे लोग इन बस्तियों में जायें। किन्तु कम-से-कम उन्हें यह बात ध्यान में रखनी चाहिए और इस सम्बन्ध में अभी या बाद में कुछ-न-कुछ करना चाहिए।

श्री शान्ताराम नायक (पणजी) : उपाध्यक्ष महोदय माननीय मन्त्री को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि उन्होंने वह हारवर्ड गये थे इसीलिए उन्होंने इसे शुरू किया है। उन्होंने इस बात को दो बार दुहराया है। यह कार्यक्रम उनके मन्त्री बनने से बहुत पहले शुरू किया गया था। संसद का सदस्य होने के नाते हम स्थिति की पुनरीक्षा कर रहे हैं, और हमें ऐसा लगता है कि यह प्रशिक्षण बेकार है। मैं अपने माननीय मित्र से पूर्णत: सहमत नहीं हूं और मैं यह नहीं चाहता हूं कि हमारे अधिकारी जापान या चीन तक भी जायें। यदि ऐसे प्रशिक्षण के लिए कोई देश है तो वह भारत ही है जो कि संसार का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा और मैं यह आवश्वासन दे सकता हूं कि उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। यदि आपको कार्मिक और लोक शिकायत विभाग में मन्त्री की हैसियत से किसी मामले पर कार्यवाही करनी हो, तो आप ब्रिटेन के गृहमन्त्री की अपेक्षा हजार गुना बेहतर कार्यवाही कर पायेंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि दो या तीन वर्ष की थोड़ी सी अवधि में आपने ऐसी अनेक जटिल समस्याओं का सामना किया है जिनका अन्य विकासशील देश के गृहमन्त्री या विदेश मन्त्री नहीं कर पाये हैं। हमारे अधिकारियों के साथ इसी प्रकार की स्थिति है। कोई भी अधिकारी इस देश में एक वर्ष के अन्दर ही विशेषज्ञ बन जाता है और मेरा ख्याल है कि उसे प्रक्रिया विज्ञान या अन्य मूलभूत मुद्दों सम्बन्धी प्रशिक्षण की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है। जहां तक गोआ का सम्बन्ध है, मैं जानता हूं कि गत 25 वर्षों में भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के अनेक अधिकारी प्रशिक्षण के लिए गए हैं परन्तु वहां से वापस आने के बाद मैंने उनमें ऐसा कोई अधिकारी नहीं देखा जिसने विदेशी कार्यप्रणाली अथवा विदेश प्रवास के दौरान प्राप्त किए गए किसी उल्लेखनीय ज्ञान का उपयोग तत्कालीन संघ क्षेत्र गोआ दमण और दीव के लाभ के लिए किया हो। इसलिए, उनका विदेशों में प्रशिक्षण प्राप्त करने का क्या उपयोग है? समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, 20 सूत्री कार्यक्रम का क्या उपयोग है? मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उनका अलग-अलग मूल्यांकन किया गया है? यदि उनके कार्य निष्पादन में 10 प्रतिशत का भी सुधार है, तो मैं कहूंगा कि सभी अधिकारियों को प्रशिक्षण लिए भेजा जाना चाहिए। मैं दो प्रश्न पूछना चाहता हूं। पहली बात यह कि आप 20 सूत्री कार्यक्रम के विशेष संदर्भ में भारत सरकार द्वारा समय-समय पर तैयार की जाने वाली योजनाओं के सम्बन्ध में उनके कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन किस प्रकार करेंगे? दूसरे, क्या विदेशों में प्रशिक्षण के दौरान उनके द्वारा सीखी गई किसी कार्य प्रणाली से केन्द्रीय सरकार की किसी योजना के कार्यान्वयन में सहायता मिली है?

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव (विजयवाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा विचार है कि हमें इस

मुद्दे के बारे में एलर्जी नहीं होनी चाहिए। जब हम बेहतर ज्ञान और कुशलता प्राप्त करने की आवश्यकता का महत्व समझ रहे हैं तो हमें इस बात की निन्दा नहीं करनी चाहिए कि वे किसी अन्य देश में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं अपितु इस बात प्रशंसा करनी चाहिए कि ऐसा प्रशिक्षण उन्होंने किसी अन्य देश में प्राप्त किया है। आपको इसे सकारात्मक दृष्टि से देखना चाहिए। महोदय, मेरा विचार है कि अमरीका और ब्रिटेन जैसे देशों के अलावा हमारे देश से अधिक जनसंख्या वाले चीन जैसे देश है, जिन्होंने कृषि, ग्रामीण विकास, जैव-ऊर्जा, ग्रामीण क्षेत्रों में लाखों लोगों को चिकित्सा सेवा प्रदान करने के क्षेत्र में तीव्र प्रगति की है और इससे भी अधिक औद्योगिक क्षेत्र के लघु प्रोद्योगिकी क्षेत्र में प्रगति की है जिसके माध्यम से पूरे देश में लाखों लोगों को रोजगार प्रदान किया गया है। इसलिए, इन परिस्थितियों में मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि सरकार देश की प्रगति और बेहतर प्रशासन के लिए इन दो अति महत्वपूर्ण क्षेत्रों के सम्बन्ध में क्या कदम उठाने जा रही है।

जैसा कि आप जानते हैं, वर्तमान प्रणाली अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई थी। जब वे हमारे देश पर शासन कर रहे थे तो उन्होंने ऐसी प्रणाली विकसित की जिसमें लगभग सभी प्रकार के मामले में फाइल सर्वोच्च स्तर तक जाती थी और उस स्तर पर निर्णय लेने के लिए अंग्रेज व्यक्ति होता था। उनकी सदा यह मंशा रहती थी कि कार्य धीमी गति से चले। उनकी मुख्य चिन्ता यह रहती थी कि विद्रोह की कोई गुंजाइश न रहे और उसके साथ-साथ हमारे देश की कीमत पर अधिक से अधिक धन की बचत कर सकें और उसे अपने देश में औद्योगिकीकरण के विकास पर खर्च कर सकें, अपने देश के उत्पादों को हमारे देश में लाकर बेचे और ऐसा करके पुनः भारी लाभ कमाएं। राज्य और केन्द्र, दोनों स्तरों पर हमारे सचिवालयों में भी कार्यकरण की इसी प्रकार की धीमी गति का होना बहुत दुःख की बात है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अनेक अधिकारी तथा उनसे निचले स्तरों के अधिकारी सदा नकारात्मक दृष्टिकोण से कार्य करते हैं। चाहे कोई समस्या बहुत अधिक लोगों की हो तथा चाहे कोई मुद्दा बहुत सही और यथोचित हो, जब वह किसी अधिकारी के सम्मुख पहुंचता है तो वह उसमें ऐसा मामूली नुक्ता ढूंढ़ता है जिसके आधार पर वह उस फाइल को निचले स्तर तक लौटा सके। इस प्रकार बहुत सा मूल्यवान समय नष्ट हो जाता है। मन्त्री महोदय का इस पहलू के बारे में क्या विचार है?

हम इन अधिकारियों को प्रशिक्षण पर भेज रहे हैं और उन्हें किसी जिले का कलक्टर बनना है अथवा बाद में वे कोई अति वरिष्ठ प्रशासकीय पद सभालेंगे। इन अधिकारियों को अन्य देशों में अपनाए गए उन परिवर्तनों का अध्ययन करना चाहिए जिनसे कार्य तेज गति से होता है। यह प्रत्येक जन प्रतिनिधि का दुःखद अनुभव है—यह आपका भी अनुभव होगा कि चाहे कोई मामला किसी बहुत मामूली किसान का हो अथवा किसी गरीब व्यक्ति अथवा कमजोर वर्गों के लोगों का हो, समस्या के समाधान के लिए उसे किसी कार्यालय के 20 से 25 चक्कर लगाने पड़ते हैं। अनावश्यक चक्कर लगाने की इस समस्या का समाधान करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?

एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू भी है। पूंजीवादी प्रणाली वाले अथवा समाजवादी प्रणाली वाले देश बहुत तेजी से प्रगति कर रहे हैं। हमारी प्रणाली में क्या खराबी है?

एक माननीय सदस्य : क्योंकि हमारे यहां कोई प्रणाली नहीं है।

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव (विजयवाड़ा) : अनेक बार हम देखते है कि लोग बिल्कुल भी कोई काम नहीं करते हैं। जब तक प्रत्येक व्यक्ति इस देश में मेहनत से काम नहीं करेगा तब तक देश तेजी से प्रगति नहीं कर पाएगा। सरकार इस दिशा में क्या कदम उठा रही है? प्रशिक्षण के लिए भेजे

[श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव]

गए लोगों को यह पता लगाना चाहिए कि उन देशों में लोग किन बातों से अपना हर एक कार्य सबसे बेहतर ढंग से करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। इस प्रकार वे न केवल अपने और अपने परिवार के लिए कार्य करते हैं अपितु साथ ही साथ वे अपने देश के चहुंमुखी विकास में भी सहायता करते हैं। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए पूंजीवादी और समाजवादी देशों ने कौन-कौन से साधन अपनाए हैं? वह कौन-कौन सी बातें हैं जो उन देशों में लोगों को तेजी से कार्य करने के लिए प्रेरित करती हैं। क्या हमारी सरकार इन दो महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए कोई कदम उठाने जा रही है जिनका सम्बन्ध बहुत अधिक लोगों से है? यदि सरकार इस समय ऐसा कोई कदम नहीं उठा रही है तो मैं उससे अनुरोध करूंगा कि वह अब आवश्यक कदम उठाए ताकि आने वाले वर्षों में व्यापक परिवर्तन हों।

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला): उपाध्यक्ष महोदय मैं केवल एक मिनट लूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं। मैं आपको अनुमति नहीं दे सकता। मंत्री महोदय को पहले उत्तर देने दीजिए। हम बाद में देखेंगे।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : मैं एक मिनट से अधिक नहीं लूंगा। महोदय मन्त्री जी मान गए हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको अनुमति नहीं दे सकता क्योंकि नियम मुझे इस बात की इजाजत नहीं देते हैं। आप नियमों को बदलिए तभी मैं आपको बोलने की अनुमति दूंगा। मन्त्री महोदय, आप कृपया उत्तर दीजिए। वरना मैं सभा स्थगित कर दूंगा।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : महोदय, केवल एक मिनट।

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपनी बात का जवाब मत दीजिए।

श्री पी० चिदम्बरम् : नहीं महोदय, मैं जवाब नहीं दे रहा हूं। (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : आप इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते।

श्री पी० चिदम्बरम् : मैं उस प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहा हूं। (**व्यवधान**)

श्री सैफुद्दीन सोज : यह अच्छी बात नहीं है।

(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : यह अच्छी बात नहीं है, आप क्या कह रहे हैं। आपको हमारे साथ सहयोग करना चाहिए।

(**व्यवधान**)

श्री पी० चिदम्बरम् : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने मेरे द्वारा दिए गए सुझावों के बारे में मुझसे प्रश्न किए हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि इस मामले पर थोड़ा सा प्रकाश डाला गया है, लेकिन मैं तो यह कहूंगा कि जब श्रीमान आचार्य ने प्रश्न उठाए थे उस समय वे इस बात से अनभिज्ञ थे और मैं समझता हूं कि यह बात आधे-घंटे की चर्चा के क्षेत्र में नहीं आती है।

तथापि—

श्री वसुदेव आचार्य : आप टाल-मटोल कर रहे हैं···

श्री पी० चिदम्बरम् : मैं टाल-मटोल नहीं कर रहा हूं। आप मेरी बात सुनिए। आपकी समस्या यह है कि आप किसी की बात नहीं सुनते···(व्यवधान) उन्होंने मुझसे पूछा है कि परामर्शदाताओं के प्रतिवेदन के निष्कर्ष क्या हैं? मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि यह प्रतिवेदन इस देश के प्रशिक्षण संस्थानों से सम्बन्धित नहीं था। (व्यवधान)

आपको थोड़ा धैर्य रखना चाहिए और प्रत्येक लाइन के बाद थोड़ा रुकना चाहिए। यह एक ऐसा प्रतिवेदन था जिसमें हमारे द्वारा देश में शुरू किए गए प्रशिक्षण कार्यक्रम के बारे में टिप्पणी की गई थी और इस बात का पता लगाया गया था कि क्या इसमें कुछ कमियां हैं अथवा नहीं। (व्यवधान) यदि आप सुनें तो मैं उत्तर दूंगा। आचार्य जी जब तक मैं कम से कम तीन वाक्यों को पूरा करूं तब तक आपको रुकना होगा। हो सकता है कि आपके दल ने आपको इसी प्रकार प्रशिक्षित किया हो।

हम देश के भीतर मूल्यांकन कर रहे है। श्री हल्दीपुर ने हमारे लिए मूल्यांकन किया। प्रो० ईश्वर दयाल ने हमारे लिए मूल्यांकन किया। हम केवल एक ही बस का मूल्यांकन करना चाहते थे, अर्थात क्या प्रशिक्षण प्रयोग में सुधार सम्बन्धी कार्यक्रम ठोस प्रशिक्षण प्रयास के परिणामस्वरूप की गई अपेक्षाओं के अनुरूप चल रहे हैं। ठोस प्रशिक्षण प्रयास के परिणामस्वरूप ये सामने आए हैं। मैं पुनः कहूंगा कि यह प्रशिक्षण केवल भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के लिए ही नहीं है। हमने देश में विदेश सेवा, डाक और दूर-संचार सेवा, भारतीय आयुध कारखाना सेवा वन सेवा तथा अन्य सेवाओं और अन्य संवर्गों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए हैं। इसके लिए पांच कार्यशालाएं चल रही हैं। इन कार्यशालाओं में मन्त्री और भारत सरकार के वरिष्ठ सचिव भी भाग लेते हैं। इसका कारण यह है कि हम जागरूक हैं। हम नए विचारों का भी परीक्षण करना चाहते हैं। यमारे मन्त्रीगण, सचिव, आपके सामने बैठकर एक-दूसरे से यह प्रश्न पूछने के इच्छुक है कि आपसी समस्या क्या है। आप मिलकर कार्य कैसे करते हैं? यदि किसी सरकार के मन्त्री और सचिवों पर किसी अन्य विचारधारा का प्रभुत्व है और वे आमने-सामने बैठकर समस्या का समाधान करने के इच्छुक नहीं हैं, तो उनके सम्बन्ध में मुझे खेद है। हम उसे अब करने के इच्छुक हैं। अब यह निष्कर्ष निकला है कि इस देश में प्रशिक्षण कार्यक्रमों ने राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे राज्य प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों सहित हमारे प्रशिक्षण संस्थानों की क्षमता को बढ़ा दिया है।

हम इस निष्कर्ष पर भी पहुंचे हैं कि प्रशिक्षण संसाधनों में भी भारी कमी हो गई है क्योंकि हमने उनसे अचानक ही उतना कार्य करने के लिए कहा है जो उस कार्यभार के दस गुने से भी अधिक है जिसे उन्होंने प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान, कलकत्ता सहित निरन्तर किया है। मैं चाहता हूं कि आप वापस जाकर उस संस्थान को कम से कम एक बार अवश्य देखें।

तीसरा निष्कर्ष यह है कि प्रशिक्षण के लिए किए गए अधिक प्रयासों को ध्यान में रखते हुए आपको अपने प्रशिक्षकों के संसाधनों से सुधार करना चाहिए। यह आपका कार्य है कि आप इसे कैसे करते हैं। कृपया आप अपने प्रशिक्षकों के संसाधनों को बढ़ाइए क्योंकि किए गए अधिक प्रयासों से अपेक्षाओं में वृद्धि हुई हैं। मैं यह बताना चाहता हूं कि जब माननीय प्रधान मन्त्री संस्थानों के प्रमुखों से मिले तब उन्होंने उनसे क्या कहा था। उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही थी। उन्होंने कहा था, "पहले वर्ष में उस अधिकारी का परीक्षण किया जाता है। जिसे प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है। दूसरे वर्ष में संस्थान का परीक्षण किया जाता है? संकाय का परीक्षण किया जाएगा क्योंकि संकाय को दूसरे

[श्री पी० चिदम्बरम्]

वर्ष में उसको अच्छा और उन्नत पाठ्यक्रम उपलब्ध कराने और तीसरे वर्ष में और भी अच्छा और उन्नत पाठ्यक्रम उपलब्ध करने में समर्थ होना चाहिए।" अतः क्षमता-नियमित शिक्षा का एक भाग है, आजकल देश के प्रत्येक विश्वविद्यालय में एक प्रौढ़ तथा नियमित शिक्षा विभाग होता है। क्यों? इसका कारण यह है कि नियमित शिक्षा व्यक्ति के जीवन का एक भाग होती है। महाविद्यालय छोड़ते ही आपकी शिक्षा समाप्त नहीं हो जाती। शिक्षा आपके डिग्री प्राप्त करते ही समाप्त नहीं हो जाती है। हमारे अधिकारियों को भी नियमित शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। यह सरकार इस सिद्धांत के प्रति वचनबद्ध है कि भारत में ही नियमित शिक्षा होनी चाहिए। यह सरकार इस सिद्धांत के प्रति वचनबद्ध है कि हमें अपने प्रशिक्षण संस्थानों और संकाय की गुणवत्ता में सुधार तथा वृद्धि करनी चाहिए।

श्री बसुदेव आचार्य : फोर्ड फाउंडेशन की सहायता से?

श्री पी० चिदम्बरम् : ताकि वे उस बढ़े हुए कार्य को कर सकें जो उन्हें प्रशिक्षण कार्यक्रम के कारण सौंपा गया है तथा जो इस देश के सभी संवर्गों के लिए निर्धारित किया गया है। ये रिपोर्ट के निष्कर्ष हैं और यह क्या है···

श्री बसुदेव आचार्य : आपने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। फोर्ड फाउंडेशन क्यों?

श्री पी० चिदम्बरम् : मैंने उत्तर दे दिया है, यदि वह इसे समझ नहीं सकते हैं तो मैं इसमें क्या कर सकता हूं।

श्री बसुदेव आचार्य : आपने उत्तर नहीं दिया है।

श्री पी० चिदम्बरम् : मैंने उत्तर दे दिया है और मैं इसे उनको दोबारा भी बता सकता हूं।

श्री बसुदेव आचार्य : फोर्ड फाउंडेशन क्यों? इस प्रश्न का मन्त्री महोदय ने उत्तर नहीं दिया है।

श्री पी० चिदम्बरम् : ठीक है। अब जहां तक श्री शांताराम नायक का सम्बन्ध है, उन्होंने मुझसे पूछा था : "क्या आपने कार्य निष्पादम निष्पादन मूल्यांकन किया है? मैं स्पष्ट रूप से यह बताना चाहता हूं कि मैंने कुछ हद तक कार्य-निष्पादन मूल्यांकन किया है और कुछ हद तक कार्य-निष्पादन मूल्यांकन नहीं किया है।

स्लाउ स्कूल पर आधारित तीन संस्थानों और दो अन्य संस्थानों में हमने प्रशिक्षण क्षमता का अन्तरीयकरण कर दिया है और हमने प्रशिक्षण सामग्री में सुधार किया है। उस सीमा तक हमने मूल्यांकन किया है। हमने ठीक प्रकार से शुरुआत की है। प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान कलकत्ता, प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान मैसूर आई० एम० जी० त्रिवेन्द्रम ने प्रशिक्षण सामग्री में पर्याप्त सुधार किए हैं। पिछले पांच वर्षों में क्षमता-विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत गए 150 व्यक्तियों में से अधिकतर अधिकार प्रशिक्षण संस्थानों में वापस चले गए हैं। लेकिन मैंने उन 150 भारतीय प्रशासनिक सेवा और अन्य अधिकारियों का जो प्रतिवर्ष कार्मिक विभाग के तत्वावधान में विदेश जाते हैं, या उन सैकड़ों अधिकारियों का जो कोयल इस्पात विज्ञान वित्त वाणिज्य और उद्योग से विदेश जाते हैं, मूल्यांकन नहीं किया है। मैंने ऐसा कोई मूल्यांकन नही किया है।

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : क्या आपका ऐसा करने का विचार है ?

श्री पी० चिदम्बरम् : मैं इस बात पर आ रहा हूं। लेकिन मैं यह चाहता हूं कि हमें दो बातों का मूल्यांकन करना चाहिए। पहली बात यह है कि क्या ये अधिकारी प्रशिक्षण प्राप्त करके वापस आ गए हैं; क्या उनको लगाने की हमारी कोई ऐसी ठोस नियोजन नीति है ? जिसमें उनके द्वारा प्राप्त प्रशिक्षण का ध्यान रखा जाए ? दूसरी बात यह है कि क्या वे प्राप्त की गई क्षमता का अन्तरीयकरण करने में समर्थ रहे हैं और क्या वे इसे अपने समकक्ष व्यक्तियों और साथियों को देने में समर्थ रहे हैं ? मूल्यांकन किया जाना चाहिए। हम एक मूल्यांकन करेंगे। मैं सुझाव के लिए आभारी हूं।

मैं श्री चिन्ता मोहन का आभारी हूं। उन्होंने मुझसे वास्तव में कोई प्रश्न नहीं पूछा। उन्होंने केवल यही कहा कि हमें अपने अधिकारियों को बस्तियों आदि में भेजना चाहिए। मेरे विचार से अधिकारी जिलों में जाते हैं और उन्हें अधिक संख्या के जिलों में जाना चाहिए। यह एक एक जटिल समस्या है। यह पूरी तरह मेरे हाथों में नहीं। हमें जिला प्रशासन की अपनी पूरी पद्धति को बदलना चाहिए। हमारे वरिष्ठ अधिकारियों को भी जिलों में जाना चाहिए। लेकिन यह दीर्घकालीन कार्य है।

वस्तुतः आप यह जानते हैं कि यह भी एक ऐसा मामला है जिसकी मैंने हैदराबाद में पहली बार रूप रेखा रखी थी। मैंने यह कहा था : "हां, हमें अपने जिला प्रशासन का नवीकरण करना चाहिए जिसके अनुसार वरिष्ठ अधिकारियों को जिलों में जाना चाहिए। इस मन्त्रालय की मन्त्रणा समिति इस सम्बन्ध में जानती है। जिला प्रशासनों के सम्बन्ध में हम कागजी कार्यवाही कर रहे हैं। हमने मुख्य सचिवों के सम्मेलन में कुछ विचार रखे थे। हम कागजी कार्यवाही को जारी रखने की आशा करते हैं। हम इसे आगामी सम्मेलन में रखेंगे।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : लेकिन वे कुछ नहीं कर रहे हैं।

श्री पी० चिदम्बरम् : मैं यह जानता हूं कि वे कुछ नहीं कर रहे हैं। हमने इन विचारों को मुख्य सचिवों के समक्ष रखा। हमने उनसे इन पर विचार करने तथा उत्तर देने के लिए कहा था। हमने एक सुझाव दिया है कि वरिष्ठ अधिकारियों को जिलों में भेजा जाना चाहिए। यह एक ऐसी बात है जिसे मैं दिल्ली में बैठकर नहीं कर सकता हूं। हमें सभी राज्य सरकारों का सहयोग लेना पड़ेगा। लेकिन यहां कोई दल यह नहीं कह सकता : "यह, आखिरकार आपकी पार्टी का मामला है क्योंकि प्रत्येक पार्टी की किसी न किसी राज्य में सत्ता में है।"

जहां तक राव का सम्बन्ध है मैं उनका इस बात के लिए आभारी हूं कि उन्होंने इस विचार का व्यापक रूप से समर्थन किया है कि हमें लोगों का भंडाफोड़ना चाहिए और अन्तरीयकरण करना चाहिए। उस बात का उल्लेख करते हुए अपना भाषण समाप्त करता हूं जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुत पहले कही थी :

> "प्रत्येक मामले में चाहे वह शिक्षा, विज्ञान संस्कृति अथवा किसी अन्य विषय से सम्बन्धित हो, मैं उस बात को पसंद नहीं करता हूं जिसका राष्ट्रीय दृष्टिकोण संकुचित हो तथा जिसमें हम यह सोचते हैं कि हम उस विषय की पाराकाष्ठा पर पहुंच गए हैं और हमें उसके सम्बन्ध में कुछ और सीखने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार के दृष्टिकोण से स्थिर स्थिति का पता लगता है। जो कोई चीज स्थिर है वह गतिहीन हो जाती है और धीरे-धीरे वह नष्ट हो जाती है। हर प्रकार का

[श्री पी० चिदम्बरम्]

ज्ञान और जानकारी जिसे हम प्राप्त कर सकते है हमें प्राप्त करनी चाहिए, मेरी ऐसी विचारधारा है मेरा यह भी विचार है कि हमें शेष दुनिया के देशों से भी उदारता से सम्पर्क स्थापित करने चाहिए और हमें अन्य देशों के लोगों को यहां से कुछ सीखने के लिए आमन्त्रित करना चाहिए। मैं इसमें किसी प्रकार की बाधा नहीं चाहता हूं।"

महोदय मैं यह कहते हुए अपना भाषण समाप्त करता हूं। "हम केवल दूसरों से सीख नहीं रहे हैं अपितु हम दूसरों को सिखा भी रहे हैं। आई. टी. ई. सी. कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत अफगानिस्तात से जिम्बाब्वे के मध्य के 53 विकासशील देशों से छात्र बुलाता है। हम उन्हें पिछले कई वर्षों से बुलाते रहे हैं। हस उन्हें उस कार्यक्रम के अन्तर्गत बुलाते हैं। यहां तक कि चीन को 15000 छात्र प्रतिवर्ष विदेशों में भेजता है। वस्तुतः प्रश्न यह है: क्या हम एक सीमित समाज बनाने जा रहे हैं; क्या हम अपने ही सीमित रहना चाह रहे हैं?

इस सम्बन्ध में जो चेतावनी दी गई है, उसे हमने नोट कर लिया है लेकिन प्रश्न यह है कि हमें चाहिए कि···

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : लेकिन फोर्ड फाउन्डेशन के प्रश्न के सम्बन्ध में उत्तर नहीं दिया है।

श्री पी० चिदम्बरम् : हमें दूसरों से सीखना चाहिए। हमें दूसरों को सिखाना चाहिए और हमें आगे बढ़ना चाहिए और इस कार्यक्रम के पीछे यही दर्शन हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा कल 11 बजे म० पू० तक के लिए स्थगित होती है।

6.25 म० प०

तत्पश्चात लोक सभा गुरुवार, 26 नवम्बर, 1987/
5 अग्रहायण, 1909 (शक) के 11 बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई।

मित्तल प्रिण्टर्स, के-13, नवीन शाहदरा, दिल्ली-110032 द्वारा मुद्रित